युवाओं में मादक द्रव्यों के सेवन की प्रकृति एवं प्रभाव का अध्ययन

(चित्रकूट के विशेष सन्दर्भ में)

समाजकार्य विषय में पीएच०डी० उपाधि हेतु प्रस्तुत शोध प्रबन्ध

शोधार्थी

धर्मेन्द्र कुमार श्रीवास

एम.ए. (समाजकार्य)

शोध निर्देशक

डॉ० आर०वी० सिंह

एम०एस०डब्ल्यू०, एम०ए० (समाजशास्त्र),
पी०एच०डी० (समाजकार्य),
समन्वयक, समाजकार्य विभाग

डॉ०बी०आर० अम्बेडकर समाज विज्ञान संस्थान

बुन्देलखण्ड विश्वविद्यालय, झाँसी, उ०प्र०

2008

Dr. B.R. Ambedkar Institute of Social Sciences
Bundelkhand University, Jhansi, (U.P.) 284128

Dr. R. V. Singh
M.S.W., M.A.(Sociology)
Ph.D. (Social Work)
Coordinator
Department of Social Work

Phone.No. 09454247305
09415588289

Date : 16.06.2008

प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि शोधार्थी धर्मेन्द्र कुमार श्रीवास, शोध पंजीकरण संख्या : 3899; दिनांक : 21-12-2005 बुन्देलखण्ड विश्वविद्यालय, झाँसी, ने अपना शोध प्रबन्ध कार्य, "युवाओं में मादक द्रव्यों के सेवन की प्रकृति एवं प्रभाव का अध्ययन (चित्रकूट के विशेष सन्दर्भ में)" शोध शीर्षक, पर मेरे मार्ग दर्शन में पूर्ण किया है। मेरी पूर्ण जानकारी एवं विश्वास में यह मौलिक कार्य है तथा मैने शोध प्रबन्ध समिति के निर्देशानुसार एवं शोध संक्षिप्तिकी के अनुरूप ही पूर्ण कराया है तथा शोधार्थी ने मेरे निर्देशन में शोध केन्द्र पर 200 दिन उपस्थित होकर शोध कार्य पूर्ण किया है।

अत: मैं, इस शोध प्रबन्ध के मूल्यांकन की प्रबल संस्तुति एवं अनुशंसा करता हूँ।

(डॉ० आर० वी० सिंह)
शोध पर्वेक्षक

Residence : * Village & Post - Pipahara, (Via-Awagarh) Distt.-Etah, 207301 (U.P.), 09457021261
* 18/125 Nagala Gangaram Lohamandi Agra, 282002 (U.P.), 09412720303

उपोद्घात

मादक द्रव्य सेवन की युवाओं में गत दशकों से एक नैतिक समस्या एवं सामाजिक अनुत्तरदायित्व का लक्षण समझा जाता है। कुछ राज्यों में मद्य निषेद्य की नीति लागू होने के बाद यह एक अवैध कार्य के रूप में देखा जाने लगा। अब यह कुछ विद्धानों द्वारा विचलित व्यवहार से अधिक एक जटिल, दीर्घकालिक और अत्यन्त मंहगी बीमारी समझी जाती है। इसके शिकार युवाओं का दण्डात्मक सलूक के स्थान पर विशेषज्ञों द्वारा उपचार की आवश्यकता होती है, जैसे मनिचिकित्सों, डाक्टरों व सामाजिक कार्यकर्ताओं की तथा उनकी जो उसके व्यक्तित्व की पुनः संरचना में सहायता प्रदान करते हैं।

मद्यपान तथा मादक द्रव्य पदार्थों के व्यसन की समस्या में काफी समानता है। दोनों अल्पकालिक सुखद मनोदशा उत्पन्न करने के लिए मूलतः रासायनिक वस्तुओं को आदतन प्रयोग किया जाता है। दोनों के परिणाम अत्यन्त गम्भीर हो सकते हैं। दोनों के आदतन व्यक्तियों को दण्ड के वजाय चिकित्सा की आवश्यकता पड़ती है। तथापि इन समानताओं के बावजूद, दोनों समस्याऐं काफी भिन्न हैं और उन पर अलग-अलग परिचर्चा होनी चाहिए। भारत में पियक्कड़ बिरले ही है और अधिकांश पीने वाले व्यक्ति ही हैं। मद्य सेवन इतना खतरनाक नहीं है, जितना मादक द्रव्यों के सेवन की आदत।

भारत में केवल पिछले डेढ़ दशक से ही इसे घातक व दुःसाध्य सामाजिक समस्या समझा जाने लगा है। अब यह कहा जाता है कि भारत न केवल मादक द्रव्यों के लिए मुख्य पारगमन केन्द्र (जहां से मादक द्रव्यों की तस्करी कुछ देशों से अन्य देशों में की जाती है) बन गया है, अपितु मादक द्रव्यों का सेवन भी गम्भीर रूप से बढ़ रहा है। गत दशक के अनुमान से भारत में लगभग 12 लाख

व्यक्ति हेरोइन के व्यवसनी थे (मुख्य शहरों में), लगभग 45 लाख अफीम के मुख्य ग्रामों में, और लगभग 50,000 प्रगट रूप में घातक व मतिभ्रष्ट करने वाले द्रव्यों के विधार्थी (द इलस्ट्रेड वीकली, जून-26, जुलाई-2, 1993)। हेरोइन दुरूपयोगियों की संख्या का 1989 में 5 लाख से बढ़कर 1993 में 12 लाख और 1996 में 16 लाख हो जाना स्पष्ट करता है कि मादक पदार्थों का सेवन कैसे गम्भीर समस्या बनती जा रही है।

उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए शोधार्थी ने प्रस्तुत शोध अध्ययन में निम्न शोध उद्‌देश्यों का निर्माण किया ताकि समस्या का सर्वागणीय अध्ययन सम्भव हो सके।

प्रस्तुत शोध अध्ययन के प्रमुख उद्‌देश्य निम्नवत् है :-
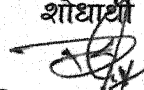
1. युवकों का सामाजिक, आर्थिक एवं जनांकिकीय विशेषताओं का अध्ययन करना,
2. युवाओं में मादक द्रव्य प्रयोग की प्रकृति का अध्ययन करना,
3. युवाओं में मद्यपान/मादक द्रव्य प्रयोग के कारणों की पहिचान करना,
4. युवाओं में मादक द्रव्य प्रयोग से पड़ने वाले प्रभाव की समीक्षा करना,
5. युवाओं में मादक द्रव्यों के प्रति विचार, राय तथा दृष्टिकोण जानना,
6. मादक द्रव्य सेवन के नियंत्रण हेतु सरकारी प्रयास तथा सम्भव सुझाव प्रस्तुत करना।

शोध अध्ययन के उपरोक्त उद्‌देश्यों को दृष्टिगत रखते हुऐ इस शोध प्रबन्ध का अध्यायीकरण किया गया, जो निम्न प्रकार है :-

1. प्रथम अध्याय में, शोध विषय की वृहत प्रस्तावना : शोध विषय की आवश्यकता, महत्व तथा शोध समस्या का विस्तार पूर्वक उल्लेख किया गया है।

2. द्वितीय अध्याय में, शोध विषय से सम्बन्धित शोध साहित्य का पुनर्विलोकन को प्रस्तुत किया गया है।

3. तृतीय अध्याय में, शोध विधि/पद्धति जो प्रयोग में लाई गई उसे प्रस्तुत किया गया है।

4. चतुर्थ अध्याय में, उत्तरदाताओं से सम्बन्धित प्राथमिक तथ्य-सामाजिक, आर्थिक तथा जनांकिकीय विशेषताओं का निरूपण किया गया है।

5. पंचम अध्याय में, युवाओं में मादक द्रव्य प्रयोग की प्रकृति का वर्णन किया गया है।

6. षष्ठम अध्याय में, मद्यपान/मादक द्रव्यों के प्रयोग के कारणों पर प्रकाश डाला गया है।

7. सप्तम अध्याय में, युवाओं के वैयक्तिक, पारिवारिक, आर्थिक, सामाजिक तथा मनोवैज्ञानिक पृष्ठ भूमियों में पड़ने वाले प्रभावों की व्याख्या की गई है।

8. अष्ठम अध्याय में युवाओं के मादक द्रव्य प्रयोग के बारे में उनके विचारों, मनोवृत्तियों तथा दृष्टिकोणों का उल्लेख प्रस्तुत किया गया है।

9. नवम अध्याय में मद्यपान/मादक द्रव्य प्रयोग पर सरकारी नियंत्रण के लिए किये गये उपायों तथा अन्य सुझाव प्रस्तुत किये गये है। तथा

10. दसम अध्याय में शोध अध्ययन का निष्कर्ष एवं सुझावों को प्रस्तुत किया गया है।

प्रस्तुत शोध अध्ययन शोध समिति के निर्देशानुसार शोध संक्षिप्तिकी के अनुरूप पूर्ण किया गया है। सम्प्रति ; इसकी उपादेयता एवं महत्व की अनुभूति तो पाठकगण तथा विषय के विद्वान मनीषी ही भलीभांति कर सकते हैं कि शोधार्थी अपने प्रयास में कितना सफल रहा है।

शोधार्थी

(धर्मेन्द्र कुमार श्रीवास)

आभार

प्रस्तुत शोध प्रबन्ध बुन्देलखण्ड विश्वविद्यालय, झाँसी की समाजकार्य विषय में "डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी" की उपाधि प्राप्त करने के लिए प्रस्तुत किया गया है। इस शोध प्रबन्ध की आधार शिला रखने हेतु सर्व प्रथम बुन्देलखण्ड विश्वविद्यालय, झाँसी की शोध समिति बधाई की पात्र है, जिसने प्रथम दृष्टया शोध की रूप रेखा/शोध संक्षिप्तिकी अनुमोदित करके अनुसन्धान कार्य हेतु मार्ग प्रस्तुत कर मेरा उत्साहवर्धन किया।

"गुरू बिन ज्ञान न होय" यह कहावत विश्व में चरितार्थ है। प्रस्तुत शोध विषय "युवाओं में मादक द्रव्यों के सेवन की प्रकृति एवं प्रभाव का अध्ययन (चित्रकूट के विशेष सन्दर्भ में)" प्रस्तुत करने का श्रेय तथा पूर्ण कराने का आशीर्वाद डॉ० रनवीर सिंह, वरिष्ठ प्रवक्ता एवं समन्वयक, समाजकार्य विभाग, डॉ० बी०आर० अम्बेडकर समाज विज्ञान संस्थान, बुन्देलखण्ड विश्वविद्यालय, झाँसी का फल है, जिन्होंने अपने महत्वपूर्ण समय में से अपना अमूल्य समय मेरे शोध संचालन, संगठन एवं पूर्ण होने में सहज ही प्रदान किया। मैं उनके मार्ग दर्शन का जीवन पर्यन्त तक ऋृणी रहूँगा साथ ही अपनी चिन्त संतित में संजोये रखूँगा।

सहयोगी व्यवहार के धनी डॉ० आर०पी० निमेष जी का हृदय से अनुग्रहित हूँ जिन्होंने मुझे शोध कार्य को सही ढ़ग से करने की प्रेरणा ही नहीं अपितु मेरी हर समस्या को हल करने में मुझे सहायता प्रदान की।

मैं अपने मानस के गहरे भाव से आभार प्रकट करता हूँ डॉ० अजय चौरे एवं डॉ० नीमल चौरे, वरिष्ठ प्रवक्ता महात्मा गाँधी चित्रकूट ग्रामोदय विश्वविद्यालय, चित्रकूट सतना, म०प्र० का जिन्होंने मुझे पीएच०डी० करने हेतु प्रेरित किया तथा इस शोध अध्ययन में समय-समय पर मेरी सहायता की।
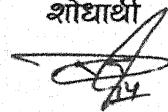
मैं अपनी माता श्रीमती मुंगिया श्रीवास, पिता श्री श्यामलाल श्रीवास एवं पिता तुल्य बड़े भाई श्री सन्तोष कुमार श्रीवास जी के प्रति आभार व्यक्त करता हूँ जिन्होंने मुझे उच्च शिक्षा दिलवायी तथा जिनके आर्शीवाद से मैं इस शोध प्रबन्ध को प्रस्तुत करने हेतु समर्थ हुआ हूँ। मै उनके छाये को हर समय अनुभव करता हूँ।

मै विशेष आभार एवं कृतज्ञता ज्ञापन उन समस्त उत्तरदाताओं का जिन्होंने निःसंकोच अपने व्यक्तिगत जीवन सम्बन्धी सूचनाऐं प्रदान कर मेरे अध्ययन को पूरा करने में सहायता की। साथ ही आभारी हूँ आई0सी0एस0एस0आर0 नई दिल्ली एवं बुन्देलखण्ड विश्वविद्यालय के लाइब्रेरी स्टाफ का जिनके सहयोग से अपना शोध कार्य पूर्ण कर सका।

मैं विशेष रूप से विश्वविद्यालय अनुदान आयोग नई दिल्ली का आभारी हूँ जिसने शोधकार्य को पूर्ण करने हेतु आर्थिक सहायता के रूप में राजीव गाँधी फैलोशिप में मेरा चयन किया।

अन्त में मै उन सभी महानुभावों तथा मित्रों को साधुवाद देता हूँ जिन्होंने मुझे इस शोध प्रबन्ध को पूर्ण करने में अपनी राय व परामर्श देकर मेरा मार्ग सरल बनाया।

दिनांक :....................

शोधार्थी

(धर्मेन्द्र कुमार श्रीवास)

विषय वस्तु

संलग्न -तालिकाओं की सूची

अध्याय-1

प्रस्तावना

प्रस्तावना

मद्यपता या मद्यपान वह स्थिति है जिसमें एक व्यक्ति मदिरा लेने की मात्रा पर नियंत्रण खो बैठता है जिससे कि वह पीना आरम्भ करने के पश्चात उसे बन्द करने में सदैव असमर्थ रहता है। *(जौन्सन, 1973 : 519)*। *केलर एवं एफ्रोन (1955 : 619-644)* के अनुसार मद्यपान का लक्षण मदिरा का इस सीमा तक बार-बार पीना है जो कि उसके प्रथागत उपयोग या समाज के सामाजिक रिवाजों के अनुपालन से अधिक है और जो पीने वाले के स्वास्थ्य या उसके सामाजिक अथवा आर्थिक कार्य करने को प्रभावित करता है।

मद्यसारिक 'यदा-कदा पीने वाले' से भिन्न होता है। कोई भी व्यक्ति जो मदिरा का सेवन करता है 'पीने वाला' होता है, जबकि 'बाध्यताकारी पीने वाला, जो मदिरा पिये बिना नहीं रह सकता, 'मद्यसारिक' कहलाता है। *रिचर्ड वारिकन (1964 : 362)* के अनुसार एक मद्यसारिक 'अत्यधिक पीने वाला' होता है जिसकी मदिरा पर निर्भरता इस सीमा तक पहुंच चुकी होती है कि उसके परिणामस्वरूप उसमें स्पष्ट मानसिक गड़बड़ हो जाती है या उसके शारीरिक एवं मानसिक स्वास्थ्य, उसके अन्तरवैयक्तिक संबंधों और उसके निर्विघ्न सामाजिक एवं आर्थिक कार्य करने की क्षमता में बाधा पड़ती है ; या वह होता है जो कि इस प्रकार के परिणामों के प्रारम्भिक लक्षण दर्शाता है। *क्लाइन बेल (1956 : 17)* ने 'मद्यसारिक' की परिभाषा यह कह कर की है कि यह वह व्यक्ति है जिसके शराब पीने से उसके जीवन के महत्वपूर्ण पुनः समंजनों और अन्तरवैयक्तिक संबंधों में प्रायः या निरन्तर बाधा उत्पन्न होती है।

मोटे तौर पर मद्यपान की विशेषता चार कारकों द्वारा जानी जाती है : (1) मदिरा का अत्यधिक सेवन, (2) व्यक्ति की अपने पीने पर बढ़ती हुई चिन्ता, (3) पीने वाले का अपने पीने पर नियंत्रण खो देना, और (4) अपने सामाजिक संसार में कार्य करने में गड़बड़ पैदा होना । परन्तु अपने और अन्य अनुसंधानकर्ताओं के निष्कर्षों के समझने से पहले, द्रव्य दुरूपयोग शब्दावली में पाई जाने वाली मूल अवधारणाओं को समझना आवश्यक है।

मूल अवधारणाएँ

द्रव्य, द्रव्य दुरूपयोग, द्रव्य निर्भरता, द्रव्य व्यसन, और उपभोग स्थगन संलक्षण कुछ ऐसी अवधारणाएँ हैं जिनकी स्पष्टता आवश्यक है। 'द्रव्य' एक रासायनिक पदार्थ है, जिसके कुछ विशिष्ट शारीरिक और/अथवा मनोवैज्ञानिक प्रभाव होते हैं। यह व्यक्ति की साधारण शारीरिक प्रक्रियाओं व प्रकार्यों को बदलता है। परन्तु यह परिभाषा बहुत व्यापक है। चिकित्सकीय संदर्भ में 'द्रव्य' एक वह पदार्थ है जो चिकित्सक द्वारा नुसखे के रूप में नियत किया जाता है, और जो किसी रोग, बीमारी व पीड़ा के उपचार व रोकथाम के लक्ष्य से निर्मित किया जाता है, जिसमें वह अपने रासायनिक प्रकृति द्वारा जीवित प्राणी की संरचना व प्रकार्यों पर आवश्यक प्रभाव डाल सके। मनोवैज्ञानिक व समाजशास्त्रीय संदर्भों में, 'द्रव्य' एक वह शब्द है, जो उस आदत-निर्माण पदार्थ के लिए उपयोग किया जाता है जो मस्तिष्क व नाड़ीमण्डल को प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करता है। सुतथ्यतः यह एक रासायनिक पदार्थ को दर्शाता है जो शरीर के कार्य, मनःस्थिति, अनुभवजन्यता व चेतना को प्रभावित करता है, जिसमें दुरूपयोग की क्षमता है और जो व्यक्ति या समाज के लिए हानिकारक हो सकता है। *(Joseph Julian, 1977)*। इस परिभाषा के आधार पर द्रव्य का बारम्बार सेवन इतना खतरनाक समझा जाता है और कभी-कभी इतना अनैतिक व असामाजिक माना जाता है कि यह आम जनता

में अनेक प्रकार के प्रतिकूल मनोभाव जागृत करता है। परन्तु कुछ द्रव्य सापेक्षिक रूप से अघातक तथा व्यसनरहित होते हैं और उनमें हानिकारक शारीरिक प्रभाव भी नहीं पाये जाते हैं। ऐसे द्रव्यों का उपयोग हेरोइन, कोकीन व एल.एस.डी. जैसे अवैध द्रव्यों के उपयोग से तथा शराब, तम्बाकू, बार्बिटयुरेट व ऐम्फेटामाइन जैसे वैध द्रव्यों के सेवन से सुस्पष्ट विपरीत होता है, क्योंकि यह सभी अवैध और दुरूपयोग किये जाने वाले वैध द्रव्य इनके सेवन करने वाले व्यक्तियों पर स्पष्ट हानिकारक शारीरिक प्रभाव डालते हैं।

द्रव्य दुरूपयोग का अर्थ है अवैध द्रव्य का सेवन तथा वैध द्रव्य का अनुचित प्रयोग जिससे शारीरिक व मानसिक हानि होती है। इसमें गांजा व हशीश का धूमपान, हेरोइन, कोकीन व एल.एस.डी. का सेवन, मारफीन का इंजेक्शन लेना, शराब पीना, आदि सम्मिलित है। कभो-कभी इसे 'बुलन्द द्रुतगति पर होना', 'अमोद यात्रा', व 'आनन्दोत्कम्प' भी कहा जाता है।

द्रव्य निर्भरता द्रव्य का आदी होना व नित्य सेवन करना सूचित करता है। 'निर्भरता' शारीरिक भी हो सकती है और मानसिक भी। शारीरिक निर्भरता द्रव्य के बार-बार के सेवन से पैदा होती है जब द्रव्य की उपस्थिति के कारण शरीर अपने को समायोजित करता है। परन्तु इस (द्रव्य) के बन्द कर देने से व्यक्ति दर्द, पीड़ा, उलझन, व्यथा व बीमारी का सामना करता है।

व्यसन शब्द अधिकांशतः शारीरिक निर्भरता दर्शाता है। अतः 'व्यसन' व 'शारीरिक निर्भरता' एक ''वह स्थिति है जिसमें शरीर को अपने कार्य संचालन के लिए द्रव्य का निरंतर सेवन चाहिए''। द्रव्य के बन्द कर देने से शरीर के कार्य निष्पादन में हस्तक्षेप होता है तथा द्रव्य में पाये जाने वाले विशिष्ट प्रतिरूप के अनुसार बन्द होने के लक्षण दिखाई देने लगते हैं। वंचना के प्रति पूर्ण प्रतिक्रिया को 'उपभोग स्थगत संलक्षण' कहा जाता है।

द्रव्य का दीर्घ स्थायी सेवनकर्ता एक यह विचार विकसित करता है कि वह अपने द्रव्य की मात्रा को निरन्तर बढ़ाता जाये, जिससे उसमें वह प्रभाव पैदा हो जो पहली खुराक लेते समय हुआ था। इस तथ्य को 'सहनशीलता' कहा जाता है। यह (सहनशीलता) बाहरी पदार्थ की उपस्थिति में शरीर की अपने को अनुकूल करने की क्षमता को दर्शाती है। परन्तु सभी व्यक्तियों में सभी द्रव्यों के लिए सहिष्णुता विकसित नहीं होती, यद्यपि कुछ द्रव्यों के लिए (उदाहरणार्थ मार्फीन) व्यसनी सहनशीलता को शीघ्रता से गठित कर लेते हैं। 'प्रति-सहनशीलता' का अर्थ है कि एक द्रव्य के लिए सहिष्णुता उसी प्रकार के अन्य द्रव्यों के लिए भी सहनशीलता पैदा करती है।

द्रव्य व्यसन के मुख्य लक्षण हैं : (1) द्रव्य लेते रहने की अत्यधिक इच्छा या आवश्यकता तथा उसे किसी भी तरीके से प्राप्त करना; (2) मात्रा (डोज़) बढ़ाने की प्रवृत्ति; (3) द्रव्यों के प्रभावों पर मनोवैज्ञानिक व शारीरिक निर्भरता; (4) व्यक्ति व समाज पर हानिप्रद प्रभाव।

मनोवैज्ञानिक निर्भरता तब उत्पन्न होती है जब व्यक्ति द्रव्य पर उससे उत्पन्न होने वाले 'सुख' की अनुभूति पर निर्भर करने लगता है। मनोवैज्ञानिक निर्भरता के लिए 'आदी होना' शब्द का प्रयोग किया जाता है। 'आदी होने' और 'व्यसन' में अन्तर यह है कि जितना व्यसन विवशताकारी है, उतनी आदत नहीं है। किसी द्रव्य के लिए व्यसन का अर्थ है कि शरीर उस द्रव्य के विषैले/नशीले प्रभावों पर इतना निर्भर हो जाता है कि उसके बिना वह रह नहीं सकता।

शोध विषय की व्याख्या

(अ) युवा : युवा व्यक्ति की आयु की वह एक महत्वपूर्ण अवस्था होती है जिसकी गणनानुसार उस व्यक्ति को- पुरूष व महिला को जिसकी आयु 18 वर्ष से 40 वर्ष होती है, कहते हैं। यह आयु की वह अवस्था है जिसमें प्राय व्यक्ति

शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, सामाजिक रूप से, अध्यात्मिक रूप से तथा भावात्मक रूप से स्वस्थ्य होता है उसमें कार्य निष्पादन की असीम क्षमता, ऊर्जा, निर्भयिता तथा साहस होता है।

(ब) मादक द्रव्य सेवन : मादक द्रव्य सेवन का आशय उन द्रव्यों जिसमें- शराब (कच्ची-पक्की) भाँग, अफीम, तम्बाकू, चर्स, गांजा, इत्यादि जिनका प्रयोग व्यक्ति द्वारा पीकर-खाकर तथा सूंघ कर प्राय किया जाता है तथा जिनके सेवन से व्यक्ति नशा अनुभव करता है अर्थात उसके तापमान में, रक्तचाप में अन्तर आ जाता है जिसे प्रत्यक्ष रूप से उसके कार्यो प्रक्रियाओं में अवलोकन किया जा सकता है।

(स) मादक द्रव्य सेवन की प्रकृति : जहाँ तक युवाओं द्वारा मादक द्रव्यों के सेवन की प्रकृति का प्रश्न है, इसमें अनेक व्यक्ति द्वारा किया जाने वाला चिन्तन, अनुभव तथा आचरण सम्मिलित होता है साथ ही उसकी मादक द्रव्य प्रयोग से संबंधित रूचि, धारणाएं, आदतें पसन्दगी तथा व्यवहार आता है, उदाहरण के लिए- व्यक्ति को मादक द्रव्यों का ज्ञान, उनके प्रयोग की चाह, मादक द्रव्यों का प्रयोग, प्रयोग के अवसर, मात्रा तथा आदतें इत्यादि।

<u>प्रभाव :</u> मादक द्रव्य सेवन का मद्यसारिक की बुद्धि-विवेक, शरीर, मन, परिवार, कार्यो, समाज तथा आर्थिक व सांस्कृतिक पृष्ठभूमि में होने वाला आघात।

<u>संक्षिप्त में,</u> प्रस्तुत शोध विषय का उल्लेख उन युवाओं जिनका आयु वर्ग 18-35 वर्ष है, जो किसी एक या अनेक मादक द्रव्य का सेवन किस मात्रा में नियमित तथा अनियमित रूप से करते हैं और उन मादक द्रव्यों शराब, अफीम, गांजा, भांग, चर्स के प्रयोग से उनके ऊपर क्या कुप्रभाव पड़ता है का अध्ययन करना है।

शोधअध्ययन की महत्ता

युवा किसी राष्ट्र का बहुमूल्य धन एवं सम्पत्ति होतें वे एक ऐसी ऊर्जा है जिसके ऊपर राष्ट्र का निर्माण निर्भर करता है । राष्ट्रीय उत्पादन चाहे वह औद्योगिक क्षेत्र में हो अथवा कृषि से सम्बन्धित सभी कुछ युवकों पर ही आधारित होता है। राष्ट्र की सुरक्षा इनके ही सुदृढ़ कंधों, इनके कार्य-कौशल तथा बौद्धिक ज्ञान पर निर्भर होती है। आर. डब्ल्यू इम्मरसन ने उचित ही कहा है कि किसी देश को वहां की स्वर्ण खानें महान नहीं बनाती अपितु उस देश के युवक-युवतियां महान बनाती हैं । युवकों की भूमिका विशाल भवनों के निर्माण में भी देखी जाती है। कहने का आशय यही है कि युवकों के अभाव में हम किसी चुनौतीपूर्ण कार्य को पूर्ण कर ही नहीं सकते।

इसलिए युवकों का शारीरिक स्वास्थ्य सामान्य-शरीर के अंगों प्रतिअंगों द्वारा सुचारू रूप से क्रियाशील होना होता है जिसमें उत्तम स्वरूप, स्वच्छ त्वचा, चमकीली आँखे, घुघराले कैश, स्वच्छ वस्त्र, शरीर का गठन, मधुर श्वसन, पर्याप्त भूख, सुखद निन्द्रा, सामान्य पाचन आदि शामिल होता है। इसके साथ ही उनका मानसिक स्वास्थ्य भी जिसमें आन्तरिक रूप से अर्न्तद्वन्द से मुक्ति, दुसरों के साथ उचित रूप से समायोजन, स्वयं की पहिचान के लिए तत्परता, आत्म संयम, आत्मसम्मान, आत्मज्ञान तथा समस्याओं को हल करने में व्यस्तता शामिल होती है। सामाजिक रूप से उनका स्वास्थ्य परिवार, पड़ोस तथा समुदाय के साथ मधुर सम्बन्ध भी रखना, पारस्परिक सम्बन्ध की कौशलता, स्वयं को समाज का अंग अनुभव करना, व्यापक अन्तक्रिया तथा आर्थिक रूप से उत्पादक जीवन का जीना सम्मिलित है तथा आध्यात्मिक रूप से साखपूर्णता, सिद्धांतवादी जीवन की सउद्देश्यता, दूरदर्शता, कड़ी मेहनत, अनुशासन तथा महान लक्ष्य रखना

अनिवार्य होता है। तभी युवक सामाजिक संरचना में तथा राष्ट्र के निर्माण में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते है।

गत दशकों से देश के युवकों में असंतोष के कतिपय कारकों- बेरोगारी, भ्रष्टाचार, सांस्कृतिक कार्यक्रमों का अभाव मनोरंजन के साधनों की कमी तथा प्रतियोगिता आदि के कारण उनमें दबाव, कुण्ठा तनाव व्याप्त हो रहा है। इस तनाव , चिन्ता, दबाव तथा कुण्ठा को दूर करने के लिए उनमें मद्यपान एवं मादक द्रव्यों के प्रयोग की आदत सी पड़ गयी हैं। आज का युवक-युवतियां चाहे वे विद्यालयों में अध्ययनरत हो, बेरोजगार हों अथवा कार्यालयों, वाणिज्य संस्थानों तथा औद्योगिक प्रतिष्ठानों में रोजगार हो, मद्यपान कर रहे हैं। वे अपने पोषण से उत्पन्न शारीरिक एवं मानसिक ऊर्जा को मादक द्रव्य प्रयोग कर के नष्ट कर रहे हैं। जिसके कारण उत्पादन की गुणवत्ता एवं मात्रा कुप्रभावित हो रही है। समय रहते इस ओर ध्यान नहीं दिया गया तो विश्व प्रतियोगिता में हम अपने अस्तित्व की रक्षा तो क्या स्थान भी नहीं बना पायेगे। साथ ही विकासशील देश से अविकसित देशों की श्रेणी में आने को बाध्य हो जायेगें। इसी कारण इस शोध विषय को अध्ययन हेतु चुना गया है। इसमें युवकों की मादक द्रव्यों के सेवन की प्रकृति एवं उनके कुप्रभाव की जानकारी हेतु प्रस्तुत शोध किया गया।

<u>मादक द्रव्य प्रयोग/मद्यपान की समस्या</u>

आज के विकासशील युग में विकास की गति में जैसे-जैसे वृद्धि हो रही है, वैसे-वैसे समाज में असामाजिक कृत्यों की भी उल्लेखनीय वृद्धि हो रही है। इधर कुछ दशकों से समाज में मद्यपान तथा नशीले पदार्थो का सेवन बड़ी तेजी से बढ़ता चला जा रहा है। जिन मादक द्रव्यों से समस्या उत्पन्न होती है उनमें प्रमुख है एल्कोहॉल (शराब), अफीम, हीरोइन, बारबी चुरेट्स, मैरीजुवाना, भाँग, चरस, गाँजा, तथा एम्फीटमिन्स आदि हैं। वास्तव में जिनका जीवन मादक द्रव्यों पर

आश्रित रहता है वे किसी न किसी आन्तरिक संकट, प्रतिबल एवं तनावपूर्ण स्थितियों से ग्रस्त रहते हैं। इन मादक द्रव्यों पर निर्भरता व्यक्ति के व्यक्तित्व को विकृत बना देता है। क्योंकि इन नशीले पदार्थों का अत्यधिक सेवन शारीरिक एवं मनोवैज्ञानिक दोनों रूपों में हानिकारक हो जाता है। यह कुसमायोजन ही नहीं बल्कि मनोविकृतिकृत्यात्मक समस्याएँ भी उत्पन्न करता है।

इस मादक द्रव्य सेवन सम्बन्धी विवेचन को हम दो भागों में बाँट सकते हैं -

(1) मद्यपान, (2) मादक द्रव्यों पर निर्भरता।

भारत में मादक द्रव्यों के उपयोग का पहला सन्दर्भ ऋग्वेग में मिलता है। लगभग 2000 ईसा पूर्व व्यक्ति विभिन्न उत्सवों पर सोमरस का पान करते थे। मधु रसपान का विवरण रामायण एवं महाभारत युग में भी रहा है। किन्तु प्राचीन काल में मादक द्रव्य का उपयोग कोई भी सामाजिक अथवा वैधानिक समस्या नहीं थी। वैसे इनका प्रयोग उस समय निम्न सामाजिक आर्थिक वर्ग में ही उपयोग किया जाता था।

किन्तु ज्यों-ज्यों सभ्यता का आधुनिकीकरण होता गया, मादक द्रव्यों का उपयोग एक व्यसन माना जाने लगा और अनेक प्रकार की शारीरिक, सामाजिक एवं मनोवैज्ञानिक समस्याएँ उत्पन्न करने लगा। यह समस्या भारत की ही नहीं वरन् विश्व के समक्ष भी यह आज की एक ज्वलन समस्या है।

मद्यपान की समस्या कुछ दशकों पहले तक एक नैतिक समस्या एवं सामाजिक अनुत्तरदायित्व का लक्षण समझा जाता था। कुछ राज्यों में 1960 के दशक में मद्य-निषेध की नीति लागू होने के बाद यह एक अवैध कार्य के रूप में देखा जाने लगा। अब यह कुछ विद्वानों द्वारा एक विचलित व्यवहार से अधिक एक जटिल, दीर्घकालिक और अत्यन्त महंगी बीमारी समझी जाती है। इसके शिकार व्यक्ति को दण्डात्मक सलूक के स्थान पर विशेषज्ञों द्वारा उपचार की

आवश्यकता होती है, जैसे, मनिश्चकित्सों, डाक्टरों व सामाजिक कार्यकर्ताओं की तथा उनकी जो उसके व्यक्तित्व की पुनः संरचना में सहायता प्रदान करें।

मद्यपान और मादक पदार्थों के व्यसन की समस्या में काफी समानता है। दोनों में अल्पकालिक सुखद मनोदशा उत्पन्न करने के लिये मूलतः रसायनिक वस्तुओं को आदतन उपयोग किया जाता है। दोनों के परिणाम अत्यन्त गंभीर हो सकते हैं। दोनों के आदतन व्यक्तियों को दंड के बजाय चिकित्सा की आवश्यकता होती है। तथापि इन समानताओं के बावजूद, दोनों समस्याऐं काफी भिन्न हैं और उन पर अलग-अलग परिचर्चा होनी चाहिये। भारत में पियक्कड़ बिरले ही हैं और अधिकांश कम पीने वाले व्यक्ति ही हैं। आदतन पीने वाले और मद्यसारिक अल्पसंख्या में हैं। मद्य सेवन इतना खतरनाक नहीं है, जितना मादक द्रव्यों के सेवन की आदत।

शराब उत्तेजक नहीं है। यह केन्द्रीय स्नायु तंत्र पर शमक अथवा अवरोधक के रूप में प्रभाव डालती है। शराब व्यवहार पर प्रथागत नियंत्रण को कम कर देती है और शराब पीने वाला कम नियंत्रित हो जाता है एवं अधिक स्वच्छन्द महसूस करता है। परन्तु कभी-कभार भी शराब के पीने से उसकी आदत पड़ने की संभावना होती है और पीने वाला उसे बहुधा और अधिक मात्रा में पीना आरम्भ कर सकता है जिसके घातक एवं अनर्थकारी परिणाम हो सकते हैं। यह उसे शारीरिक रूप से प्रभावित कर सकती है, उसकी काम करने की और कमाने की क्षमता को नष्ट कर सकती है, उसके पारिवारिक जीवन को बर्बाद कर सकती है, और उसके मनोबल को पूर्णरूप से गिरा सकती है। एक निरीह मनोरंजन इस प्रकार पीने वाले के पूरे जीवन को बिगाड़ सकता है।

"मादक द्रव्यों को 'न' कहिए"। यह वह संदेश है जो आज प्रत्येक गौरवपूर्ण व्यक्ति भारत के भ्रान्तकारी युवकों को दे रहा है। क्या मादक द्रव्यों को सेवन हमारे देश में वास्तव में एक गम्भीर सामाजिक समस्या के रूप में प्रकट हुआ है ?

विपथगामी व्यवहार

मादक पदार्थो के दुरूपयोग को न केवल 'विपथगामी व्यवहार' के रूप में बल्कि एक 'सामाजिक समस्या' की तरह भी देखा जा सकता है। पहले दृष्टिकोण से इसे व्यक्ति के सामाजिक असमायोजन के प्रमाण के रूप में माना जाता है, जब कि दूसरे दृष्टिकोण से इसे वह सुविस्तृत स्थिति कहा जाता है जिसमें समाज के लिए घातक व क्षतिप्रद परिणाम मिलते हैं। कुछ पश्चिमी देशों में मादक द्रव्यों के सेवन को लम्बे समय से एक महत्वपूर्ण सामाजिक समस्या माना गया है, परन्तु भारत में केवल पिछले डेढ़ दशक से ही इसे घातक व दुःसाध्य सामाजिक समस्या समझा जाने लगा है। अब यह कहा जाता है कि भारत न केवल मादक द्रव्यों के लिए मुख्य पारगमन केन्द्र (जहां से मादक द्रव्यों की तस्करी कुछ देशों से अन्य देशों में की जाती है) बन गया है, अपितु मादक द्रव्यों का सेवन भी गम्भीर रूप से बढ़ रहा है। लगभग एक दशक पूर्व के अनुमान के अनुसार भारत में लगभग 12 लाख व्यक्ति हेरोइन के व्यसनी थे (मुख्यतः शहरों में), लगभग 45 लाख अफीम के (मुख्यतः गांवों में) और लगभग 50,000 प्रकट रूप में घातक व मति भ्रष्ट करने वाले द्रव्यों के (मुख्यतः विद्यार्थी) *(द इलस्ट्रेटेड वीकली, जून 26-जुलाई 2,1993)*। हेरोइन-दुरूपयोगियों की संख्या का 1989 में 5 लाख से बढ़कर, 1993 में 12 लाख और 1996 में 16 लाख हो जाना स्पष्ट करता है कि मादक पदार्थो का सेवन कैसे गम्भीर समस्या बनती जा रही है। भारत वैध अफीम का सब से बड़ा उत्पादक है। जब सरकार ने इसके लिए 450 रूपये प्रति ग्राम खरीद-मूल्य निश्चित किया है, तस्कर इसे 80,000 रूपये प्रति ग्राम मूल्य से खरीदते हैं। सेवन

करने वालों तक पहुंचते-पहुंचते इसका मूल्य बहुत अधिक हो जाता है। भारत के मादक द्रव्य सरदारों का घरेलू और अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में केवल हेरोइन का ही मासिक विक्रय 90 और 100 करोड़ रूपयों के बीच माना गया है। *(द वीक, अप्रैल 1994)*। 1984 और 1998 के बीच अवैध द्रव्यों का जब्त करना बहुत ज्यादा बढ़ गया है। पूरे देश में हर वर्ष लगभग 11,000 और 15,000 के बीच द्रव्य अवैधपणन के मामले पकड़े जाते हैं। पकड़े गये मादक द्रव्यों में सब से अधिक गांजा और इसके बाद हशीश, अफीम, हेरोइन होते हैं। उदाहरण के लिए 1998 में पकड़े गये कुल द्रव्यों (75,602 किलोग्राम) में से 82.8 प्रतिशत गांजा था, 11.2 प्रतिशत हशीश, 2.4 प्रतिशत अफीम और 0.8 प्रतिशत हेरोइन *(क्राइम इन इंडिया, 1998: 223)*। हर वर्ष लगभग 12,000 व्यक्तियों को द्रव्य अवैधपणन में पकड़ा जाता है। वर्तमान में अवैध द्रव्यों का सेवन न सिर्फ सड़क के शरारती लड़कों में बल्कि निम्न वर्गीय, मध्यम वर्गीय एवं उच्च वर्गीय युवाओं व मध्य-आयु के व्यक्तियों में भी पाया जाता है।

इसके बावजूद, भारत में मादक पदार्थो का दुरूपयोग अभी-भी 'असामाजिक' व्यवहार न मान कर 'विपथगामी' व्यवहार ही माना जाता है। इसका अर्थ हुआ कि 'विपथगामी व्यक्ति' समाज के सामाजिक प्रतिमानों से उल्लंघन छिपाता है, प्रतिमानों से विचलन उनकी वैधता को चुनौती दिये बिना करता है और बिना प्रतिमानों में परिवर्तन के लिए सुझाव देकर उनकी अवज्ञा के कारण मिलने वाले दण्ड से बचने का प्रयास करता है। विपथगामी केवल अपने वैयक्तिक हितों को पूरा करने में लगा रहता है।

मर्टन (1979: 829-32) ने प्रतिमान उल्लंघन के विभिन्न प्रकारों के महत्व को समझाने की दृष्टि से 'विपथगामी' और 'अ-अनुपालक' व्यवहार में अन्तर बताया है। अ-अनुपालक व्यक्ति प्रतिमानों (लक्ष्य और/या साधन) की वैधता पर

आपत्ति करता है तथा वर्तमान प्रतिमानों को सार्वजनिक रूप से स्वीकार करके उन्हें नये प्रतिमानों द्वारा बदलने की सिफारिश करता है। दूसरी ओर 'विपथगामी' न तो प्रतिमानों की न्यायिकता को चुनौती देता है और न पुराने प्रतिमानों को नये प्रतिमानों में बदलने पर बल देता है। इसी अन्तर के आधार पर समाजशास्त्री भारत में मादक पदार्थों के दुरूपयोग को 'विपथगामी व्यवहार' तथा मादक पदार्थों के सेवन करने वालों तथा व्यसनों को 'विपथगामी' मानते हैं, जो अ-अनुपालकों के विपरीत न तो सामाजिक स्थितियों के सुधार में और न ही मानव जाति के लाभ में रूचि रखते हैं।

पिछले डेढ़ दशक के मादक पदार्थों के दुरूपयोग पर भारत में अनेक अनुसंधान किये गये हैं, परन्तु इनमें से अधिकांश समाजशास्त्रियों द्वारा नहीं, अपितु डाक्टरों और मनोरोग-चिकित्सकों द्वारा किये गये हैं। 'द्रव्य' की 'अवधारणा' में अन्तर होने के कारण इनके निष्कर्षों में भी अन्तर मिलता है। *श्री अहूजा ने 1976 और फिर 1986 में राजस्थान में कॉलेज/विश्वविद्यालय* के विद्यार्थियों में मादक पदार्थों के दुरूपयोग पर दो अध्ययन किये थे। दोनों का उद्देश्य दुरूपयोग के विस्तार का विश्लेषण करना तथा इनके कारणों का अध्ययन करके इनके उन्मूलन व नियंत्रण का सुझाव देना था। अहूजा ने पुनः फरवरी, 1994 में राजस्थान विश्वविद्यालय द्वारा गठित समिति के एक सदस्य के रूप में मादक द्रव्यों के व्यसन के उपचार एवं निराकरण के लिए प्रभावी उपायों पर सुझाव देने के लिए अध्ययन किया था।

<u>मद्यपान की मात्रा</u>

भारत में लगभग 10 प्रतिशत से 15 प्रतिशत व्यक्ति मदिरापान करते हैं। तथापि इनमें से अत्यधिक बिरले, कभी-कभार और हल्के की श्रेणी में आते हैं। मध्यम और भारी पीने वालों की संख्या बहुत कम है परन्तु जैसे अमरीका और

अन्य पाश्चात्य देशों में इसके उपयोग में वृद्धि हो रही है, उसी प्रकार भारत में भी पिछले कुछ दशकों से मदिरा का उपयोग एवं दुरूपयोग बढ़ रहा है। जबकि 1943 में अमरीका में पीने वालों की प्रतिशतता कुल जनसंख्या की 2.2 प्रतिशत थी, वह 1955 में कुल जनसंख्या की 3.3 प्रतिशत, 1965 में 6.5 प्रतिशत और 1986 में 9 प्रतिशत हो गई *(रैमजे कलेन्क : 1988)*।

1983 में अमरीका में 76.0 प्रतिशत व्यक्ति मदिरा सेवन करते थे। इनमें से 74 प्रतिशत पुरूष एवं 26.0 प्रतिशत महिलाएं थीं। *डान केहलन* द्वारा एक सर्वेक्षण के अनुसार *(जॉन्सन, 1973: 520)*, 1969 में 76 प्रतिशत व्यक्तियों में से जो मदिरा का सेवन कर रहे थे, 32.0 प्रतिशत बिरले प्रयोक्ता थे, 17.0 प्रतिशत कभी-कभार के प्रयोक्ता थे, 28.0 प्रतिशत हल्के प्रयोक्ता थे, 15.0 प्रतिशत मध्यम प्रयोक्ता थे और 8.0 प्रतिशत भारी प्रयोक्ता थे। 1974 में 11 पीने वालों में से एक मद्यसारिक था *(मेकवे एवं शोस्टक, 1977:111)*।

भारत में शराब की बिक्री 1988 और 1998 के बीच 20 गुना बढ़ गयी है। इस वक्त पूरे देश में मद्यसारिकों की संख्या 50 लाख आंकी गयी है। 1948 में जब शराब की बिक्री से एक वर्ष में लगभग 50 करोड़ रूपये की आमदनी थी, 1998 में यह एक वर्ष में 15,000 करोड़ रूपये बतायी गयी थी। देशी शराब पीने वालों का खर्च एक वर्ष में 60,000 करोड़ रूपये आंका गया है। भारत में एक व्यक्ति की शराब की खपत सबसे अधिक केरल में एक व्यक्ति पर 8.3 लीटर है और उसके बाद पंजाब में 7.9 लीटर, जबकि पूरे देश में औसत खपत 5.7 लीटर है *(फ्रन्टलाइन, 5 अप्रैल, 1996 :36-40)*।

शराब का उपभोग और शराब की बिक्री से आय अलग-अलग राज्यों में अलग-अलग है। उदाहरण के लिए मध्य प्रदेश में जब 1986-87 में देशी शराब का उत्पादन 4.7 लाख लीटर था, 1990-91 में यह 1.47 करोड़ लीटर और

1997-98 में 1.82 करोड़ लीटर बताया गया। अरक की बिक्री से वृद्धि 1986-87 में 34 करोड़ रूपये से बढ़कर 1990-91 में 95 करोड़ रूपये और 1997-98 में 117 करोड़ रूपये हो गयी। इस राज्य में आबकारी शुल्क 364 करोड़ रूपये से बढ़कर 1997-98 में 1020 करोड़ रूपये हो गया। केरल में आबकारी आमदनी 1960-61 में 262 करोड़ रूपये से बढ़कर 1995-96 में 374 करोड़ रूपये हो गयी *(फ्रन्टलाइन, अप्रैल 1996)*। आन्ध्र प्रदेश प्रति वर्ष लगभग 800 करोड़ रूपये का राजस्व अर्जित करता है। गुजरात में यह आमदनी 700 और 900 करोड़ रूपये के बीच मानी जाती है।

यदि हम विभिन्न देशों के बीस वर्ष की आयु से अधिक (यानि वयस्कों) के मदिरा सेवन करने वालों की तुलना करें, तो सबसे अधिक संख्या फ्रांस में (5,200 प्रति एक लाख जनसंख्या) में पाई जाती है, उसके पश्चात अमरीका (4,760 प्रति लाख), स्वीडन (2,780 प्रति लाख), स्विटजरलैण्ड (2,685 प्रति लाख), डेनमार्क (2,260 प्रति लाख), नार्वे (2,220 प्रति लाख), कनाडा (2,140 प्रति लाख), आस्ट्रेलिया (1,640 प्रति लाख), इंग्लैण्ड (1,530 प्रति लाख), और इटली (1,100 प्रति लाख) में पायी जाती है (लास्किन रिचर्ड, 1964 :365)।

<u>भारत में मादक द्रव्य व्यसन या नशाखोरी</u>

नशा करने वाले केवल शराब पीकर ही नशा नहीं करते हैं। नशाखोरी के अन्य अनेक साधन हो सकते हैं, जैसे गाँजा, चरस, भाँग, अफीम,कोकीन, हशीश, स्मैक, एल.एस.डी., डेस्कोट्रिन, माजून, मारफीन, पैथीडीन, एस्पिरीन आदि।

शराब का प्रयोग आधुनिक सभ्य समाजों में तथा आदिम समाजों में भी होता है, परन्तु मादक द्रव्यों को प्रयोग एशिया में विशेषकर चीन व ड्रग उत्पादक देश पाकिस्तान में अधिक किया जाता है। अमेरिका, कनाडा व ब्रिटेन आदि देशों में भी इसका काफी प्रयोग होता है। कुछ देशों में तो मादक द्रव्यों के सेवन को उत्साहित

किया जाता है। उदाहरण के लिए, दक्षिणी अमेरिका में मजदूरों के बीच कोकीन के प्रयोग को उत्साहित किया जाता है जिससे उनका अधिक से अधिक शोषण किया जा सके।

भारत में मादक द्रव्यों का प्रयोग बहुत समय से होता आ रहा है। कहा जाता है कि आर्य लोग सोमरस नाम मादक द्रव्य का सेवन करते थे। भाँग का उल्लेख भी प्राचीन ग्रंथों में मिलता है। अफीम का प्रयोग भारत में नवीं शताब्दी में शायद मुस्लिम व्यापारियों द्वारा आरम्भ हुआ था। मुस्लिम राज्य काल में अफीम, गाँजा, भाँग, चरस, कोकीन आदि का प्रयोग काफी बढ़ गया था। अब अफीम, गाँजा और भाँग का विशेष रूप से प्रयोग किया जाता है। इन चीजों का प्रयोग हमारे देश में पंडे, साधु, सँपेरे, नट और भूतपूर्व अपराधी जातियों के सदस्य विशेष रूप से करते हैं। इसी प्रकार इन मादक द्रव्यों का प्रयोग नीच जाति के लोग जैसे, भंगी, कोरी, जाटव आदि भी काफी मात्रा में करते हैं। इन चीजों के प्रयोग के सम्बन्ध में भारत में कुछ सीमा तक धार्मिक स्वीकृति भी लोगों को प्राप्त है। उदाहरण के लिए गाँजा और भाँग को शिवाजी का प्रिय पेय माना जाता है।

भारतवर्ष में लोग अफीम की छोटी-छोटी गोलियाँ बनाकर या पानी में घोलकर पीते हैं। कुछ लोग तो इसको दवा के रूप में लेते हैं, क्योंकि उनका कहना है कि अफीम से पाचन सम्बन्धी कष्ट, कफ, दर्द, पीड़ा और निद्रा सम्बन्धी परेशानियाँ कम हो जाती हैं। कुछ माताएँ अपने रोने वाले बच्चों को सुलाने के लिए अफीम देती हैं, विशेषकर वे माताएँ जिन्हें कि बच्चों को घर पर छोड़कर काम पर जाना होता है। भाँग का प्रयोग तो इससे भी कहीं ज्यादा लोकप्रिय है। सामाजिक उत्सव, त्यौहार आदि में इसका खूब प्रयोग होता है। होली में भाँग की बर्फी बनाकर लोगों को खिलाई जाती है। शिवरात्रि में तो शिवजी को भाँग का प्रसाद चढ़ाया जाता है और उसी भाँग को प्रसाद के रूप में खूब सेवन किया जाता है।

कुछ विशेष अवसरों पर भाँग की कचौड़ी, लड्डू, हलुआ और कुल्फी आदि बनाई जाती हैं। गाँजा और चरस की चिलम सुलगाकर दम लगाने से पहले और बाद में यह कहते भी जाते हैं कि *"जिसने न पी गाँजे के कली, उस लड़के से लड़की भली।"* इस उक्ति से ही इसके विस्तार को समझा जा सकता है। साधु, पंडे आदि प्रयोग विशेष रूप से करते हैं। कोकीन का प्रयोग पहले उच्च वर्गों, जमीदारों तथा मुस्लिम बादशाहों व नवाबों द्वारा किया जाता था, पर अब इसे लाइसेंस-प्राप्त दुकानदार ही दवाई आदि में प्रयोग करने के लिए बेच सकते हैं।

पूरे विश्व में तकरीबन 1 करोड़ नशेड़ी पाए गए हैं जो चोरी छिपे नशीले पदार्थों का सेवन करते हैं। पाकिस्तान में इनकी संख्या 12 लाख आँकी गई है जबकि भारत में लगभग 22 लाख नशेबाज हैं, यद्यपि दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता, चेन्नई व वाराणसी (उ.प्र.) में इनकी संख्या अधिक है। अकेले दिल्ली महानगर में दो लाख से ज्यादा लोग नशीली दवाओं के चक्रव्यूह में फँसे हैं। नशीले पदार्थों के आयातित केन्द्र 'गोल्डन ट्रैंगल' म्यानमार, थाईलैंड व लाओस हैं, जबकि नशीली वस्तुओं हेरोइन, स्मैक, ब्राउन शुगर का उत्पादन 'गोल्डन किन्सेट' के नाम से मशहूर पाकिस्तान, अफगानिस्तान व ईरान में होता है। अभी भी कराची व बहोलपुर में लगभग 200 कारखाने गैर कानूनी तरीके से चल रहे हैं। नशीले पदार्थों को भारत में सप्लाई करने के लिए रेगिस्तापनी मरुभूमि होने से राजस्थान सीमा का सहारा लिया जाता है। इस प्रकार काफी बड़ो मात्रा में इसकी तस्करी की जाती है। इसमें मंत्री से लेकर कस्टम व पुलिस विभाग की सांठगांठ रहती है। व्यावसायिक दृष्टिकोण से इस काम में लगे लोगों को प्रतिदिन करोड़ों रुपए का नफा होता है। उदाहरणार्थ, पाकिस्तान में 1किग्रा. ब्राउन शुगर की कीमत 75 हजार रुपए है, इसे भारत भेजने पर 2 लाख का मुनाफा होता है तथा नेपाल व म्यानमार को भेजने पर केवल 1 किलो ब्राउन शुगर 1 करोड़ की पड़ती है।

अक्सर गैर कानूनी कार्य की बखूबी जानकारी सरकार को होती है परन्तु वह चुप्पी साधे रहती है।

यही कारण है कि ब्राउन शुगर आदि नशीले पदार्थ लोगों को आसानी से ही उपलब्ध हो जाते हैं। कॉलेज व हॉस्टल के आस-पास व चाय की दुकानों पर चोरी छिपे बेचे जाते हैं जिसे खरीद कर युवा पीढ़ी थोड़ी देर के लिए जीवन के रंगीन मुकाम पर पहुँच जाती है। फिर जब इसका असर समाप्त होता है इन्सान चैतन्य अवस्था में अपने को पाता है तो पुनः तनाव भरे माहौल में लौट आता है क्योंकि इसका असर केवल 6 घंटे का ही होता है। इसकी लत अगर एक बार भी लग जाती है तो छुटकारा मिलना सम्भव नहीं है। केवल शारीरिक रूप से नशा मुक्त किया जा सकता है, मानसिक रूप से नहीं।

भारतीय महानगरों में महिलाओं में नशे की बढ़ती लत

भारतीय महानगरों की आपाधापी में महिलाएँ तनाव से मुक्ति पाने की लिए बड़ी संख्या में कम उम्र में ही नशे की अंधी गलियों में भटक रही है। यह चौंकाने वाला तथ्य 'महिलाएँ और नशा' विषय पर हाल ही में सम्पन्न संयुक्त राष्ट्र कार्यशाला में सामने आया। कार्यशाला में इस विषय पर एक रिपोर्ट भी जारी की गई जिसके अनुसार भारत में महिला नशेड़ियों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है और इनमें दो तिहाई से अधिक की उम्र 21 से 35 वर्ष के बीच है। नशे की शिकार महिलाओं में लगभग 67 प्रतिशत कामकाजी हैं। नशे की आदी महिलाओं का उपचार कर उन्हें फिर से समाज की मुख्यधारा से जोड़ने का प्रयास कर रही मुंबई की संस्था *'मुक्ति सदन'* की निदेशक *डॉ. शोभालाल कपूर* इसे खतरे की घंटी बताती हैं। वह कामकाजी महिलाओं के अकेलेपन को इसका सबसे बड़ा कारण बताती हैं। नशे से मुक्ति के लिए काम कर रही एक अन्य संस्था 'निमहांस' की निदेशक *डॉ. प्रतिमा मूर्ति* भी *डॉ. कपूर* के नज़रिए का समर्थन करती है। वह

बताती है कि ज्यादातर कामाजी महिलाएँ होस्टलों में रहती हैं। नशे की शिकार 31 प्रतिशत महिलाओं ने विवाह नहीं किया है और 32 प्रतिशत तलाकशुदा हैं या पति से अलग रहती है। *डॉ. मूर्ति* कहती है कि काम के तनाव के अलावा ये महिलाएँ अपने वर्तमान और भविष्य के प्रति भी चिंतित रहती है और अवसादग्रस्त होती हैं। ऐसी स्थिति में उन्हें नशा ही एकमात्र विकल्प लगता है और वे इसके जाल में फँस जाती है।

अध्ययन में तस्वीर का एक और रूप सामने आता है जो बेहद घिनौना है। नशा लेने वाली कामकाजी महिलाओं में 45 प्रतिशत महिलाएँ देह व्यापार से जुड़ी हैं। डॉ. कपूर के अनुसार कम उम्र में घर से भागकर मुंबई आई महिलाओं में से अधिकतर वेश्यालयों में पहुँचा दी जाती हैं। यहाँ वे आसानी से नशे की शिकार हो जाती हैं। इसके अलावा दिल्ली जैसे महानगरों में उच्च वर्ग की युवतियाँ और छात्राएँ भी नशे की जरूरत पूरी करने के लिए कभी-कभी वेश्यावृत्ति करती हैं। संयुक्त राष्ट्र के अध्ययन में बच्चों के प्रति बढ़ती लापरवाही से जुड़े कुछ और तथ्य भी सामने आए। लगभग 36 प्रतिशत महिलाओं ने बताया कि उन्होंने पहली बार 11 से 15 वर्ष की उम्र के दरम्यान नशा किया। इसी तरह 32 प्रतिशत महिलाओं ने 16 से 20 वर्ष की उम्र में नशा करना शुरू किया। ज्यादातर महिलाओं को यह लत अपने निकट सम्बन्धियों से ही लगी। लगभग 48 प्रतिशत महिलाओं ने अपने मित्रों और 16 प्रतिशत ने पति या साथी के साथ पहली बार नशे का सेवन किया। विशेषज्ञ बताते हैं कि नशे की बढ़ती लत के पीछे बहुत बड़ा कारण इसका आसानी से उपलब्ध होना भी है। पुलिस के तमाम प्रयासों के बावजूद नशे का व्यापार जोरों पर है। इसी कारण नशा करने वाली 90 प्रतिशत से अधिक महिलाएँ हेरोइन या ब्राउन शुगर का इस्तेमाल कर रही है। इसके अलावा नसों में लिए जाने वाले ड्रग का इस्तेमाल भी आम है। नशा उन्मूलन के लिए काम कर रही समाजसेवी और गैर

सरकारी संस्थाओं की सबसे बड़ी पीड़ा सरकार का समुचित सहयोग नहीं मिलना है।

मद्यपान की समस्याएं

व्यक्तिगत दुख, पारिवारिक बजट, पारिवारिक क्लेश, मजदूरी की हानि, स्वास्थ्य का बिगड़ना, दुर्घटनाएं और हर्जाने के दावे, जेल में हवालात के दौरान उपचार के खर्चे, न्यायालयों में पैसे का नुकसान और अपराध की प्रवृत्ति- प्रायः अनर्थकारी हैं। सामाजिक विचलन और सामाजिक समस्याएं मदिरा के उपयोग और दुरूपयोग से उपतजी है। यद्यपि हमारे देश में खुले आम अधिक नशे में होने के कारण वार्षिक गिरफ्तारियों की संख्या अधिक नहीं है, परन्तु यह सर्वविदित है कि बड़ी संख्या में मद्यसारिक इसलिये गिरफ्तार नहीं किये जाते क्योंकि गिरफ्तारी इस समस्या का अच्छा हल नहीं माना जाता। बड़ी संख्या में व्यक्ति जो बलात्कार, सेंध लगाकर चोरी, हत्या और साधारण चोरी के लिये गिरफ्तार किये जाते हैं, वे लोग होते हैं जो कि मदिरा के नशे में इन्हें करते हैं। मदिरा राजमार्ग की दुर्घटनाओं का प्रमुख कारक है। इसके अतिरिक्त इससे प्रतिवर्ष हजारों मृत्यु हो जाती है।

अस्पतालों में भर्ती की बड़ी प्रतिशतता, विशेषतया मानसिक अस्पतालों में, उन व्यक्तियों की होती है जिन्हें मद्यसारीय विकृति या मदिरा के पीने से समस्या होती है। अन्य सामाजिक रूप से विचलित कार्य जो मदिरा/मादक पदार्थो से संबंधित होते हैं, वे हैं : चोरियां, रिश्वातें, पत्नी को पीटना और आत्महत्याएं।

आत्महत्या पर हुये अध्ययन बताते है कि मद्यसारिकों (मादक पदार्थ और शराब का उपयोग करने वालों) में गैर मद्यसारिकों (मादक पदार्थ और शराब का उपयोग नहीं करने वालों) की अपेक्षा आत्महत्या की दर 50 गुना अधिक है।

मद्यसारिकों या मादक पदार्थ प्रयोक्ताओं द्वारा कई अन्य व्यक्ति भी प्रभावित होते हैं जैसे, पत्नी, माता-पिता, बच्चे, भाई-बहिन, घनिष्ठ मित्र, साथ में काम करने वाले। इसलिये यह समस्या देश में लाखों व्यक्तियों को प्रभावित करती है। मद्यसारिकों और मादक पदार्थों के प्रयोक्ताओं के परिवार सबसे अधिक कष्ट पाते हैं। यहां तक कि पारिवारिक हिंसा, पारिवारिक अशान्ति और तलाक तक उनके कारण होते हैं। शराब पीना व्यापार, कार्यालय- कार्यकुशलता और कारखाने के उत्पादन को भी प्रभावित करता है। अनुपस्थिति, कम उत्पादकता और कमजोर विवेक जिससे कार्य संबंधी दुर्घटनाएं होती हैं, से सरकार को करोड़ों रूपये की हानि होती है। अधिकांश कारखानों के मालिक कारखानों/कार्यालयों में कार्यरत कर्मचारियों की इन समस्याओं में रूचि नहीं दिखाते अथवा उनके होने से इंकार करते हैं, जिससे कि वे उनकी रोक थाम के लिये प्रभावी उपायों को लागू करने की दिक्कत से बच सकें।

मदिरा पीने वाला यह सोचता है कि मदिरा उसके तनाव, दोष, चिन्ता और कुण्ठा को कम कर देगी। परन्तु वास्तविकता यह है कि वह उसकी कार्य कुशलता को सामाजिक अस्तित्व स्तर या मात्र अस्तित्व के लिये आवश्यक न्यूनतम स्तर से भी नीचे कर देती है। एक शराब पीने वाले को यह भ्रामक विश्वास होता है कि मदिरा समाज में संबंधों और अन्तर वैयक्तिक गतिविधि को अधिक सरल बना देगी। परन्तु वास्तव में मदिरा व्यक्ति के सम्पर्कों में भागीदारी को समाप्त कर देती है। और इस प्रकार व्यक्ति को सामाजिक रूप से निर्बल कर देती है। वह सामाजिक रूप से मूल्यवान विचारों को क्षति पहुंचाती है।

हमारी मद्यपान की समस्या यह है कि इसने अवैध शराब बनाने को बढ़ा दिया है। स्वाधीनता के उपरान्त देश में सैकड़ों दुःखद घटनाएं हुई हैं, जिनमें हजारों व्यक्ति अवैध रूप से निर्मित मदिरा के पीने से मर गये हैं। नकली

शराब,'सुरा' के शिकार सदा निर्धन व्यक्ति होते हैं। 6 नवम्बर, 1991 को लगभग 200 व्यक्ति, जो उत्तर-पश्चिमी देहली की चार गन्दी बस्तियों और आसपास के क्षेत्रों में रहते थे, उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद जिले के मुरादनगर में एक फार्मेसी द्वारा निर्मित अवैध शराब पीने से मर गये थे। 7 मई, 1992 को कटक शहर (उड़ीसा) में 200 व्यक्ति अवैध शराब पीने से मर गये थे। इसके पूर्व 1 जनवरी, 1992 को दक्षिण मुम्बई में तारदेव और गामदेवी बस्तियों में नव वर्ष के अवसर पर अवैध शराब पीने से 100 से अधिक व्यक्तियों की मृत्यु हुई थी। इसी प्रकार मार्च 1992 में तमिलनाडु (मयीलाढुथराई) में 60 व्यक्तियों की और हरियाणा के करनाल जिले में 1998 में 60 व्यक्तियों की मृत्यु हुई थी। परन्तु फिर भी आज तक अवैध शराब बनाने व बेचने वालों में से किसी को भी फांसी देने के लिए मुकदमा नहीं चलाया गया है। इस प्रकार की दुर्घटनाएं भविष्य में भी होती रहेंगी। किसी ने भी कभी लोगों को भारत निर्मित विदेशी मदिरा (आई.एम.एल. एफ.) के पीने से मरते नहीं सुना। देशी शराब की कई किस्में होती हैं, यद्यपि वे सब साधारण तथा एक ही गुण कीमत की होती हैं। देशी शराब में ऐलकोहल की मात्रा 28 प्रतिशत होती है, जबकि सुरा में 32 प्रतिशत होती है। अधिकतर पाइरीडाइन का 'परिशोधित' स्पिरिट को विगुणन किया जाता है, क्योंकि परिशोधित स्पिरिट लाइसेंस प्राप्त होती है। कभी-कभी मिथाइलेटेड स्पिरिट को उसमें मिला दिया जाता है। ऐसे जहरीले पेय आंख की दृष्टि, लिवर और गुरदे को अंत में क्षतिग्रस्त कर देते हैं। प्रशासन अवैध शराब के पीने की दुःखद घटनाओं के प्रति अनुत्तरदायी रहता है और सरकार इस समस्या से निपटने के बारे में निरुत्साहपूर्ण रुख अपनाती है। अधिक से अधिक वह इन दुःखद घटनाओं में मरने वालों के परिवारों को 5,000रुपये से 10,000रुपये तक की अनुग्रह राशि का भुगतान कर देती है। अवैध शराब बनाने वालों, उनकी बाहु शक्ति और पैसे

की शक्ति की भूमिका साम्प्रदायिक दंगों में एक रिकार्ड है। देश के कई नगर अवैध शराब बनाने वाले-पुलिस-राजनीतिज्ञ के गठबन्धन से ध्वस्त हो जाते हैं। अवैध शराब बनने में लाभ की सीमा वास्तविक निवेश से 9 से 12 गुना आंकी जाती है। कोई आश्चर्य नहीं कि असामाजिक तत्वों की एक बड़ी संख्या अवैध शराब को निर्मित करने, जमा करने, ढोने और वितरण करने को अपना व्यापार बना लेती है। जस्टिस मियाभाई आयोग ने, जिसे गुजरात सरकार द्वारा 1981 में राज्य में निषेधाज्ञा की नीति के विषय में छानबीन के लिये नियुक्त किया गया था, 1983 में अपनी रिपोर्ट पेश की। उसने अवैध शराब बनाने वालों और राजनीतिज्ञों में संबंध बतलाया और इस तथ्य को भी उजागर किया कि राज्य (गुजरात) में लगभग सभी अवैध शराब बनाने वाले समाज-विरोधी तत्व थे, जो कि उनका पर्दाफाश करने के प्रयत्न करने वालों को आतंकित कर सकते थे।

मद्यपान की बड़ी समस्याओं में से एक यह है कि व्यक्ति अपने-आप को मद्यसारिक नहीं मानता। एक अमेरिका के मनोश्चिकित्सक, रॉबर्ट वी.सेलिन्जर ने बीस प्रश्नों की एक परीक्षण-सूची बनाई है। यदि इन प्रश्नों में से कुछ के भी उत्तर 'हाँ' में हैं, तो व्यक्ति को उसे आने वाली विपत्ति की चेतावनी समझना चाहिये। परीक्षण-सूची के कुछ प्रश्न इस प्रकार हैं : (1) क्या पीने के कारण काम पर जाने में आपको देरी हो जाती है ? (2) क्या पीना आपके पारिवारिक जीवन को दुखी बना रहा है ?(3) क्या पीने से आपकी प्रतिष्ठा प्रभावित हो रही है ? (4) क्या आपने पीने के बाद ग्लानि का अनुभव किया है ? (5) क्या पीने के कारणवश आपको वित्तीय समस्या हुई है ? (6) क्या पीने के परिणामस्वरूप आप निम्न स्तर के साथियों की ओर प्रवृत्त होते हैं ? (7) क्या आपका पीना आपको अपने परिवार के कल्याण की ओर से लापरवाह बनाता है ? (8) क्या पीने के बाद से आपकी महत्वाकांक्षा कम हुई है ? (9) क्या प्रतिदिन एक निश्चित समय पर आपको पीने

की तीव्र इच्छा होती है ? (10) क्या पीने से आपको सोने में कठिनाई आती है?(11) क्या पीने के बाद से आपकी कार्य-कुशलता कम हुई है ?(12) क्या पीना आपकी नौकरी या व्यापार को जोखिम में डाल रहा है ? (13) क्या आप अपना आत्मविश्वास बढ़ाने के लिये पीते हैं ?

मदिरा के व्यसन के कारण

मद्यपान के कारणों की व्याख्या करते समय जो महत्वपूर्ण बात ध्यान में रखनी चाहिये वह यह है कि जो मदिरा का सेवन करते हैं उनमें से 90 प्रतिशत मद्यसारिक नहीं बनते। मद्यपान की कुंजी 'कारण' में है जिससे व्यक्ति दुबारा पीता है। इसलिये मद्यपान को केवल व्यक्तितत्व की संरचना जैसे कारकों के आधार पर समझना गलत होगा। कोई आश्चर्य नहीं है कि मानसिक दृष्टिकोण को मद्यपान की अतिसरल की गई व्याख्या माना जाता है। एक मनोवैज्ञानिक विचार यह है कि लगभग सभी मद्यसारिक बचपन में भावात्मक आवश्यकताओं के वंचन से ग्रसित होते हैं। क्लाइमबेल (1956:45) ने कहा है कि माता-पिता की अभिवृत्तियों के चार प्रमुख प्रकार होते हैं जो वयस्कता के मद्यपान से जुड़ी होती है।

मद्यपान का इतिहास

भारत में सभी प्रकार के मादक द्रव्यों का न्यूनाधिक मात्रा में प्रचलन है। ऐतिहासिक दृष्टि से भारत में मादक द्रव्यों का सेवन प्राचीन काल से चला आ रहा है। पौराणिक साहित्य में 'सोमरस' का उल्लेख मिलता है। इसी प्रकार भांग के प्रचलन का उल्लेख भी संस्कृत साहित्य में मिलता है। नवीं शताब्दी में, अरब देशों में मुस्लिम व्यापारियों के आने-जाने के बाद अफीम का भी प्रचलन शुरू हुआ। सोलवी शताब्दी तक मद्यपान समाज के उच्च वर्गों में भली-भांति प्रचलित हो गया। इस प्रकार इन द्रव्यों के सेवन का प्रचलन बढ़ता गया।

मध्यकालीन भारत में राजाओं और उनके दरबारियों में मादक द्रव्यों के सेवन की आदत में विस्तार हुआ। पूर्ण हिन्दू-मुस्लिम काल में जनता मादक द्रव्यों के सेवन से शास्वत पृथक रही। यह तो बाहर से आये यात्रियों-वासकोंडिगामा, बरनियर तथा ट्राविनियर जो भारत में विभिन्न कालों में आये, उनके कारण मद्यपान स्वदेश में बढ़ा''

<u>मद्यसारिक बनने की प्रक्रिया- अवस्थाऐं एवं प्रकार</u>

मद्यसारिका बनने की प्रक्रिया : एक पीने वाले को मद्यसारिक बनने के लिये विभिन्न चरणों से गुजरना पड़ता है। एक अमेरिकन मनश्चिकित्सक, जैलिनेक, (1946:368) के अनुसार, एक मद्यसारिक को सात अवस्थाओं के क्रम से गुजरना पड़ता है : (1) अन्धकार की दशा, जिसमें व्यक्ति अपनी व्यक्तिगत समस्याओं का हल नहीं निकाल पाता, (2) गुप्त रूप से पीना, जिसमें वह बगैर किसी के देखे मदिरा का सेवन करता है, (3) बढ़ी हुई सहनशीलता, जिसमें वह पीने के अधिक बढ़े हुए प्रभावों को सहन करता है, (4) नियंत्रण का अभाव, जिसमें वह मदिरा नहीं पीने की इच्छा पर नियंत्रण नहीं रख पाता, (5) एक बहाने के तरीके का विकास, जिसमें वह धीरे-धीरे अपनी सामाजिक भूमिकाओं की ओर ध्यान नहीं देना आरम्भ कर देता है, (6) समय-समय पर केवल पीने का ही कार्यक्रम रखना, जिसमें वह नियमित रूप से पीना जारी रखता है और (7) नियमित रूप से प्रातःकाल में पीना, जिसमें वह नियमित रूप से सुबह पीना आरम्भ कर देता है।

जैलिनके ने मद्यसारिक बनने की प्रक्रिया का भी निम्नांकित चार चरणों में उल्लेख किया है (गोल्ड और स्केरपिटी, 1967:469):

(1) मद्यसारिक के पूर्व की लक्षणात्मक अवस्था : इस अवस्था में सामाजिक स्वीकृति का लाभ उठाते हुये व्यक्ति तनावों को कम करने और अपनी व्यक्तिगत

समस्याओं को हल करने के लिये पीना आरम्भ कर देता है। पीने को राहत से जोड़ते हुये वह उन अवसरों की खोज में रहता है जिनमें वह पी सके। जैसे-जैसे वह जीवन के संघर्षो का सामना करने की शक्ति को खोना आरम्भ कर देता है, वैसे-वैसे उसके पीने की आवृत्ति बढ़ती जाती है।

(2) अतिव्ययी अवस्था : इस अवस्था में पीने की आवृत्ति में वृद्धि के साथ-साथ पीने की मात्रा में भी वृद्धि होती जाती है। तथापि उसमें दोष भावना उत्पन्न हो जाती है। उसे इसका आभास होने लगता है कि शनैःशनैः वह एक असामान्य व्यक्ति होता जा रहा है।

(3) संकटमय अवस्था : इस अवस्था में उसका पीना सुप्रकट हो जाता है। वह सामाजिक दबावों का सामना करने के लिये और स्वयं को आश्वस्त करने के लिये कि उसने उपने ऊपर नियंत्रण नहीं खोया है, युक्तिकरण को विकसित करता है। तथापि वह अपने आत्मसम्मान को नहीं खोता। जब उसकी शारीरिक एवं सामाजिक अवनति दूसरे व्यक्तियों के सम्मुख प्रकट हो जाती है, तो वह धीरे-धीर अपने आपको उनसे विलग करना आरम्भ कर देता है।

(4) दीर्घकालिक अवस्था : इस अवस्था में वह सुबह भी पीना आरम्भ कर देता है। उसे लंबे समय तक नशा रहता है, उसकी सोचने की शक्ति क्षीण हो जाती है, उसमें अनिर्वचनीय भय और कम्पन उत्पन्न होने लगते हैं और कुछ विशेष प्रवीणताओं का क्षय हो जाता है। वह सदैव पीने की ही सोचता रहता है और मदिरा के बिना अशान्त रहता है।

जैलिनके ने भी मद्यसारिकों के पीने के इतिहास की अवस्थाओं का अध्ययन किया और आसक्ति का एक विशिष्ट संरूप विकसित किया। उसने विशिष्ट मद्यसारिक व्यवहार और उसके आविर्भाव के समय-क्रम को सूची-बद्ध किया। एक मद्यसारिक की कुछ विशिष्ट व्यवहारों के प्रथम बार घटित होने की

उसके द्वारा पाई गई औसत आयु इस प्रकार थी *(लेन्डिस, 1959:214-15)* वह 18.8 वर्ष की आयु में पीना आरम्भ करता है, गुप्त रूप से पीना 25.9 वर्ष की आयु में करता है, असंयत व्यवहार में 27.6 वर्ष की आयु में आ जाता है, मित्रों को खोना 29.7 वर्ष की आयु में आरम्भ करता है, मदिरा की गुणात्मकता की ओर से 30 वर्ष की आयु में उदासीन होता है, कार्यकाल को 30.4 वर्ष की आयु में खोना आरम्भ करता है, पारिवारिक नापसन्दगी का सामना 30.5 वर्ष की आयु में करता है, नौकरी से हाथ 30.9 वर्ष की आयु में धो बैठता है, दिन के समय में पीने में 31 वर्ष की आयु में संलग्न हो जाता है, असामाजिक व्यवहार 31.3वर्ष की आयु में करने लगता है, कम्पनों का सामना 32.7 वर्ष की आयु में करता है, भयभीत 32.9 वर्ष की आयु में होने लगता है, शामक 35.5 वर्ष की आयु में लेता है, धार्मिक आवश्यकताएं उसे 35.7 वर्ष की आयु में अनुभव होने लगती हैं, डाक्टरी परामर्श 35.8 वर्ष की आयु में लेता है, अस्पताल में 36.8 वर्ष की आयु में भर्ती होता है, नियंत्रण की असमर्थता 38.1 वर्ष की आयु में स्वयं से स्वीाकार करता है, और सबसे निम्न बिन्दु पर 40.7 वर्ष की आयु में पहुंचता है (यानि तल को छूता है)

उपरोक्त विशेषताओं का विश्लेषण करते हुए यह प्रतीत होता है कि व्यक्ति सामाजिक दायित्व को खोता हुआ चला जाता है; अपने व्यक्तित्व पर धीरे-धीरे नियंत्रण खोता हुआ पाया जाता है और फिर बाद के चरणों में वह प्रत्येक सम्भावित स्रोत से, जो धर्म से लेकर दवाई और अस्पताल में भर्ती होने तक होता है, निराशोन्मुख होकर सहायता खोजता हुआ दिखलाई पड़ता है।

मद्यसारिकों का तीन समूहों में वर्गीकरण किया जा सकता है : स्थिर आवर्ती, और पठार । स्थिर मद्यसारिक वह है जो निरन्तर मदिरा में सन्तृप्त रहता है । आवर्ती मद्यसारिक वह है जो लंबी समयावधियों तक नहीं पीता और फिर रंगरेलियां मनाता है । अधित्यका व पठार मद्यसारिक वह है जो उपरोक्त दोनों किस्मों में से

प्रत्येक से अधिक जानबूझ कर पीता है और मदिरा से अधिकतम प्रभावों को चाहने की ओर प्रवृत्त होता है। उसे हर समय संतृप्ति का एक विशेष स्तर बनाये रखने की इच्छा होती है, परन्तु उसमें अपनी मदिरा को प्रभाव को लंबे समय की अवधि तक फैलाने की क्षमता होती है *(लैन्डिस, 1959:212)*।

सामाजिक स्थिति में मद्यसारिकों का वर्गीकरण निम्न तल और उच्च तल प्रकारों में किया जाता है। पहला उस व्यक्ति की ओर संकेत करता है जो सामाजिक स्थिति के तल पर पहुंच गया है, जबकि दूसरा वह है जो अपने पीने के बावजूद भी काफी आदरणीय स्थिति बनाये रखता है।

समाजशास्त्रीय दृष्टि से मदिरापान में जो महत्वपूर्ण है वह है मदिरा को स्वीकृत करने के लिये सामाजीकरण। भारतीय संस्कृति मदिरा सेवन करने वालों को सामान्य नहीं मानती। इस कारण व्यक्ति मानसिक रूप से मदिरा को सामाजिक जीवन का महत्वपूर्ण भाग मानने के लिये तैयार नहीं है। जब कि पाश्चात्य समाज में 'ड्रिन्क लीजिए' या 'क्या आप ड्रिन्क लेना चाहेंगे' जैसे अनुरोध शाम की सभा में आम हैं। भारत में दूसरी ओर हू प्रायः 'एक प्याला चाय लीजिये' की बात करते हैं। इस प्रकार मद्यपान हमारी संस्कृति में एक गंभर सामाजिक विषय है। यद्यपि मादक वस्तुओं की तुलना में पीना कई माता-पिताओं, जो स्वयं पीते हैं, के द्वारा कम हानिकारक और नगण्य तक माना जाता है, फिर भी मदिरा को सम्मानजनक नहीं समझाा जाता। कभी-कभी शराब पीने को सहन किया जा सकता है परन्तु निरन्तर पीने की निन्दा की जाती है। हमें इसलिये उस व्यक्ति में जो मदिरा का सेवन संयम से करता है और उसमें जो 'समस्यात्मक पीने वाला' है के बीच स्पष्ट रूप से भेद करना चाहिये, या उनके बीच भी भेद करना चाहिए जो उत्तरदायित्वपूर्ण रूप से पीते हैं और जो इस ढंग से पीते हैं जिससे वे स्वयं के लिये, अपने परिवार और समाज के लिये समस्याएं उत्पन्न कर देते हैं।

मद्यसारिक में निहित खतरे का माप उसकी रक्त धारा में मदिरा की मात्रा की प्रतिशतता से किया जाता है। एक बार मदिरा पीने की मात्रा से एक व्यक्ति के रक्त में मदिरा का स्तर 0.035 प्रतिशत होता है, परन्तु दो बार की मात्रा से उसमें 0.05 प्रतिशत का स्तर होता है। यद्यपि कानूनन उसे मदोन्मत नहीं माना जाता, परन्तु वह उसके मन्द प्रभावों को महसूस करता है और उसकी गाड़ी (कार, स्कूटर, साइकिल) चलाने की समर्थता कम हो जाती है। यदि व्यक्ति के रक्त में मदिरा का स्तर 0.1 प्रतिशत है, तो उसे उस समय कानूनी दृष्टि से 'मदोन्मत' समझा जाता है, जब गाड़ी चलाने की दुर्घटना में फंस जाता है। उसके विवेक, दृष्टि और मांसपेशी का समन्वय क्षीण हो जाता है। 0.25 प्रतिशत के स्तर पर व्यक्ति को 'बिल्कुल मदोन्मत' समझा जाता है, जबकि 0.3 प्रतिशत से 0.4 प्रतिशत के स्तर पर उसे 'गंभीर रूप में मदोन्मत' माना जाता है। इससे कुछ व्यक्ति मूर्च्छा की स्थिति में आ जाते हैं। अन्त में, 0.5 प्रतिशत से 0.8 प्रतिशत के मदिरा स्तर से एक व्यक्ति का सांस लेना कठिन हो जाता है और हृदय गति कम हो जाती है और मृत्यु हो सकती है *(मैकवे एवं शोस्टक, 1978:110)*।

<u>मद्यापान की अवस्थाऐं</u>

1- मद्यपान से पूर्व की लक्षणात्मक अवस्था :

कुछ परम्परागत सामाजिक स्थितियों के कारण व्यक्ति मद्यपान प्रारम्भ करता है। इस प्रकार मद्यपान करते-करते वह तनाव से राहत अनुभव करने लगता है। तनाव से राहत अनुभव करने का एक कारण यह हो सकता है कि उसमें तनाव की मात्रा अधिक होती है अथवा उसमें तनावों का समाधान करना नहीं आता है। प्रारम्भ में उसे तनावों राहत का अनुभव कभी-कभी होता है परन्तु बाद में वह अक्सर तनावों से राहत का अनुभव उस समय करता है जब वह मद्यपान करता है। कुछ समय बाद तनावों के प्रति उनकी सहनशीलता कम हो जाती है फलस्वरूप वह

तनाव होने पर मद्यपान का सहारा लेता है। कुछ महीनों में या अधिक से अधिक दो वर्ष में मद्यपान की आदत पड़ जाती है।

2- पूर्वरूप अवस्था :

इससे व्यक्ति की मानसिक क्षमता प्रभावित होती है। इस अवस्था की प्रमुख विशेषता यह कि मद्यपान करने वाले व्यक्ति की स्मृति में अँधेरा छाने लग जाता है। मद्यपान करने वाले व्यक्ति में स्मृति-लोप के लक्षण अवश्य पाये जाते हैं लेकिन व्यक्ति में पूर्ण चेतना बनी रहती है। स्मृति-लोप के अतिरिक्त कुछ अन्य प्रमुख लक्षण हैं -

I. मद्यपान छुपकर करता है - लोग उसके पीने की आलोचना न करें, इसलिए वह दूसरों की निगाह से बचकर मद्यपान करता है।

II. एल्कोहॉल में पूर्ण व्यस्तता - वह किसी पार्टी में जाने से पूर्व ही मद्यपान करके आता है क्योंकि उसको यह आशंका रहती है कि पार्टी में मद्यपान की सुविधा होगी या नहीं।

III. उत्तेजित होकर - व्यक्ति जब भी मद्यपान प्रारम्भ करता है तो वह कुछ पेग जल्दी-जल्दी पी जाता है।

IV. मद्यपान के कारण अपराध भावना- इस अवस्था में रोगी यह समझने लगता है कि वह आवश्यकता से अधिक पीता है।

V. वह अपने मद्यपान के सम्बन्ध में दूसरों से बातचीत नहीं करना चाहता है।

3- संकटकालीन अवस्था

व्यक्ति स्वयं पर नियंत्रण खो देता है। इस अवस्था की प्रमुख विशेषता यह है कि व्यक्ति को मद्यपान पर नियंत्रण नहीं रहता है अर्थात् मद्यपान करने वाला व्यक्ति एक बार पीना प्रारम्भ करता है तो वह तब तक मद्यपान करता रहता है जब तक कि उसके पीने की शक्ति समाप्त नहीं होती है। यह शक्ति तभी समाप्त होती

है जब वह अत्यधिक नशे में हो जाता है। इस प्रकार जब एक व्यक्ति अधिक दिन तक मद्यपान करता है तो वह मद्यपान के कारण बीमार भी हो जाता है। वह मद्यपान बीमारी के कारण कुछ दिनों के लिए त्याग देता है लेकिन विशेष अवसरों पर यह अपने आपको रोक नहीं पाता है। उसके सारे प्रयास जो मदिरा त्यागने के लिए वह करता है, विफल हो जाते है। वह बार-बार थोड़ी पीने की कसम खाता है लेकिन ज बवह एक बार पीना प्रारम्भ करता है तो वह अपनी कसम तोड़कर आगे बढ़ जाता है।

मद्यपान करने वाला व्यक्ति अपनी आदत को तर्कसंगत समझता है। अपनी आदत का दोषारोपण दूसरों पर करता है लेकिन वह प्रायश्चित करता है फलस्वरूप वह तनावग्रस्त हो जाता है और तनावग्रस्त होकर अधिक पीने लग जाता है। इस अवस्था में मद्यपान करने वाले व्यक्ति के मित्र कम होने लग जाते है। कभी-कभी तो नौकरी से मद्यपान के चक्कर में हाथ धोना पड़ जाता है। उसके परिवार पर इस गम्भीर आदत का बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है। वह मदिरा का एकत्रीकरण करता है, वह इसे छुपा-छुपाकर सुरक्षित स्थानों पर रखता है। उसकी कामुकता कम हो जाती है। परिणामस्वरूप अपनी स्त्री के प्रति शत्रुता की भावना रखने लग जाता है।

अन्त में उसकी हालत ऐसी हो जाती है कि सुबह उठते ही उसे ऐसा अनुभव होता है कि बिना पिये उसका दिन नहीं बीतेगा और वह जागकर सुबह से ही पीना प्रारम्भ कर देता है।

4- दीर्घकालीन अवस्था :

यह वह अवस्था है जिसमें व्यक्ति में एल्कोहॉल पीने की निरन्तरता दृष्टिगोचर होती है। उसका मनोबल गिर जाता है। वह अपने से निम्न स्तर के

व्यक्ति के साथ बैठ-बैठकर पीता है। वह घटिया किस्म की शराब भी पीने लग जाता है। वह निरन्तर पीता रहता है।

<u>मद्यसारिकों के प्रकार</u>

रिचर्ड ब्लूम (1973:508) ने पीने का दो संदर्भों में उल्लेख किया है : (1) निर्धारित सामाजिक संरूप के संदर्भ में जहां पीना समाज की संस्कृति से जुड़ा हुआ है और वह प्रतिदिन की दिनचर्या का अंग समझा जाता है (उदाहरण के लिये, इटली, अमरीका) और व्यक्तियों को उसमें कोई मनोवैज्ञानिक विभव/संभावना प्रतीत नहीं होती; (2) मदिरा सेवन की संस्कृति और समाज के लिये विघटनकारी माने जाने और व्यक्तियों द्वारा उसमें आदी होने की संभावना देखने (जैसे भारत में) और पीने को विलास और पलायन का साधन समझने के संदर्भ में। शराब पीने वालों का वर्गीकरण 'गैर-व्यसनी', 'व्यसनी', और 'चिरकालिक मद्यसारिक' के रूप में किया गया है। गैर-व्यसनियों को 'प्रयोगकर्ताओं' और 'नियमितों' की श्रेणी में रखा जाता है। डान केहलन ने मदिरा पीने वालों का पीने की आवृत्ति (मदिरा पीने की मात्रा) के आधार पर पांच प्रकार का वर्गीकरण किया है :

(1) बिरले प्रयोक्ता, जो एक वर्ष में एक या दो बार पीते हैं।

(2) अनित्य प्रयोक्ता, जो दो-तीन महीनों में एक या दो बार पीते हैं।

(3) हल्का प्रयोक्ता, जो एक महीने में एक या दो बार पीते हैं।

(4) मध्यम प्रयोक्ता, जो एक महीने में तीन या चार बार पीते हैं।

(5) भारी प्रयोक्ता, जो प्रतिदिन या दिन में कई बार पीते हैं।

अन्तिम श्रेणी में पीने वालों को 'सख्त पीने वाले' कहा जाता है।

दुरूपयोग द्रव्य के प्रकार

दुरूपयोग द्रव्य को छः श्रेणियों में विभाजित किया जा सकता है : शराब, अवसादक या शांतिकार पदार्थ, उत्तेजक पदार्थ, नारकोंटिक/स्वापक पदार्थ, भ्रमोत्पादक पदार्थ और निकोटीन व ताम्रकूटी।

शराब कुछ लोग सामान्य, सुख बोध व एक सामाजिक क्रिया के रूप में लेते हैं और कुछ इसे एक प्रेरणा/उत्तेजना के रूप में लेते हैं जिससे वे कार्य कर सकें। यह (शराब) एक शान्तिकार पदार्थ के रूप में भी कार्य करती है जो नसें को शान्त करती है या फिर एक संवेदनाहारी के रूप में भी कार्य करती है जो जीवन की पीड़ा को कम करती है। शराब तनाव शान्त करती है तथा आक्रमणकारी अवरोध को कम करती है। यह फैसले/निर्णय को कमजोर करती है, अपसामान्य बनाती है व उलझन/द्विविधा पैदा करती है।

<u>शामक अथवा अवसाद</u> - केन्द्रीय नाड़ीमण्डल को क्षीण/अशक्त करते हैं, नींद उत्पन्न करते हैं तथा शान्तिपरक प्रभाव पैदा करते हैं। ट्रैंक्विलाइजर (शांति प्रदान करने वाले द्रव्य) और बार्बिटयुरेट इस श्रेणी में आते हैं। चिकित्सीय दृष्टि से ये उच्च रक्तचाप, अनिद्रा, व मिरगी के लिए तथा शल्य चिकित्सा के पूर्व और बाद में रोगियों के आराम व शिथिलीकरण के लिए काम में लाये जाते हैं। अवसादक पदार्थ के रूप में ये नसों और मांसपेशियों की क्रियाओं की गति कम करते हैं। छोटी मात्रा में ये सांस लेने व दिल की धड़कन को धीमा करते हैं तथा लेने वाले को शिथिलता का अनुभव कराते हैं, परन्तु बड़ी मात्रा (डोज) में इनके प्रभाव शराब की मादकता से मिलते-जुलते हैं, जिनके कारण इन्हें इस्तेमाल करने वाला आलसी, निष्क्रिय, उदासीन, व कभी-कभी चिड़चिड़ा व झगड़ालू भी बन जाता है। उसके सोचने, काम करने , व ध्यान केन्द्रित करने की शक्ति कम हो जाती है तथा उसका भावात्मक नियंत्रण कमजोर हो जाता है।

उत्तेजक - केन्द्रीय नाड़ीमण्डल को क्रियाशील बनाते हैं, तनावों को कम करते हैं,'' हलके अवसाद का उपचार करते हैं, अनिद्रा पैदा करते हैं (व्यक्ति को जगाये रखते हैं), सतर्कता बढ़ाते हैं, थकान और आलस्य व निष्क्रियता का निवारण करते हैं, तथा आक्रमणकारी अवरोध को कम करते हैं। जो उत्तेजक पदार्थ व्यापक रूप से उपयोग किये जाते हैं, वे हैं ऐम्फेटामाइन (जिन्हें पेप-गोली भी कहा जाता है), कैफीन और कोकीन। डाक्टर द्वारा निर्धारित ऐम्फेटामाइन का मध्यम डोज थकान को नियंत्रित करता है तथा फुर्ती, आत्म-विश्वास व कल्याण की अनुभुति पैदा करता है। परन्तु इसका भारी डोज़ अति भयातुरता, अधीरता, चिड़चिड़ापन, सर-दर्द, पसीना निकलना, दस्त, व अस्ष्ट बोलना पैदा करता है। उत्तेजक द्रव्य अधिकांशतः मौखिक रूप से लिये जाते हैं, यद्यपि कुछ (जैसे, मेथेड्रीन) शिराभ्यन्तर इंजेक्शन द्वारा लिये जाते हैं। ये द्रव्य शारीरिक निर्भरता उत्पन्न नहीं करते यद्यपि ये मनोवैज्ञानिक दृष्टि से व्यसनी होते हैं। ऐम्फेटामाइन का दीर्घकालिक भारी उपयोग बौद्धिक, भावात्मक, सामाजिक व आर्थिक विकार की विभिन्न मात्राएं पैदा करता है। इसका अचानक बन्द कर देना मानसिक बीमारी तथा आत्महत्याजन्य अवसाद पैदा करता है।

तन्द्राकार पदार्थ - शामकों की तरह केन्द्रीय नाड़ीमण्डल पर अवसादक प्रभाव पैदा करते हैं। ये आनन्द, सामर्थ्य, हिम्मत व श्रेष्ठता की भावनाएं उत्पन्न करते हैं, भूख कम करते हैं, संकोचों को दूर करते हैं तथा सुझावग्राहिता बढ़ाते हैं। इस श्रेणी में अफीम, हेरोइन (स्मैक, ब्राउन शुगर, मारिजुआना, मारफीन, पैथेडीन, कोकीन (सभी अफीम के रूप) तथा कैनाबिस (चरस, गांजा, भांग) सम्मिलित किये जाते हैं। हेरोइन सफेद पाउडर है जो मार्फीन से बनाया जाता है; कोकीन कोकाबुश की पत्तियों से बनाया जाता है और गन्धहीन होता है; गांजा व चरस हेम्प पौधे से प्राप्त किये जाते हैं; और मारिजुआना कैनाबिस का एक

विशेष रूप है। हेरोइन, मार्फीन, पेथेडीन और कोकीन या तो कश के रूप में लिये जाते हैं, या फिर तरल पदार्थ के रूप में इंजेक्शन द्वारा। अफीम और मारिजुआना धूम्रपान, नाक से ऊपर खींचने या अन्तरग्रहण द्वारा लिये जाते हैं।

बन्द कर देने के लक्षणों में शारीरिक निर्भरता की मात्रा के आधार पर विभिन्नताएं मिलती हैं। अन्तिम डोज़ लेने से 8 से 12 घंटे बाद इसके लक्षण कम्पन, पसीना आना, ठिठुरन, दस्त, मिचलाहट, मानसिक वेदना, व पेट के मरोड़ व टांगों के ऐंठन के रूप में दिखाई देते हैं। उसके उपरान्त लक्षणों की उग्रता में वृद्धि होती है, 36 से 72 घंटों के बीच में ये चोटी पर पहुँच जाते हैं, और फिर 5 से 10 दिन पश्चात धीरे-धीरे ये कम होने लगते हैं। मगर कमजोरी, अनिद्रा, भयातुरता तथा मांसपेशी में दर्द कुछ हफ्तों तक बना रह सकता है।

<u>भ्रमोत्पादक पदार्थ</u> - अनुभूति में विकृति (यानि व्यक्ति चीजों को उनके वास्तविक रूप में न देख-सुन कर उन्हें नये तरीके से ही देखता-सुनता है) व स्वप्न आकृतियाँ पैदा करते हैं। डाक्टर इनके सेवन की कभी सलाह नहीं देते। इस श्रेणी में मुख्य द्रव्य एल.एस.डी. है जो व्यक्ति द्वारा निर्मित रासायनिक पदार्थ है। यह इतना शक्तिशाली होता है कि एक तोले से इसके तीन लाख डोज़ बनाये जाते हैं। नमक के दाने से भी कम इसकी छोटी मात्रा मनुष्य में अत्यधिक मनोरोगमय प्रतिक्रियाएं पैदा कर सकती है। एल.एस.डी. को छोटे सफेद गोली के रूप में, क्रिस्टलीय पाउडर के कैपस्यूल में अथवा तरल पदार्थ में छोटी शीशी में उपलब्ध किया जा सकता है। अधिकांशतः एल.एस.डी. को मौखिक रूप से लिया जाता है, परन्तु इसे इंजेक्शन द्वारा भी लिया जा सकता है। एल.एस.डी. के औसत डोज़ का प्रभाव 8 से 10 घंटे तक रहता है। इसके सेवन को बन्द करने का प्रयास अतिभय अवसाद, व स्थायी तीव्र मानसिक असंयम पैदा कर सकता है।

<u>निकोटीन</u> - में सिगरेट, बीड़ी, सिगार, चुरूट, नास व तम्बाकू सम्मिलित होते हैं। इनका कोई चिकित्सीय उपयोग नहीं होता। परन्तु शारीरिक निर्भरता का जोखिम इनमें अवश्य होता है । निकोटीन शिथिलन पैदा करती है, केन्द्रीय नाड़ीमण्डल को उत्तेजित करती है, जागरण को बढ़ाती है तथा उबाऊपन को दूर करती है। परन्तु इसका अधिक व भारी सेवन दिल की बीमारी, फेफड़े का कैंसर, व श्वास नली शोथ पैदा कर सकता है। कानून इसे द्रव्य के रूप में वर्गीकृत नहीं करता। उत्तेजक, अवसादक, व भ्रमोत्पादक पदार्थों को मनोक्रियाशील पदार्थ भी कहा जाता है।

<u>मादक द्रव्य और उन पर निर्भरता</u>

प्राचीन काल से ही व्यक्ति अनेक प्रकार की औषधियों से परिचित था। आधुनिक समाज में अनेक नशीले पदार्थ एवं रसायनों को उपयोग दिन-प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा है । इनका अधिक उपयोग न केवल उस व्यक्ति के लिए हानिकारक है जो इनका उपयोग करता है बल्कि उस परिवार, समाज और राष्ट्र के लिए भी परोक्षस्वरूप से हानिकारक है जिसमें वह व्यक्ति रहता है। नशीले पदार्थों की निर्भरता ''Wonder pills'' का प्रयोग सैनिकों की थकान दूर करने के लिए किया गया था । जिन कार्यों में अधिक देर तक शारीरिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है उनके लिए इसका प्रयोग होने लगा है जैसे लम्बी दूरी तक ड्राइव करने वाले, देर रात तक 'Night shift' में काम करने वाले तथा खिलाड़ियों द्वारा आदि। इसका प्रयोग वजन कम करने के लिए भी किया जाने लगा क्योंकि व्यक्ति की भूख कम होने लगती है।

इस मादक पदार्थ का प्रयोग प्रायः अधिक दिन करने से भी भूख समाप्त होने लगती है। प्रायः दवाइयों की दुकानों में यह एम्फीटाइम्स ''Amphetamine sulphate'' के नाम से उपलब्ध है । आजकल यह रसायन ''Dexedrine'' तथा

"Methedrine" के नाम से उपलब्ध है। चिकित्सा के क्षेत्र में प्रायः निम्न कारणों से इसका उपयोग किया जाता है-

1. भूख को नियंत्रित करने में,
2. अवसाद को दूर करने में,
3. लम्बी अवधि तक उसे बढ़ी हुई शक्ति का अहसास व्यक्ति को बनाये रखने के लिए,
4. निद्रारोग के इलाज के लिए भी इसका प्रयोग किया जाता है।

इसके अत्यधिक प्रयोग से व्यक्ति का रक्तचाप बढ़ जाता है। पसीना अधिक आता है, भय उत्पन्न हो जाता है। व्यक्ति "Amphetamines Paychoses" से ग्रसित रहने लगता है। 'एल्फेटामिन्स' के प्रयोग करने वाले व्यक्तियों में प्रायः आत्महत्या व हिंसात्मक क्रियाओं की बहुलता पायी जाती है। *नेल्सन (1969) तथा ऐलिनवुड (1972)* ने देखा कि इस मादक द्रव्य के सेवन करने वाले व्यक्तियों में क्रमशः आत्महत्या (25 प्रतिशत) तथा मानव हत्या की प्रवृत्ति पायी गयी *(नेल्सन, 1969 और ऐलिनवुड, 1972)* इस प्रकार इसका प्रयोग व्यक्ति के मानसिक स्वास्थ्य पर बहुत ही विपरीत प्रभाव डालता है।

<u>शामक औषधियाँ</u> - यह औषधियाँ केन्द्रीय स्नायुमण्डल की प्रक्रिया को धीमा कर देती हैं। शताब्दियों से रासायनिक कम्पाउण्ड (Bromide) शान्त करने वाली औषधि के रूप में प्रचलित है। आज यही औषधियाँ "Sedatives" के रूप में लाखों व्यक्तियों द्वारा प्रयोग में लायी जाती हैं।

बारबिचुरेट्स प्रशान्तक के रूप में कार्य करता है, औषधि लेने के तुरन्त बाद व्यक्ति को आराम की अनुभूति होती है, तनाव समाप्त हो जाता है तथा शारीरिक एवं मानसिक गति में शिथिलता आ जाती है। व्यक्ति को नींद आने लगती है। युवकों की अपेक्षा प्रौढ़ एवं वृद्ध व्यक्तियों में इस औषधि की निर्भरता

अधिक देखी जा सकती है। प्रायः ऐसे व्यक्ति जो संवेगात्मक तनाव, चिन्ता तथा अनुपयुक्तता की भावना से ग्रसित रहते हैं, वे कुसमायोजित होते चले जाते हैं तथा इन सभी ग्रस्तताओं से मुक्त होने के लिए बारबिचुरेट्स का सहारा लेने लगते हैं। किन्तु विडम्बना यह है कि इस औषधि के सेवन से व्यक्ति के व्यक्तित्व में कुछ ऐसे लक्षण विकसित हो जाते हैं जो उसकी समस्याओं को और भी जटिल बना देते हैं; जैसे- शारीरिक-मानसिक शिथिलता, क्षीण स्मृति, चिड़चिड़ापन, असमन्वय, भय, अवसाद आदि समस्याएँ उत्पन्न होकर व्यक्ति के व्यक्तित्व को विकृत बना देती हैं। *मियर्स तथा रौचेल (1979)* ने लिखा है कि "इसका निरन्तर प्रयोग गम्भीर शारीरिक एवं मनोवैज्ञानिक समस्याएँ उत्पन्न कर देता है, जैसे अवसाद आदि। विशेषकर जब मदिरा के साथ यदि बारबिचुरेट्स लिए जाते हैं, तब अत्यधिक खतरनाक हो जाते हैं।

"Barbitol, Sodium Pantothal, Amytol, Phenobarbital, Seconal तथा Nembutal" आदि बारबिचुरेट्स है जिनका उपयोग अनैतिक, असंवैधानिक तथा शरीर के लिए अधिक मात्रा बहुत खतरनाक सिद्ध हो सकती है। ऐमीटाल के प्रयोग से व्यक्ति संवेदना रहित हो जाता है। व्यक्ति के मस्तिष्क के दो महत्वपूर्ण भाग कॉर्टेक्स तथा हाइपोथेलेमस सबसे अधिक प्रभावित होते हैं ; यह औषधि "स्वचलित नाड़ी संस्थान" को सर्वाधिक प्रभावित करती है। यद्यपि ऐमीटाल के प्रयोग से व्यक्ति चूंकि सो जाता है अतः तनाव मुक्त अनुभव करता है किन्तु अधिक दिनों तक इसके प्रयोग से उसकी गत्यात्मक क्रियाओं का संतुलन दोषपूर्ण हो जाता है। यहाँ तक कि स्मृति व चिन्तन भी प्रभावित हो जाते हैं। इसकी अत्यधिक मात्रा से व्यक्ति की मृत्यु भी हो जाती है।

<u>हल्के प्रशान्तक</u> - इनका प्रयोग चिकित्सा में दर्द निवारक के रूप में किया जाता है। इसकी प्रमुख औषधि "मेप्रोबेमेट्स" इसके प्रयोग से व्यक्ति तनाव रहित

अनुभव करता है। वैसे सामान्यतया इन औषधियों का प्रयोग घातक नहीं होता है परन्तु जब व्यक्ति इन औषधियों का निरन्तर सेवन करते- करते इनका आदी हो जाता है तो समस्या जटिल हो जाती है। प्रायः इनके प्रयोग का मुख्य उद्देश्य चिन्ता व तनाव से मुक्ति पाना है।

<u>विभ्रम उत्पादक</u>

विभ्रम उत्पन्न करने वाली औषधियों में मुख्य दो औषधियाँ हैं -

1. मैस्कलाइन 2. एल.एस.डी.

(1) मैस्कलाइन - प्रायः इस औषधि के सेवन से व्यक्ति थकान मुक्त हो जाता है। व्यक्ति की मिश्रित संवेदनाएँ होती है। मूड परिवर्तनशील हो जाता है, इसका निर्माण लोफोफोरस कैक्टस से होता है। व्यक्ति के मानस-पटल पर रंगीन चित्र और घटनाएँ चित्रित होती है।

(2) एल.एस.डी. - एल.एस.डी. अत्यन्त तीव्र प्रभाव वाली औषधि है। इसका आविष्कार 1938 में हुआ था, यह रंगहीन, स्वादहीन तथा गन्धहीन होती है। एक चुटकी या कण से भी कम मात्रा में लेने पर नशा उत्पन्न होने लगता है। इससे उत्पन्न विभ्रम मनोविदलता रोग के समान होते हैं, इसे मॉडल 'साइकोसिस' कहा जाता है जो शीजोफ्रेनिया से सम्बन्धित होता है। 'हिप्पीज' में इसका सेवन काफी प्रचलित है, क्योंकि एल.एस.डी. लेने से व्यक्ति दूसरी ही दुनिया में खो जाता है। ऐसे रंगीन संसार में खो जाता है कि उसे वास्तविकता से कोई सम्पर्क नहीं रह जाता है।

एल.एस.डी. का सेवन करने के बाद निम्न परिवर्तन दृष्टिगोचर होते हैं-

1. लगभग आठ घण्टे तक व्यक्ति में संवेदी प्रत्यक्षीकारण परिवर्तन तथा संवेगात्मक परिवर्तनों की अनुभूति होती है।
2. व्यक्तित्व लोप तथा अलगाव की भावना उत्पन्न होने लगती है।

3. इसका व्यापक प्रभाव दूसरे से चौथे घण्टे के मध्य प्रारम्भ हो जाता है

4. शारीरिक परिवर्तन जैसे रक्तचाप बढ़ना, हृदय की धड़कन बढ़ना, सांस गति में वृद्धि और संवेगात्मकता में वृद्धि हो जाती है।

5. ऐसी वस्तुओं के बारे में चिन्तन करना प्रारम्भ कर देता है जिसके बारे में उसे न ज्ञान होता है और न ही उसने उन्हें देखा होता है।

6. इसमें वातावरण में उपस्थित वस्तुएँ विकृत तथा भ्रामक दिखायी पड़ने लगती है।

7. इसके नशे में धुत व्यक्ति बहुत आत्मघाती हो जाते हैं जैसे स्वयं को जला देना या ऊँची जगह से कूद कर जान दे देना।

8. असमायोजित तथा मनोविकृत व्यक्ति पर इसका प्रयोग करने से व्यक्ति और भी ज्यादा विक्षिप्त हो जाता है। अतः एल.एस.डी. एक घातक औषधि है।

<u>मारीजुआना</u>

मारीजुआना हेम्प नामक तम्बाकू से उत्पन्न होता है। सामान्यतया इसे सिगरेट या तम्बाकू के साथ पिया जाता है। यह "Cannabis Sativa" पौधे की पत्तियाँ व फूल हैं। यह पौधे भारत, अमेरिका तथा मैक्सिको में पाये जाते हैं। यह एल.एस.डी. की भाँति मन्द "Hallucinogen" है। इसी पौधे से इससे भी अधिक शक्तिशाली रसायन हशीश तैयार किया जाता है। मारीजुआना के लिए भारतवर्ष में 'गाँजा' शब्द का प्रयोग किया जाता है। यद्यपि यह एक प्रतिबन्धित औषधि है फिर भी यह आसानी से प्राप्त हो जाने के कारण नवयुवकों में इसकी 'क्रेज' बढ़ी है।

प्रभाव

मारीजुआना के सिगरेट अथवा साँस द्वारा खींचने पर निम्नलिखित शारीरिक व मानसिक प्रभाव पड़ते हैं -

1. व्यक्ति को ऊँचाई पर चढ़ने का अनुभव होता है।
2. यह एक सुखद आनन्दायक अनुभूति होती है।
3. व्यक्ति की संवेदी क्षमता बढ़ जाती है। प्रत्यक्षीकरण तीव्र हो जाता है तथा रंग अधिक चमकीले प्रतीत होते हैं।
4. भोजन का स्वाद अच्छा लगने लगता है।
5. स्मृति का ह्रास हो जाता है। थोड़ी देर पहले की घटी घटना भी उसे याद नहीं रहती है।
6. इसका प्रभाव दो या तीन घण्टे रहता है।
7. इसका व्यक्तियों के व्यवहार पर अलग-अलग प्रभाव पड़ता है, कुछ शान्त हो जाते हैं, तथा कुछ अधिक विचलित।
8. दीर्घकाल तक इसका प्रयोग करने से मानसिक, शारीरिक थकान बढ़ जाती है।

औषधि व्यसन के कारण

प्रायः इन व्यसनों का प्रयोग व्यक्ति वातावरण से समायोजन करने के लिए करता है , किन्तु कभी दोस्ती या संगत के प्रभाव के कारण या जिज्ञासा के कारण भी व्यसनों का शिकार हो जाता है। कारण अनेक हैं, किन्तु अन्ततः इन व्यसनों का प्रभाव हमेशा व्यक्तितत्व पर विपरीत ही पड़ता है; यथा-

1. पीड़ा से राहत पाने के लिए , 2. तनावों एवं कुण्ठाओं के प्रति सहनशीलता कम होने पर, 3. कल्पनात्मक दुनिया में रहने की आदत के कारण, 4. सांस्कृतिक कारण, 5. उत्सुकता एवं आनन्द की तलाश, 6. वास्तविकता से पलायन,

7. मित्र-मण्डली का दबाव, 8. आत्म-सुधार के लिए, 9. अपराधी मनोवृत्ति, 10. असफलताएँ, 11. अकेलापन, 12. अड़ियल एवं अपरिपक्व व्यक्तितत्व, 13. निराशाएँ?, तथा 14. नैतिक मूल्यों की कमी।

इस प्रकार यह स्पष्ट है कि औषधि सेवन का अधिकतर विकृत व्यक्तितत्व से होता है। विपरीत परिस्थितियों में भी अगर व्यक्तितत्व सुदृढ़ एवं संगठित रहता है तो व्यक्ति इन व्यसनों का आदी नहीं हो पाता है। औषधि व्यसनी व्यक्ति प्रायः मनोवकृति विषाद, तनाव, असुरक्षा एवं अनुपयुक्तता की भावनाओं से ग्रसित रहते हैं (Gilbert and Lombard, 1967)।

रोकथाम एवं उपचार -

इन विभिन्न प्रकार के मादक द्रव्यों के प्रभाव की विवेचना से यह स्पष्ट है कि इनके दुष्प्रभाव व्यक्ति मनोवैज्ञानिक, शारीरिक तथा आर्थिक रूप से, पूर्णतया रिक्त कर देते है। 1883 में मादक द्रव्यों की रोकथाम के लिए रायल कमेटी की निर्माण हुआ था जिसमें अफीम के दुष्परिणामों को देखा गया। इस सन्दर्भ में भारत सरकार ने भी कई महत्वपूर्ण प्रयास किये हैं। मादक द्रव्यों के प्रयोग एवं व्यापार पर कड़ा नियंत्रण रखने के लिए सरकार ने नारकोटिक्स इन्टेलीजेन्स ब्यूरो की स्थापना की। इस संस्था ने इस क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया।

मादक औषधियों के दुरूपयोग को रोकने के लिए सर्वप्रथम गैर-कानूनी ढंग से इसके वितरण को अपराध माना जाय, शिक्षा एवं प्रचार के द्वारा इसके वितरण को अपराध माना जाय, परिचित कराया जाय।

उपचार - जितने भी मादक पदार्थ जैसे मॉरफीन, अफीम, गाँजा, हशीश, स्मैक, ब्राउन शुगर आदि हैं, वे सब मनोवैज्ञानिक निर्भरता बढ़ाते हैं। इनका निरन्तर सेवन व्यक्ति को शारीरिक रूप से इतना शिथिल कर देता है कि बिना इन मादक पदार्थो के (जिसको जिस मादकता की लत लग जाती है) रह पाना

कठिन हो जाता है। डिसइन्टॉक्सीकेशन अवरजन के अतिरिक्त इन मादक पदार्थों के प्रति घृणा भी एक उपाय है। इसके अतिरिक्त जो व्यक्ति औषधि व्यसनी हो गये हैं उनका रासायनिक विधियों तथा मनोचिकित्सा द्वारा उपचार करके उनकी आदत कम करनी चाहिए। परिवारीजनों तथा मित्रों का सहयोग भी व्यक्ति के औषधि व्यसन को छुड़ाने के लिए आवश्यक है।

इसके अतिरिक्त मादक द्रव्यों के सेवन के बन्द कराने पर कुछ समय के लिए उन्हें संस्थागत कराना आवश्यक होता है, किन्तु यह कार्य नशा करने वाले व्यक्ति की सहमति से हो तथा उस समय हो जब व्यक्ति अत्यधिक व्यसनी हो गया हो। कोई भी सुझाव तभी सफल होता है जब रोगी की सहमति तथा सहयोग मिलता है। नशे से मुक्त होने के लिए पर्याप्त प्रेरणा की भी आवश्यकता होती है। ''ECT and Tranqualizers'' का प्रयोग भी लाभप्रद हो सकता है।

रोगी अपनी नशे की आदतें छोड़ दे तथा पुनः उसमें लिप्त न हो इसके लिए यह आवश्यक है कि चिकित्सा के बाद उसके प्रति समाज तथा परिवार वालों का दृष्टिकोण सकारात्मक हो। उसके प्रति घृणा तथा हेय दृष्टि न रखी जाय, उन्हें सहज भाव से अन्य सामान्य व्यक्तियों की तरह अपना कर पुनर्स्थापन का प्रयास करना चाहिए।

आज के आधुनिक जीवन की देन है- चिन्ता, तनाव, प्रतिबल तथा कुसमायोजन। अतः समाज व देश में मद्यव्यसन न फैले इसके लिए आवश्यक है कि व्यक्ति का पारिवारिक, सामाजिक वातावरण स्वस्थ तथा सौम्य हो। व्यक्ति का जीवन उददेश्य सकारात्मक तथा दिशा निर्देशित हो। समायोजन के लिए उचित तरीके अपनाये जायें। ऐक्कोहॉल तथा अन्य व्यसनों के रोकने के लिए इनकी रोकथाम पर अधिक बल देना चाहिए। इन मादक पदार्थों के सेवियों के चिकित्सा

में मनोचिकित्सा, सामूहिक चिकित्सा तथा सामाजिक चिकित्सा भी प्रयोग की जा सकती है। इन रोगियों के उपचार के लिए निम्न सुझाव है -

1. नशीले पदार्थों के सेवन की रोकथाम के लिए और अधिक कड़े कानून बनाये जायें।
2. नशे से ग्रस्त व्यक्ति में आत्मविश्वास उत्पन्न करे तथा बिखरे व्यक्तितत्व को सँवारे।
3. रोगी की चिकित्सा करते समय उसके शारीरिक कष्टों की भी जाँच होनी चाहिए तथा इस बात का पूरा ध्यान रखना चाहिए कि इलाज के बाद ठीक होने पर वह पुरानी संगत में पड़कर पुनः नशीले पदार्थों का सेवन न प्रारम्भ कर दे।
4. रोगी का जीवन के प्रति दृष्टिकोण बदलने का प्रयास करना चाहिए।
5. उनका आत्मसंयम, आत्मविश्वास तथा आत्मशक्ति बढ़ानी चाहिए।
6. समाज में नशाखोरी के विरोध में जागरूकता उत्पन्न की जाय।

इस प्रकार रोगियों के साथ सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार, स्वस्थ विचारों का आदान-प्रदान, नैतिकता को बढ़ावा तथा प्रेरणा देकर स्वस्थ समायोजन के लिए प्रेरित करना चाहिए।

मद्यपान का सामाजिक वितरण

मद्यपान का सामाजिक वितरण होता है। इसका तात्पर्य यह है कि प्रत्येक समाज में प्रत्येक वर्ग, जाति, धर्म तथा प्रजाति के लोग समान रूप में मद्यपान नहीं करते हैं। इसमें कुछ न कुछ अन्तर प्रत्येक समाज में देखने को मिलता है। यह अन्तर सांस्कृतिक भिन्नता के आधार पर होता है। उदाहरण के लिए, भारत में

स्त्रियों में मद्यपान बहुत ही कम देखने को मिलता है जबकि कुछ पाश्चात्य देशों में स्त्री और पुरूष दोनों में ही मद्यपान का व्यापक विस्तार है।

1. लिंग - सामान्यतः स्त्रियों की अपेक्षा पुरूषों में मद्यपान का विस्तार अधिक देखने को मिलता है। अन्य देशों की भाँति भारत में भी अब स्त्रियों में मद्यपान का विस्तार दिन-प्रतिदिन होता जा रहा है, विशेषकर उन स्त्रियों में जो कि सोशल आउटिंग आदि के कार्यक्रमों में सक्रिय भाग लेती हैं।कुछ बड़े शहरों में तथाकथित अभिजात वर्ग में स्त्रियों का शराब पीना उनकी आधुनिकता व कुलीनता का परिचायक माना जाता है। वैसे भारतवर्ष में नीच जातियों की स्त्रियों तथा वेश्याओं में शराब पीने की आदत भी देखने को मिलती थी।

2. वर्ग - मद्यपान का एक वर्गीय अन्तर भी होता है। डॉलर्ड के मतानुसार, मद्यपान का विस्तार उच्च वर्ग के सदस्यों में अधिक तथा निम्न वर्ग में कम होता है, अर्थात् हम निम्न वर्ग से उच्च वर्ग की ओर जैसे-जैसे बढ़ते जाते हैं मद्यपान का प्रतिशत भी उसी अनुपात में बढ़ता है। उच्च वर्ग में स्त्री और पुरूष दोनों शराब पीते हैं और वर्गीय प्रतिष्ठा व सम्मानित पद के कारण उसके इस काम को बुरा भी नहीं कहा जाता है। परन्तु भारत में डालर्ड का सिद्धांत पूर्णतया लागू नहीं होता है। यहाँ निम्न वर्ग में शराब पीने की आदत बहुत अधिक देखने को मिलती है। इस देश के औद्योगिक केन्द्रों में आठ-दस घंटे अत्यधिक असन्तोषजनक काम करने की दशाओं में कठिन परिश्रम करने के बाद श्रमिक इतना थक जाते हैं कि थकावट को दूर करने के लिए वे शराब व ताड़ी की दुकानों में भीड़ बढ़ाते हैं।

3. जाति - वर्ग की भाँति जाति के आधार पर भी मद्यपान के विस्तार की विवेचना की जा सकती है। सामान्य रूप से ब्राह्मण जाति में मद्यपान का विस्तार बहुत ही कम देखने को मिलता है, यद्यपि आज जाति प्रथा के नियमों के दुर्बल हो जाने के कारण बहुत-से ब्राह्मण भी शराब पीते हैं। हमारे देश में निम्न जातियों में

मद्यपान का प्रतिशत अत्यधिक ऊँचा है। जातीय दृष्टिकोण से कायस्थों में भी शराब पीने की आदत अत्यधिक पाई जाती है।

4. पेशा - कुछ विद्वानों का मत है कि जिन पेशों में व्यक्ति को कठोर परिश्रम करना पड़ता है, उन पेशों को करने वाले लोग मद्यपान भी अधिक करते हैं। कुछ दूसरे विद्वानों का मत है कि जिन पेशों की प्रकृति अनिश्चित होती है, उनके करने वालों में शराब का प्रचलन अधिक देखने को मिलता है। इसीलिए व्यापार एक ऐसा पेशा है जो अत्यधिक मद्यपान से सम्बन्धित है। व्यापार में लाभ या हानि के बारे में कोई निश्चित बात नहीं कही जा सकती है। व्यापारी को सदा ही व्यापार के सम्बन्ध में शंका और चिन्ता रहती है। शराब पीकर उन चिन्ताओं से बचने की कोशिश की जाती है। व्यापार में हानि होने पर उस हानि को भूलने के लिए भी शराब पी जाती है। इसी प्रकार लाभ होने पर शराब पीकर खुशियाँ मनाई जाती हैं। सेल्समैनों में, जो कि एक शहर से दूसरे शहर को घूमा करते हैं मद्यपान का विस्तार अधिक होता है, क्योंकि इन पर परिवार का नियंत्रण नहीं होता है। साथ ही ग्राहक को फाँसने के लिए भी इन्हें पार्टियाँ देनी पड़ती हैं और ग्राहक के साथ उन्हें खुद भी शराब पीनी पड़ती है। पानी के जहाजों पर काम करने वाले, सैनिक विभाग में काम करने वाले तथा वेश्वावृत्ति में लिप्त लोगों में मद्यपान का विस्तार अधिक होता है। हमारे देश में ट्रक ड्राइवरों तथा मिल व कारखानों में काम करने वाले श्रमिकों में मद्यपान का प्रतिशत अधिक है। जीवन की नीरसता और कठोर परिश्रम इस आदत के लिए उत्तरदायी हैं।

5. धर्म - धार्मिक भिन्नताओं के आधार पर भी मद्यपान के विस्तार की विवेचना की जा सकती है। अमेरिका में किए गए अध्ययनों से पता चलता है कि यहूदियों में मद्यपान का प्रतिशत सबसे अधिक है। इसके बाद क्रमशः कैथोलिक तथा प्रोटेस्टेंट धर्म के अनुयायियों का स्थान है। कट्टर आर्य समाजियों

में भी मद्यपान कम है, पर आज उच्च पदस्थ आर्य समाजियों में शराब का प्रचलन बढ़ रहा है। वैसे सामान्य रूप से भारत में ईसाइयों में सबसे अधिक शराब का प्रयोग होता है। उसके बाद पारसियों का स्थान है।

6. सामाजिक उत्सव - हमारे देश में सामाजिक उत्सव, त्यौहार आदि का मद्यपान के साथ घनिष्ठ सम्बन्ध है। जन्म, विवाह आदि के अवसर पर शराब का प्रयोग अधिक किया जाता है। उसी प्रकार त्यौहारों के अवसर पर विशेषकर होली, दीपावली, ईद आदि में शराब खूब पी जाती है। इन त्यौहारों में भी होली का नाम इस सम्बन्ध में विशेष रूप से बदनाम है।

<u>मद्यपान का सिद्धांत</u> -

<u>कारण सम्बन्धी सिद्धांत</u>

मादक द्रव्यों के दुरूपयोग के कारण-सम्बन्धी सिद्धांतों को चार श्रेणियों में विभाजित किया जा सकता है: शारीरिक, मनोवैज्ञानिक, सामाजिक-मनोवैज्ञानिक और समाजशास्त्रीय।

'शारीरिक' सिद्धांत के अनुसार, व्यक्ति शारीरिक दोषों व रोगों के कारण एवं द्रव्य के रासायनिक लक्षणों पर शारीरिक अनुकूलन की वजय से मादक द्रव्यों का सेवन करते हैं। मोरडोन्स, स्लिकवर्थ, रैन्डाफ और निमबिच ऐसे विद्वान हैं जिन्होंने मादक द्रव्यों का सेवन रासायनिक प्रतिक्रियाओं के संदर्भ में समझाया है। परन्तु यह सिद्धांत यद्यपि 1910 और 1920 के दशकों में विस्तृत रूप से स्वीकार किया गया था, वर्तमान में इसे तब से अपर्याप्त माना जाता है जब से आनुभविक अध्ययनों ने मादक द्रव्य सेवनकर्ताओं के मनोवैज्ञानिक व समाजशास्त्रीय लक्षणों की द्रव्य-सेवन में भूमिका की ओर ध्यान दिलवाया है।

मनोवैज्ञानिकों ने मादक द्रव्य-सेवन व द्रव्य-निर्भरता को मुख्यत: 'प्रबलीकरण' सिद्धांत, 'व्यक्तितत्व सिद्धांत, 'शक्ति' सिद्धांत, व 'क्षीण स्व' सिद्धांत

के आधार पर समझाया है। 'प्रबलीकरण' सिद्धांत में अबराहम विलकर *(Strak Rodney, 1975:102)* ने बताया है कि मादक द्रव्यों की सुखद अनुभूतियाँ उनके उपयोग को बढ़ावा देती हैं। 'व्यक्तित्व' सिद्धांत ने मादक पदार्थों के सेवन को मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं की पूर्ति अथवा कुछ मनोवैज्ञानिक दोषों/कमजोरियों के लिए क्षतिपूर्ण करने के आधार पर समझाया है। यह (सिद्धांत) मादक द्रव्य निर्भरता से जुड़े हुए कुछ विशिष्ट व्यक्तित्व सम्बन्धी लक्षणों की चर्चा करता है तथा द्रव्य-निर्भरता के कारण में 'निर्भर व्यक्तित्व' पर बल देता है। *चेन (1969:13-30), नाइट (1937:538),* और *राबर्ट फ्रीड बेल्स (1962:157),* जो इस सिद्धांत के मुख्य समर्थक हैं, की मान्यता है कि निर्भर व्यक्तित्व वाले व्यक्तियों को दूसरों से भावात्मक समर्थन व ध्यान चाहिए और इनके अभाव में वे उसे मादक द्रव्यों के सेवन से स्थानापन्न करते हैं। चेन ने न्यूयार्क में नारकोटिक्स के अध्ययन में पाया कि जिन व्यक्तित्व-लक्षणों वाले व्यक्ति मादक पदार्थों का सेवन करते हैं, वे लक्षण हैं: निष्क्रियता, निम्न आत्माभिमान, आत्म-निदेशन की सीमित क्षमता, अन्य व्यक्तियों में अविश्वास, कुण्ठाओं और तनावों का सामना करने में कठिनाई, पौरूषी पहचान की अपर्याप्त तथा बचपन के संघर्षों के समाधान की असफलता। *डेविड मैक्लेलैण्ड (1972)* ने 'व्यक्तित्व' सिद्धांत को चुनौती देते हुए 'शक्ति सिद्धांत' प्रस्तुत किया जिसके आधार पर उसने द्रव्य दुरूपयोग (शराब) को व्यक्ति की शक्ति-आवश्यकता की अभिव्यक्ति के संदर्भ में समझाया है। 'हल्का' और कभी-कभी शराब पीने वाले व्यक्ति का शराब पीने से बढ़ी हुई सामाजिक शक्ति की अनुभूति मिलती है, जबकि भारी शराबी को बढ़ी हुई व्यक्तित्व शक्ति की अनुभूति मिलती है। 'क्षीण स्व' सिद्धांत अथवा 'भय' सिद्धांत में *स्टैंन्टन पीले (1975)* ने कहा है कि मादक

द्रव्यों का व्यसन आधुनिक जीवन की परिस्थितियों के प्रति भय और असुरक्षा की अनुभूतियों के कारण है।

ये सब मनोवैज्ञानिक सिद्धांत तीन आधारों पर अपूर्ण बताये जा सकते हैं : (1) वे यह समझाने में असफल हैं कि वे (व्यक्तित्व) लक्षण जो केवल मादक द्रव्य सेवनकर्ताओं में हैं उनमें किस प्रकार विकसित होते हैं, (2) वे (सिद्धांत) यह समझाने में भी असफल हैं कि यह संलक्षण आत्म-हत्या आदि अन्य व्यवहार के स्थान पर शराब व अन्य मादक द्रव्यों के सेवन की ओर ही क्यों ले जाता है, और (3) ये सिद्धांत उन व्यक्तित्व सम्बन्धी लक्षणों की पहचान में असफल रहे हैं जो मात्र द्रव्य व्यसनियों व शराबियों में पाये जाते हैं। और इन लक्षणों वाले सभी व्यक्ति मादक द्रव्यों का उपयोग क्यों नहीं करते ?

हावर्ड बेकर (1963) और काइ एरिकसन (1964:21) ने सामाजिक मनोवैज्ञानिक 'लेबलिंग, सिद्धांत में बताया है कि एक व्यक्ति व्यसनी व शराबी के लेबल लगने के दबाव के कारण मादक द्रव्य सेवनकर्ता व शराबी बन जाता है। परन्तु यह सिद्धांत यह समझाने में असफल रहा है कि व्यक्ति मादक द्रव्य-व्यवहार में पहले कैसे फंसते हैं जिसके कारण उन्हें सामाजिक दृष्टि से 'विचलित व्यसनी' कहा जाता है।

'समाजशास्त्रीय' सिद्धांत की मान्यता है कि परिस्थितियाँ अथवा सामाजिक पर्यावरण व्यक्ति को मादक द्रव्यों का व्यसनी बनाते हैं। सदरलैण्ड के विभिन्न सम्पर्क सिद्धांत के आधार पर यदि मादक द्रव्य सेवन समझाया जाये तो, उसके अनुसार मादक द्रव्यों का लेना दूसरे व्यक्तियों से सीखा हुआ व्यवहार है, विशेष रूप से छोटे घनिष्ठ समूहों से। *'सामाजिक सीखने'* का सिद्धांत, जो कि विभिन्न सम्पर्क सिद्धांत और प्रबलीकरण सिद्धांत का विस्तृत रूप है, एकर्स और बर्जेस द्वारा प्रतिपादित किया गया था। 'प्रबलीकरण' सिद्धांत जब यह मानता है कि

मादक द्रव्यों पर निर्भरता मात्र एक 'प्रतिबद्ध सीखना' है, सामाजिक सीख का सिद्धांत सीखने की प्रक्रिया में कार्य करने वाले बलयुक्तकर्ता जोर देने वालों के सामाजिक स्रोतों का मूल्यांकन करता है। प्रबलीकरण उन व्यक्तियों के सम्पर्क से होता है जो मादक द्रव्य-सेवन के पक्ष में होते हैं। 'तनाव' सिद्धांत व्यक्तियों पर उस जोरदार दबाव पर बल देता है जो उन्हें आन्तरीकृत प्रतिमानों से विचलित होने के लिए बाध्य करते हैं। मर्टन के अनुसार इस दबाव का स्रोत लक्ष्यों और साधनों के बीच विसंगति है। जो व्यक्ति अपने लक्ष्यों को वैध साधनों द्वारा प्राप्त नहीं कर पाते वे इतने हताश हो जाते हैं कि शराब और अन्य मादक द्रव्यों का सेवन करना आरम्भ कर देते हैं। मर्टन उन्हें 'पलायनवादी' कहता है। 'उप-संस्कृति' सिद्धांत के अनुसार समाज में विभिन्न समूह विभिन्न प्रकार के प्रतिमानों से समाजीकृत होते हैं और 'विचलन' वह निर्णय है जो बाहरी समूह द्वारा थोपा जाता है। अतः जो व्यवहार विचलित दिखाई देता है, वह वास्तव में एक समूह द्वारा ग्रहण किय गये प्रतिमानों के प्रति अनुरूपता है जो (प्रतिमान) अन्य समूह द्वारा अस्वीकार किये गये हैं। जब युवक यह दावा करते हैं कि उस समाज में गांजा, चरस, भांग पर रोक लगाने वाले व्यसनकर्ता पाखण्डी हैं जहां शराब पीना सामाजिक दृष्टि से जायज है और जब व्यसनकर्ता व्यक्ति गांजे व चरस को शराब की तुलना में अधिक भयानक घोषित करते हैं, तब वास्तव में दो उप-संस्कृतियों में यह संघर्ष होता है कि किसके प्रतिमानों को चालू रहना चाहिए। इस प्रकार मादक द्रव्यों का सेवन युवा और व्यसनियों की उप-संस्कृतिक मूल्यों में संघर्ष का परिणाम है।

उपर्युक्त सभी समाजशास्त्रीय सिद्धांतों का अपना-अपना परिप्रेक्ष्य है। परन्तु प्रत्येक सिद्धांत अनेक प्रश्नों के उत्तर देने में अक्षम रहा है। मैंने अपने 'सामाजिक बंधन' उपागम में (1982:120) मादक द्रव्यों के दुरूपयोग को 'असमायोजन' (प्रस्थिति में) असंलगता (सामाजिक समूहों के प्रति) व अवद्धता (सामाजिक

भूमिकाओं के प्रति) के कारण व्यक्ति और समाज के बीच पाये जाने वाले सामाजिक बन्धन के कमजोर होने के आधार पर समझाया है। व्यक्ति की अन्य व्यक्तियों के साथ संलग्नता उसकी सामाजिक भूमिकाओं के लिए प्रतिबद्धता, तथा उसका विभिन्न स्थितियों में समायोजन ही उसके अच्छे व वांछित के प्रति मूल्यों को, उसके व्यवहार के प्रतिरूपों को एवं अपनी संस्कृति के प्रबल मूल्यों के विवेचन को निर्धारित करते हैं। इन कारकों अथवा इनकी, प्रकृति का विश्लेषण ही हम ड्रग के दुरूपयोग पर नियंत्रण पाने के लिए संरचनात्मक व संस्थागत उपायों का उल्लेख कर सकते है।

मनोवैज्ञानिक कारक

अध्ययनों में यह देखा गया है कि एल्कोहॉल पर व्यक्ति केवल दैहिक रूप से ही आश्रित नहीं होता है बल्कि वह एल्कोहॉल पर मनोवैज्ञानिक रूप से भी आश्रित हो जाता है। मद्यपान का सीधा सम्बन्ध समायोजन से हैं। अत्यधिक मद्यपान से सम्पर्क जीवन का समायोजन क्षतिग्रस्त हो जाता है। अब प्रश्न यह उठता है कि एल्कोहॉल पर व्यक्ति इतना अधिक मनोवैज्ञानिक रूप से किस प्रकार आश्रित हो जाता है। कुछ प्रमुख मनोवैज्ञानिक कारक निम्न प्रकार से हैं -

(1) मनोवैज्ञानिक मेधता - जिन अध्ययनों में मद्यपान करने वाले और मद्यपान न करने वाले व्यक्तियों की व्यक्तित्व विशेषताओं की तुलना की गयी है, उन अध्ययनों से यह स्पष्ट हुआ है कि मद्यपान करने वाले व्यक्ति संवेगात्मक रूप से अपरिपक्व होते हैं। मद्यपान करने वाले व्यक्ति चाहते हैं कि समाज के लोग उनकी प्रशंसा करें। मद्यपान करने वाले व्यक्तियों में यह भी देखा गया है कि इन व्यक्तियों में असफलता के कारण हीनता की भावनाएँ उत्पन्न हो जाती हैं। इनमें कुण्ठा के प्रति सहनशीलता भी निम्न स्तर की होती है। वे अपने आपको अनुपयुक्त भी अनुभव करते हैं। कुछ अन्य अध्ययनकर्ताओं (D.G. McClelland, et.al.,1972; B.

Pratt, G. Winokur, et al.,1970) ने अपने अध्ययनों के आधार पर यह स्थिर किया कि व्यक्ति अपने पुरूषत्व और अपनी उपयुक्तता की भावना को स्थापित और स्थिर करने के लिए मद्यपान करता है। व्यक्तियों को अपने शराब पीने पर नियंत्रण नहीं होता है।

कुछ अन्य अध्ययनों (M.C. Jones, 1971; R.A. Woodruff, et.al.,1973;F.A. Seixas and R.Cadoret, 1974) के आधार पर स्थिर किया गया कि अवसाद और समाज विरोधी व्यक्तित्व वाले लोग मद्यपान करते हैं। कुछ अध्ययनों में यह भी देखा गया है कि कुसमायोजित व्यक्तियों के मद्यपान करने की सम्भावना अधिक होती है। लेकिन आवश्यक नहीं है कि कुसमायोजित व्यक्ति में मद्यपान की आदत पड़ ही जाय।

मद्यपान करने वाले व्यक्तियों की व्यक्तित्व विशेषताएँ सामान्य व्यक्तियों की अपेक्षा भिन्न होती हैं। आदतजन्य मद्यपान करने वाले व्यक्ति में प्रतिबल सहनशीलता कम, ऋणात्मक आत्म-प्रतिभा, अनुपयुक्तता की भावनाएँ और अवसाद की भावनाएँ पायी जाती हैं।

जब मद्यपान करने वाले व्यक्ति बहुत अधिक मद्यपान करते हैं और उसकी स्थिति अस्पताल में भर्ती या उपचार वाली हो जाती है तो उसके व्यक्तित्व में कुछ निम्न प्रमुख विशेषताएँ पायी जाती हैं- मनोरचनाओं का अतिरंजित प्रयोग करता है जिसमें युक्तिकरण और प्रक्षेपण का अधिक प्रयोग करता है। इस अवस्था में वह अपने आवेगों को नियंत्रित करने में कठिनाई का अनुभव करता है। उसमें उत्तरदायित्व का अभाव भी पाया जाता है।

(2) प्रतिबल और तनाव में कमी तथा प्रबलन- यह आदत-जन्य मद्यपान करने वाले व्यक्ति में प्रतिबल के प्रति सहनशीलता बहुत कम होती है। वह प्रतिबल

और तनाव को सहन करने के आयेग्य ही नहीं होता है बल्कि वह ऐसी परिस्थितियों का सामना करने का इच्छुक भी नहीं होता है।

एक अध्ययन (H.H. Sehaefer,1971) में यह निष्कर्ष निकाला गया कि मद्यपान चिन्ता के प्रति एक अनुबन्धात्मक प्रत्युत्तर है। मद्यपान करने वाले व्यक्ति की चिन्ता मद्यपान के द्वारा कम होती है। साथ ही साथ प्रतिबल से उत्पन्न व्यवसाय और असुखद भावनाएँ कम होती हैं।

3. दोषपूर्ण पैतृक प्रतिमान -

मद्यपान करने वाला पिता बालक के लिए दोषपूर्ण प्रतिमान है बालक को सामाजिक मूल्यों को सिखाने में कठिनाई होती है वह यह नहीं समझ पाता है कि उससे क्या प्रत्याशाऐं हैं। कुछ केसेज में देखा गया है कि बच्चे अपने पिता को ऋणात्मक मॉडल के रूप में स्वीकार करते हैं। ये बालक यदि अपने पिता के व्यवहार प्रतिमानों को स्वीकार करते हैं तो वे भी मद्यपान की ओर अग्रसर होते हैं।

<u>सामाजिक-सांस्कृतिक कारक -</u>

मद्य-व्यसनी तथा सामान्य व्यक्ति के सामाजिक, सांस्कृतिक कारकों में अन्तर होता है। सामाजिक-सांस्कृतिक मूल्य भी मद्यपान को बढ़ावा देते हैं। यदि किसी समाज में मद्यपान को बुरा नहीं समझा जाता है तो उस समाज के व्यक्ति मद्यपान की ओर अग्रसर होते हैं। बालक अपने परिवार के बड़े-बुढ़ों को मद्यपान करते देखते हैं तो वे भी मदिरा की ओर अग्रसर होते हैं (H.W. Demone,1962)। एक अध्ययन (R.F. Bales,1947) में एक समाज और संस्कृति में मद्यपान का क्या घटनाक्रम होगा, यह उस समाज की संस्कृति द्वारा कई तथ्यों के आधार पर निर्धारित है-(1) संस्कृति के द्वारा उत्पन्न प्रतिबल और आन्तरिक तनाव की मात्रा कितनी है? यह मात्रा जितनी ही अधिक होगी, मद्यपान का घटनाक्रम उतना ही अधिक होगा। (2) संस्कृति की मद्यपान की मद्यपान के

प्रति क्या अभिवृत्तियाँ हैं? अभिवृत्तियाँ जितनी ही मद्यपान के प्रति धनात्मक होंगी, मद्यपान को संस्कृति से उतना ही अधिक बढ़ावा प्राप्त होगा। (3) तनाव और चिन्ता से मुक्ति के संस्कृति में क्या-क्या साधन उपलब्ध हैं? ये साधन जितने ही अधिक होंगे, लोग मद्यपान के प्रति उतने ही कम उन्मुख होंगे। ग्रामीणों की तुलना में शहरी अधिक पीते हैं।

द्रव्यव्यसन/मद्यपान के सम्बन्ध में अनुसंधान

1. कालेज/विश्वविद्यालय विद्यार्थियों के अध्ययन
2. उच्च माध्यिक विद्यार्थियों पर अध्ययन
3. औद्योगिक श्रमिकों पर अध्ययन
4. ग्रामीण क्षेत्र में अध्ययन
5. रामअहूँजा के अध्ययन में

1. कालेज/विश्वविद्यालय विद्यार्थियों के अध्ययन -

कालेज/विश्वविद्यालय विद्यार्थियों में मादक द्रव्यों के दुरूपयोग सम्बन्धी अध्ययनों को तीन श्रेणियों में विभाजित किया जा सकता है: (अ) एकल अध्ययन, (ब) संयुक्त अध्ययन, और (स) बहु-केन्द्रीय अध्ययन। एकल अध्ययन बनर्जी (कलकत्ता में 1963 में), दयाल (दिल्ली में 1972 में), विटनिस (मुम्बई में 1974 में), और वर्मा (पंजाब में 1977 में) आदि द्वारा किये गये हैं। संयुक्त अध्ययन सेठी और मनचन्दा द्वारा (उत्तर प्रदेश में 1978 में), दुबे, कुमार और गुप्ता द्वारा (1969 और 1977 में) और कलकत्ता विश्वविद्यालय के सम्प्रयुक्त मनोविज्ञान विभाग द्वारा (1988 में) किये गये हैं। बहु-केन्द्रीय अध्ययन 1976 (सात शहरों में) और 1986 में (नौ शहरों में) केन्द्रीय सरकार के कल्याण मन्त्रालय द्वारा डॉ. मोहन (अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्था, दिल्ली) के समन्वय में करवाये

थे। ऐसा ही अध्ययन 1996 में भी कल्याण मन्त्रालय द्वारा करवाया गया था। अगर कालेज/विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों में किये गये सभी अध्ययनों को इकट्ठा लें तो कहा जा सकता है कि द्रव्य दुरूपयोग की प्रचलित दर (शराब, निकोटीन आदि मिलाकर) अधिक हैं।

अनुसंधानकर्ता यह भी संकेत करते हैं कि लगभग 60 प्रतिशत विद्यार्थी मित्रों के सुझावों पर मादक द्रव्य लेते हैं, 5 प्रतिशत परिवार के सदस्य या किसी रिश्तेदार के सुझाव पर, 10 प्रतिशत डाक्टरों के सुझावों पर, और 25 प्रतिशत स्वयं की इच्छा/सुझाव पर। अतः प्रारम्भिक कारक के आधार पर मादक द्रव्य सेवनकर्ताओं में अधिकांश सेवनकर्ता 'अप्रतिरोधकारी', कुछ,'आत्म-निर्देशित', और बहुत कम 'अनुकूली' प्रकार के होते हैं।

2. उच्च माध्यमिक विद्यार्थियों पर अनुसंधान -

स्कूलों में पढ़ने वाले विद्यार्थियों में मादक द्रव्यों के दुरूपयोग सम्बन्धी दो महत्वपूर्ण अध्ययन मोहन, सुन्दरम और चावला द्वारा दिल्ली में 1978 में और रस्तोगी द्वारा 1979 में किये गये थे। 1986 में एक और अध्ययन चार महानगरों- दिल्ली, कलकत्ता, मद्रास, और मुम्बई- में मोहन, प्रधान, चक्रवर्ती और रामचन्द्रन द्वारा किया गया था। 1978 में डी. मोहन द्वारा 2,000 उच्च माध्यमिक स्कूल के विद्यार्थियों के अध्ययन से ज्ञात हुआ है कि यद्यपि 63 प्रतिशत विद्यार्थी मादक द्रव्यों को सेवन कर रहे थे परन्तु अधिकांश पीड़ा-नाशक द्रव्यों का, सिगरेट का और थोड़े से शराब का सेवन करते थे। केवल 0.2 प्रतिशत और 0.4 के बीच शामक, उत्तेजक व तन्द्राकर मादक पदार्थ ले रहे थे। इससे स्पष्ट है कि उच्च माध्यमिक स्कूल के विद्यार्थियों में मादक द्रव्यों का सेवन बहुत सीमित है।

3. औद्योगिक श्रमिकों पर अनुसंधान -

गन्ग्राडे और गुप्ता ने दिल्ली में 1970 के दशक में 4,000 औद्योगिक श्रमिकों का एक अध्ययन किया था जिसमें उन्होंने पाया कि श्रमिकों में मादक द्रव्यों की प्रचलन दर केवल 10.4 प्रतिशत थी, जो कालेज विद्यार्थियों की अपेक्षा बहुत कम है। इसके अतिरिक्त उन्होंने पाया कि : (1) मादक द्रव्य सेवनकर्ताओं में से बहुत ने इनका सेवन बिना चिकित्सकीय नुसखे के आरम्भ किया था, (2) सेवनकर्ताओं में से अधिकांश 20 और 30 आयु-वर्ग में थे, (3) तीन-चौथाई से अधिक श्रमिकों ने श्रमिक बनने के उपरान्त ही मादक द्रव्यों का सेवन आरम्भ किया था, (4) दो-तिहाई ने मित्रों और सह-श्रमिकों के सुझाव पर मादक पदार्थ लेना शुरू किया था, और (5) उप-सांस्कृतिक पृष्ठभूमि, उच्च आय, शिक्षा की निम्न स्तर, और मित्र-समूहों का दबाव औद्योगिक श्रमिकों के मादक द्रव्य सेवन के मुख्य कारक हैं।

सेवन किये जाने वाले मादक द्रव्यों की प्रकृति के संदर्भ में गंग्राडे ने पाया कि अध्ययन किये गये श्रमिकों के निदर्श में से 65 प्रतिशत (अथवा कुल श्रमिक जनसंख्या में से 10 प्रतिशत) शराब, 18 प्रतिशत चरस, 8 प्रतिशत भांग, 7 प्रतिशत गांजा, और 2 प्रतिशत अफीम लेते हैं। एक श्रमिक एक महीने में (दो दशक पहले) लगभग 40 रूपये मादक द्रव्यों पर खर्च करता था।

4. ग्रामीण क्षेत्रों में अनुसंधान -

ग्रामवासियों में मादक द्रव्य दुरूपयोग सम्बन्धी पहला अनुसंधान 1971 में पश्चिमी बंगाल के एक गांव में एलनागर, मैत्रा और राव द्वारा किया गया था, और उसके उपरान्त दुबे द्वारा 1972 में और फिर उसी वर्ष वर्घीज़ और वेग द्वारा किया गया था। उन्होंने शराब व्यसन केवल 1 प्रतिशत और 2 प्रतिशत के बीच मामलों में पाया। बहरहाल, 1974 और 1979 के बीच किये गये अध्ययन गांवों में मादक

द्रव्यों के दुरूपयोग की अच्छी तस्वीर प्रस्तुत करते हैं। 1974 में पंजाब के गांवों में देब और जिन्दल द्वारा किये गये अध्ययन में 15 वर्ष से ऊपर के वयस्कों में से 74 प्रतिशत में शराब का सेवन पाया गया। 1978 में पंजाब के कुछ गांवों में गुरमीत सिंह के अध्ययन से ज्ञात हुआ की 29 प्रतिशत व्यक्ति (10 वर्ष से ऊपर आयु के) मादक द्रव्यों का सेवन कर रहे थे, 40 प्रतिशत तम्बाकू का, 26 प्रतिशत शराब का, 19 प्रतिशत अफीम का, और 20 प्रतिशत गांजा व भांग का। 1979 में 10 वर्ष की आयु के ऊपर लगभग 2,000 व्यक्तियों की जनसंख्या वाले आठ गांवों में सेठी और त्रिवेदी के अध्ययन में पाया गया कि द्रव्य सेवन की दर 25 प्रतिशत थी। उन्होंने 6 प्रतिशत व्यक्तियों में व्यसन, 82 प्रतिशत में शराब का सेवन, 16 प्रतिशत में गांजा, चरस का उपभोग, और 11 प्रतिशत में अफीम का सेवन पाया। 1977 में पंजाब में तीन सीमावर्ती जिलों- अमृतसर, फिरोजपुर और गुरूदासपुर- के छः ब्लाकों में मोहन, प्रभाकर और शर्मा ने 15 वर्ष से ऊपर आयु वाले 3,600 व्यक्तियों की कुल जनसंख्या वाले अथवा 1,276 घरों का अध्ययन किया था। इस अध्ययन के मुख्य निष्कर्ष थे :(1) अध्ययन किये गये घरों में से 18 प्रतिशत में मादक द्रव्यों का सेवन करने वाला एक भी व्यक्ति नहीं था, 60 प्रतिशत घरों में एक व्यक्ति था, 16 प्रतिशत में दो व्यक्ति थे, और 6 प्रतिशत में तीन या अधिक सेवनकर्ता थे, (2) पुरूषों द्वारा सेवन करने वाला मादक द्रव्य 50 प्रतिशत मामलों में शराब था, 19 प्रतिशत में तम्बाकू, 6 प्रतिशत में अफीम और 1 प्रतिशत में गांजा, भांग व चरस। महिलाओं में (15 वर्ष से ऊपर आयु और विवाहित) 4 प्रतिशत मामलों में तम्बाकू, 1 प्रतिशत में शराब, 1 प्रतिशत में पीड़ा-नाशक द्रव्य, 0.5 प्रतिशत में शान्ति प्रदान करने वाले द्रव्य और 0.5 प्रतिशत में अफीम का सेवन किया जाता था। इन तथ्यों के आधार पर यह कहा जा सकता है कि गांवों में मादक पदार्थों का सेवन मुख्यतः मर्दानी क्रिया है।

द्रव्य दुरूपयोग की अभिप्रेरणा -

मादक पदार्थों के दुरूपयोग के कारण क्या हैं? कारणों को चार श्रेणियों में वर्गीकृत किया जा सकता है : (1) मनोवैज्ञानिक कारण, जैसे तनाव को कम करना, अवसाद को शान्त करना, अन्तर्बाधाओं को हटाना, कौतूहल को पूरा करना, खिन्नता और ऊब को दूर करना, तथा अनुभूति को तीव्र करना । (2) सामाजिक कारण, जैसे सामाजिक अनुभवों को सुसाध्य बनाना, मित्रों द्वारा स्वीकार किया जाना, तथा सामाजिक मूल्यों को चुनौती देना । (3) शारीरिक कारण, जैसे, जागते रहना, कामुक अनुभवों को उभारना, पीड़ा निवारण, और नींद पा लेना । (4) विविध कारण, जैसे, अध्ययन को उत्कृष्ट बनाना, धार्मिक अन्तर्दृष्टि तेज करना, आत्म-ज्ञान बढ़ाना, तथा व्यक्तिगत समस्याएं हल करना आदि।

5. राम अहूँजा (2000) -

मेरे अपने अध्ययन (4,081 कालेज/विश्वविद्यालय विद्यार्थी) से ज्ञात हुआ कि जो 1,469 विद्यार्थी द्रव्यों का सेवन कर रहे थे, उनमें से 85.5 प्रतिशत मनोवैज्ञानिक कारणों की वजय से, 15.2 प्रतिशत शारीरिक कारणों की वजय से, 10.9 प्रतिशत सामाजिक कारणों की वजह से और 28.4 प्रतिशत विविध कारणों की वजय से सेवन कर रहे थे।

विस्तृत विश्लेषण ने यह स्पष्ट किया कि : (1) द्रव्य सेवन करने वाले विद्यार्थियों में सर्वाधिक संख्या उनकी है जो आमोद-प्रमोद के प्रति समर्पित हैं तथा सनसनीखेज और तीव्र अनुभव की खोज में रहते हैं, (2) कुछ विद्यार्थी छुटकारा पाने के कारण व व्यथा कम करने के कारण द्रव्य लेते हैं, और (3) बहुत थोड़े से विद्यार्थी वे हैं जिन्होंने पीड़ा से छुटकारा पाने के लिए चिकित्सीय उपचार में द्रव्य लेने आरम्भ किये थे, और अब उपचार समाप्ति बाद भी लेते रहते हैं।

इन निष्कार्षों के आधार पर हम मनोरोग-चिकित्सकों के इस विचार पर आपत्ति जता सकते हैं कि मादक द्रव्यों के सेवनकर्ता एक ऐसा व्यक्तित्व करते हैं जिस में प्रबल निर्भरिता की आवश्यकताएं एवं अक्षमता व अपर्याप्तता की अधिघोषित अनुभूतियां पायी जाती हैं। यहं पर यह स्पष्ट करना तथ्य से दूर नहीं होगा कि *आलफ्रेड लिन्डस्मिथ (1940: 120)* ने भी *'मनोरोगमय व्यक्तित्व'* अथवा *'मनोविकृतिमय प्रवृत्ति'* के सिद्धांत की आलोचना की है।

मेरा विचार है कि द्रव्य दुरूपयोग एक सीखा हुआ व्यवहार है जो व्यक्तियों द्वारा तथा मित्रों, जान-पहचान के लोगों, परिवार के सदस्यों और अन्य लोगों से अन्तःक्रिया द्वारा तीन तरीकों से सीखा जाता है: समझाने-बुझाने द्वारा, अचेतन अनुकरण द्वारा, और ध्यान प्रवण चिन्तन द्वारा। द्रव्य प्राप्त करने के साधनों के विश्लेषण से ज्ञात हुआ कि : (1) मादक द्रव्य अधिकांशतः गैर-मेडिकल साधनों से (मित्र, परिचित व्यक्ति, परिवार के सदस्य, घर की आलमारी) प्राप्त किये जाते हैं, (2) मेडिकल साधनों से द्रव्य लड़कों की अपेक्षा लड़कियों द्वारा अधिक प्राप्त किये जाते हैं, और (3) गैर-मेडिकल साधन में 'मित्र' सब से अधिक उल्लेखित व्यक्ति पाया जाता है।

द्रव्य दुरूपयोग के कारणों के विश्लेषण की तरह 'दव्य-त्याग' के कारणों का विश्लेषण करना भी आवश्यक है, यानि कि, सेवन न करने वाले व्यक्ति मादक द्रव्य क्यों नहीं लेते? जो पहले द्रव्य लेते थे और अब नहीं लेते, उन्होंने मादक-द्रव्य लेना क्यों छोड़ दिया? विद्यार्थियों के मेरे स्वयं के अध्ययन से द्रव्य-त्याग और द्रव्य लेना बन्द करने के निम्न कारण प्राप्त हुए: व्यक्तिगत (49.3 प्रतिशत), शारीरिक (23.8 प्रतिशत), सामाजिक (22.4 प्रतिशत), धार्मिक (22.3 प्रतिशत), और आर्थिक (4.1 प्रतिशत)। व्यक्तिगत कारणों में निम्न कारण सम्मिलित थे: रुचि/जिज्ञासा का अभाव, द्रव्य के लिए व्यक्तिगत

अरुचि या घृणा, और द्रव्यों की असुलभता व अनुपलब्धता; शारीरिक कारणों में निम्न कारण सम्मिलित थे: शारीरिक/मानसिक खतरों का जोखिम अथवा बिगड़ता हुआ स्वास्थ्य, द्रव्य पर निर्भरता का क्षतिभय, और 'आमोद यात्रा' पर रहने का खराब अनुभव; सामाजिक कारण थे: मित्रों का दबाव, माता-पिता का प्रभाव, सामाजिक तिरस्कार का खतरा; धार्मिक कारण था: नैतिक सिद्धांत और आर्थिक कारण था व्यक्ति के पास द्रव्य खरीदने के लिए पैसे नहीं थे या उसके लिए द्रव्य बहुत महंगे थे।

मद्यपान का उपचार

तीव्र और दीर्घकालीन मद्यपान का उपचार आवश्यक है। मद्यपान एक जटिल विचार है जिसका उपचार अनेक पद्धतियों से मिले-जुले ढंग से किया जाना चाहिए। मद्यपान के उपचार के कुछ प्रमुख उपाय निम्न प्रकार से हैं -

(1) औषधियों से सम्बन्धित उपाय - विभिन्न औषधियों के प्रयोग के द्वारा एल्कोहॉल के प्रभाव को कम किया जाता है। इन औषधियों के द्वारा एल्कोहॉल से सम्बन्धित हानिकारक तत्वों को मद्यपान करने वाले व्यक्ति के शरीर से निकाला या कम किया जाता है। यह कार्य अस्पताल या क्लीनिक में औषधि की सहायता से किया है अर्थात् इस औषधि के प्रतिगमनात्मक लक्षणों को दूर किया जाता है अर्थात् इस औषधि के द्वारा संज्ञाहीनता, उल्टी और शरीर की ऍंठन को कम किया जाता है। इस प्रकार की दवाई के प्रयोग के बाद उपचार में सामाजिक मनोवैज्ञानिक उपाय अपनाये जाते हैं।

इन रोगियों के उपचार के लिए हल्की प्रशान्तक दवाइयों का उपयोग भी किया जाता है। इनके प्रयोग से तीव्र एल्कोहॉल प्रतिक्रिया के रोगी को नींद आ जाती है।

(2) निवारण चिकित्सा - यह पद्धति निवारण अनुबन्धन पर आधारित है। प्राचीन रोम के लोग मदिरा के गिलास में जीवित सर्पमीन डालकर रोगी को गिलास की मदिरा पीने के लिए बाध्य करते थे जिससे मद्यपान करने वाले व्यक्ति का जी मिचलाने लगता था तथा जी खराब हो जाता था। इससे मद्यपान करने वाला कुछ समय के लिए मदिरा का त्याग कर देता था। आधुनिक युग में कुछ वमनकारी औषधियाँ के द्वारा उपर्युक्त स्थिति पैदा की जाती है। इनके उपयोग से रोगी को उल्टी-सी लगती है और जी खराब हो जाता है। मद्यपान करने वाले व्यक्ति का जी खराब करने के लिए Emetine Hydrochloric का एक इन्जेक्शन लगा दिया जाता है। इसी प्रकार से Disulpherim (Antabuse) औषधि को यदि रोगी को पिला दिया जाय तो इस औषधि के पीने के बाद पीने वाले को पीते समय बेचैनी और परेशानी लगती है। फलस्वरूप वह नहीं पीता है।

(3) मस्तिष्क सर्जरी - जर्मनी में एक अध्ययन (R.Fritz, et, al; 1974)के अनुसार जिस प्रकार खाने और सैक्स की पूर्ति की इच्छा होती है, ठीक उसी प्रकार मद्यपान की इच्छा होती है। इन इच्छाओं को नियंत्रित करने के लिए मस्तिष्क के कुछ विशिष्ट केन्द्रों का ऑपरेशन किया जाता है। इसके लिए मस्तिष्क के इन विशिष्ट केन्द्रों का लगभग 50 क्यूबिक किलोमीटर के क्षेत्र को उदासीन कर दिया जाता है फिर रोगी को पीने की इच्छा नहीं उत्पन्न होती है।

(आ) उपचार के मनोवैज्ञानिक उपाय

1. सामूहिक चिकित्सा - सामूहिक चिकित्सा में मनोचिकित्सक पहले इस बात पर जोर देता है कि रोगी अनुभव करे कि वह एक समस्यात्मक पीने वाला है लेकिन उसकी सहायता और ठीक होने के उपाय है। बहुधा समूह चिकित्सा में दूसरों के अनुकरण के द्वारा रोगी के पीने की आदत को कम या समाप्त किया जाता है।

2. सामाजिक चिकित्सा - इस चिकित्सा पद्धति में रोगी को तथा उसके परिवारीजनों को विभिन्न प्रकार के सुझाव दिये जाते हैं कि रोगी स्वास्थ्य लाभ कर समायोजन स्थापित कर ले।

3. मद्यत्यागियों द्वारा सहायता - यह एक संस्था या संगठन है जिसे अमेरिका में 1935 में Dr. Bob और W.Bill ने ओहायो में प्रारम्भ किया। स्वयं बिल महोदय ने आध्यात्मिक परिवर्तन द्वारा मद्यपान का त्याग किया। आपने फिर डॉ. बाब की सहायता की। तत्पश्चात् आप दोनों व्यक्तियों ने उपयुक्त संगठन की नींव डाली। आज अमेरिका में इस प्रकार की अनेक संस्थाएँ हैं।

इस संगठन का कार्य लगभग Group Therapy की तरह से ही है। मद्यपान करने वाले व्यक्ति को पहले उन व्यक्तियों की जानकारी और पूरा परिचय दिया जाता है जो पहले ठीक हो चुके हैं। फिर रोगी में अलौकिक शक्ति या धर्म के प्रति आस्था उत्पन्न की जाती है। इसमें रोगी को यह विश्वास दिलाया जाता है कि वह एक महत्वपूर्ण सदस्य है। इन सब प्रयासों का उद्देश्य यही होता है कि रोगी को नया जीवन, नये उद्देश्य और नये भाई-चारे के सम्बन्ध स्थापित हों।

आधुनिक चिकित्सा पद्धतियों द्वारा 70 प्रतिशत से 90 प्रतिशत रोगी ठीक हो जाते हैं। मद्यत्यागी व्यक्ति अपनी समस्या के प्रति अन्तर्दृष्टि उत्पन्न करने में मदद करते हैं, तथा मद्यपान न करने की आदत को बढ़ावा देने में सहायता करते हैं।

<u>भारत में व्यसनियों का उपचार :</u>

व्यसनियों के उपचार के लिए भारत सरकार के कल्याण मन्त्रालय ने तीन प्रकार के केन्द्र स्थापित किये हैं : (1) परामर्श केन्द्र (2)विव्यसन केन्द्र, और (3) उत्तर-सेवा केन्द्र। मार्च, 1998 में भारत में 172 परामर्श केन्द्र, 111 विव्यसन केन्द्र और 33 अभिज्ञा केन्द्र थे। यह सब केन्द्र कल्याण मन्त्रालय ने 1986 में गैर-सरकारी संस्थाओं को सौंप दिये थे। स्वास्थ्य मंत्रालय की इन केन्द्रों की

कार्यप्रणाली में बहुत सीमित भूमिका है। भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ने मादक पदार्थों के दुरूपयोग के परिवीक्षिक व्यवस्था के अन्तर्गत चार केन्द्र (दिल्ली, मुम्बई, कलकत्ता और चेन्नई) स्थापित किये हैं । गैर-सरकारी संगठनों द्वारा चलाये जा रहे केन्द्रों में केवल उन्हीं व्यसनियों को लिया जाता है जो अन्य किसी रोग, जैसे टी.बी. अस्थमा, एच.आई.वी. ब्रानकाइटिस, जिगर की बीमारी, आदि से पीड़ित नहीं होते। अधिकांश व्यसनी क्योंकि अन्य किसी न किसी बीमारी के भी रोगी होते हैं अतः गैर-सरकारी संगठनों द्वारा चलाये जा रहे केन्द्रों की आलोचना की जाती है। प्रमुख आलोचनाएँ इस प्रकार हैं : (1) गैर-सरकारी संगठनों के केन्द्रों में भर्ती न किये जाने के कारण अधिकांश व्यसनियों को शहर के अस्पतालों की शरण लेनी पड़ती है। (2) संगठनों द्वारा चलाये जा रहे विव्यसन केन्द्र क्योंकि सरकार द्वारा निधिक होते हैं अतः इन्हें कोई फीस नहीं लेनी चाहिए, परन्तु वास्तव में वे फीस लेते हैं। (3) केन्द्रों में स्टाफ अपर्याप्त होता है, सुविधाएँ सीमित अथवा केवल 15 बिस्तरों की होती है तथा कर्मचारियों की अभिवृत्ति भी सहानुभूति पूर्ण न हो कर उदासीन होती है। स्टाफ सहवासियों को अविश्वसनीय और तथ्य छिपाने वाला मानता है और सहवासी स्टाफ को ओछा व उदण्ड मानते हैं। स्टाफ मन-परिवर्तन की भूमिका को नहीं समझता। केन्द्र की कार्यप्रणाली में रोगी की कोई भूमिका नहीं होती। उसे तो केवल आदेश दिये जाते हैं। रोगियों को संगठन की नीतियों को चुनौती देने के लिए कभी प्रोत्साहित नहीं किया जाता। (4) रोगियों को 'बाहर की दुनिया' से बिल्कुल पृथक रखा जाता है। मिलने वाले केवल कड़े नियमों के अन्तर्गत रोगियों को मिल सकते हैं। अतः व्यवसनों को जो भी समर्थन उसके व्यक्तिगत संबंधों में बाहर से मिल सकता था वह समाप्त हो जाता है। केन्द्र के अन्दर सीमान्तवादी समुदाय में बनावटी प्रक्रिया के सेट में उनको अपमान, तिरस्कार, दमन व हीनता सहन करने पड़ते है। (5) केन्द्रों में द्रव्य

सेवकों को खाली समय व्यतीत करने की समस्या रहती है। उनके विनिवर्तन लक्षण तीन चार दिन में समाप्त हो जाते हैं। उन्हें जल्दी केन्द्र से छूटी भी नहीं मिलती। अतः या वे टी.वी. देखते हैं या कोई छोटे मोटे खेल खेलते हैं। जो पढ़ सकते हैं उनके लिए अधिक ऊब नहीं होती। हर कार्य के लिए निश्चित समय होता है। इस प्रकार समय प्रबन्धन की समस्या रोगियों के लिए गम्भीर होती है। इन सब आलोचनाओं के आधार पर अब इस बात पर बल दिया जा रहा है कि केन्द्रों में उपचार व्यवस्था में परिवर्तन करना आवश्यक है। अक्टूबर 1995 से सरकार की उत्तर सेवा केन्द्रों के योजना समाप्त कर दी गई है।

(ब) मादक द्रव्यों के दुरूपयोग के रोकथाम के सामाजिक उपाय :

मादक द्रव्यों के दुरूपयोग की रोकथाम के लिए विभिन्न उपायों को चार श्रेणियों में विभाजित किया जा सकता है: (1) शैक्षणिक उपाय (2) प्रवर्त्तक (मनाने वाले) उपाय (3) सुविधाजनक उपाय, और (4) दण्डात्मक उपाय। इनमें से जो उपाय अधिक अपनाये जाते हैं वे हैं शैक्षणिक और दण्डात्मक उपाय। शैक्षणिक उपाय में ज्ञान व तथ्यों की जानकारी के द्वारा शरीर और मन पर पड़ने वाले प्रभाव का भय उत्पन्न किया जाता है। दण्डात्मक उपाय में मादक द्रव्य उपयोग करने वालों का अलगाव, सीमांतीकरण व विसंबंधन किया जाता है।

इन उपायों में कुछ कमियाँ हैं (देखें, *माली चार्लस, ड्रग क्लचर इन इंडिया, 1999: 266-67)* (1) ज्ञान प्रदान करने में यह मान्यता है कि द्रव्य सेवन करने वाले सेवन के परिणामों से अनजान होते हैं: यह सही नहीं है। फिसलना, दोहराना और पुनरायन में अन्तर है तथा तीनों स्तर पर रोकथाम की आवश्यकता है। (2) रोकथाम के उपायों में जो संकेत/निशान/प्रतीक प्रयोग किये जाते हैं वे भारतीय संस्कृति के संदर्भ में कम और पश्चिमी समाज में अधिक संबंधित होते हैं। (3) भारत में उच्च निरक्षरता होने के कारण लिखित जानकारी का अधिक उपयोग

नहीं हो पाता। (4) जानकारी देने में क्षेत्रीय विभिन्नताओं/विविधताओं को महत्व नहीं दिया जाता। (5) द्रव्य-सेवन बिन्दु नैतिक वाद-विषय माना जाता है जबकि वह वास्तव में सामाजिक विषय है । (6) जानकारी देने में द्रव्य सेवकों की सामाजिक-आर्थिक प्रस्थिति, शैक्षणिक स्तर, लिंग, धार्मिक विश्वास, उन-संस्कृति और व्यक्तिगत और पारिवारिक समस्याओं को महत्व नहीं दिया जाता। (7) मित्र-समूह दबाव के सकारात्मक भूमिका की अवहेलना की जाती है।

उपर्युक्त सीमाओं के संदर्भ में निम्न सुझाव मादक द्रव्यों के दुरूपयोग को रोकने में सहायक होंगे : (1) द्रव्य दुरूपयोग को सामाजिक समस्या के साथ चिकित्सकीय समस्या के रूप में प्रस्तुत करना चाहिए । (2) गैर-सरकारी संगठनों के साथ सरकार और परिवारों को भी रोकथाम प्रोग्राम में रूचि लेनी चाहिए। (3) हास्टल और किराये के मकानों में जहां युवक रहते हैं अथवा गन्दी बस्तियों में अधिक ध्यान देना चाहिए । (4) स्वास्थ्य रक्षा प्रोग्राम का अधिक उपयोग करना चाहिए।

<u>(स) मादक द्रव्यों के रोकथाम के सरकारी उपाय :</u>

पिछले दो-तीन दशकों में भारत मादक द्रव्यों की तस्करी में वृद्धि की समस्या का सामना कर रहा है, विशेष कर हिरोइन और हशीश की मध्य-पूर्वी क्षेत्र से पश्चिमी देशों में परागमन तस्करी की समस्या। इस परिगमन परिचलन के कारण मुम्बई, दिल्ली, कलकत्ता और चेन्नई जैसे महानगर ड्रग्स की तस्करी के लिए बहुत भेद्य बन गये हैं।

सीमाशुल्क विभाग द्वारा चार वर्षो (1994 से1998) में पकड़े गये मादक द्रव्यों का मूल्य एक वर्ष में औसत 45 और 86 करोड़ के बीच था। यह कहा जा सकता है कि प्रति वर्ष लगभग 55 करोड़ रूपये मूल्य के द्रव्य पकड़े जाते हैं। *(क्राइम इन इंडिया, 1998:220)*। 1997 में इन मादक द्रव्यों की तस्करी के लिए

13,281 व्यक्तियों को और 1998 में 952 व्यक्तियों को पकड़ा गया था, जिनमें से 80 प्रतिशत पर मुकदमा चलाया गया था और 20 प्रतिशत को दंडित किया गया था। भारत में हेरोइन स्थानीय स्रोतों से 75,000 रूपये एक किलोग्राम के भाव से खरीदी जाती है जबकि तस्कर इसे 4 लाख रूपये एक किलोग्राम (अथवा 10,000 डालर एक किलोग्राम) के भाव से बेचते हैं। भारत में एक वर्ष में सभी मादक पदार्थों का व्यापार लगभग 2,000 करोड़ रूपये था अनुमान लगाया गया है।

मादक पदार्थों की तस्करी का 'लाभ' अधिकांशतः इस प्रकार खर्च किया जाता हैः (1) राजनीतिज्ञों को वित्तीय सहायता करने तथा अधिकारीतन्त्र, न्यायपालिका, पुलिस, जेल, व समाचार-पत्रों के मताग्रहों को विकसित करने के लिए, (2) रूपये को उन कवच निगमों में लगाने के लिए जो वैध व्यवसायी संगठनों को खरीद कर लेते हैं; (3) आतंकवाद फैलाने हेतु हथियार खरीदने के लिए; (4) आतंकवादी क्रिया के लिए गुप्तचर एजेंसियों द्वारा द्रव्य-तस्करों की सहायता लेना। वास्तविकता यह है कि यह सभी 'लाभ' प्रजातन्त्रीय प्रक्रिया के विनाश के लिए ही प्रयोग किये जाते हैं।

सरकार ने मादक द्रव्यों की तस्करी की रोकथाम के लिए जो विभिन्न उपाय अपनाये हैं उनमें से एक था 1985 में नया कानून बनाना जिसका नाम था *"द नारकोटिक ड्रग्स व साइकोट्रापिक सब्सटंसिज एक्ट"*। यह *कानून नवम्बर 14, 1985* से लागू किया गया था। इस कानून के उल्लंघन के लिए दण्ड के रूप में दस वर्ष कठोर कारावास, जो 20 वर्ष तक भी बढ़ाया जा सकता है, और एक लाख रूपये जुर्माना, जो दो लाख तक भी बढ़ाया जा सकता है, निर्धारित किया गया है। पुनः अपराध के लिए यह कानून 15 वर्ष का कठोर कारावास, जिसे 30 साल तक भी बढ़ाया जा सकता है, और 1.5 लाख रूपये जुर्माना, जिसे तीन लाख

तक बढ़ाया जा सकता है, प्रस्तावित करता है। न्यायालयों को यह अधिकार भी दिया गया है कि यदि वे चाहें तो कारण स्पष्ट करते हुए निर्धारित सीमा से अधिक जुर्माना भी लागू कर सकते हैं।

इस कानून में व्यसनियों से संबंधित भी कुछ प्रावधान हैं। किसी नारकोटिस ड्रग्स अथवा मनोचिकित्सीय पदार्थ को थोड़ी सी मात्रा में वैयक्तिक प्रयोग के लिए अवैध रूप में रखने के कारण एक साल का कारावास या जुर्माना या दोनों दिये जा सकते हैं। यह कानून अदालत को व्यसनी को छोड़ने का अधिकार भी देता है जिससे वह अस्पताल या सरकार द्वारा माननीय संस्था में निर्वषीकरण या व्यसनरहितता के लिए चिकित्सीय उपचार ले सके। इसके लिए यह कानून सरकार से यह आशा करता है कि व्यसनीयों की पहचान, उपचार, शिक्षा, उत्तर-रक्षा, पुनःस्थापन, व पुनःएकीकरण के लिए जितने केन्द्र स्थापित कर सकती है, उतने करे। परन्तु भारत में व्यसनरहितता प्रोग्राम सफल नहीं हो पाया है। पिछले दस वर्षो से प्रोग्राम में प्रगति सम्बन्धी रिकार्ड यह बताते है कि पंजीकृत व्यसनीयों में से 65 प्रतिशत से 75 प्रतिशत का उपचार नहीं किया जा सका यद्यपि 1993 के आरम्भ तक देश में कुल 254 केन्द्र व्यसनीयों के परामर्श, व्यसनरहितता, उत्तर-रक्षा, व पुनःस्थापन के लिए थे *(हिन्दुस्तान टाइम्स, मई 25, 1993)*। भारत सरकार के कल्याण मंत्रालय ने मादक द्रव्य दुरूपयोग की रोकथाम के लिए चेतना उत्पन्न करने हेतु स्वैच्छिक कार्यवाई संचालित करने के लिए एक नीति विकसित की है। बहुत से स्वैच्छिक संगठनों को लोगों को मादक द्रव्यों के व्यसन के घातक प्रभाव बताने के लिए वित्तीय समर्थन दिया जा रहा है। परामर्श और व्यसनरहित सुविधाएँ जुटाने के लिए भी फण्ड दिये जाते हैं। सामाजिक रक्षा राष्ट्रीय संस्थान भी सरकारी और गैर-सरकारी एजेंसियों के कार्यकर्ता को मादक द्रव्य दुरूपयोग की रोकथाम के लिए प्रशिक्षण देता है।

कुछ राज्य सरकारों ने विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों के लिए विशेष कर छात्रावासियों के लिए शराब और मादक द्रव्य दुरूपयोग के विरूद्ध एक विशेष सतर्कता पैदा करने हेतु प्रोग्राम बनाये हैं। स्वैच्छिक क्षेत्र में भी विभिन्न शहरों में परामर्श और मार्गदर्शन केन्द्र स्थापित किये गये हैं। ये केन्द्र उपचार के स्रोतों के बारे में सूचना देने, पुनःस्थापन में लगी एजेंसियों के साथ समन्वय स्थापित करने, तथ्य एकत्रित करने, ज्ञान फैलाने, प्रवर्तन एजेंसियों के साथ सम्पर्क रखने, तथा व्यक्तिगत व सामूहिक चिकित्सा के लिए आवश्यक मनोवैज्ञानिक सहायता देने का कार्य करते हैं।

(द) मादक द्रव्य दुरूपयोग नियंत्रण पर अन्य उपाय :

मादक द्रव्यों के दुरूपयोग पर निम्न उपाय अपना कर नियंत्रण किया जा सकता है :

1. मादक द्रव्यों के बारे में शिक्षा देना : रोकथाम सम्बन्धी शैक्षणिक उपायों के लिए लक्ष्य जनसंख्या कालेज/विश्वविद्यालय के युवा छात्र, विशेषकर छात्रावासों में तथा माता-पिता के नियंत्रण से दूर रहने वाले छात्र, कच्ची बस्तियों में रहने वाले लोग, औद्योगिक श्रमिक, ट्रक-चालक व रिक्शा-चालक होने चाहिए। शिक्षा देने की विधि ऐसी होनी चाहिए कि लोग अपने को सक्रिय रूप से उनमें जोड़ें और मूल्यवान सूचना का मुक्त आदान-प्रदान हो सके। वह शिक्षा अधिक प्रभावशाली होगी जो व्यक्तियों को कृत्रिम सुखभ्रान्ति के बारे में अयथार्थ और भ्रामक सूचना त्यागने में सहायक होगी तथा भावदशा-परिवर्तित द्रव्यों के शारीरिक व मनोवैज्ञानिक प्रभावों, उनके औषधीय लक्षणों औ चिकित्सीय लाभों के बारे में अधिकृत तथ्य प्राप्त करने में मदद करेगी। माता-पिता यह शिक्षा देने में मुख्य भूमिका निभा सकते हैं।

2. चिकित्सकों की अभिवृत्तियों को बदलना : डाक्टरों द्वारा बहुत से द्रव्यों के औषध-निर्देश देने संबंधी अभिवृत्तियों में परिवर्तन मादक द्रव्यों के दुरूपयोग नियंत्रण में बहुत सहायता कर सकता है। डाक्टरों को द्रव्यों के अतिरिक्त प्रभावों की अवहेलना न करने में विशेष सतर्कता अपनानी होगी। यद्यपि द्रव्य उपचार में सहायता करते हैं, किन्तु उन पर अधिक निर्भरता के खतरे बहुत गम्भीर हैं। एक बार जब रोगी को डाक्टर से पीड़ा व रोग की चिकित्सा के लिए औषध-पत्र मिल जाता है, तो वह डाक्टर से परामर्श करना बन्द कर देता है और जब भी वह पीड़ा/रोग को पुनः अनुभव करता है, तब वह पहले वाले निर्धारित द्रव्यों को अंधाधुंध व असीमता से लेता रहता है। इस प्रकार लोग चिकित्सक के स्थान पर औषध-प्रयोग पर अधिक निर्भर करने लगते हैं जो अन्ततः भयंकर होता है।

3. अनुपरीक्षण अध्ययन करना : निर्विषीकरण प्रोग्राम के अन्तर्गत उपचार किये गये व्यसनीयों का अनुपरीक्षण अध्ययन अति आवश्यक है।

4. षड़यन्त्रियों को प्रतिरोधक दण्ड देना : पुलिसकर्मी और अन्य कानून लागू करने वाले व्यक्ति जो मादक द्रव्य बेचने वालों के साथ षड़यन्त्र में पाये जाते हैं, उन्हें प्रतिरोधक दण्ड देना बहुत जरूरी है।

5. माता-पिता की महत्वपूर्ण भूमिका : बच्चों के मादक द्रव्यों के प्रयोग पर नियंत्रण में माता-पिता की भूमिका महत्व की है। द्रव्य-व्यसन में क्योंकि माता-पिता की उपेक्षा, अधिक विरोध व वैवाहिक असामंजस्य प्रमुख कारण हैं, अतः माता-पिता को पारिवारिक पर्यावरण को अधिक प्रेरक व सामंजस्यपूर्ण रखने में अधिक सावधानी अपनानी चाहिए। व्यसन क्योंकि एक रात में ही पैदा नहीं होता और इसके उद्विकास की प्रक्रिया में अध्ययन व अभिरूचियों आदि क्रियाओं में रूचि की कमी, जिम्मेदार व्यवहार का बढ़ना, चिड़चिडापन, आवेगी

व्यवहार, व्यग्रता व घबड़ाहट की मुखाकृति, आदि जैसी क्रियाएं दिखाई देने लगती हैं, अतः माता-पिता सतर्क रह कर इन चिन्हों का पता कर करते हैं और बच्चों को द्रव्य दुरूपयोग से अलग करवा सकते हैं।

ड्रग-सेवन विरोधी अभियान, मादक वस्तुओं को *"आपरेशन ब्लैक गोल्ड"* जैसे अभियानों से पुलिस द्वारा जब्त करना, ड्रग्स् पर्यर्पण करने वालों को गिरफ्तार करना, आदि जैसे उपाय उन युवकों में नशे का प्रचलन कम करेंगे जो हेरोइन, स्मैक, ब्राउन शुगर, अफीम, गांजा आदि के आदी हो कर अपना जीवन बरबाद कर रहे हैं। ड्रग्स की समस्या के समाधान के लिए ये उपाय निरर्थक नहीं होंगे।

<u>मद्यसारिकों का उपचार :</u>

मद्यपान मादक पदार्थों की लत से अधिक उपचार योग्य है। कई सफल उपचार कार्यक्रम किये जा चुके हैं। उपयोग और दुरूपयोग के मध्य क्योंकि एक सततता बनी रहती है इसलिये मदिरापान की विभिन्न श्रेणियों के लिये भिन्न-भिन्न प्रकार की योजनाएँ होती हैं। मुख्यतः मनिश्चिकित्सा, पर्यावरण चिकित्सा, व्यवहार चिकित्सा, और डाक्टरी चिकित्सा इसके लिये सुझाई जाती हैं और विभिन्न प्रकार के पियक्कड़ों के लिये उपयोग में लाई जाती हैं। डाक्टरी चिकित्सा में अस्पताल और क्लिनिक मदिरा के आदी मरीजों को *'एन्टाब्यूज'* नामक दबाई देते है (जिसे तकनीकी रूप से *टैट्रा इथाइलश्यू रेम्डिसुल फाइड* कहते हैं) *(वाल्श और फर्फी, 1958 :551)*। यह दवाई कीमती नहीं है और मुंह से ली जाती है। यह कोई असर नहीं करती जब तक कि मरीज शराब नहीं पीता; शराब पीने की स्थिति में उसके तीव्र और अप्रियकर लक्षण होते हैं, परन्तु खतरनाक नहीं होते। इस प्रकार एन्टाब्यूज पीने वाले को आवर्तन के विरूद्ध रोकती है।

मनश्चिकित्सा में पुनर्सामाजीकरण को परामर्श एवं सामूहिक चिकित्सा के द्वारा प्रबलित किया जाता है। पर्यावरण चिकित्सा में, पीने वाले को पर्यावरण बदलने के लिये बाध्य किया जाता है जिससे कि उसके व्यवहार पर सरलतापूर्वक नियंत्रण रखा जा सके। व्यवहार चिकित्सा में उसके भय और अवरोध को हटाया जाता है, जिससे वह आत्मविश्वास और आत्मनिर्भरता को विकसित कर सके। इस प्रकार निम्नांकित उपचार के उपयों का पीने वालों और मद्यसारिकों के उपचार के लिये प्रमुख रूप से उपयोग किया जाता है :

(1) अस्पतालों में निर्विषीकरण : मदिरा के व्यसनियों के लिये पहली कदम निर्विषीकरण करना है। मद्यसारिकों को डाक्टरी देखभाल और निरीक्षण की आवश्यकता होती है। उनके प्रत्याहार लक्षणों, जैसे ऐंठन और मतिभ्रम के उपचार के लिये प्रशान्तकों का उपयोग किया जाता है। उनके शारीरिक पुनर्निवास के लिये अधिक प्रभाव वाले विटामिनों और द्रव्य इलेक्ट्रोलाइट पासंग का भी उपयोग किया जाता है।

(2) परिवार की भूमिका : मद्यसारिक के परिवार को उसके उपचार और पुनर्वास में सम्मिलित करने से सफलता की संभावनाएं 75 प्रतिशत से 80 प्रतिशत तक बढ़ जाती हैं। पारिवारिक सदस्य उपदेश नहीं देते, ना ही वे मद्यसारिक पर दोषारोपण या उसकी निन्दा करते हैं। वे समस्याओं को कम करते हैं, सद्भावनापूर्ण और निःस्वार्थ सहायता और मार्ग दर्शन प्रदान करते हैं और मद्यसारिक को कभी नहीं छोड़ते हैं।

(3) अनामी मद्यसारिक : सबसे अधिक प्रभावी सामाजिक चिकित्साओं में जो सामूहिक अन्तःक्रिया का उपयोग करती हैं, अनामी मद्यसारिक संगठन है। यह पूर्व मद्यसारिकों का एक संगठन है जो चालीस के दशक के प्रारम्भ में शुरू हुआ और आज उसके लाखों सदस्य हैं। भारत में उसकी शाखाएं केवल हाल ही में कुछ

महानगरों में खुली हैं। अनामी मद्यसारिक के सदस्य अन्य मद्यसारिकों को अपने अनुभवों में भागी बनाते हैं और उनकी सामान्य समस्याओं के समाधान और मदिरापान से मुक्त होने के प्रयास में उनको शक्ति और आशा प्रदान करते हैं। वह व्यक्ति, जो पीने की आदत को वश में करने में ऊपरी तौर पर अपने को असमर्थ पाकर निरुत्साहित महसूस करता है, दूसरों से, जिन्होंने इसी प्रकार की बाधाओं को पार किया है, उदाहरण और प्रोत्साहन से साहस बटोरता है। सदस्यता के लिये केवल एक शर्त पीने को समाप्त करने की इच्छा है। अनाम मद्यसारिक प्रमुख रूप से देहली, मुम्बई और कलकत्ता जैसे महानगरों में पाये जाते हैं। सभाएं केवल इस रूप में चिकित्सा का कार्य करती हैं कि पियक्कड़ उन व्यक्तियों के सामने अपनी समस्याओं को व्यक्त कर सकते हैं जो उनके साथ काम करते हैं और जो उनकी कमजोरी से लड़ने में और आत्मसम्मान और घनिष्ठता की भावना को सशक्त करने में उनकी सहायता करते हैं।

(4) उपचार केन्द्र : ये केन्द्र कुछ नगरों में अस्पताल के उपचार के विकल्पों के रूप में विकसित किये गये हैं। प्रत्येक केन्द्र में लगभग 10-20 आवासी होते हैं। यहां न केवल अनुकूल पर्यावरण में परामर्श दिया जाता है, अपितु आवासियों को पीने के विरुद्ध नियमों का भी पालन करना पड़ता है।

(5) शिक्षा के माध्यम से मूल्यों में परिवर्तन करना : कुछ स्वयंसेवी संगठन मद्यसारिकों को अत्यधिक पीने के खतरों से सावधान करने के लिये कुछ शैक्षणिक एवं सूचना कार्यक्रमों का आयोजन करते हैं। सामाजिक कार्यकर्ता पियक्कड़ों को जीवन का सामना करने और पीने के बारे में सामाजिक मूल्यों और रुखों में परिवर्तन लाने में मदद करते हैं।

मद्यपान पर नियंत्रण -

नशाबन्दी कार्यक्रम को स्वतंत्रता के बाद भी गम्भीर रूप से नहीं लिया गया है। कुछ राज्यों में नशाबन्दी शुरू कर उसे फिर समाप्त कर दिया गया। आन्ध्र प्रदेश में 1992 में अड़क (कच्ची शराब) के विरुद्ध आन्दोलन नेलोर जिले में शुरू हो कर अन्य जिलों में भी फैल गया। जनवरी 1995 में पूरे राज्य में नशाबन्दी लागू की गयी। परन्तु इससे क्योंकि एक वर्ष में 1200 करोड़ रूपये की हानि हो रही थी, मार्च 1997 में नशाबन्दी समाप्त कर दी गयी। तमिलनाडू में अड़क के प्रयोग पर नवम्बर 1994 में बंदिश लगाई गयी थी। केरल में नशाबन्दी 1948 से 1967 तक रही। केरल में फिर अप्रैल 1996 में अड़क पर बंदिश लगाई गयी। हरियाणा में नशाबन्दी जुलाई 1996 में लगायी गयी थी परन्तु 22 महीने के बाद विधानसभा चुनाव में असफलता के कारण अप्रैल 1998 में इसे समाप्त कर दिया गया।

कुछ राज्यों ने कुछ दिनों को मद्यवर्जित दिन कर दिया था, परन्तु यह योजना भी सफल नहीं हो पाई क्योंकि पीने में इच्छुक खरीददार और इच्छुक विक्रेता दोनों सम्मिलित होते हैं, और मद्य-निषेध के शिकार को अपराधी की श्रेणी में धकेल दिया जाता है। अतः अवैध शराब का बनाना और पुलिस के दुर्व्यवहार बढ़ गये। इसलिये दमनात्मक उपाय, जिसमें पुलिस की प्रबल सरगरमी और कठोर न्यायिक उपायों का प्रयोग करना पड़ता था, को समाज की सुरक्षा के लिये हटाना पड़ा। मद्यनिषेध के मॉडल के समाप्त होने से सरकारी नियंत्रण शराब के व्यापार के नियंत्रण का मूलरूप से राज्य का उत्तरदायित्व बन कर रह गया है। राज्य सरकारें खुली लाइसेंस प्रणाली के व्यापार के अर्न्तगत मदिरा के पेय पदार्थो को निजी उद्यम को सौंप देती हैं और नाममात्र के सार्वजनिक लक्ष्य ये होते हैं कि उन व्यक्तियों को जिनका अपराधिक अथवा सन्दिग्ध वित्तीय इतिहास हो, इससे अलग रखा जाये और लाइसेंस वाली शराब की दुकानों के भौतिक स्थान पर नियंत्रण रखा जाये।

प्रत्येक राज्य सरकार जब ठेके को नीलाम करती है, करोड़ों रूपये प्रतिवर्ष कमाती है। उग्र सुधारवादी यह तर्क देते हैं कि जब तक हमारी सामाजिक संरचना और आर्थिक प्रणाली असमानता, बेरोजगारी, निर्धनता, अन्याय, और भूमिका-तनावों और अन्य तनावों को उत्पन्न करते रहेंगे, मदिरापान बना रहेगा। चूंकि हमारे समाज में चल रही सामाजिक पद्धतियां अधिक कुण्ठाएं एवं बंधन पैदा करती हैं, इस कारण पीने की दर भविष्य में और अधिक बढ़ेगी। लिहाजा, जिसकी आवश्कयता है वह है एक ऐसी नीति और कार्यक्रम जो अधिक नौकरियों को पैदा करे, निष्पक्ष प्रतियोगिता की अनुमति दे और नियुक्तियों और पदोन्नतियों में भ्रष्टाचार और भाई-भतीजावाद को कम करे। यदि व्यक्तियों के जीवन को सार्थक, लाभप्रद और संतोषजनक बनाया जाये, तो मदिरा की आवश्यकता नहीं रहेगी या बहुत कम हो जायेगी। दूसरे, हानि और दुख, जो मदिरा एक व्यक्ति के जीवन और समाज को पहुंचा सकती है, के बारे में शिक्षा मदिरा के उपयोग को नियंत्रित करने मेंसहायक होगी। माता-पिता मद्यसारिक बनने के खतरों के बारे में शिक्षा दे सकते हैं और विचलितों को दण्डित कर सकते हैं और आवश्यक भय पैदा कर सकते हैं। माता-पिता की शिक्षा ऐसे दृष्टिकोणों और व्यवहार को बनाने से संबंधित होनी चाहिये जो नहीं पीने में सहायक हो। अन्त में, स्कूल और कालेज भी युवा छात्रों को मदिरा और मद्यपान के मनोवैज्ञानिक एवं समाजशास्त्रीय परिणामों के बारे में शिक्षित कर सकते हैं।

इस प्रकार यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि मद्यपान की समस्या के लिये संयुक्त आक्रमण की आवश्यकता है, जिससे उपचार, सामाजिक उपाय, शिक्षा एवं अनुसंधान सम्मिलित हों।

नशा-निषेध

नशा-निषेध का तात्पर्य शराब तथा अन्य मादक द्रव्यों, जैसे अफीम, भांग, गांजा, चरस तथा नशीली औषधियों के उपभोग, बिक्री तथा निर्माण को औषधीय प्रयोजनों के अतिरिक्त, कानून द्वारा निषिद्ध करना है। जैसा कि आगे के विवेचन से स्पष्ट होगा, नशीली चीजों का अत्यधिक सेवन अनेक राष्ट्रीय, सामाजिक तथा आर्थिक दुष्परिणामों को जन्म देता है। इस कारण नशा-निषेध की सम्पूर्ण धारणा के अन्तर्गत स्वास्थ्य के लिए हानिकारक समस्त मादक वस्तुओं और औषधियों के उपभोग, बिक्री तथा निर्माण पर प्रतिबंध आता है। नशा-निषेध के कानूनों को तोड़ना दंडनीय अपराध घोषित कर दिया जाता है।

नशा-निषेध से लाभ -

नशाखोरी के दुष्परिणामों की विवेचना के पश्चात् नशा-निषेध के लाभ स्वतः ही स्पष्ट हो जाते हैं। दूसरे शब्दों में, नशा-निषेध से नशाखोरी के दुष्परिणामों का अन्त हो जाता है। भारत जैसे निर्धन देश के लिए विशेषकर भारत के उस श्रमिक वर्ग के लिए जिन्हें ऐसे ही आधा पेट खाकर और आधा तन ढंककर जीवन बिताना पड़ता है, नशा-निषेध एक महान् आर्थिक-सामाजिक सुधार है। संक्षेप में, इस सुधार से व्यक्ति, परिवार और समाज को निम्न लाभ हुए हैं -

1. नशा-निषेध से व्यभिचार, अपराध आदि घट जाएँगे - नशा-निषेध से कम से कम व्यभिचार, अपराध आदि के एक कारण पर कुठाराघात होता है। कुछ अपराधशास्त्रियों का मत है कि कभी-कभी नशे की हालत में लोग भयंकर अपराध कर बैठते हैं क्योंकि उस अवस्था में विवेक या बुद्धि काम नहीं करती और व्यक्ति के एक उत्तेजक मानसिक परिस्थिति में रहने के कारण एक तो उसे क्रोध अधिक आता है और दूसरे, उसकी सुझाव ग्रहण करने की क्षमता

भी घट जाती है। अतः नशा-निषेध से व्यक्ति और समाज की उन परिस्थितियों से रक्षा की जा सकेगी।

2. नशा-निषेध व्यक्तिगत जीवन को संगठित तथा सम्मानपूर्ण बनाता है - जो लोग शराब पीते हैं, नशा करते हैं, उनका कोई भी आदर-सत्कार नहीं करता, सभी उन्हें घृणा की दृष्टि से देखते हैं। यह समझा जाता है कि जो व्यक्ति नशेबाज है वह कभी अच्छा नहीं हो सकता। यद्यपि यह असत्य भी हो सकता है, फिर भी सामान्य रूप से नशेबाजों को सामाजिक सम्मान नहीं मिल पाता। नशा-निषेध उन्हें इस परिस्थिति से छुटकारा पाने का अवसर देता हैं जैसे ही नशा करना छोड़ देते हैं उनके विचार-व्यवहार धीरे-धीरे स्वाभाविक तथा आचारपूर्ण होने लगते हैं और वे समाज की एक उपयोगी इकाई बन जाते हैं। परिणामस्वरूप घर में और बाहर भी उनकी सामाजिक प्रतिष्ठा बढ़ती जाती है और उन्हें सबसे यथोचित आदर-सत्कार मिलता है। मानव-जीवन में इसका अत्यधिक महत्व है।

3. भावी पीढ़ी की रक्षा होती है- नशा-निषेध का एक महत्त्वपूर्ण और स्वस्थ प्रभाव बच्चों के जीवन पर पड़ता है। आज की सन्तान ही कल के समाज की नींव है। नशा-निषेध इसी नींव की रक्षा करता है। बड़ों की विशेषकर परिवार में माता-पिता, बड़े भाई आदि की नकल छोटे बच्चे बहुत ज्यादा करते हैं। पिता अगर शराबी हैं तो बच्चे के शराबी होने की सम्भावना अत्यधिक है। नशा-निषेध इस सम्भावना को बहुत कुछ पलट देता है। नशा-निषेध से नशाखोरी बन्द हो जाएगी और बच्चों के सम्मुख उनके बड़ों का एक ऐसा आदर्श उपस्थित हो सकेगा जिससे वे नशीली चीजों से सदा अपने को बचाने की प्रेरणा पा सकेंगे। साथ ही नशा छोड़ देने से धन की बचत होगी और उस

धन से बच्चों की शिक्षा की व्यवस्था हो सकेगी अर्थात् भावी पीढ़ी का निर्माण होगा।

4. जन-स्वास्थ्य और कार्य-कुशलता का स्तर ऊँचा उठेगा - नशाखोरी का जो अत्यधिक बुरा प्रभाव व्यक्ति के स्वास्थ्य पर पड़ता है उससे उनकी रक्षा करना नशा-निषेध का एक महत्त्वपूर्ण उद्देश्य है। जब स्वास्थ्य अच्छा रहेगा तो प्रत्येक कार्य को उत्साहपूर्वक करने की प्रेरणा स्वतः ही व्यक्ति को अपने आपसे मिलेगी। काम से जी न चुराने पर और मन लगाकर, मेहनत से काम करने पर कार्य-कुशलता बढ़ेगी। व्यक्ति और समाज दोनों की ही उन्नति के लिए यह परमावश्यक है।

5. पारिवारिक जीवन सुखी होगा - जो व्यक्ति नशा करना छोड़ देते हैं परिवार में उनकी प्रतिष्ठा बढ़ती है और उनका अनुकूलन परिवार के अन्य सदस्यों से सरल हो जाता है जिससे परिवार में पारस्परिक प्रेम, सद्भावना और सहयोगिता बढ़ती है। पारिवारिक जीवन को सुखी बनाने में इन सब तत्त्वों का अत्यधिक महत्त्व है। केवल इतना ही नहीं, अनेक अनुसंधानों ने यह भी सिद्ध किया है कि जो परिवार नशा करना छोड़ देते हैं वे अब तक नशे पर खर्च होने वाले सभी रूपये बचा लेते हैं। इन रूपयों को कपड़ा, भोजन तथा अन्य आवश्यक वस्तुओं को खरीदने में खर्च करने पर पारिबारिक जीवन के अनेक अभाव कम हो जाते हैं। आर्थिक अभाव और कठिनाइयों के बीच परिवार में जो लड़ाई-झगड़ा अब तक प्रत्येक दिन लगा रहता था वह भी बन्द हो जाता है और सुखी पारिवारिक जीवन के लिए आवश्यक शांति का वातावरण बनता है।

6. नशा-निषेध श्रमिक वर्ग के लिए वरदान है - नशा-निषेध का प्रभाव श्रमिक वर्ग पर क्या पड़ा है, इसकी जाँच करने के लिए अनेक सर्वेक्षण हुए हैं। सभी

का एक ही निष्कर्ष है कि सामान्य रूप से नशा-निषेध के कारण श्रमिकों की अवस्था में पर्याप्त सुधार हुआ है । मुम्बई सरकार ने इस विषय में नशा-निषेध जाँच कमेटी के सम्मुख अपने विचार प्रकट करते हुए लिखा है कि "शराब तथा अन्य नशीली चीजों के न मिल सकने के कारण श्रमिकों का जो रूपया बच जाता है उसका बड़ा अच्छा परिणाम निकल रहा है । उन बचे हुए रूपयों से अब श्रमिक अपना कर्ज चुकाता है, मकानों की मरम्मत करवाता है, मिट्‌टी के बर्तन के स्थान पर यह ताँबे और पीतल के बर्तन खरीदने के योग्य हो गया है । जो अब तक नशा करते थे, वे नशा छोडकर उत्तम भोजन पर खर्च कर रहे हैं, अच्छे कपड़े पहनने लगे हैं, परिवार की स्त्रियों के लिए जेवर बनवाने लगे हैं, बच्चों के लिए खिलौने लाते हैं, उनकी शिक्षा की व्यवस्था करते हैं । जो किसान अब तक खेतों से अपना नाता ही तोड़ बैठे थे वे अब खेती के लिए नए औजार, नए हल-बैल खरीद रहे हैं और खेती की उन्नति हो रही है ।"

नशा-निषेध से हानि -

कुछ विचारकों ने नशा-निषेध की हानियों की ओर भी हमारा ध्यान आकर्षित किया है । उनके अनुसार नशा-निषेध से प्रमुख रूप से चार प्रकार की हानियाँ होती हैं : (1) सरकार की आय का एक अच्छा साधन बन्द हो जाता है । (2) नशा-निषेध सम्बन्धी नियमों को लागू करने और उनका पालन करवाने के लिए बहुत सरकारी स्टाफ रखना पड़ता है । (3) गैर-कानूनी तौर पर शराब बनने लगती है और (4) स्प्रिट तथा अन्य वस्तुएँ भी शराब के नाम पर बाजार में बेंची जाती हैं या शराब के स्थान पर पी जाती हैं जो कि स्वास्थ्य के लिए और भी हानिकारक होती हैं ।

उपर्युक्त बातें कुछ अंश तक सत्य प्रतीत होती हैं, परन्तु स्वार्थी वर्ग इन पर आवश्यकता से अधिक बल देकर नशाखोरी के दुष्परिणामों पर पर्दा डालने का व्यर्थ ही प्रयत्न करते हैं।

<u>वर्तमान भारत में नशाबन्दी</u>

देश के स्वतंत्र होने पर कांग्रेस सरकार ने पूज्य बापू के आदेशों को पूर्ण रूप से साकार करने के लिए नए तौर पर नशाबन्दी आन्दोलन को सरकारी नीति का एक अंग बनाया और उसकी सर्वश्रेष्ठ अभिव्यक्ति भारत के नए संविधान में हुई। इस संविधान में *'राज्य की नीति के निर्देशक सिद्धांत'* के अन्तर्गत *अनुच्छेद 47* में कहा गया है-"राज्य अपने लोगों के पोषण-स्तर पर और जीवन-स्तर को ऊँचा उठाने तथा जन-स्वास्थ्य के सुधार को अपने प्राथमिक कर्त्तव्यों में मानेगा और विशेषकर स्वास्थ्य के लिए हानिकारक नशीले पेयों के उपयोग को, औषधियों के प्रयोजनों के अतिरिक्त, रोकने का प्रयास करेगा।"

उपरोक्त 'राज्य की नीति के निर्देशन सिद्धांत' के अन्तर्गत अनुच्छेद 47 को कार्यान्वित करने तथा उस आदर्श को ठोस रूप देने के उद्देश्य से योजना आयोग ने 1954 में एक 'नशाबन्दी जाँच कमेटी' नियुक्त की। इस कमेटी की प्रमुख सिफारिश यह थी कि नशाबन्दी कार्यक्रम को देश की विकास योजना का एक अभिन्न अंग मान लिया जाए। इस सिफारिश को 31 मार्च, 1956 में लोकसभा ने स्वीकार कर लिया और उसी आधार पर देश-भर में नशाबन्दी आन्दोलन चलाया गया।

देश-भर में चरणबद्ध पूर्ण नशाबन्दी का लक्ष्य प्राप्त करने के सिलसिले में भारत सरकार ने 2 अक्टूबर, 1975 से राष्ट्रव्यापी एक 12 सूत्रीय कार्यक्रम को लागू किया था जिसके अन्तर्गत सार्वजनिक स्थानों पर शराब पीने पर प्रतिबन्ध, शराब के विज्ञापनों पर रोक, श्रमिक बस्तियों में शराब की दुकानों को खोलने पर

प्रतिबंध, वेतन के दिन को नशा-निषेध का दिन (शुष्क दिवस) घोषित करना आदि सम्मिलित था।

नशाबन्दी के सम्बन्ध में राष्ट्रीय नीति स्थिर करने के लिए गठित केन्द्रीय नशाबन्दी समिति (1977) ने चार साल में चरणबद्ध ढंग से, मार्च 1982 के अन्त तक पूर्ण नशाबन्दी करने की सिफारिश की थी। केन्द्रीय सरकार ने नशाबन्दी की नीति को लागू करने के लिए मार्गदर्शक सिद्धांत बनाए है, जिन्हें अमल में लाने की जिम्मेदारी राज्य सरकारों की है। परन्तु जनवरी, 1980 में केन्द्र मेंशामिल इन्दिरा कांग्रेस की नई सरकार ने नशाबन्दी की नीति को व्यावहारिक रूप में बिलकुल ही उलट दिया और इस समय प्रायः सभी राज्यों व केन्द्र शासित क्षेत्रों में नशीले पेयों व वस्तुओं के प्रयोग व बिक्री पर व्यावहारिक रूप से कोई विशेष प्रतिबंध नहीं है। फलस्वरूप पिछले दो दशकों में नशीले पदार्थो के सेवन की लत भंयकर रूप से बढ़ी है। कल्याण मंत्रालय ने इस समस्या से निपटने के लिए 1985-86 में कार्य-योजना शुरू की थी जिनके तहत लोगों को नशाखोरी से होने वाले नुकसानों की जानकारी देने, नशेड़ियों को समझाने-बुझाने, अनुरक्षण केन्द्र खोलने, कार्यशालाएँ लगाने और प्रशिक्षण देने के काम में लगे स्वैच्छिक संगठनों को 90 प्रतिशत तक की अनुदान राशि दी जाती है। मंत्रालय देश भर में 361 स्वैच्छिक संगठनों को 444 केन्द्र चलाने के लिए सहायता देता है। इस योजना के अन्तर्गत वर्ष 2003-04 में 22.65 करोड़ रूपए खर्च किए गए।

आबकारी नीति (2008-09)

शासन के आदेश सं0 499 ई-2/तेरह-2008-130/2007/दिनांक 04-03-08 (छायाप्रति संलग्न) द्वारा वर्ष 2008-09 में आबकारी दुकानों के व्यवस्थापन हेतु आबकारी नीति की घोषणा की गयी है, जो निम्नानुसार है :-

1. दुकानों का व्यवस्थापन :-

(I) वर्ष 2008-09 के लिए आबकारी की समस्त दुकानों (देशी/विदेशी मदिरा एवं बियर) का व्यवस्थापन, सुसंगत नियमावलियों के यथा प्राविधानों के अनुसार नवीनीकरण/सार्वजनिक लाटरी के माध्यम से किया जायेगा।

(II) जिन दुकानों का व्यवस्थापन नवीनीकरण के माध्यम से नहीं हो पायेगा, उनका तथा नव सृजित दुकानों का व्यवस्थापन गत वर्ष 2007-08 की भांति सार्वजनिक लाटरी के माध्यम से किया जायेगा । दुकानों के व्यवस्थापन हेतु आवेदन पत्र जिलाधिकारी/जिला आबकारी अधिकारी, उपायुक्त प्रभार, संयुक्त आबकारी आयुक्त जोन व आबकारी आयुक्त, उ0प्र0, इलाहाबाद के कार्यालयों से प्राप्त किये जाने की वर्तमान व्यवस्था लागू रहेगी। दुकानों के व्यवस्थापन में एकाधिकार रोकने एवं पारदर्शिता बनाये रखने हेतु उपरोक्त के साथ ही साथ वर्ष 2007-08 की भांति आवेदन पत्र वर्ष 2008-09 में भी आबकारी आयुक्त कार्यालय में जमा हो सकेंगे। इस संबंध में प्रतिबंध यह रहेगा कि आबकारी आयुक्त कार्यालय में भरे हुए आवेदन पत्रों को जमा होने की अन्तिम तिथि व समय समाप्त होने के एक दिन पूर्व तक ही जमा किया जा सकेगा, जिससे समय से लाइसेंस प्राधिकारी को उपलब्ध कराये जा सकें।

(III) नवीनीकरण, अनुज्ञापी द्वारा वर्ष 2007-08 के सभी देयों के भुगतान की पुष्टि हो जाने पर ही अनुमन्य होगा।

(IV) भांग की दुकानों का व्यवस्थापन पूर्व की भांति उ0प्र0 आबकारी लाइसेंस (टेन्डर एवं नीलामी) नियमावली, 1991 (यथासंशोधित) के अन्तर्गत टेन्डर सह नीलाम प्रणाली से कराया जायेगा।

(V) भांग के लिए निर्धारित एम.जी.क्यू. पर रू0 20/- प्रति कि0ग्रा0 की दर से बेसिक लाइसेंस फीस देय होगी । एम.जी.क्यू. के अतिरिक्त भांग की निकासी उठाये जाने पर भी रू0 20/- प्रति कि0ग्रा0 की दर से प्रतिफल फीस देय होगी । भांग का जनपदवार निर्धारित एम.जी.क्यू. का विवरण संलग्नक-1 है।

(VI) वर्ष 2008-09 में देशी शराब, विदेशी मदिरा, बीयर एवं भांग की नवसृजित दुकानों का जनपदवार विवरण संलग्नक-2 है।

(VII) वर्ष 2008-09 में उप दुकानों का सृजन वर्ष 2007-08 की भांति प्रतिबंधित रहेगा।

2. देशी शराब :-

2.1. देशी शराब की न्यूनतम प्रत्याभूत मात्रा :-

वर्ष 2008-09 के लिए देशी शराब की दुकानों व उप दुकानों की न्यूनतम प्रत्याभूत मात्रा, वर्तमान न्यूनतम प्रत्याभूत मात्रा (36 प्रतिशत वी/वी के टर्म) में सभी प्रास्थिति की दुकानों में समान रूप से 7 प्रतिशत की वृद्धि करके निर्धारित की जायेगी । अर्थात वर्ष 2007-08 हेतु व्यवस्थित एम.जी.क्यू. (36 प्रतिशत वी/वी के टर्म) में 7 प्रतिशत की समान रूप से वृद्धि करके वर्ष 2008-09 हेतु एम.जी.क्यू. निर्धारित किया जायेगा।

2.2. देशी शराब की फुटकर दुकानों का व्यवस्थापन :-

देशी शराब की वर्तमान दुकानों एवं उप दुकानों की न्यूनतम प्रत्याभूत मात्रा में 7 प्रतिशत की वृद्धि करते हुए उनका व्यवस्थापन निम्न प्रक्रिया के अनुसार सुनिश्चित किया जायः-

(I) दुकानों के व्यवस्थापन के प्रथम चरण में सार्वजनिक विज्ञापन के माध्यम से सर्वप्रथम वर्तमान अनुज्ञापियों से उनकी न्यूनतम प्रत्याभूत मात्रा में

उपरोक्तानुसार वृद्धि करते हुये नवीनीकरण हेतु आवेदन पत्र प्राप्त किये जायें। जिन दुकानों के साथ उप दुकानें सम्बद्ध हैं उनकी वर्तमान न्यूनतम प्रत्याभूत मात्रा में भी उपरोक्तानुसार ही 7 प्रतिशत की वृद्धि करके मुख्य दुकान के साथ उनका भी नवीनीकरण/व्यवस्थापन किया जाये।

(II) ऐसी दुकानें जो नवीनीकरण की अन्तिम तिथि के बाद भी नवीनीकरण से व्यवस्थापन को अवशेष रह जाती है, उनके व्यवस्थापन हेतु न्यूनतम प्रत्याभूत मात्रा में निर्धारित 7 प्रतिशत की वृद्धि सहित वर्ष 2008-09 के लिए निर्धारित एम0जी0क्यू0 पर सार्वजनिक विज्ञापन द्वारा आवेदन पत्र आवेदन पत्र सार्वजनिक लाटरी के माध्यम से व्यवस्थापन कराया जाय।

(III) उपरोक्त के बार भी जो दुकानें व्यवस्थापन हेतु अवशेष रहेंगी, उनका व्यवस्थापन तीसरे चरण में सार्वजनिक विज्ञापन देकर वर्ष 2007-08 के निर्धारित एम0जी0क्यू0 पर आफर मांगकर किया जाय। वर्ष 2007-08 के एम0जी0क्यू0 से कम का आफर स्वीकार नहीं होगा। इसी चरण में नवसृजित दुकानों का व्यवस्थापन भी गत वर्ष की भांति न्यूनतम 3000 ब0ली0 एम0जी0क्यू0 निर्धारित करते हुये एम0जी0क्यू0 पर आफर मांगकर किया जाय। दो या दो से अधिक समान आफर प्राप्त होने पर सार्वजनिक लाटरी के माध्यम से व्यवस्थापन कराया जाय।

2.3. देशी शराब की फुटकर दुकानों हेतु नवीनीकरण फीस एवं प्रोसेसिंग फीसः-

(क) वर्ष 2008-09 के लिये नवीनीकरण व सार्वजनिक लाटरी हेतु प्राप्त प्रत्येक प्रार्थना पत्र पर प्रोसेसिंग फीस की दर वर्ष 2007-08 की भांति रू0 2500/- यथावत रहेगी।

(ख) देशी मदिरा की दुकानों के लिए नवीनीकरण फीस वर्ष 2008-09 के लिए निम्नानुसार निर्धारित की जाती है :-

क्रमांक	निकाय	नवीनीकरण फीस	
		2007-08	2008-09
1.	नगर निगम	14000	20000
2.	नगर पालिका	11000	15000
3.	नगर पंचायत	8000	10000
4.	ग्रामीण क्षेत्र	4000	5000

2.4. बेसिक लाइसेंस फीस :-

देशी शराब दुकानों की बेसिक लाइसेंस फीस वर्ष 2007-08 की भांति वर्ष 2008-09 में भी रू0 15 प्रति ली0 निर्धारित की जाती है।

2.5. प्रतिफल फीसः-

वर्ष 2008-09 के लिए देशी शराब की प्रतिफल फीस (लाइसेंस फीस) वर्ष 2007-08 में प्रचलित दर रू0 92 प्रति बल्क लीटर में रू0 12 की वृद्धि करते हुए 36 प्रतिशत वी/वी के टर्म में रू0 104 प्रति ब0ली0 निर्धारित की जाती है।

2.6. देशी मदिरा की श्रेणियाँ एवं मूल्य निर्धारण :-

वर्ष 2007-08 की भांति वर्ष 2008-09 में देशी शराब की निम्नानुसार तीन श्रेणियाँ निर्धारित की जाती है :-

1- 25% वी/वी - सादा (तनु)।

2- 36% वी/वी - मसालेदार (तीव्र)।

3- 42.8% वी/वी मसालेदार (तीव्र)।

उक्त तीनों श्रेणियों के विभिन्न धारिताओं के अधिकतम थोक/फुटकर विक्रय मूल्य वर्ष 2008-09 के लिए निम्नानुसार निर्धारित किये जाते है :-

देशी शराब -सादा (तनु) (25% वी/वी में)

अधिकतम थोक/फुटकर विक्रय मूल्य (वर्ष 2008-09 के लिए)

क्रम सं0	धारिता (मि0ली0 में)	750	375	200	180	140	240	525	1100
1.	अधिकतम थोक विक्रय मूल्य	71.99	38.21	21.33	19.61	15.70	25.04	51.55	102.18
2.	अधिकतम फुटकर विक्रय मूल्य	92.00	49.00	27.00	24.00	20.00	31.00	66.00	131.00

देशी शराब -मसालेदार (तीव्र) (36% वी/वी में)

अधिकतम थोक/फुटकर विक्रय मूल्य (वर्ष 2008-09 के लिए)

क्रम सं0	धारिता (मि0ली0 में)	750	375	200	180	140	240	525	1100
1.	अधिकतम थोक विक्रय मूल्य	99.31	51.87	28.61	26.17	20.80	33.78	70.67	142.24
2.	अधिकतम फुटकर विक्रय मूल्य	131.00	66.00	37.00	33.00	26.00	44.00	93.00	186.00

देशी शराब -मसालेदार (तीव्र) (42.8% वी/वी में)

अधिकतम थोक/फुटकर विक्रय मूल्य (वर्ष 2008-09 के लिए)

क्र.	धारिता (मि0ली0 में)	750	375	200	180	140	240	525	1100
1.	धारिता थोक विक्रय मूल्य	116.18	60.31	33.11	30.22	23.95	39.18	82.48	166.99
2.	अधिकतम फुटकर विक्रय मूल्य	153.00	77.00	43.00	39.00	30.00	50.00	109.00	224.00

2.7. देशी शराब की थोक आपूर्ति एवं थोक लाइसेंस हेतु लाइसेंस फीस :-

देशी शराब की थोक आपूर्ति वर्ष 2008-09 में, वर्ष 2007-08 के मध्य सत्र में प्रचलित सी0एल0-1ए अनुज्ञापनों की व्यवस्था को समाप्त करते हुए सीधे सी0एल0-2 (देशी शराब की थोक बिक्री के लाइसेंस) अनुज्ञापनों के माध्यम से कराई जायेगी। यह अनुज्ञापन केवल प्रदेश की आसवनियों को ही दिये जायेंगे। इन अनुज्ञापनों की लाइसेंस फीस निम्नानुसार दो स्तरों पर ली जायेगी :-

प्रथम स्तर अनुज्ञापन जारी करने के पूर्व गत वर्ष की भांति लाइसेंस फीस रू0 10,00,000 (रूपये दस लाख) तथा प्रतिभूति धनराशि रू0 1,00,000 (रूपये एक लाख) ली जायेगी।

द्वितीय स्तर पर आसवनी से निकासी के पूर्व आसवनी स्तर पर रू0 1/- प्रति लीटर सी0एल0-2 अनुज्ञापन की अतिरिक्त लाइसेंस फीस वसूल की जायेगी, तथा इसका समायोजन पी0डी0-2 अनुज्ञापन के अग्रिम खाते पी0डी0-22 से किया जायेगा।

यथा संभव सी0एल0-2 अनुज्ञापन वित्तीय वर्ष प्रारम्भ होने के पूर्व ही निर्गत किये जायेंगे। वित्तीय वर्ष प्रारम्भ होने के उपरान्त विशेष परिस्थितियों में राजस्व हित में ही सी0एल0-2 अनुज्ञापन निर्गत किये जायेंगे। सी0एल0-2 अनुज्ञा धारी केवल स्वयं की आसवनी में निर्मित देशी मदिरा का ही विक्रय कर सकेगा।

2.8. देशी शराब के लेबुलों का अनुमोदन :-

वर्ष 2008-09 में देशी मदिरा की बोतलों के लेबुलों पर वर्ष 2007-08 की भांति ही बैच नम्बर व निर्माण की तिथि एवं आबकारी आयुक्त द्वारा अन्य यथा निर्धारित लीजेण्ड अंकित करना अनिवार्य होगा। लेबुलों के अनुमोदन हेतु फीस श्रेणीवार प्रति लेबुल रू0 5000/- देय होगा।

2.9. देशी शराब के ब्रान्डों का रजिस्ट्रेशन :-

देशी शराब के ब्रान्डों का रजिस्ट्रेशन वर्ष 2007-08 की भांति वर्ष 2008-09 में अनिवार्य रूप से कराया जायेगा, तथा श्रेणी वार प्रति ब्राण्ड रजिस्ट्रेशन फीस रू0 5000/- गतवर्ष की भांति वर्ष 2008-09 में भी देय होगी।

2.10. देशी शराब निर्यात पास फीस :-

देशी मदिरा की निर्यात पास फीस वर्ष 2007-08 की भांति वर्ष 2008-09 में भी रू0 10/- प्रति ए0एल0 ही रहेगी।

2.11. देशी मदिरा की दैनिक लाइसेंस फीस :-

देशी मदिरा की फुटकर दुकानों की दैनिक बेसिक लाइसेंस फीस व लाइसेंस फीस सम्बन्धित वर्ष के लिये निर्धारित वार्षिक बेसिक लाइसेंस फीस व लाइसेंस फीस का 1/365 भाग लिया जाना निर्धारित है। वर्ष 2008-09 में भी सामान्यतः दैनिक व्यवस्थापन उपरोक्तानुसार ही सम्पन्न कराया जायेगा, परन्तु ऐसी दुकानें जो उपरोक्त प्रस्तर 2.2 में वर्णित विवरणानुसार तीन चरणों के व्यवस्थापन में व्यवस्थित नहीं हो सकेंगी, उनका व्यवस्थापन दैनिक समाचार पत्र में विज्ञापन देकर वर्ष 2007-08 के एम.जी.क्यू. के सापेक्ष सर्वोच्च आफर पर कराया जाये। दो या दो से अधिक समान आफर प्राप्त होने पर सार्वजनिक लाटरी के माध्यम से व्यवस्थापन कराया जायेगा।

2.12. देशी मदिरा के 180 एम0एल0 के पौवों की बिक्री को चरणबद्ध ढंग से बन्द किया जाना :-

वर्ष 2008-09 में देशी मदिरा के 180 एम0एल0 के पौवों की आपूर्ति राजस्व हित में चरणबद्ध ढंग से निम्नानुसार प्रतिबंधित रहेगी :-

क्रं.	तिमाही का नाम	प्राविधान
1	वर्ष 2008-09 की प्रथम तिमाही (01.04.2008 से 30.06.2008 तक)	पौवों में होने वाली आपूर्ति का 75 प्रतिशत 180 एम0एल0 के पौवों में तथा शेष 25 प्रतिशत 200 एम0एल0 के पौवों में आसवनी से आपूर्ति अनिवार्य होगी।
2	वर्ष 2008-09 की द्वितीय तिमाही (01.07.2008 से 30.09.2008 तक)	पौवों में होने वाली आपूर्ति का 50 प्रतिशत 180 एम0एल0 के पौवों में तथा शेष 50 प्रतिशत 200 एम0एल0 के पौवों में आसवनी से आपूर्ति अनिवार्य होगी।
3	वर्ष 2008-09 की तृतीय तिमाही (01.10.2008 से 31.12.2008 तक)	पौवों में होने वाली आपूर्ति का 25 प्रतिशत 180 एम0एल0 के पौवों में तथा शेष 75 प्रतिशत 200 एम0एल0 के पौवों में आसवनी से आपूर्ति अनिवार्य होगी।
4	वर्ष 2008-09 की चतुर्थ तिमाही (01.01.2009 से 31.03.2009 तक)	180 एम0एल0 के पौवों में देशी मदिरा की आपूर्ति पूर्णरूपेण निषिद्ध रहेगी तथा केवल 200 एम0एल0 के पौवों में आसवनी से देशी मदिरा आपूर्ति अनिवार्य होगी।

3- विदेशी मदिरा

3.1 लाइसेंस फीस में वृद्धि :-

वर्ष 2008-09 के लिये विदेशी मदिरा की फुटकर दुकानों की बिक्री आधारित लाइसेंस फीस की श्रेणियों को यथावत रखते हुए श्रेणियों की वर्ष 2007-08 की लाइसेंस फीस में समान रूप में 15 प्रतिशत की वृद्धि करतें हुए वर्ष 2008-09 के लिए लाइसेंस फीस निर्धारित की जायेगी। अर्थात वर्ष 2007-08 हेतु निर्धारित लाइसेंस फीस में 15 प्रतिशत की वृद्धि करने पर जो लाइसेंस फीस आयेगी, वह वर्ष 2008-09 हेतु निर्धारित की जायेगी, यदि कोई विदेशी मदिरा की दुकान उपभोग बढ़ने पर आगामी श्रेणी में चली जाती है तो अनुज्ञापी को संबधित बढ़ी हुई श्रेणी की वर्ष 2008-09 हेतु निर्धारित लाइसेंस फीस देनी होगी,

प्रतिबंध यह भी रहेगा कि किसी भी दुकान की लाइसेंस फीस रू0 30 लाख से अधिक नहीं होगी। वर्ष 2008-09 के लिए बिक्री आधारित श्रेणियों की लाइसेंस फीस निम्न प्रकार होगी।:-

<u>विदेशी मदिरा की बिक्री आधारित श्रेणियों की वर्ष 2008-09 हेतु लाइसेंस फीस का निर्धारण :-</u>

श्रेणी — लाइसेंस फीस (रूपये में)

क्रं.	750 एम0एल0 की बोतल की बिक्री के आधार पर श्रेणी	ग्रामीण क्षेत्र हेतु	नगर पंचायत क्षेत्र हेतु	नगर पालिका क्षेत्र हेतु	नगर निगम क्षेत्र हेतु
1	2500 तक	47400	97900	210200	629900
2	2501 से 5000 तक	94500	97900	210200	629900
3	5001 से 10000तक	188800	195700	210200	629900
4	10001 से 15000 तक	377200	391200	419900	629900
5	15001 से 25000 तक	565700	586800	629900	629900
6	25001से 40000 तक	942800	977700	1049500	1049500
7	40001 से 80000 तक	1508400	1564300	1679200	1679200
8	80001 से 120000 तक	2262600	2346400	2518800	2518800
9	120000 से अधिक	2828100	2932900	3000000	3000000

3.2. विदेशी मदिरा की फुटकर दुकानों का व्यवस्थापन :-

(1) विदेशी मदिरा के फुटकर दुकानों के व्यवस्थापन के प्रथम चरण में सार्वजनिक विज्ञापन के माध्यम से श्रेणियों की वर्ष 2007-08 की लाइसेंस फीस में 15 प्रतिशत की वृद्धि करते हुये नवीनीकरण के आवेदन प्राप्त कर लिये जायें। प्रतिबंध यह रहेगा कि जो दुकान इस वर्ष जिस श्रेणी में है, वह उसी श्रेणी में अथवा बिक्री के आधार पर उसकी ऊपर की श्रेणी की लाइसेंस फीस में नवीनीकरण के लिए पूर्व प्रक्रिया अनुसार अनुमन्य होगी । किसी भी दुकान का नवीनीकरण उसकी वर्तमान श्रेणी से निम्न श्रेणी में नहीं किया जायेगा।

(2) ऐसी दुकानों जो नवीनीकरण की अन्तिम तिथि के बाद भी व्यवस्थापन को अवशेष रह जाती है, उनके व्यवस्थापन हेतु वर्ष 2008-09 के लिए निर्धारित लाइसेंस फीस पर सार्वजनिक विज्ञापन द्वारा आवेदन पत्र आमंत्रित कर लाटरी के माध्यम से व्यवस्थापन कराया जाय । इसी चरण में नवसृजित दुकानों का व्यवस्थापन भी निर्धारित लाइसेंस फीस पर सार्वजनिक लाटरी के माध्यम से व्यवस्थापन कराया जायेगा।

(3) उपरोक्त के बाद भी जो दुकानें व्यवस्थापन हेतु अवशेष रहेंगी, उनका व्यवस्थापन तीसरे चरण में सार्वजनिक विज्ञापन देकर वर्ष 2007-08 की लाइसेंस फीस पर आफर मांगकर किया जायेगा । शर्त यह होगी की वर्ष 2007-08 की लाइसेंस फीस से कम का आफर स्वीकार न होगा। दो या दो से अधिक समान आफर प्राप्त होने पर सार्वजनिक लाटरी के माध्यम से व्यवस्थापन कराया जायेगा।

3.3. <u>विदेशी मदिरा की फुटकर दुकानों का नवीनीकरण एवं प्रोसेंसिग फीस :-</u>

(क) वर्ष 2008-09 के लिये नवीनीकरण व सार्वजनिक लाटरी हेतु प्राप्त प्रत्येक प्रार्थना पत्र पर प्रोसेसिंग फीस की दर को वर्ष 2007-08 की भांति निर्धारित रू0 2500/- ही रहेगी।

(ख) विदेशी मदिरा की फुटकर दुकानों के लिए नवीनीकरण फीस वर्ष 2008-09 के लिए निम्नानुसार निर्धारित की जाती है :-

क्रमांक	निकाय	नवीनीकरण फीस	
		2007-08	2008-09
1	नगर निगम	25000	30000
2	नगर पालिका	19000	22000
3	नगर पंचायत	13000	15000
4	ग्रामीण क्षेत्र	5000	6000

3.4. <u>विदेशी मदिरा की नवसृजित दुकानों की लाइसेंस फीस :-</u>

वर्ष 2008-09 के लिए नवसृजित विदेशी मदिरा की फुटकर बिक्री की दुकानों की लाइसेंस फीस निकायवार वर्ष 2007-08 के लिए निर्धारित लाइसेंस फीस में 15 प्रतिशत की वृद्धि करके निम्नानुसार निर्धारित किया गया हैं :-

क्रं.	निकाय	वर्ष 2007-08 के लिए निर्धारित लाइसेंस फीस	वर्ष 2007-08 के लिए निर्धारित लाइसेंस फीस में 15 प्रतिशत की वृद्धि करने पर लाइसेंस फीस	रू0 100 में राउण्ड करते हुए वर्ष 2008-09 के लिए निर्धारित लाइसेंस फीस
1	नगर निगम व इसकी सीमा से 3 कि0मी0 की परिधि तक	5,47,700/-	6,29,855/-	6,29,900/-

2	नगर पालिका व इसकी सीमा से 2 कि0मी0 की परिधि तक	1,82,700/-	2,10,105/-	2,10,200/-
3	नगर पंचायत	85,100/-	97,865/-	97,900/-
4	ग्रामीण क्षेत्र	41,200/-	47,380/-	47,400/-

3.5. विदेशी मदिरा की फुटकर बिक्री की दुकानों की दैनिक लाइसेंस फीस :-

विदेशी मदिरा की फुटकर दुकानों की दैनिक लाइसेंस फीस, दुकान की निर्धारित वार्षिक लाइसेंस फीस का 1/365 भाग लिया जाना निर्धारित है । सामान्यतः आगामी वर्ष 2008-09 में भी इसी प्रकार दैनिक व्यवस्थापन सम्पन्न कराया जायेगा है, परन्तु ऐसी दुकानें, जिन पर उपरोक्त प्रस्तर-3.2 में तीन चरणों की व्यवस्थापन की प्रक्रिया में कोई आफर प्राप्त न हो, उनका व्यवस्थापन सार्वजनिक विज्ञापन प्रकाशित करने के बाद वर्ष 2007-08 के लिये निर्धारित लाइसेंस फीस के सापेक्ष जो भी सर्वोच्च आफर प्राप्त हो, उस पर सम्पन्न काराया जायेगा । दो या दो से अधिक समान आफर प्राप्त होने पर सार्वजनिक लाटरी के माध्यम से व्यवस्थापन कराया जायेगा ।

3.6. विदेशी मदिरा (प्रतिफल फीस):-

विदेशी मदिरा में एक्स आसवनी मूल्य के अनुसार 12 श्रेणियों में प्रतिफल फीस ली जाती है । वर्ष 2008-09 हेतु श्रेणियों को पुनर्गठित करते हुए प्रतिफल फीस का निर्धारण निम्नानुसार किया जाता है :-

श्रेणी एवं एक्स आसवनी मूल्य		वर्ष 2008-09 में प्रतिफल फीस एवं श्रेणी				प्रति लीटर वृद्धि
		श्रेणी		प्रति लीटर	प्रति बोतल	
1	0 से 25/-	चीप (सस्ती)	GGG	157.00	117.75	15.00
2	25/- से अधिक 32/- तक	मीडियम वीटा	FFB	170.00	127.50	08.00
3	32/- से अधिक 44/- तक	मीडियम अल्फा	FFA	191.00	143.25	09.00
4	44/- से अधिक 54/- तक	रेगुलर वीटा	EEB	201.00	150.75	07.00
5	54/- से अधिक 68/- तक	रेगुलर अल्फा	EEA	221.00	165.75	11.00
6	68/- से अधिक 84/- तक	सेमी प्रीमियम	DDD	297.00	222.75	27.00
7	84/-से अधिक 114/- तक	प्रीमियम बीटा	CCB	339.00	254.25	31.00
8	114/- से अधिक 164/- तक	प्रीमियम अल्फा	CCA	372.00	279.00	34.00
9	164/- से अधिक 224/- तक	सुपर प्रीमियम बीटा	BBB	488.00	366.00	44.00
10	224/- से अधिक 256/- तक	सुपर प्रीमियम अल्फा	BBA	493.00	369.75	45.00
11	256/- से अधिक 500/- तक	स्काच बीटा	AAB	612.00	459.00	56.00
12	500/- से अधिक	स्काच अल्फा	AAA	634.00	475.00	58.00

3.7. विदेशी मदिरा की एम0आर0पी0 :-

विदेशी मदिरा के निर्माता/बाण्ड धारक इकाई द्वारा घोषित एक्स आवसनी मूल्य के आधार पर प्रतिफल फीस को सम्मिलित करते हुए विदेशी मदिरा की एम. आर.पी. गतवर्षो की भांति वर्ष 2008-09 में निम्न फार्मूले के आधार पर आगणित/निर्धारित की जायेगी :-

एक्स आसवनी/एक्स बाण्ड/एक्स सी. एस.डी. मूल्य प्रति बोतल (रू0 में) (X)	विदेशी मदिरा की श्रेणी		प्रतिफल फीस प्रति लीटर (रू0 में)	प्रतिफल फीस प्रति बोतल (750 मि. ली.) (रू0 में) (D)	अधिकतम थोक विक्रय मूल्य	फुटकर विक्रेता का मार्जिन	(P)
0 से 25/- तक	चीप (सस्ती)	GGG	157.00	117.75	D+1.1X	1.1 X	D+2.2 X
25 से अधिक 32/- तक	मीडियम बीटा	FFB	170.00	127.50	D+1.1X	1.1 X	D+2.2 X
32/- से अधिक 44/- तक	मीडियम अल्फा	FFA	191.00	143.25	D+1.05 X	1.05 X	D+2.1 X
44/- से अधिक 54/- तक	रेगुलर बीटा	EEB	201.00	150.75	D+1.05 X	0.95 X	D+2.0 X
54/- से अधिक 68/- तक	रेगुलर अल्फा	EEA	221.00	165.75	D+1.05 X	0.85 X	D+1.9 X
68/- से अधिक 84/- तक	सेमी प्रीमियम	DDD	297.00	222.75	D+1.05 X	0.75 X	D+1.8 X
84/-से अधिक 114/- तक	प्रीमियम बीटा	CCB	339.00	254.25	D+1.05 X	0.65 X	D+1.7 X
114/- से अधिक 164/- तक	प्रीमियम अल्फा	CCA	372.00	279.00	D+1.05 X	0.55 X	D+1.6 X

164/- से अधिक 224/- तक	सुपर प्रीमियम बीटा	BBB	488.00	366.00	D+1.05 X	0.35 X	D+1.4 X
224/- से अधिक 256/- तक	सुपर प्रीमियम अल्फा	BBA	493.00	369.00	D+1.05 X	0.35 X	D+1.4 X
256/- से अधिक 500/- तक	स्काच बीटा	AAB	612.00	459.00	D+1.05 X	0.25 X	D+1.3 X
500/- से अधिक	स्काच अल्फा	AAA	634.00	475.00	D+1.05 X	0.25 X	D+1.3 X

उपरोक्त सूत्र से बोतल के अतिरिक्त अन्य धारिताओं के मूल्य निर्धारण में वर्ष 2008-09 में बोतल के एक्स आसवनी मूल्य में 3 रू0 बढ़ाकर 375 एम0एल0 हेतु तथा 5 रू0 बढ़ाकर 180 एम0एल0, 90 एम0एल0 व 60 एम0एल0 का मूल्य निर्धारण किया जायेगा।

3.8. सी0एस0डी0 को आपूर्ति की जाने वाली विदेशी मदिरा के प्रतिफल फीस :-

सी0एस0डी0 को आपूर्ति की जाने वाली विदेशी मदिरा की प्रतिफल फीस गतवर्ष की भांति वर्ष 2008-09 में सिविल में अनुमन्य प्रतिफल फीस की आधी प्रतिफल फीस आरोपण की व्यवस्था प्रभावी रहेगी।

3.9. भारत निर्मित विदेशी मदिरा का ब्राण्ड रजिस्ट्रेशन :-

वर्ष 2008-09 में विदेशी मदिरा की ब्राण्ड रजिस्ट्रेशन फीस वर्ष 2007-08 में प्रचलित रू0 30,000/- के स्थान पर रू0 35000/- प्रति ब्राण्ड निर्धारित की जाती है।

3.10. अन्य देशों से आयातित विदेशी मदिरा का ब्राण्ड रजिस्ट्रेशन :-

वर्ष 2008-09 में अन्य देशों से आयातित विदेशी मदिरा की ब्राण्ड रजिस्ट्रेशन फीस वर्ष 2007-08 में प्रचलित रू0 10,000/- के स्थान पर रू0 15000/- प्रति ब्राण्ड निर्धारित की जाती है।

3.11. अन्य देशों से आयातित विदेशी मदिरा पर एम0आर0पी0 अंकित किये जाने का प्राविधान :-

अन्य देशों से आयातित विदेशी मदिरा पर वर्ष 2007-08 की भांति वर्ष 2008-09 में भी एम0आर0पी0 अंकित किया जाना अनिवार्य होगा।

3.12. विदेशी मदिरा का थोक लाइसेंस (एफ0एल0-2):-

विदेशी मदिरा की थोक आपूर्ति, वर्ष 2007-08 के मध्य सत्र में जुलाई 2007 से प्रचलित किये गये एफ0एल0-1बी अनुज्ञापनों को समाप्त कर वर्ष 2008-09 में पूर्व की व्यवस्था अनुसार एफ0एल0-2 अनुज्ञापनों के माध्यम से कराई जायेगी।

विदेशी मदिरा के थोक अनुज्ञापनों (एफ0एल0-2) की लाइसेंस फीस वर्ष 2007-08 में 5 लाख रूपया प्रति अनुज्ञापन वर्ष या वर्ष के भाग के लिए निर्धारित है। यह वर्ष 2008-09 में भी यथावत रू0 5,00,000/- प्रति अनुज्ञापन वर्ष या वर्ष के भाग के लिए होगी, तथा प्रतिभूति धनराशि रू0 50000/- भी देय होगी।

3.13. विदेशी मदिरा (एफ0एल0-2ए):-

विदेशी मदिरा के एफ0एल0-2ए (सी0एस0डी0)की लाइसेंस फीस वर्ष 2008-09 में वर्ष 2007-08 की भांति रू0 2500/- यथावत् रहेगी।

3.14. एफ0एल0-2डी (समुद्रपार से आयातित):-

एफ0एल0-2डी (समुद्रपार से आयातित) अनुज्ञापनों की लाइसेंस फीस वर्ष 2008-09 में भी वर्ष 2007-08 की भांति रू0 50000/- तथा प्रतिभूति रू0 10000/- यथावत रहेगी।

3.15. एफ0एल0-1/एफ0एल0-1ए :-

वर्ष 2008-09 में एफ0एल0-1 की लाइसेंस फीस रू0 3,00,000/- एवं एफ0एल0-1ए की लाइसेंस फीस भी रू0 3,00,000/- तथा प्रतिभूति धनराशि रू0 30000/- वर्ष 2007-08 की भांति ही यथावत रहेगी।

3.16. बी0डब्ल्यू0एफ0एल0-2ए/2बी/2सी/2डी अनुज्ञापनों की लाइसेंस फीस :-

बी0डब्ल्यू0एफ0एल0-2ए/2बी/2सी/2डी अनुज्ञापनों की लाइसेंस फीस वर्ष 2007-08 की भांति वर्ष 2008-09 में निम्नानुसार यथावत रहेगी -

बी0डब्ल्यू0एफ0एल0-2ए	5 लाख रूपये
बी0डब्ल्यू0एफ0एल0-2बी	3.5 लाख रूपये
बी0डब्ल्यू0एफ0एल0-2सी	50 हजार रूपये
बी0डब्ल्यू0एफ0एल0-2डी	25 हजार रूपये

3.17. विदेशी मदिरा के लेबुलों का अनुमोदन फीस :-

विदेशी मदिरा के लेबुलों का अनुमोदन फीस वर्ष 2007-08 में निर्धारित रू0 12000/- के स्थान पर वर्ष 2008-09 में 15000/- रूपये देय होगी।

3.18. विदेशी मदिरा की आयात अनुज्ञा पत्र फीस :-

बोतलों में आयातित विदेशी मदिरा की आयात फीस वर्ष 2007-08 के 4/- रूपये प्रति लीटर को वर्ष 2008-09 में यथावत रखा जायेगा। विदेशी मदिरा

के बल्क में आयात पर (एफ0एल0-2ए लाइसेंसधारी को छोड़कर) आदेश सं0 15404 लाइसेंस/संसाधन/94-95/दिनांक 31-03-94 से निर्धारित रू0 2/- प्रति अल्कोहल लीटर के स्थान पर रू0 3/- प्रति बल्क लीटर अनुज्ञा प्रतिफल फीस का उदग्रहण किया जायेगा।

3.19. विदेशी मदिरा की निर्यात फीस (सिविल) :-

विदेशी मदिरा पर निर्यात फीस वर्ष 2007-08 की भांति वर्ष 2008-09 में भी रू0 5/- प्रति बल्क लीटर तथा बोतलों में रू0 2.67/- ए0एल0 देय होगी।

3.20. विदेशी मदिरा के 90 एम0एल0 व एम0एल0 की धारिता में आपूर्ति :-

वर्ष 2008-09 में विदेशी मदिरा में 90 एम0एल0 धारिता की बोतलों की बिक्री 0 से 54 तक की एक्स आसवनी मूल्य वाली रेगूलर बीटा श्रेणियों तक प्रतिबंधित रहेगी, अर्थात रेगूलर अल्फा व उससे ऊपर की श्रेणियों में ही 90 एम0एल0 की धारिता की बोतलों की बिक्री अनुमन्य होगी, तथा वर्ष 2007-08 की भांति सुपर प्रीमियम व स्काच श्रेणियों में 60 एम0एल0 धारिता की बोतलों की बिक्री वर्ष 2008-09 में अनुमन्य रहेगी।

3.21. बार लाइसेंस :-

वर्ष 2008-09 में सभी श्रेणी के बार अनुज्ञापनों की लाइसेंस फीस वर्ष 2007-08 की भांति यथावत रहेगी।

3.22. बार अनुज्ञापनों की कार्यावधि :-

वर्ष 2008-09 में विभिन्न बार अनुज्ञापनों यथा एफ0एल0-6 कम्पोजिट, एफ0एल0-6ए कम्पोजिट, एफ0एल0-7 व एफ0एल0-7बी के खुलने एवं बंद होने का समय निम्नानुसार निर्धारित किया जाता है :-

12 बजे दोपहर से रात्रि 12 बजे तक

उक्त के अतिरिक्त नगर निगम वाले नगरों तथा गौतमबुद्धनगर में जहां सामान्यता देर रात्रि तक होटल इत्यादि खुले रहते हैं, में स्थित बार को एक लाख रूपये अतिरिक्त फीस देने पर 1.00 बजे रात्रि तक बार खोलने की अनुमति प्रदान की जा सकती है।

3.23. अन्य देशों से आयातित विदेशी मदिरा पर परमिट फीस :-

अन्य देशों से आयातित विदेशी मदिरा पर परमिट फीस नोटिफिकेशन सं0 1815 ई-2/तेरह-2007-91/2002 दिनांक 31-07-07 के अनुसार निर्धारित है । इस दर में वर्ष 2008-09 में वृद्धि करते हुए निम्नानुसार परमिट फीस निर्धारित की जाती है :-

एक्स कस्टम ब्राण्ड का मूल्य	परमिट फीस
रू0 254 से 500 तक	रू0 612 प्रति लीटर
रू0 500 से अधिक	रू0 638 प्रति लीटर

4- वाइन एवं कम तीव्रता के मादक पेय

4.1. वाइन पर आयात शुल्क :-

वर्ष 2007-08 में वाइन पर आयात शुल्क 3/- प्रति लीटर है । इसे वर्ष 2008-09 में भी यथावत रखा जाय।

4.2. वाइन पर प्रतिफल फीस :-

वर्ष 2007-08 में वाइन पर प्रतिफल फीस न्यूनतम रू0 66.66 प्रतिलीटर या एम.आर.पी. का 25 प्रतिशत जो अधिक हो निर्धारित है । वर्ष 2008-09 में यह प्रतिफल फीस यथावत रहेगी।

4.3. अन्य देशों से आयातित वाइन पर परमिट फीस :-

वर्ष 2007-08 में अन्य देशों से आयातित वाइन पर परमिट फीस 750 मिली0 की प्रति बोतल पर रू0 66.66 या बोतल के अधिकतम फुटकर विक्रय मूल्य का 25 प्रतिशत जो भी अधिक हो, निर्धारित है। यह परमिट फीस वर्ष 2008-09 में भी यथावत रहेगी।

4.4. अन्य देशों से आयातित वाइन एम.आर.पी. अंकित किया जाना :-

अन्य देशों से आयातित वाइन पर एम.आर.पी. अंकित किये जाने के वर्ष 2007-08 में लिए गये निर्णय को वर्ष 2008-09 में भी यथावत बनाये रखा जाय।

4.5 अन्य देशों से आयातित वाइन का ब्राण्ड रजिस्ट्रेशन :-

वर्ष 2008-09 में अन्य देशों से आयातित वाइन की ब्राण्ड रजिस्ट्रेशन फीस वर्ष 2007-08 में प्रचलित रू0 10,000/- के स्थान पर रू0 15000/- प्रति ब्राण्ड निर्धारित की जाती है।

4.6 भारतीय वाइन का ब्राण्ड रजिस्ट्रेशन एवं लेबुल अनुमोदन :- वाइन का ब्राण्ड रजिस्ट्रेशन फीस वर्ष 2007-08 में रू0 5000/- एवं लेबुल अनुमोदन भी रू0 5000/- निर्धारित था। इसे वर्ष 2008-09 में भी यथावत रखा जायेगा।

4.7. वाइन की बिक्री :-

वाइन की बिक्री विदेशी मदिरा की फुटकर दुकानों से किये जाने की वर्ष 2007-08 में प्रचलित व्यवस्था को वर्ष 2008-09 में भी बनाये रखा जाय।

4.8. कम तीव्रता के मादक पेय का ब्राण्ड रजिस्ट्रेशन एवं लेबुल अनुमोदन :-

कम तीव्रता के मादक पेय का ब्राण्ड रजिस्ट्रेशन व लेबुल अनुमोदन वर्ष 2007-08 में क्रमशः 3000/- व 5000/- निर्धारित है। इसको वर्ष 2008-09 में यथावत बनाये रखा जाय।

4.9. कम तीव्रता के मादक पेय, ऐल, पोर्ट, साइडर व अन्य फर्मेन्टेड लिकर पर प्रतिफल फीस :-

उपरोक्त मादकों पर प्रतिफल फीस वर्ष 2007-08 की भांति बीयर में ली जाने वाली प्रतिफल फीस के समान 5 प्रतिशत वी/वी की तीव्रता तक रू० 28.46 प्रति लीटर तथा 5 प्रतिशत वी/वी से अधिक व 8 प्रतिशत से कम तक रू० 49.23 प्रति लीटर वर्ष 2008-09 में भी देय होगी।

5- बीयर

5.1 बीयर की लाइसेंस फीस :-

वर्ष 2008-09 में वीयर की बिक्री आधारित श्रेणियों की यथावत हुए फुटकर दुकानों की लाइसेंस फीस में कोई वृद्धि नहीं की जायेगी। अर्थात वर्ष 2007-08 में प्रचलित लाइसेंस फीस वर्ष 2008-09 में यथावत रहेगी, किन्तु यदि कोई दुकान बिक्री के आधार पर अगली श्रेणी में चली गयी है तो उस दुकान को वर्ष 2008-09 के लिए सुसंगत श्रेणी की वर्ष 2007-08 हेतु निर्धारित लाइसेंस फीस ली जायेगी। प्रतिबंध यह रहेगा कि जो दुकान इस वर्ष जिस श्रेणी में है, वह उसी श्रेणी में ही अथवा उसके ऊपर की श्रेणी की लाइसेंस फीस में बिक्री के आधार पर नवीनीकरण के लिए पूर्व प्रक्रियानुसार अनुमन्य होगी। वर्ष 2008-09 हेतु बीयर की बिक्री आधारित श्रेणियों की लाइसेंस फीस निम्न प्रकार होगी :-

बीयर की बिक्री के आधार पर श्रेणियों की लाइसेंस फीस का वर्ष 2008-09 हेतु निर्धारण

श्रेणी लाइसेंस फीस (रूपये में)

क्रम संख्या	650 एम.एल.की बोतल की बिक्री के आधार पर श्रेणी	ग्रामीण क्षेत्र हेतु	नगर पंचायत क्षेत्र हेतु	नगर पलिका क्षेत्र हेतु	नगर निगम क्षेत्र हेतु
1	12500 तक	36500	37100	76200	152200
2	12501 से 25000 तक	72800	74100	76200	152200
3	25001 से 50000 तक	145500	148200	152200	152200
4	50000 से ऊपर	218300	222200	228200	228200

5.2. बीयर की फुटकर दुकानों का व्यवस्थापन :-

(1) बीयर के फुटकर दुकानों के व्यवस्थापन हेतु प्रथम चरण में वर्तमान लाइसेंस फीस पर ही नवीनीकरण का विकल्प उनके वर्तमान अनुज्ञापियों से प्राप्त कर किया जायेगा।

(2) ऐसी दुकानें जो नवीनीकरण की अन्तिम तिथि के बाद भी अवशेष रह जाती है, उनके व्यवस्थापन हेतु वर्ष 2007-08 के लिए निर्धारित लाइसेंस फीस पर सार्वजनिक विज्ञापन द्वारा आवेदन पत्र आमंत्रित कर लाटरी के माध्यम से व्यवस्थापन कराया जायेगा। इसी चरण में नवसृजित दुकानों का व्यवस्थापन भी निर्धारित लाइसेंस फीस पर सार्वजनिक लाटरी के माध्यम से किया जायेगा।

5.3 बीयर की फुटकर दुकानों का नवीनीकरण एवं प्रोसेसिंग फीस :-

(क) वर्ष 2008-09 के लिये नवीनीकरण व सार्वजनिक लाटरी हेतु प्राप्त प्रत्येक प्रार्थना पत्र पर प्रोसेसिंग फीस की दर वर्ष 2007-08 के लिये निर्धारित रू0 2500/- यथावत रहेगी।

(ख) बीयर की फुटकर दुकानों के लिए नवीनीकरण फीस नगर निकाय के अनुसार वर्ष 2008-09 के लिए निम्नानुसार निर्धारित की जाती है :-

क्रमांक	निकाय	नवीनीकरण फीस	
		2007-08	2008-09
1	नगर निगम	25000	30000
2	नगर पालिका	19000	22000
3	नगर पंचायत	13000	15000
4	ग्रामीण क्षेत्र	5000	6000

5.4. बीयर की प्रतिफल फीस :-

बीयर की प्रतिफल फीस वर्ष 2007-08 की भांति वर्ष 2008-09 में निम्नानुसर यथावत रहेगी :-

क्रमांक	बीयर का प्रकार	प्रतिफल फीस (प्रति बोतल)
1	0 प्रतिशत से 5 प्रतिशत तक तीव्रता की माइल्ड बियर	18.50/- प्रति बोतल (650 एम. एल.) या 28.46 प्रति लीटर
2	5 प्रतिशत से अधिक व 8 प्रतिशत तक तीव्रता की स्ट्रांग बियर	32.00/- प्रति बोतल (650 एम. एल.) या 49.23 प्रति लीटर

5.5. बीयर की नवसृजित दुकानों की लाइसेंस फीस :-

वर्ष 2008-09 में व्यवस्थित होने वाली नवसृजित बियर की फुटकर दुकानों की लाइसेंस फीस निकायवार वर्ष 2007-08 की भांति निम्नानुसार यथावत रहेगी :-

क्र.	निकाय	2007-08 में नवसृजित दुकानों के लिये न्यूनतम निर्धारित लाइसेंस फीस	2008-09 हेतु नवसृजित दुकानों के लिये न्यूनतम अनुमोदित लाइसेंस फीस
1	नगर निगम व इसकी सीमा से 3 कि.मी. की परिधि	1,52,200/-	1,52,200/-
2	नगर पालिका व इसकी सीमा से 2 कि.मी. की परिधि तक	76,200/-	76,200/-
3	नगर पंचायत	37,100/-	37,100/-
4	ग्रामीण क्षेत्र	36,500/-	36,500/-

नवसृजित दुकानों का व्यवस्थापन नियत लाइसेंस फीस पर आवेदन मांग कर सार्वजनिक लाटरी के माध्यम से कराया जाय।

5.6. बीयर का थोक लाइसेंस (एफ0एल0-2बी):-

वर्ष 2008-09 तक बीयर के थोक अनुज्ञापन एफ0एल0-2बी की लाइसेंस फीस वर्ष या उसके भाग के लिए वर्ष 2007-08 की भांति रू0 2,00,000/- तथा प्रतिभूति धनराशि रू0 20000/- वर्ष 2008-09 में भी यथावत रहेगी।

5.7. अन्य देशों से आयातित बीयर का ब्राण्ड रजिस्ट्रेशन :- वर्ष 2008-09 में अन्य देशों से आयातित बीयर के ब्राण्ड की रजिस्ट्रेशन फीस वर्ष 2007-08 की भांति वर्ष 2008-09 में भी रू0 10,000/- प्रति ब्राण्ड यथावत रहेगी।

5.8. अन्य देशों से आयातित बीयर की परमिट फीस :-

वर्ष 2008-09 में अन्य देशों से आयातित बीयर की परमिट फीस वर्ष 2007-08 की फीस निम्नानुसार यथावत रहेगी :-

(क) 5 प्रतिशत वी/वी तक रू0 20/- (650 एम0एल0 प्रति बोतल)

(ख) 5 प्रतिशत वी/वी से अधिक एवं 8 प्रतिशत वी/वी तक रू0 35/- (650 एम0एल0 प्रति बोतल)

5.9. भारत निर्मित बीयर का ब्राण्ड रजिस्ट्रेशन :-

बीयर की ब्राण्ड रजिस्ट्रेशन फीस वर्ष 2008-09 में बढ़ाकर रू0 12,000/- रू0 प्रति ब्राण्ड निर्धारित की जाती है।

5.10. बीयर की एम0आर0पी0 :-

बीयर के लेबुलों पर बीयर की एम.आर.पी. का अंकन वर्ष 2007-08 की भांति वर्ष 2008-09 में भी यथावत किया जायेगा।

5.11. बीयर पर निर्यात शुल्क :-

बियर व कम तीव्रता के मादक पेय का निर्यात शुल्क 1/- प्रति ब0ली0, वर्ष 2007-08 में निर्धारित है। वर्ष 2008-09 में भी यह यथावत रहेगी।

5.12. आयात शुल्क :-

वर्ष 2007-08 में बियर, पोर्टर, साइडर एल एवं कम तीव्रता के मादक पेय पर आयात शुल्क 2/- प्रति लीटर है। वर्ष 2008-09 में भी यह यथावत रहेगा।

5.13. बियर के लेबुलों का अनुमोदन :-

बियर के लेबुलों की अनुमोदन फीस वर्ष 2007-08 की भांति वर्ष 2008-09 में रू0 5000/- रहेगी।

5.14. बीयर की फुटकर दुकानों की दैनिक लाइसेंस फीस :- बीयर की फुटकर दुकानों की दैनिक लाइसेंस फीस, दुकान की निर्धारित वार्षिक लाइसेंस फीस का

1/365 भाग लिया जाना निर्धारित है। सामान्यतः आगामी वर्ष 2008-09 में भी इसी प्रकार दैनिक व्यवस्थापन सम्पन्न कराया जायेगा है, परन्तु ऐसी दुकानें, जिन पर उपरोक्त प्रस्तर-5.2 में दो चरणों की व्यवस्थापन की प्रक्रिया में कोई आफर प्राप्त न हो, उनका व्यवस्थापन सार्वजनिक विज्ञापन प्रकाशित करने के बाद वर्ष 2007-08 के लिये निर्धारित लाइसेंस फीस के सापेक्ष जो भी सर्वोच्च आफर प्राप्त हो, उस पर सम्पन्न कराया जायेगा। दो या दो से अधिक समान आफर प्राप्त होने पर सार्वजनिक लाटरी के माध्यम से व्यवस्थापन कराया जायेगा।

5.15. देशी/विदेशी मदिरा एवं बीयर के लेबुलों पर एम0आर0पी0 अंकन की विधि :-

देशी शराब/ विदेशी मदिरा एवं बीयर की सभी श्रेणियों/धारिताओं के लेबिलों पर "एम.आर.पी. रू0.......के स्थान पर एम.आर.पी. रू0.......(समस्त करों सहित) लेबुलों पर" अंकित किया जाना अनिवार्य होगा।

6- माडप शाप

6.1. माडप शाप की दुकानों का व्यवस्थापन :-

उत्तर प्रदेश आबकारी (विदेशी मदिरा की माडल शाप के लिये फुटकर अनुज्ञापनों का व्यवस्थापन) नियमावली, 2006 (यथा संशोधित) के नियम-4 में यह व्यवस्था है कि लाइसेंस प्राधिकारी क्षेत्र में प्रसार रखने वाले दैनिक समाचार पत्रों के माध्यम से व्यापक रूप से प्रचार करने के पश्चात् माडल शाप के लिये आवेदन पत्र आमंत्रित करेगा। इस सम्बन्ध में उल्लेखनीय है कि माडल शाप के लिये एक विशिष्ट परिसर निर्धारित है जो सर्व सुलभ नहीं है। अतः इस व्यवस्था को समाप्त किया जा रहा है। इसके स्थान पर वर्ष के प्रारम्भ में आबकारी आयुक्त द्वारा प्रदेश में प्रचार-प्रसार रखने वाले दैनिक समाचार पत्रों में माडल

शाप के लिय विज्ञापन दिये जाने के बाद इसी विज्ञापन के आधार पर वर्ष पर्यन्त प्राप्त होने वाले माडल शाप के आवेदनपत्रों का सम्यक निस्तारण लाइसेंस प्राधिकारी द्वारा किया जायेगा।

माडल शाप के परिसर में नागर निकाय के अतिरिक्त अन्य क्षेत्रों में, जो नगर निकायों के समान विकसित हो गये हैं, तथा माडल शाप के अनुज्ञापन हेतु अर्हता पूरी करते हों में भी माडल शाप के अनुज्ञापन प्रदान किये जा सकेंगे।

6.2. माडल शाप की दुकानों का नवीनीकरण :-

माडल शाप की वर्तमान दुकानों का वर्ष 2008-09 के लिए नवीनीकरण के माध्यम से व्यवस्थापन किया जायेगा, यह नवीनीकरण गतवर्ष की भांति नवीनीकरण फीस से मुक्त रहेगा। माडल शाप के लिए आवेदन पत्र एवं प्रोसेसिंग फीस को वर्ष 2007-08 की भांति वर्ष 2008-09 में भी रू0 5000/- प्रत्येक आवेदन पत्र निर्धारित किया जाता है।

6.3. माडल शाप की दुकानों की लाइसेंस फीस :-

वर्ष 2008-09 हेतु माडल शाप की दुकानों की लाइसेंस फीस निम्नानुसार निर्धारित की जाती है :-

निकाय	लाइसेंस फीस (रू0 में)	प्रतिभूति धनराशि (रू0 में)
1. महानगरो एवं नोएडा के लिये (ग्रेटर नोएडा एवं झांसी को छोड़कर)	20 लाख रूपये वर्ष या वर्ष के भाग के लिये	1.00 लाख
2. अन्य नगरों के लिये (ग्रेटर नोएडा एवं झांसी सहित)	8 लाख रूपये वर्ष या वर्ष के भाग के लिये या ऐसे नगर की विदेशी मदिरा एवं बियर की फुटकर दुकानों की सर्वोच्च लाइसेंस फीस को मिलाकर प्राप्त धनराशि के समतुल्य लाइसेंस फीस, जो रू0 20 लाख से अधिक न हो।	1.00 लाख

माडल शाप में मदिरा पान की सुविधा के लिये वर्ष 2007-08 की भांति वर्ष 2008-09 में भी रू0 50,000/- अतिरिक्त लाइसेंस फीस ली जायेगी।

7- भांग

7.1. भांग की फुटकर दुकानों का व्यवस्थापन :-

भांग की फुटकर दुकानों का व्यवस्थापन वर्ष 2007-08 की भांति वर्ष 2008-09 में उत्तर प्रदेश आबकारी लाइसेंस (टेण्डर एवं नीलामी) नियमावली, 1991 के प्राविधानानुसार किया जायेगा। भांग के लिये निर्धारित एम.जी.क्यू. पर रू0 20/- प्रति किलोग्राम की दर से बेसिक लाइसेंस फीस देय होगी। एम.जी. क्यू. से अतिरिक्त भांग की निकासी उठाये जाने पर रू0 20/- प्रति किलोग्राम की दर से प्रतिफल फीस अतिरिक्त रूप से देय होगी। भांग का जनपद वार न्यूनतम प्रत्याभूत मात्रा का विवरण संलग्नक-1 में संलग्न कर प्रेषित है।

7.2. भांग के निर्यात पर निर्यात फीस :-

वर्ष 2008-09 में भांग के निर्यात पर शासनादेश सं0 147 ई-तेरह-308 दिनांक 06-06-62 के अन्तर्गत पूर्व में प्रचलित दर के स्थान पर रू0 4/- प्रति किलो की दर से निर्यात फीस निकासी के पूर्व ली जायेगी।

8- अन्य :-

8.1. विदेशी मदिरा का ई0एन0ए0 से निर्माण :-

वर्ष 2008-09 में विदेशी मदिरा के गुणवत्तापूर्ण निर्माण के लिए विदेशी मदिरा की सभी श्रेणियों की एक्स्ट्रा न्यूट्रल अल्कोहल से निर्माण की बाध्यता रहेगी। अर्थात वर्ष 2008-09 में विदेशी मदिरा का निर्माण एक्स्ट्रा न्यूट्रल अल्कोहल से ही किया जायेगा।

8.3. सी0एल0-1ए/एफ0एल0-1बी के अवशेष स्टाक का निस्तारण :-

वर्ष 2008-09 में उक्त नियमावलियों के प्रभाव में न रहने के कारण

सी0एल0-1ए/एफ0एल0-1बी अनुज्ञापनों पर दिनांक 31-03-08 की समाप्ति पर अवशेष स्टाक की अनुज्ञापी द्वारा ब्राण्ड वार घोषणा जिला आबकारी अधिकारी के समक्ष दिनांक 01-04-08 को दोपहर 12.00 बजे तक की जायेगी । अवशेष स्टाक का निस्तारण आबकारी आयुक्त, उ0प्र0 के आदेशानुसार किया जायेगा।

<u>8.4. वर्ष 2007-08 का अवशेष/अविक्रीत स्टाक :-</u>

वर्ष 2007-08 की समाप्ति पर देशी शराब, विदेशी मदिरा, बीयर, वाइन, लो-अल्कोहलिक ब्रिवरीज तथा अन्य देशों से आयोजित मदिरा के अविक्रीत स्टाक की घोषणा नियमानुसार की जायेगी, तथा इसके निस्तारण के सम्बन्ध में आदेश पृथक से सथा समय प्रसारित किए जायेगें, किन्तु यह अवश्य सुनिश्चित कर लिया जाय कि अनुज्ञापियों द्वारा वर्ष 2008-09 में वर्ष 2007-08 की अवशेष देशी मदिरा की न्यूनतम प्रत्याभूत मात्रा की बिक्री न की जाय।

<u>8.5. ताड़ी की फुटकर दुकानों का व्यवस्थापन एवं अभिकर :-</u>

वर्ष 2008-09 में ताड़ी के अनुज्ञापनों के व्यवस्थापन की ट्री टैक्स/सरचार्ज प्रणाली जो 2007-08 की भांति यथावत रहेगी।

8.6. - देशी शराब, विदेशी मदिरा, बीयर एवं भांग की दुकानों के व्यवस्थापन एवं आपूर्ति आदि के सम्बन्ध में उपरोक्तानुसार दिए गए निर्देशों के अतिरिक्त अन्य प्राविधान यथावत रहेगें।

8.7.- प्रदेश में अवैध शराब की बिक्री पर रोक लगाने हेतु विभागीय अधिकारियों द्वारा नियमित रूप से प्रवर्तन की प्रभावी कार्यवाही सुनिश्चित की जाए। वर्ष 2008-09 में लाइसेंस फीस एवं सिक्योरिटी आदि के रूप में प्राप्त होने वाली धनराशि समय से जमा करायी जाय, तथा उसका सत्यापन जनपद के कोषागार से सामयिक रूप से कराया जाय।

8.8.- मदिरा की तस्करी एवं अवैध मद्य-निष्कर्षण को रोकने हेतु आबकारी विभाग द्वारा वर्ष 2008-09 में विशेष प्रयास किया जाए तथा इस हेतु स्थापित 29 चेक पोस्टों एवं 10 संचल दस्तों तथा जनपदों में तैनात प्रवर्तन स्टाफ को विशेष रूप से सक्रिय किया जाए। पकड़े गए अभियोगों की मासिक समीक्षा कर उसकी रिपोर्ट उपलब्ध करायी जाए।

9- मा0 उच्च न्यायालय में विचाराधीन रिट याचिका सं0 1374(टैक्स)/2006 राम नाथ मिश्र बनाम उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य के प्रकरण के परिप्रेक्ष्य में देशी शराब, विदेशी मदिरा एवं बीयर की फुटकर दुकानों के सार्वजनिक लाटरी से व्यवस्थापन के लिए प्राप्त धरोहर धनराशि के ड्राफ्ट/पे आर्डरों की वापसी हेतु इस कार्यालय के पत्र सं0 36190-36260/दस-लाइसेंस-367/खण्ड-2/
आबकारी नीति/2008-09 दिनांक 15-12-07 द्वारा विस्तृत निर्देश जारी किये गये है। साथ ही बैंक ड्राफ्ट/पे आर्डरों की वापसी हेतु प्रारूप पत्र निर्धारित करके प्रेषित किया गया है। उक्त पत्र द्वारा जारी प्रारूप पत्र के अनुसार ही बैंक ड्राफ्ट/पे आर्डरों की वापसी सुनिश्चित करायी जाय। सुलभ संदर्भ हेतु उक्त पत्र की छायाप्रति संलग्नक सहित संलग्न (संलग्नक-3) की जा रही है।

10- देशी शराब, विदेशी मदिरा एवं बियर की दुकानों के व्यवस्थापन हेतु आवेदन पत्रों का विक्रय एवं सार्वजनिक लाटरी निकाले जाने की प्रक्रिया :-

वर्ष 2008-09 हेतु जिन दुकानों का नवीनीकरण नहीं हुआ है तथा नवसृजित दुकानों के लिए देशी शराब, विदेशी मदिरा (बियर व वाइन को छोड़कर) तथा बियर की फुटकर बिक्री की दुकानों का व्यवस्थापन आवेदन प्राप्त कर सार्वजनिक लाटरी प्रणाली द्वारा किया जायेगा। किसी दुकान के लिए एक से

अधिक आवेदन प्राप्त होने की स्थिति में दुकानों के व्यवस्थापन हेतु सार्वजनिक लाटरी प्रक्रिया के सम्बन्ध में निर्देश निम्न प्रकार है :-

10.1.- दुकानों के व्यवस्थापन हेतु देशी शराब, विदेशी मदिरा एवं बियर की दुकानों के आवेदकों के लिए आबकारी विभाग द्वारा निर्धारित एवं निर्गत आवेदन पत्र आवेदकों को जिला आबकारी अधिकारी कार्यालय उप आबकारी आयुक्त, प्रभार कार्यालय, संयुक्त आबकारी आयुक्त जोन कार्यालय एवं आबकारी आयुक्त, कार्यालय से 2500/- (माडल शाप के लिए रू0 5000/-) रूपये आवेदन पत्र के मूल्य एवं प्रोसेसिंग फीस के रूप में नकद धनराशि के भुगतान पर उपलब्ध हो सकेंगे। वर्ष 2008-09 में आवेदन पत्र आबकारी आयुक्त कार्यालय में भी जमा हो सकेंगे। आबकारी आयुक्त, कार्यालय में ऐसे आवेदन पत्रों को जमा होने की अन्तिम तिथि से एक दिन पूर्व तक ही जमा किया जा सकेगा। ऐसे आवेदन पत्रों को सम्बन्धित जनपदों को उपलब्ध करा दिया जायेगा। विभाग द्वारा नियमानुसार निर्गत आवेदन पत्र ही स्वीकार किये जायेंगे। आवेदन पत्र का उपयोग करने वाले व्यक्ति का नाम व पता आवेदन पत्र पर तथा आवेदन पत्र के काउन्टर फाइल पर अंकित किया जायेगा, जिससे आवेदन पत्र प्राप्त करने वाला व्यक्ति ही उस आवेदन पत्र का उपयोग कर सके। आवेदन पत्र के प्रतिपर्ण एवं आवेदन पत्र के मध्य परफोरेशन बिन्दुओं पर दाहिनी ओर बने ब्लाक में जिला आबकारी अधिकारी अथवा आवेदन पत्र निर्गत करने हेतु अधिकृत अधिकारी/कर्मचारी द्वारा इस प्रकार मुहर लगाकर हस्ताक्षर किये जायेंगे, जिससे मुहर व हस्ताक्षर प्रतिपर्ण एवं आवेदन पत्र दोनों पर आंशिक रूप से आ जाये।

10.2. - आवेदन पत्र निर्गत करने के साथ ही निर्गतकर्ता अधिकारी द्वारा आवेदक को देशी शराब की दुकानों हेतु दुकानवार न्यूनतम प्रत्याभूत मात्रा, बेसिक लाइसेंस फीस, लाइसेंस फीस, धरोहर धनराशि व प्रतिभूति धनराशि का

दुकानवार पूर्ण विवरण भी उपलब्ध कराया जायें। विदेशी मदिरा एवं बियर की दुकानों हेतु लाइसेंस फीस, धरोहर धनराशि व प्रतिभूति धनराशि का दुकानवार पूर्ण विवरण भी उपलब्ध कराया जाये। उपरोक्तानुसार सूचनाओं सहित जनपद की समस्त दुकानों के विवरण के पैम्फलेट/हैण्डबिल व शपथ-पत्र के प्रारूप (संलग्न-4) पहले से ही छपवाकर/स्टेसिंल निकालकर रख लिये जाये तथा आवेदन पत्रों की बिक्री के समय ही आवेदकों को आवेदन पत्र के साथ अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराये जायें।

10.3. - आवेदन पत्र जमा किये जाते समय जिला आबकारी द्वारा आवेदन पत्रों को प्राप्त करने के लिए अधिकृत कर्मचारी द्वारा पहले आवेदन पत्रों की जांच कर यह सुनिश्चित किया जायेगा कि आवेदन पत्र पूर्ण रूप से भरे गये है एवं उसके साथ आवश्यक संलग्नक (ड्राफ्ट शपथ-पत्र, पहचान हेतु प्रमाण आदि) लगे हुए हैं। अपूर्ण आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किये जायेंगे। आवेदन पत्र की जांच के पश्चात् सम्बन्धित कर्मचारी द्वारा इसका अंकन क्रमवार आवेदन पत्र प्राप्ति रजिस्टर में किया जायेगा और प्राप्ति रजिस्टर का क्रमांक आवेदन पत्र एवं प्राप्ति रसीद पर अंकित किया जायेगा। तत्पश्चात् आवेदन पत्र की प्राप्ति रसीद पर दिनांक सहित हस्ताक्षर करके कार्यालय की मुहर लगायी जायेगी एवं उसे आवेदन पत्र से फाड़कर आवेदन पत्र जमाकर्ता को रसीद स्वरूप दे दिया जायेगा। यह प्राप्ति रसीद ही लाटरी के आयोजन स्थल पर प्रवेश हेतु गेट पास के रूप में प्रयुक्त की जा सकेगी व आवेदकों द्वारा यह प्राप्ति रसीद दिखाकर लाटरी आयोजन स्थल में प्रवेश किया जा सकेगा। निर्धारित समयावधि पूर्ण होने के उपरान्त प्राप्त आवेदन पत्रों को लाटरी में सम्मिलित नहीं किया जायेगा।

10.4.- आवेदनकर्ता किसी दुकान के लिए अपने आवेदन पत्र के साथ निवास प्रमाण पत्र या पते के सत्यापन हेतु टेलीफोन बिल, ड्राइविंग शस्त्र लाइसेंस, बिजली

का बिल, क्रेडिट कार्ड, आयकर विभाग का पैन नम्बर, किसान बही की कापी अथवा निर्वाहन आयोग द्वारा निर्गत पहचान पत्र आदि की प्रमाणित प्रति भी प्रस्तुत करेगा।

10.5.- जिला आबकारी अधिकारी द्वारा निर्धारित अवधि के अन्दर प्राप्त समस्त आवेदन पत्रों को दुकानवार छोंड़कर उनकी अलग-अलग सूची तैयार की जायेगी व उन्हें दुकानवार तैयार की गयी पत्रावली में अनुरक्षित किया जायेगा। उचित होगा कि प्रत्येक दुकान के लिए अलग-अलग फाइल कवर बना लिये जायें व उस दुकान हेतु प्राप्त सभी आवेदन पत्रों को भी उन्हीं फाइलों में संरक्षित किया जाये।

10.6. - जिन दुकानों हेतु केवल एक आवेदन पत्र ही प्राप्त होता है, उन्हें आवेदक के पक्ष में व्यवस्थित किये जाने हेतु जिला लाइसेंसिंग समिति द्वारा अग्रिम कार्यवाही की जायेगी।

10.7.- जिन दुकानों हेतु एक से अधिक आवेदन पत्र प्राप्त हुए हों उनके लिए सार्वजनिक लाटरी निर्धारित तिथि को निकाली जायेगी। लाटरी हेतु जिस विशिष्ट दुकान को लिया जाये उसके लिए प्राप्त सभी आवेदन पत्रों को सूची के अनुसार अंकित क्रमांक, नाम व अन्य विवरण सहित लाटरी हाल के नोटिस बोर्ड पर प्रदर्शित किया जाये और उनका संक्षिप्त विवरण यथा दुकान का नाम, न्यूनतम प्रत्याभूत मात्रा बेसिक लाइसेंस फीस/लाइसेंस फीस व प्राप्त आवेदन पत्रों की कुल संख्या आदि सार्वजनिक रूप से माइक पर उद्घोषित किया जाय तथा आवेदकों को सभा कक्ष में आगे आने का अवसर दिया जाये ताकि वे लाटरी सम्बन्धी समस्त कार्यवाही हो भली-भांति देख सकें व लाटरी की कार्यवाही में पूर्ण पारदर्शिता बनी रहे। लाटरी निकाले जाने सम्बन्धी कार्यवाही सभागार/पण्डाल में कुछ ऊँचाई पर

मंच बनाकर इस प्रकार सम्पादित की जाये कि सभागार/पण्डाल में उपस्थित सभी व्यक्ति लाटरी की कार्यवाही को भलि-भांति देख सकें।

10.8.- सार्वजनिक लाटरी निकाले जाने की कार्यवाही कलेक्ट्रेट सभागार अथवा समुचित क्षमता के किसी अन्य सभागार में की जा सकती है। यदि उपयुक्त क्षमता का कोई सभागार अथवा उचित स्थान उपलब्ध न हो तो विशिष्ट परिस्थितियों में पण्डाल लगाकर यह कार्य किया जाये।

10.9. - सार्वजनिक लाटरी से पूर्व दुकानों के व्यवस्थापन सम्बन्धी नियमों व निर्देशों को पढ़कर सार्वजनिक रूप से सुनाया जाये व सभी आवेदकों को मदिरा की दुकानों के संचालन सम्बन्धी महत्वपूर्ण बिन्दुओं से अवगत करा दिया जाये।

10.10. - मदिरा की दुकानों के व्यवस्थापन हेतु सार्वजनिक लाटरी सम्बन्धी समस्त कार्य हेतु जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित लाइसेंसिंग समिति द्वारा किया जायेगा जिसमें वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, जिला आबकारी अधिकारी, आबकारी आयुक्त द्वारा नामित एक अन्य अधिकारी सदस्य होंगे। सार्वजनिक लाटरी की समस्त कार्यवाही इस समिति के सदस्यों की व्यक्तिगत उपस्थिति व देख-रेख में की जायेंगी। जिलाधिकारी इस कार्य में समिति की सहायतार्थ अपने विवेकानुसार उप जिलाधिकारियों अथवा अन्य राजपत्रित अधिकारियों को लगा सकते हैं।

10.11. - सार्वजनिक लाटरी के स्थल पर समस्त आवेदकों को प्रवेश की अनुमति प्रदान की जाये व इस बात का पूर्ण प्रयास किये जाये कि लाटरी निकाले जाने सम्बन्धी कार्यावाही उस दुकान हेतु आवेदन करने वाले समस्त आवेदकों की उपस्थिति में ही सम्पन्न हो, ताकि आवेदकों व जन सामान्य का लाटरी प्रक्रिया की निष्पक्षता व पारदर्शिता के सम्बन्ध में पूर्ण विश्वास रहे व किसी प्रकार की अनियमितता न हो सकें।

10.12. - जिला आबकारी अधिकारी द्वारा आवेदन पत्र लाटरी की पर्ची वाला भाग, जिस पर आवेदक का नाम व पता अंकित होगा एवं दुकान का नाम भी अंकित होगा, को लाटरी निकालने में प्रयोग किया जायेगा। इस प्रकार लाटरी के लिए प्रयोग में लायी जाने वाली पर्चियॉ उतनी ही होंगी जितने प्रार्थना पत्र उस दुकान के लिए प्राप्त हुए हैं।

10.13. - जिस दुकान हेतु लाटरी निकाली जानी है, उसके लिये प्राप्त सभी आवेदन पत्रों की तैयार गयी सूची से पंजीयन संख्या के अनुसार दुकान के लिए प्राप्त कुल आवेदन-पत्रों की लाटरी हेतु पर्चियों को अलग करके उन्हें क्रमशः विधिवत मोड़कर सार्वजनिक रूप से दिखाकर लाटरी के लिए निर्धारित किये गये पारदर्शी पात्र में इस प्रकार डाल दिया जायेगा, कि आवेदक आश्वस्त हो सकें कि सभी आवेदकों की पर्चियाँ पात्र में पड़ गयी है। पात्र में पर्चियाँ डाले जाने से पूर्व उक्त पात्र को उल्टा करके सभी व्यक्तियों को दिखाया जायेगा ताकि वे आश्वस्त हो सकें कि पात्र में पहले से कोई पर्ची नहीं पड़ी है। यह पात्र मंच पर इस प्रकार रखा जायेगा कि सभागार/पण्डाल में उपस्थिति सभी व्यक्ति, विशेषकर उस दुकान के आवेदक भली-भांति देख सकें।

10.14. - जिलाधिकारी सभी आवेदकों की पर्चियों को पात्र में डालकर उसे पहले भली प्रकार मिला लेंगे तत्पश्चात् किसी व्यक्ति से एक पर्ची निकलवा लेंगे। जिस पंजीयन संख्या की पर्ची निकलेगी, उसे सार्वजनिक रूप से दिखाये जाने कि पश्चात् उसी पंजीयन संख्या के आवेदनकर्ता के नाम दुकान आवंटित की जायेगी। एक ही व्यक्ति से बार-बार लाटरी पर्चियां निकलवायी जाय।

10.15. - लाटरी में चयनित व्यक्ति की लाटरी की पर्ची पर समिति के सदस्यों व पर्यवेक्षक के हस्ताक्षर के उपरान्त जी-14 पंजिका में दुकान का नाम अंकित

कर उसके सामने उस लाटरी की पर्ची को चस्पा कर दिया जाये व पंजिका पर चयनित व्यक्ति के हस्ताक्षर भी कराये जाये।

10.16. - जिस व्यक्ति को दुकान आवंटित की जाय, उसको मौके पर ही इस आशय का एक पत्र भी निर्गत किया जाये, कि अमुक दुकान की लाटरी उसके नाम से निकली है। पत्र में यह भी निर्देश दिये जायें कि वह देशी शराब के दुकानों के लिए बेसिक लाइसेंस फीस व विदेशी मदिरा व बियर की दुकानों के लिए लाइसेंस फीस तीन कार्य दिवस के अन्दर जमा करेगा तथा लाइसेंसी द्वारा दुकान आवंटन के दस कार्य दिवस के अन्दर प्रतिभूति की शेष 1/2 अंश जमा किया जाना होगा व आवंटन के 20 दिन के अन्दर प्रतिभूति की शेष 1/2 धनराशि का जमा किया जाना आवश्यक होगा। पत्र में सफल आवेदक को दस दिन के अन्दर दुकान की चौहद्दी व अन्य विवरण भी प्रस्तुत करने के लिए लिखित रूप से निर्देशित कर दिया जाय। पत्र में स्पष्ट रूप से सूचित कर दिया जाये कि यदि लाटरी में सफल आवेदक द्वारा निर्धारित अवधि के अन्दर अपेक्षित धनराशि जमा नहीं की जाती तो उसकी दुकान का आवंटन निरस्त कर दिया जायेगा।

10.17.- सार्वजनिक लाटरी की कार्यवाही में पूर्ण निष्पक्षता व पारदर्शिता बरती जाये।

10.18.- विज्ञापन एवं सार्वजनिक लाटरी की समस्त व्यवस्थाओं में पूर्ण मितव्ययिता बरती जाये।

10.19. - नवीनीकरण/अव्यवस्थित/नवसृजित दुकानों के आवेदन पत्रों पर किसी भी दशा में करेक्टिंग फलूड का प्रयोग न किया जाय। यदि किसी संख्या/शब्द को परिवर्तित करना अपरिहार्य हो तो एक लाइन से काटकर परिवर्तित किया जाये तथा आवेदन कर्ता द्वारा कटिंग को प्रमाणित किया जाय। करेक्टिंग फलूड लगे आवेदन पत्रों पर आवंटन हेतु विचार न किया जाये।

10.20.- विदेशी मदिरा के उपभोग आगणन के सम्बन्ध में योजित पुनरीक्षण याचिका संख्या 30/2005 विवेक चौहान बनाम आबकारी आयुक्त व अन्य में शासन के निर्णय के अनुसार 4 पौवे जिसमें मात्र 720 एम0एल0होते हैं, को 750 एम0एल0 की बोतल न माना जाये अपितु 750 एम0एल0 होने पर ही एक बोतल की गणना अनुज्ञापन शुल्क के लिए उपभोग आगणित करने में की जाये।

10.21.- देशी शराब, विदेशी मदिरा, बियर एवं भांग की व्यवस्थापन की प्राख्यापित नियमावलियों में निहित प्राविधानानुसार समय से जी-12 ग व छः 12(क) विवरण पत्र भेजना सुनिश्चित किया जाये।

10.22.- देशी/विदेशी मदिरा एवं बियर की दुकानों के व्यवस्थापन एवं आपूर्ति आदि के सम्बन्ध में उपरोक्तानानुसार दिये गये निर्देशों के अतिरिक्त अन्य प्राविधान यथावत रहेंगे।

10.23.- उत्तर प्रदेश आबकारी (देशी शराब के फुटकर अनुज्ञापनों को व्यवस्थापन) नियमावली, 2002 (यथा संशाधित) नियम-8(च) उत्तर प्रदेश आबकारी विदेशी मदिरा (बीयर को छोड़कर) के फुटकर बिक्री के अनुज्ञापनों का व्यवस्थापन, नियमावली, 2002 (अद्यतन संशोधित) के नियम-8(च) तथा उत्तर प्रदेश आबकारी (बीयर के फुटकर विक्रय के अनुज्ञापनों का व्यवस्थापन) नियमावली) नियमावली, 2001 (यथा संशोधित) के नियम-8 (च) के अन्तर्गत अनुज्ञापी यदि भागीदार रखता है तो ऐसे भागीदार का नाम अनुज्ञापन पर अंकित नहीं किया जायेगा क्योंकि रिट याचिका संख्या-585/2004 राम दुलारे तिवारी बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य में पारित मा0उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के निर्णय के अनुसार ऐसे भागीदार में लाइसेंसी के अधिकार निहित नहीं है। इस निर्णय के विरूद्ध मा0 उच्चतम् न्यायालय में योजित विशेष अनुज्ञा याचिका 11231/2004 संदीप शुक्ला बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य स्वीकार नहीं की गयी है। अतः मानवीय

उच्च न्यायालय का निर्णय अन्तिम रूप से विधिमान्य है। अतः ऐसे भागीदारों के पक्ष में अकेले (बिना मूल अनुज्ञापी के) किसी दुकान का नवीनीकरण किया जाना भी विधि मान्य नहीं है।

10.24.- नवसृजित दुकानों की प्रास्थिति उत्तर प्रदेश आबकारी दुकानों की संख्या एवं स्थिति नियमावली 1968 के साथ सहपठित आबकारी आयुक्त, उ0प्र0 के अर्द्ध शासकीय पत्र सं0 26020-22089/दस-लाइसेंस-400/दुकानों संख्या/स्थिति/02-03. दिनांक 15-02-02 तथा शुद्धि पत्र 26487-557/ दस-लाइसेंस-400/दुकानों संख्या/स्थिति/02-03, दिनांक 28-02-02 में दिये गये मार्ग दर्शक सिद्धातों को दृष्टिकोण रखते हुए रखी जाय।

11- दुकानों के व्यवस्थापन की सयम सारणी :-

कार्यवाही	दिनांक
प्रथम चरण (क) वर्ष 2008-09 की आबकारी नीति में दिए गए निर्देशानुसार न्यूनतम प्रत्याभूत मात्रा/बेसिक लाइसेंस फीस/प्रतिभूति धनराशि में वृद्धि कर देशी शराब की दुकानों (उप दुकानों सहित) की प्रास्थिति, वार्षिक न्यूनतम प्रत्याभूत मात्रा (निर्धारित वृद्धि के साथ), बेसिक लाइसेंस फीस, लाइसेंस फीस, नवीनीकरण फीस व प्रतिभूति धनराशि का विवरण उप दुकानों सहित तैयार किया जाना।	07-03-2008
(ख) उपरोक्तानुसार ही विदेशी मदिरा तथा बियर की दुकानों की लाइसेंस फीस, प्रतिभूति धनराशि, नवीनकरण फीस का विवरण तैयार किया जाए।	07-03-2008
(ग) नवीनीकरण हेतु आवेदन पत्र का विक्रय दिनांक 08-03-2008 से प्रारम्भ तथा दिनांक 18-03-08 को 14.00 बजे तक जमा करने हेतु समाचार पत्रों में संक्षिप्त विज्ञप्ति का प्रकाशन।	07-03-2008
नवीनीकरण हेतु आवेदन पत्र जमा करने की अन्तिम तिथि	18-03-2008 को अपरान्ह 17.00 बजे तक

द्वितीय चरण :- उपरोक्तानुसार नवीनीकरण के बाद अवशेष देशी/विदेशी मदिरा एवं बीयर की दुकानों का यथा विदेशी एवं बीयर की नवसृजित दुकानों के लिए निकायवार निर्धारित न्यूनतम लाइसेस फीस पर व्यवस्थापन लाटरी प्रक्रिया से आवेदन पत्र मांगकर किया जायेगा। ऐसी दुकानों के सम्बन्ध में देशी शराब के मामले में न्यूनतम प्रत्याभूत मात्रा, बेसिक लाइसेंस फीस एवं लाइसेंस फीस तथा धरोहर धनराशि व प्रतिभूति धनराशि विदेशी मदिरा एवं बियर के मामले में लाइसेंस फीस तथा धरोहर धनराशि व प्रतिभूति धनरशि अंकित करते हुए समाचार पत्र में विज्ञापित। विज्ञप्ति में आवेदक के पते व पहचान के लिए निर्वाचन आयोग का पहचान पत्र, आयकर का पैन नम्बर , बिजली का बिल, टेलीफोन, ड्राइविंग लाइसेंस, सस्त्र लाइसेंस, किसान बही की कापी व क्रेडिट कार्ड की सत्यापित प्रति आवेदन के साथ मांगा जायेगा।	19-03-2008
आवेदन पत्रों का विक्रय	20-03-08 से 24-03-08 को अपरान्ह 14.00 बजे तक
आवेदन पत्रों को जमा करने की अन्तिम तिथि	24-03-08 सांय 17. 00 बजे तक
सार्वजनिक लाटरी	25-03-08 प्रातः 11.00 बजे से
तृतीय चरण (क) उक्त प्रक्रिया के पश्चात् अवशेष रही देशी शराब की दुकानों के व्यवस्थापन हेतु वर्ष 2007-08 के एम.जी.क्यू. पर, विदेशी मदिरा के लिए वर्ष 2007-08 की लाइसेंस फीस पर आफर मांगकर एवं बीयर की अवशेष दुकानों पर पुनः लाटरी से व्यवस्थापन हेतु विज्ञापन की तिथि। (ख) देशी शराब की नवसृजित दुकानों पर 3000 ब0ली0 न्यूनतम एम.जी.क्य. निर्धारित करते हुए आफर मांगकर व्यवस्थापन हेतु विज्ञप्ति।	26-03-2008
आवेदन पत्रों का विक्रय	27-03-2008 से 30-03-08 को अपरान्ह 14.00 बजे तक
आवेदन पत्र जमा करने की अन्तिम तिथि	30-03-2008 को सायं 17.00 बजे तक
सार्वजनिक लाटरी तथा देशी/विदेशी शराब, बीयर एवं भाँग की वर्ष 2008-09 के लिए व्यवस्थापन को अवशेष दुकानों के दिनांक 01-04-2008 से दैनिक व्यवस्था पर संचालन हेतु विज्ञापन।	31-03-2008 को प्रातः 11.00 बजे तक
दैनिक आधार पर दुकानों का व्यवस्थापन	01-04-2008 प्रातः 9 बजे
भांग की फुटकर दुकानों की नीलामी	15-03-2008
माडल शाप का नवीनीकरण	08-03-08 से 31-03-08 तक सायं 17 बजे तक

नोट :- यदि किसी कारण वश किसी निर्धारित तिथि को अवकाश घोषित कर दिया जाता है, तो उस तिथि के लिए निर्धारित कार्य अगले तिथि में होगें ।

आशा है, कि आपके कुशल नेतृत्व एवं मार्ग दर्शन में आबकारी दुकानों के व्यवस्थापन संबंधि समस्त कार्यवाही पूर्ण निष्पक्षता एवं पारदर्शिता के साथ सम्पन्न होगीं व प्रदेश के आबकारी राजस्व में आशातीत वृद्धि हो सकेगी ।

भवनिष्ठ

(सुधीर एम0 बोबडे)
(अपठनीय)

शोध अध्ययन के उद्देश्य :

1. युवाओं की सामाजिक, आर्थिक तथा जनांककीय विशेषताओं का अध्ययन करना।

2. युवाओं में मादक द्रव्य प्रयोग की प्रकृति का अध्ययन करना।

3. युवाओं में मादक द्रव्य प्रयोग के कारणों की पहचान करना।

4. युवाओं के मादक द्रव्य प्रयोग के प्रभाव की समीक्षा करना।

5. युवाओं में मादक द्रव्यों के प्रति विचार, मनोवृत्ति एवं दृष्टिकोण ज्ञात करना।

6. मादक द्रव्य प्रयोग पर नियंत्रण हेतु सरकारी प्रयासों की जानकारी करना तथा युवाओं को मादक द्रव्य प्रयोग को कम करने के लिए सुझाव देना।

♣♣♣

अध्याय-2

साहित्य का पुनर्विलोकन

साहित्य का पुर्नावलोकन

निःसंदेह, सामाजिक अनुसन्धान के परिप्रेक्ष्य में सामाजिक शोध के प्रमुख सोपानों के अन्तर्गत ''साहित्य का पुनरावलोकन'' तथा पूर्व अध्ययनों की समीक्षाऐं कर ली जाय तो यह जान लेता है कि प्रस्तुत अनुसंधान कार्य अनुभविक रूप में सम्पादित किए जा चुके है, तथा कौन-कौन सी अध्ययन पद्धतियां व प्रविधियां उन में प्रयोग की गयीं, और किस अनुसंधान-अभिकल्प को अपनाया गया; साथ ही तथ्य सम्बन्धित प्रमुख निदान तथा समस्याऐं क्या-क्या रहीं है? यह निर्विवाद सत्य है कि प्रत्येक सामाजिक समस्या का देश एवं परिस्थियों से घनिष्ठ तथा प्रत्यक्ष सम्बन्ध होता है, अतः इस दृष्टि से भी पूर्व अध्ययनों से सम्बन्धित साहित्य की समीक्षा करना अनुसंधान के लिए महत्वपूर्ण ही नही होता; अपितु कि अनिवार्य आवश्यकता होती है। परिवर्ती परिवेश में अपने अनुसंधान कार्य में क्या-क्या समस्याऐं जनित हो सकती हैं? किन पद्धतियों व प्रविधियों से अध्ययन करना उपयुक्त रहेगा? किन-किन पहलुओं, आयामों तथा कारकों का अध्ययन; पुर्व (अतीत) में हो चुका है? और किन पहलुओं का नहीं; तथा किस दृष्टिकोण से अध्ययन करना अवशेष है? अध्ययन किस भाँति (कैसे) किया जाय; कि अनुसंधान कार्य सरलता, सहजता तथा सुगमता से वस्तुनिष्ठ तथा वैज्ञानिक रूप में पुर्ण हो जाय तथा शोधकर्ता को समय,धन तथा श्रम भी कम अपव्यय करना पड़े; इत्यादि यह सब कुछ एक अध्ययनकर्ता को साहित्य के पुनरावलोकन तथा पूर्व अध्ययनों की समीक्षा कर लेने से स्पष्ट हो जाता है। इस प्रसंग में प्रो. बेसिन का कथन विशेष रूप से उल्लेखनीय है। बेसिन एफ.एच.1 (1962:42) के अनुसार,

"प्रत्येक अनुसंधान कार्य में सम्बन्धित साहित्य एवं पूर्व अध्ययनों की समीक्षा" अनुसंधान योजना का सर्वाधिक महत्वपूर्ण सोपान हुआ करता है क्योंकि प्रत्येक अनुसंधान कार्य, आरम्भ में अस्पष्ट होने के कारण दुरूह एवं जटिल प्रतीत होता है। सम्बन्धित साहित्य के पुनरावलोकन से अनुसंधान की जटिलता एवं अस्पष्टता दोनों ही समस्याऐं लगभग समाप्त हो जाती है। इसका कारण यह है कि साहित्य के पुनरावलोकन से यह स्पष्ट हो जाता है कि शोध अध्ययन के लिए विश्वसनीय, तथा वस्तुनिष्ठ अध्ययन-सामग्री किस भाँति तथा कैसे प्राप्त हो सकती है? साहित्य के पुनरावलोकन तथा समीक्षा करने के कुछ अन्य प्रमुख लाभ इस प्रकार है-

1. अध्ययनकर्ता को शोध समस्या के सन्दर्भ में सामान्य ज्ञान विकसित हो जाता है।

2. अनुसंधान कार्य हेतु अनुसंधान प्रारूप एवं उपयोगी तथा प्रविधियां अनुसंधित्सु को स्पष्ट हो जाती है कि अध्ययन कैसे सम्पादित करना है।

3. साहित्य के पुनरावलोकन से अध्ययनकर्ता को अनुसंधान सम्बन्धी भ्रमात्मक तथा सन्देहात्मक स्थितियां सुस्पष्ट हो जाती है; सम्प्रति अनुसंधान कार्य के सम्बन्ध में अनुसंधानकर्ता का शोध स्पष्ट हो जाने की बजह से अध्ययन करने में सरलता हो जाती है। इस प्रकार साहित्य के पुनरावलोकन तथा पूर्व अध्ययनों की समीक्षा कर लेने से अध्ययनकर्ता को अनुसंधान हेतु शोध-प्रारूप, अध्ययन-पद्धतियां तथा प्रविधियों के ज्ञान के अतिरिक्त, दिशा बोध हो जाता है क्योंकि ऐसा करने से अनुसंधित्सु में अतिरिक्त अभिज्ञान तथा अन्तर्दृष्टि विकसित हो जाती है।

प्रोफेसर बोर्ग जी.पी. (1963:48) के शब्दों में, "सम्बन्धित साहित्य का पुनरावलोकन किसी भी अनुसंधानकर्ता को इस योग्य बना देता है कि वह पूर्व में किए हुए अनुसंधान कार्यो का पता लगा सकें, और उनका अध्ययन करके तथ्य

सम्बन्धित समीक्षा कर सके ऐसा करने से अध्ययनकर्ता अपने अनुसंधान कार्य के लिए उपयुक्त उपकरणों तथा पद्धतियों इत्यादि का उचित चयन करके अतिरिक्त ज्ञानार्जन का आधार पर अनुसंधान हेतु स्पष्ट दिशा प्राप्त कर लेता है''।

सर्वश्री पुरूषोत्तम (1991:110) के अनुसार ''सामान्यतः मानव-ज्ञान के तीन पक्ष-(1) ज्ञान को एकत्रित करना (2) एक दूसरे तक पहुँचाना (3) अतिरिक्त ज्ञान में वृद्धि करना, होते हैं। ये तीनों ही मूलभूत तत्व अनुसंधानों में विशेष रूप से महत्वपूर्ण होते है, जो कि वास्तविकता के समीप/निकट आने के लिए निरन्तर प्रयासरत रहते हैं। अतिरिक्त ज्ञान के अर्जन तथा विस्तृत ज्ञान-भण्डार में इनका योगदान, प्रत्येक क्षेत्र में मानव द्वारा किए गए निरन्तर प्रयासों की सफलता को सम्भव बनाता है। उसी भाँति अनुसंधान-प्रक्रिया में ''साहित्य का पुनरावलोकन'' अनुसंधान उपक्रम का एक ऐसा महत्वपूर्ण वैज्ञानिक सोपान होता है; जो कि वर्तमान के गर्त में निहित होता है अर्थात् मनुष्य अपने अतीत में संचरित एवं आलेखित ज्ञान के आधार पर अनुसंधान कार्य के माध्यम से नवीन ज्ञान का सृजन करता है।

सर्वश्री सिंह एस. पी. (1975:14) के अनुसार, किसी भी शोध-समस्या का चयन कर लेने के पश्चात, यह आवश्यक ही नहीं; अपितु शोध की अनिवार्य आवश्यकता होती है कि उस अनुसंधान-विषय से सम्बन्धित उपलब्ध साहित्य का पुरावलोकन कर; तथ्यसम्बन्धित विषयगत समीक्षाएं कर ली जांय क्योंकि ऐसा करने से-

1. शोधकर्ता के मन पटल में अध्ययन समस्या के सन्दर्भ में एक स्पष्ट अन्तर्दृष्टि तथा ज्ञान बोध विकसित हो जाता है।
2. शोधकर्ता को अनुसंधान कार्य हेतु उपयुक्त पद्धतियों तथा प्रविधियों का आभास तथा समुचित ज्ञान हो जाता है।

3. साहित्य की समीक्षा; अध्ययनार्थ निर्मित परिकल्पनाओं/शोध-प्रश्नों के निर्माण में सहायक होती है।

4. विभिन्न शोध-अध्येताओं द्वारा एक ही अनुसंधान कार्य को फिर से दोहराने की गलती नहीं हो पाती और अध्ययन-समस्या से सम्बन्धित उन आयामों (पहलुओं) पर, जिन पर अन्य शोध-अध्येताओं ने ध्यान नहीं दिया अथवा अछूते रह गए; या फिर अज्ञानतावश छूट गए; शोधकर्ता को उन समस्त अछूते आयामों का भी आभास हो जाता हैं।

सर्वश्री स्टॉउफर सेम्युल रिब्यू (1962:73) का कहना है कि सम्बन्धित साहित्य के गहन अध्ययन एवं उसकी समीक्षा के अभाव के अभाव में कोई भी अन्वेषण कार्य करना, "अन्धे के तीर" के तुल्य होता है। साहित्य समीक्षा के अभाव में कोई भी अनुसंधान कार्य एक कदम भी प्रगति पथ पर अग्रसर नहीं हो सकता; जब तक कि अनुसंधानकर्ता को इस बात का ज्ञान तथा जानकारी नहीं है कि प्रस्तुत अनुसंधान के क्षेत्र में किन-किन पक्षों पर कितना कार्य हो चुका है? कौन-कौन से स्रोत प्राप्त है? तब तक वह अध्ययनकर्ता न तो अध्ययन-समस्या का चयन कर सकता है, और न ही उसकी रूपरेखा तैयार कर, अनुसंधान कार्य को गति प्रदान कर सकता है। इसका मोलिक कारण यह है कि प्रत्येक अनुसंधान कार्य का प्रमुख उद्देश्य; किसी समस्या विशेष पर नवीन दृष्टिकोण से चिन्तन तथा विचार करके उसमें नवीनता लाना अथवा समस्या की नवीन ढंग से तार्किक व्याख्या प्रस्तुत करना होता है। उपरोक्त समस्त प्रतिनिधि बिन्दुओं को दृष्टिपथ में रखकर शोधकर्ता ने अपने अनुसंधान कार्य के सुचारू संचालन तथा सफलता हेतु अध्ययन करने से पूर्व सम्बन्धित साहित्य का पुनरावलोकन तथा पूर्व अध्ययनों की

समीक्षा करने का प्रयास किया है ताकि प्रस्तुत अध्ययन को उचित दिशा एवं वैज्ञानिक स्वरूप प्राप्त हो सके''।

भारत में युवकों में मादक द्रव्यों के सम्बन्ध में अनुसंधान कार्य अपेक्षाकृत अत्यन्त ही अल्प हुऐ है फिर भी तत्सम्बन्धित शोध अध्ययनों को निम्नानुसार प्रस्तुत किया गया है :-

कुछ अन्य अध्ययनों (M.C. Jones, 1971; R.A.Woodruff. et. al.,1973;F.A. Seixas and R.Cadoret, 1974) के आधार पर स्थिर किया गया है कि अवसाद (Depression) और समाज विरोधी व्यक्तित्व वाले लोग मद्यपान करते हैं। कुछ अध्ययनों में यह भी देखा गया है कि कुसमायोजित (Meladjusted) व्यक्तियों के मद्यपान करने की सम्भावना अधिक होती है। लेकिन आवश्यक नहीं है कि कुसमायोजित व्यक्ति में मद्यपान की आदत पड़ ही जाय।

मद्यपान करने वाले व्यक्तियों की व्यक्तित्व विशेषताऐं सामान्य व्यक्तियों की अपेक्षा भिन्न होती हैं। आदतजन्य मद्यपान करने वाले व्यक्ति में प्रतिबल (Stress) सहनशीलता कम, ऋणात्मक आत्म-प्रतिभा (Self Image), अनुपयुक्तता की भावनाएँ और अवसाद की भावनाएँ पायी जाती हैं।

जब मद्यपान करने वाले व्यक्ति बहुत अधिक मद्यपान करते हैं और उसकी स्थिति अस्पताल में भर्ती या उपचार वाली हो जाती है तो उसके व्यक्तित्व में कुछ निम्न प्रमुख विशेषताएँ पायी जाती हैं- मनोरचनाओं का अतिरंजित प्रयोग करता है जिसमें युक्तिकरण और प्रक्षेपण का अधिक प्रयोग करता है। इस अवस्था में वह अपने आवेगों को नियंत्रित करने में कठिनाई का अनुभव करता है। उसमें उत्तरदायित्व का अभाव भी पाया जाता है।

मनोवैज्ञानिक मेधता - जिन अध्ययनों में मद्यपान करने वाले और मद्यपान न करने वाले व्यक्तियों की व्यक्तित्व विशेषताओं की तुलना की गयी है, उन अध्ययनों से यह स्पष्ट हुआ है कि मद्यपान करने वाले व्यक्ति संवेगात्मक रूप से अपरिपक्व होते हैं। मद्यपान करने वाले व्यक्ति चाहते हैं कि समाज के लोग उनकी प्रशंसा करें । मद्यपान करने वाले व्यक्तियों में यह भी देखा गया है कि इन व्यक्तियों में असफलता के कारण हीनता की भावनाएँ उत्पन्न हो जाती हैं। इनमें कुण्ठा के प्रति सहनशीलता भी निम्न स्तर की होती है। वे अपने आपको अनुपयुक्त भी अनुभव करते हैं । कुछ अन्य अध्ययनकर्ताओं (D.G. McClelland, et.al.,1972,B.Pratt, 1972;G.Winokur.et.al.,1970) ने अपने अध्ययनों के आधार पर यह स्थिर किया कि व्यक्ति अपने पुरूषत्व और अपनी उपयुक्तता की भावना को स्थापित और स्थिर करने के लिए मद्यपान करता है । व्यक्तियों को अपने शराब पीने पर नियंत्रण नहीं होता है। अध्ययन D.W.Goodwin,et.al., 1973 ने यह देखा गया कि वे बच्चे जिनके पिता मद्यपान करने वाले थे, उन्हें उन परिवारों में पाला गया जहाँ मद्यपान नहीं होता था। इस प्रयोगात्मक समूह की तुलना नियंत्रित समूह से की गयी। नियंत्रित समूह में वे बालक थे जिनके परिवार में कभी किसी के द्वारा मद्यपान नहीं किया गया था। इस अध्ययन में यह निष्कर्ष निकाला कि नियंत्रित समूह के बालकों की अपेक्षा प्रयोगात्मक समूह के बालकों से मद्यपान की समस्याएँ दो गुनी थीं। मस्तिष्क सर्जरी जर्मनी में एक अध्ययन (R.Fritz, et. al; 1974) के अनुसार जिस प्रकार खाने और सैक्स की पूर्ति की इच्छा होती है, ठीक उसी प्रकार मद्यपान की इच्छा होती है। इन इच्छाओं को नियंत्रित करने के लिए मस्तिष्क के कुछ विशिष्ट केन्द्रों का ऑपरेशन किया जाता है । इसके लिए

मस्तिष्क के इन विशिष्ट केन्द्रों का लगभग 50 क्यूबिक किलोलीटर के क्षेत्र को उदासीन कर दिया जाता है फिर रोगी को पीने की इच्छा नहीं उत्पन्न होती है।

इनदिनेशस्मथ, अल्फ्रेड (1940): "द ड्रग ऐडिक्ट एज ए साइकोपेथ" अमेरिकन सोशियोलोजीकल रिव्यू, न्यूयार्क।

मर्टन, रोवर्ट, के एण्ड निसवेट रोवर्ट, ए (1979): कनटेम्परेरी सोसल प्रालम्स ने प्रतिमान उल्लंघन के विभिन्न प्रकारों का महत्व को समझने की दृष्टि से विपथगामी (Aberrant) और अ-अनुपालक मद्यसारिकों का तीन समूहों में वर्गीकरण किया जा सकता है : स्थिर, आवर्ती, और पठार। स्थिर मद्यसारिक वह है जो निरन्तर मदिरा में सन्तृप्त रहता है। आवर्ती मद्यसारिक वह है जो लंबी समयावधियों तक नहीं पीता और फिर रंगरेलियां मनाता है। आधित्यका व पठार मद्यसारिक वह है जो उपरोक्त दोनों किस्मों में से प्रत्येक से अधिक जानबूझ कर पीता है और मदिरा से अधिकतम प्रभावों को चाहने की ओर प्रवृत्त होता है। उसे हर समय संतृप्ति का एक विशेष स्तर बनाये रखने की इच्छा होती है, परन्तु उसमें अपनी मदिरा को प्रभाव को लंबे समय की अवधि तक फैलाने की क्षमता होती है।"

बेकर, हावर्ड,एस, (1963): "द आउट साइडर" फ्री.प्रेस, न्यूयार्क : ने मादक द्रव्यों के सेवन सोशियो-साइकिलोजीकल कारण बताते हुए हाबर्ड बेकर (1963) और काइ एरिकसन (1964:21) ने सामाजिक मनोवैज्ञानिक 'लेबलिंग' सिद्धांत में बताया है कि एक व्यक्ति व्यसनी व शराबी के लेबल लगने के दबाव के कारण मादक द्रव्य सेवनकर्ता व शराबी बन जाता है। परन्तु यह सिद्धांत यह समझाने में असफल रहा है कि व्यक्ति मादक द्रव्य-व्यवहार में पहले कैसे फंसते हैं जिसके कारण उन्हें सामाजिक दृष्टि से 'विचलित व्यसनी' कहा जाता है।"

बासकिन रिचर्ड (ऐडी): "सोसल प्राबलम्स", मैंकग्रो हिल एण्ड को. न्यूयार्क, 1964, ने विश्व में मादक द्रव्यों की खपत को मूल्यों में बताते हुए निष्कर्ष निकाला कि, "यदि हम विभिन्न देशों के बीस वर्ष की आयु से अधिक (वयस्कों) के मदिरा सेवन करने वालों की तुलना करें, तो सबसे अधिक संख्या फ्रांस में (5,200 प्रति एक लाख जनसंख्या) में पाई जाती है; उसके पश्चात अमेरिका (4,760 प्रति लाख); स्वीडन (2,780 प्रति लाख), स्वटजरलैण्ड (2,685 प्रति लाख), डेनमार्क (2,260 प्रति लाख), नार्वे (2,220 प्रति लाख), कनाडा (2, 140 प्रति लाख), आस्ट्रेलिया (1,640 प्रति लाख), इंग्लैंड (1,530 प्रति लाख), और इटली (1,100 प्रति लाख) में पाई जाती है।"

चेन, इशोडोर एट आल (1969): "साइकोलोजीकल फक्सन आफ ड्रग यूज" में मद्यपान प्रयोग कर्ताओं के लक्ष्यों को बताते हुए लिखते है कि, "निर्भर व्यक्तित्व वाले व्यक्तियों को दूसरों से भावात्मक समर्थन व ध्यान चाहिए और इनके अभाव में वे उसे मादक द्रव्यों के सेवन से स्थानापन्न करते हैं। चेन ने न्यूयार्क में नारकोटिक्स के अध्ययन में पाया कि जिन व्यक्तित्व-लक्षणों वाले व्यक्ति मादक पदार्थो को सेवन करते हैं, वे लक्षण हैं: निष्क्रियता, निम्न आत्माभिमान, आत्म-निदेशन की सीमित क्षमता, अन्य व्यक्तियों में अविश्वास, कुण्ठाओं और तनावों का सामना करने में कठिनाई, पौरूषी पहचान की अपर्याप्तता तथा बचपन के संघर्षो के समाधान की असफलता।"

डेविड मेक क्लेलेण्ड (1972): ने द्रव्यव्यसन के कारण, व्यक्तित्व सिद्धांत को चुनौती देते हुए शक्ति सिद्धांत को प्रस्तुत किया है जिसके आधार पर उसने द्रव्य दुरूपयोग (शराब) को व्यक्ति की शक्ति आवश्यकता की अभिव्यक्ति के संदर्भ में समझाया है। हल्का और कभी-कभी शराब पीने वाले व्यक्ति को शराब पीने से

बड़ी हुई सामाजिक शक्ति की अनुभूति मिलती है, जबकि भारी (Heavy) शराबी को बड़ी हुई व्यक्तित्व शक्ति की अनुभूति मिलती है''।

रिचर्ड ब्लूम (1973:508): ने पीने के दो सन्दर्भों पर अपने अध्ययन निष्कर्षों में लिखा है कि, ''(1) निर्धारित सामाजिक संरूप के संदर्भ में जहां पीना समाज की संस्कृति से जुड़ा हुआ है और वह प्रतिदिन की दिनचर्या का अंग समझा जाता है (उदाहरण के लिये, इटली, अमरीका) और व्यक्तियों को उसमें कोई मनोवैज्ञानिक विभव/सम्भावना प्रतीत नहीं होती; (2) मदिरा सेवन को संस्कृति और समाज के लिये विघटनकारी माने जाने और व्यक्तियों द्वारा उसमें आदी होने की संभावना देखने (जैसे भारत में) और पीने को विलास और पलायन (Escape) का साधन समझने के संदर्भ में। शराब पीने वालों का वर्गीकरण 'गैर-व्यसनी' (Non-addicts), 'व्यसनी' (Addicts), और 'चिरकालिक मद्यसारिक' (Chronicalcoholic) के रूप में किया गया है। गैर-व्यसनियों को 'प्रयोगकर्ताओं' (Experimenters) और नियमितों (Regulars) की श्रेणी में रखा जाता है।''

'समाजशास्त्रीय' सिद्धांत की मान्यता है कि परिस्थितियाँ अथवा सामाजिक पर्यावरण व्यक्ति को मादक द्रव्यों का व्यसनी बनाते हैं। सदरलैण्ड के विभिन्न सम्पर्क सिद्धांत के आधार पर यदि द्रव्य-सेवन समझाया जाये, तो उसके अनुसार मादक द्रव्यों का लेना दूसरे व्यक्तियों से सीखा हुआ व्यवहार हैं, विशेष रूप से छोटे घनिष्ठ समूहों से। 'सामाजिक सीखने' का सिद्धात, जो कि विभिन्न सम्पर्क सिद्धांत और प्रबलीकरण सिद्धांत का विस्तृत रूप है।

एकर्स और बर्जेस द्वारा प्रतिपादित किया गया था। 'प्रबलीकरण' सिद्धांत जब यह मानता है कि मादक द्रव्यों पर निर्भरता मात्र एक 'प्रतिबद्ध सीखना' (Conditioned learning) है, सामाजिक सीख का सिद्धांत सीखने की प्रक्रिया में

कार्य करने वाले बलयुक्तकर्त्ता जोर देने वालों के सामाजिक स्रोतों का मूल्यांकन करता है। प्रबलीकरण उन व्यक्तियों के सम्पर्क से होता है जो मादक द्रव्य सेवन के पक्ष में होते है। 'तनाव' (Strain) सिद्धांत व्यक्तियों पर उस जोरदार दबाव पर बल देता है जो उन्हें आन्तरीकृत (Internalised) प्रतिमानों से विचलित होने के लिए बाध्य करते हैं।'' मर्टन के अनुसार इस दबाव का स्रोत लक्ष्यों और साधनों के बीच विसंगति है। जो व्यक्ति अपने लक्ष्यों को वैध साधनों द्वारा प्राप्त नहीं कर पाते वे इतने हताश हो जाते हैं कि शराब और अन्य मादक द्रव्यों का सेवन करना आरम्भ कर देते हैं।

स्टार्क रोडनी (1975): ''अलकोलिजम एण्ड ड्रिग ऐडिग्सन'' इन सोसल प्रोबलम्स में मादक द्रव्यों के प्रयोग को मनोवैज्ञानिक कारण बताते हुए बताते हैं कि, ''मनौवैज्ञानिकों ने मादक द्रव्य-सेवन व द्रव्य-निर्भरता को मुख्यतः 'प्रबलीकरण' (Reinforcement) सिद्धांत, 'व्यक्तित्व' सिद्धांत, 'शक्ति' सिद्धांत, व 'क्षीण स्व' (weakened self) सिद्धांत के आधार पर समझाया है। 'प्रबलीकरण' सिद्धांत में अबराहम विलकर (Strak Rodney, 1975: 102) ने बताया है कि मादक द्रव्यों की सुखद अनुभूतियां उनके उपयोग को बढ़ावा देती हैं। 'व्यक्तित्व' सिद्धांत ने मादक पदार्थों के सेवन को मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं की पूर्ति अथवा कुछ मनोवैज्ञानिक दोषों/कमजोरियों के लिए क्षतिपूर्ण करने के आधार पर समझाया है। यह (सिद्धांत) मादक द्रव्य निर्भरता से जुड़े हुए कुछ विशिष्ट व्यक्तित्व सम्बन्धी लक्षणों की चर्चा करता है तथा द्रव्य-निर्भरता के कारण में 'निर्भर व्यक्तित्व' पर बल देता है।''

मेकवे एवं शोस्टक (1977:111) : भारत में शराब की बिक्री 1988 और 1998 के बीच 20 गुना बढ़ गयी है। इस समय पूरे देश में मद्यसारिकों की संख्या

50 लाख आंकी गयी है। सन् 1948 में जब शराब की बिक्री से एक वर्ष में लगभग 50 करोड़ रूपये की आमदनी थी, 1998 में वह एक वर्ष में 15,000 करोड़ रूपये बतायी गयी थी। देशी शराब पीने वालों का खर्च एक वर्ष में 60,000 करोड़ रूपये आंका गया है। भारत में एक व्यक्ति की शराब की खपत सबसे अधिक केरल में एक व्यक्ति पर 8.3 लीटर और उसके बाद पंजाब में 7.9 लीटर, जबकि पूरे देश में औसत खपत 5.7 लीटर है।''

जूलियन जोसेफ (1977): सोसल प्रोवलम्स, प्रेनटिस हाल, इगसीबुड किलिफ, न्यू जरसे ने मादक द्रव्यों का व्यसन के बारे में अपने विचार कुछ इस प्रकार व्यक्त किए है, ''द्रव्य व्यसन का अनेक बार सेवन इतना खतरनाक समझा जाता है और कभी-कभी इतना अनैतिक व असामाजिक माना जाता है कि यह आम जनता में अनेक प्रकार से प्रतिकूल मनोभाव जागृत करता है। परन्तु कुछ द्रव्य सापेक्षित रूप से अघातक तथा व्यसनहित होते हैं और उनमें हानिकारक शारीरिक प्रभाव भी नहीं पाये जाते हैं। ऐसे द्रव्यों का उपयोग हेरोइन, कोकीन, व एल.एस. डी. जैसे अवैध द्रव्यों के प्रयोग से तथा शराब-तम्बाकू, वार्विटयुरेट तथा ऐम्फेटामाइन जैसे वैध द्रव्यों के सेवन से सुस्पष्ट विपरीत होता है, क्योंकि यह सभी अवैध और दुरूपयोग किए जाने वाले वैध द्रव्य इनके सेवन करने वाले व्यक्तियों पर स्पष्ट हानि कारक शारीरिक प्रभाव डालते है''।

पीले, स्टेनसन एण्ड ब्रोडिसकी (1975): ''लव एण्ड ऐडिक्सन, टेपलिंगर न्यूयार्क ने (Reinforcement) सिद्धांत अथवा भय 'क्षीणस्व' (Weakened self) Fear सिद्धांत में कहा है, ''कि मादक द्रव्यों का व्यसन आधुनिक जीवन की परिस्थितियों के प्रति भय और असुरक्षा की अनुभूतियों के कारण है।''

स्टारक रोडनी (1975:102): 'अलकोहोलिज्म एण्ड ड्रग ऐडिक्सन', इन सोसल प्रावलम्स, रेनडोम हाऊस, टोरोन्टो, अपने प्रवलीकरण सिद्धांत में (Reinforcement) ने बताया कि मादक द्रव्यों की सुखद अनुभूतियां उनके उपयोग को बढावा देती हैं। व्यक्तित्व सिद्धांत ने मादक पदार्थो के सेवन को मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं की पूर्ति अथवा कुछ मनोवैज्ञानिक दोषों/कमजोरियों के लिए क्षतिपूर्ति करने के आधार पर समझाया है। यह सिद्धांत मादक द्रव्य निर्भरता से जुड़े हुए कुछ विशिष्ट व्यक्तित्व सम्बन्धी लक्षणों की चर्चा करता है तथा द्रव्य निर्भरता के कारण में निर्भर व्यक्तित्व पर बल देता है।''

कल्याण मंत्रालय भारत सरकार (2005): ''शोध परियोजना'' हाल ही में कल्याण मंत्रालय ने आसानी से मादक पदार्थो की बुराईयों की चपेट में आ जाने वाले जनसंख्या के विभिन्न ग्रुपों तथा विभिन्न क्षेत्रों में व्यापक सर्वेक्षण के आधार पर नशीले पदार्थो के दुरूपयोग की समस्याओं के राष्ट्रव्यापी आकलन के लिए एक सामान्य प्रपत्र पर 31 शोध अध्ययन कराएँ। इस परियोजना (सर्वेक्षण) के प्रमुख निष्कर्ष थे-

''1. सभी धर्मो और जातियों के ग्रुपों में नशे की लत पाई गई। ऐसा नहीं कहा जा सकता कि कोई खास धर्म इससे ज्यादा प्रभावित है या उसके लोगों पर ही इसका ज्यादा असर पड़ने की आशंका होती है। जातीय ग्रुपों के बारे में भी यही बात सही है।

2. नशे की लत वाले व्यक्ति अधिकतर साक्षर थे।

3. नशे की लत अपनाने के पीछे जिज्ञासा, प्रयोग करना, हमउम्र लोगों का दबाव तथा व्यक्तिगत और पारिवारिक कारण पाए गए।

4. लगता है कि नशे की लत का सबसे ज्यादा असर 16-35 वर्ष के वर्ग पर पड़ता है।

5. इसकी आपूर्ति का मुख्य स्रोत फेरी वाले, दुकानदार और पान वाले थे।

6. नशीले पदार्थों की बुराई में विकसित या अविवाहित होने का कोई खास कारण नजर नहीं आया।

7. कम आय वर्ग के लोगों में नशे की लत वाले व्यक्तियों की संख्या ज्यादा पाई गई है।

8. नशे की लत के लिए रहन-सहन ही मुख्य कारण नहीं हैं।

9. नशे की लत वाले व्यक्तियों में से अधिकतर वे रोजगार, मजदूर, परिवहन श्रमिक अथवा छात्र थे।

10. सबसे अधिक प्रयोग भांग और हीरोइन का पाया गया।''

जोसेफ, जुलियन (1977): 'सोसल प्रावलम' में मादक द्रव्यों कुप्रभाव पर प्रकाश डालते हुए लिखा है कि, ''द्रव्य एक रासायनिक पदार्थ है, जिसके कुछ विशिष्ट शारीरिक और/अथवा मनोवैज्ञानिक प्रभाव होते हैं। यह व्यक्ति की साधारण शारीरिक प्रक्रियाओं व प्रकार्यो को बदलता है। परन्तु यह परिभाषा बहुत व्यापक है। चिकित्सकीय संदर्भ में 'द्रव्य' एक वह पदार्थ है जो चिकित्सक द्वारा नुसखे के रूप में नियत किया जाता है, और जो किसी रोग, बीमारी व पीड़ा के उपचार व रोकथाम के लक्ष्य से निर्मित किया जाता है, जिसमें वह अपने रासायनिक प्रकृति द्वारा जीवित प्राणी (Living organism) की संरचना व प्रकार्यो पर आवश्यक प्रभाव डाल सके। मनोवैज्ञानिक व समाजशास्त्रीय संदर्भो में, 'द्रव्य' एक वह शब्द है, जो उस आदत-निर्माण (Habit forming) पदार्थ के लिए उपयोग किया जाता है जो मस्तिष्क व नाड़ीमण्डल (Nervous system) को प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करता

है। सुतथ्यतः (Precisely) यह एक रासायनिक पदार्थ को दर्शाता है जो शरीर के कार्य, मनःस्थिति, अनुभवजन्यता (Perception) व चेतना को प्रभावित करता है, जिसमें दुरूपयोग की क्षमता है और जो व्यक्ति या समाज के लिए हानिकारिक हो सकता है। (Joseph Julian, 1977)। इस परिभाषा के आधार पर द्रव्य का बारम्बार सेवन इतना खतरनाक समझा जाता है और कभी-कभी इतना अनैतिक व असामाजिक माना जाता है कि यह आम जनता में अनेक प्रकार के प्रतिकूल मनोभाव जाग्रत करता है। परन्तु कुछ द्रव्य सापेक्षिक रूप से अघातक तथा व्यसनरहित होते हैं और उनमें हानिकारक शारीरिक प्रभाव भी नहीं पाये जाते हैं। ऐसे द्रव्यों का उपयोग हेरोइन, कोकीन व एल.एस.डी. जैसे अवैध द्रव्यों के उपयोग से तथा शराब, तम्बाकू, बार्बिटयुरेट व ऐम्फेटामाइन जैसे वैध द्रव्यों के सेवन से सुस्पष्ट विपरीत होता है, क्योंकि यह सभी अवैध और दुरूपयोग किये जाने वाले वैध द्रव्य इनके सेवन करने वाले व्यक्तियों पर स्पष्ट हानिकारक शारीरिक प्रभाव डालते हैं।''

मैकवे, फ्रिरैंक एण्ड शोस्टक अरथर (1978): मोडर्न सोसल प्राब्लम्स ने अपने अध्ययन में मद्यपान की मात्रा पर प्रकाश डालते हुऐ बताया कि, ''सन् 1983 में अमरीका में 76 प्रतिशत व्यक्ति मदिरा सेवन करते थे। इनमें से 74 प्रतिशत पुरूष एवं 26 प्रतिशत महिलाऐं थी। डोन केलहन द्वारा एक सर्वेक्षण के अनुसार जान्सन, (1973:520), 1961 में 76 प्रतिशत व्यक्तियों में से जो मदिरा का सेवन कर रहे थे, 32 प्रतिशत बिरले प्रयोग कर्ता थे और 17 प्रतिशत कभी-कभी प्रयोक्ता थे, 28 प्रतिशत हल्के प्रयोक्ता थे, 15 प्रतिशत मध्यम प्रयोक्ता थे और 8 प्रतिशत भारी प्रयोक्ता थे। सन् 1974 में 11 पीने वालों में से एक मद्यसारिक था।''

मर्टन (1979: 829-23) ने प्रतिमान उल्लंघन के विभिन्न प्रकारों के महत्व को समझाने की दृष्टि से 'विपथगामी' और 'अ-अनुपालक' (Non-conformist) व्यवहार में अन्तर बताया है। अ-अनुपालक व्यक्ति प्रतिमानों (लक्ष्य और/या साधन) की वैधता पर आपत्ति करता है तथा वर्तमान प्रतिमानों को सार्वजनिक रूप से स्वीकार करके उन्हें नये प्रतिमानों द्वारा बदलने की सिफारिश करता है। दूसरी ओर 'विपथगामी' न तो प्रतिमानों की न्यायिकता को चुनौती देता है और न पुराने प्रतिमानों को नये प्रतिमानों से बदलने पर बल देता है। इसी अन्तर के आधार पर समाजशास्त्री भारत में मादक पदार्थों के दुरूपयोग को 'विपथगामी व्यवहार' तथा मादक पदार्थों के सेवन करने वालों तथा व्यसनों को 'विपथगामी' मानते हैं, जो अ-अनुपालकों के विपरीत न तो सामाजिक स्थितियों के सुधार में और न ही मानव जाति के लाभ में रूचि रखते हैं।

द नारकोटिक ड्रग्सएक्ट (नवम्बर 14,1985) में कानून उल्लंघन के दण्ड पर इतना जोर दिया गया है ताकि मद्यपान पर नियंत्रण हो सके; उनमें से एक था 1985 में नया कानून बनाना जिसका नाम था "द नारकोटिक ड्रग्स व साइकोट्रापिक सब्सटांसिज एक्ट" (The Narcotic Drugs and Psychotropic Substances Act)। यह कानून नवम्बर 14, 1985 से लागू किया गया था। इस कानून के उल्लंघन के लिए दण्ड के रूप में दस वर्ष कठोर कारावास, जो 20 वर्ष तक भी बढ़ाया जो सकता है, और एक लाख रूपये जुर्माना, जो दो लाख तक भी बढ़ाया जा सकता है, निर्धारित किया गया है। पुनः अपराध के लिए यह कानून 15 वर्ष का कठोर कारावास, जिसे 30 साल तक भी बढ़ाया जा सकता है, और 1.5 लाख रूपये जुर्माना, जिसे 3 लाख तक बढ़ाया जा सकता है, प्रस्तावित करता है।

न्यायालयों को यह अधिकार भी दिया गया है कि यदि वे चाहें तो कारण स्पष्ट करते हुए निर्धारित सीमा से अधिक जुर्माना भी लागू कर सकते हैं।

रैमजे क्लेन्क (1988): भारत में लगभग 10% से 15% व्यक्ति मदिरापान करते है। तथापि इनसे अत्याधिक बिरले, कभी-कभी और हल्के की श्रेणी में आते हैं। मध्यम और भारी पीने वालों की संख्या बहुत कम हैं परन्तु जैसे अमरीका और अन्य पाश्चात्य देशों में इसके उपयोग में वृद्धि हो रही है, उसी प्रकार भारत में भी पिछले कुछ दशकों से मदिरा का उपयोग एवं दुरूपयोग बढ़ रहा है। जबकि 1943 में अमरीका में पीने वालों की प्रतिशतता कुल जनसंख्या की 2.2 प्रतिशत थी, वह 1955 में कुल जनसंख्या को 3.3 प्रतिशत, 1965 में 6.5 प्रतिशत और 1986 में 9 प्रतिशत हो गई।''

हिन्दुस्तान टाइम्स (1993): ने अपने सम्पादकीय में मादक द्रव्यों की रोकथाम पर प्रकाश डालते हुए 5 मई, 1993 के अंक में प्रकाशित किया कि, ''द नारकोटिक ड्रग्स एण्ड साइकोट्रोपिक सवस्टेन्स एक्ट - 1985 में व्यसनियों से सम्बन्धित भी कुछ प्रावधान है। किसी नारकोटिक ड्रग अथवा मनोचिकित्सीय पदार्थ को थोड़ी सी मात्रा में वैयक्तिक प्रयोग के लिए अवैध रूप में रखने का कारण एक साल का कारावास या जुर्माना या दोनों दिए जा सकते हैं। यह कानून अदालत को व्यवसनी को छोड़ने का अधिकार भी देता हैं। जिससे वह अस्पताल या सरकार द्वारा माननीय संस्था में निर्वसीकरण (Detoxication) या व्यसन राहतता (Deaddiction) के लिए चिकित्सीय उपचार ले सके। इसके लिए यह कानून सरकार से यह आशा करता है कि व्यसनियों की पहचान, उपचार, शिक्षा, उत्तर-रक्षा (Offer one) पुनः स्थापन व पुनः एकीकरण के लिए जितने केन्द्र स्थापति कर सकती है, उतने करे। परन्तु भारत में व्यसन राहता प्रोग्राम सफल

नहीं हो पाया है। पिछले दस वर्षो से प्रोग्राम मे प्रगति सम्बन्धी रिकार्ड यह बताते है कि पंजीकृत व्यसनीयों में 65 प्रतिशत से 75 प्रतिशत का उपचार नहीं किया जा सका। यद्यपि 1993 के प्रारम्भ तक देश में कुल 254 केन्द्र व्यसनीयों के परामर्श, व्यसनराहित, उत्तर-रक्षा व पुनः स्थापन के लिए थे।''

हिन्दुस्तान टाइम्स, मई, 1993 : ने पर 'द नारकोटिक ड्रग्स व साइकोटापिक सबटंसिज एक्ट पर निम्न प्रकाश डालते हुए लिखा है - ''इस कानून में व्यसनियों से संबंधित भी कुछ प्रावधान हैं। किसी नारकोटिक ड्रग् अथवा मनोचिकित्सीय पदार्थ को थोड़ी सी मात्रा में वैयक्तिक प्रयोग के लिए अवैध रूप में रखने के कारण एक साल का कारावास या जुर्माना या दोनों दिये जा सकते हैं। यह कानून अदालत को व्यसनी को छोड़ने का अधिकार भी देता हे जिससे वह अस्पताल या सरकार द्वारा माननीय संस्था में निर्वषीकरण या व्यसनरहितता के लिए चिकित्सीय उपचार ले सके। इसके लिए यह कानून सरकार से यह आशा करता है कि व्यसनीयों की पहचान, उपचार, शिक्षा, उत्तर-रक्षा पुनः स्थापना, व पुनःएकीकरण के लिए जितने केन्द्र स्थापित कर सकता है, उतने करे। परन्तु भारत में व्यसनरहितता प्रोग्राम सफल नहीं हो पाया है। पिछले दस वर्षो से प्रोग्राम में प्रगति सम्बन्धी रिकार्ड यह बताते हैं कि पंजीकृत व्यसनीयों में से 65 प्रतिशत से 75 प्रतिशत का उपचार नहीं किया जा सका है यद्यपि 1993 के आरम्भ तक देश में कुल 254 केन्द्र व्यसनीयों के परामर्श व्यसनरहिता, उत्तर-रक्षा, व पुनःस्थापन के लिए था।

फ्रन्ट लाइन, अप्रैल (1996) :- ने शराब की बढ़ती विक्री पर प्रकाश डालते हुए बताया है कि, ''शराब का उपभोग और शराब की विक्री से आय अलग-अलग राज्यों में अलग-अलग है। उदाहरण के लिए मध्य प्रदेश में जब 1986-1987 में

देशी शराब का उत्पादन 4.7 लाख लीटर था, 1990-91 में यह 1.47 करोड़ लीटर और 1997-98 में 1.82 करोड़ लीटर बताया गया। अरक की विक्री से वृद्धि 1986-87 में 34 करोड़ रूपये से बढ़कर 1990-91में 95 करोड़ रूपये और 1997-98 में 117 करोड़ रूपये हो गई । इस राज्य में आवकारी 364 करोड़ रूपये से बढ़कर 1997-98 में 1020 करोड़ रूपये हो गया । केरल में आवकारी आमदनी 1960-61 में 262 करोड़ रूपये से बढ़कर 1995-96 में 374 करोड़ रूपये हो गई। आन्ध्र प्रदेश प्रतिवर्ष लगभग 800 करोड़ रूपये का राजस्व अर्जित करता है। गुजरात में यह आमदनी 700 और 900 करोड़ रूपये के बीच मानी जाती है।''

क्राइम इन इन्डिया (1998: 220): रिपोर्ट में, ''मादक द्रव्यों की तस्करी पर रोकथाम के अन्तर्गत पिछले दो-तीन दशकों में भारत मादक पदार्थो की तस्करी में वृद्धि की समस्या का सामान कर रहा है, विशेष कर हिरोइन और हशीश की मध्य-पूर्वी क्षेत्र से पश्चिमी देशों में परागमन (Transit) तस्करी की समस्या । इस परिगमन पचिलन (Transit traffic) के कारण मुम्बई, दिल्ली, कलकत्ता और चेन्नई जैसे महानगर ड्रग्स की तस्करी के लिए बहुत भेद्य (Vulnerable) बन गये हैं। सीमाशुक्ल विभाग द्वारा चार वर्षो (1994 से 1998) में पकड़े गये मादक द्रव्यों का मूल्य एक वर्ष में औसत 45 और 86 करोड़ के बीच था। यह कहा जा सकता है कि प्रति वर्ष लगभग 55 करोड़ रूपये मूल्य के द्रव्य पकड़े जाते हैं।(क्राइम इन इण्डिया, 1998:220)। 1997 में इन मादक दव्यों की तस्करी के लिए 13,281 व्यक्तियों को और 1998 में 952 व्यक्तियों को पकड़ा गया था, जिनमें से 80 प्रतिशत पर मुकदमा चलाया गया था और 20 प्रतिशत को दंडित किया गया था। भारत में हेरोइन स्थानीय स्रोतों से 75,000 रूपये एक

किलोग्राम के भाव से खरीदी जाती है जबकि तस्कर इसे 4 लाख रूपये एक किलोग्राम (अथवा 10,000 डालर एक किलोग्राम) के भाव से बेचते हैं। भारत में एक वर्ष में सभी मादक पदार्थो का व्यापार लगभग 2000 करोड़ रूपये था अनुमान लगाया गया है।

लूना, ए.एट आल. (1992): द रिलेशनशिप विटवीन परसेप्सन आफ अलकोहल एण्ड ड्रग हारमफुलनेस एण्ड अलकोहल कन्जमसन वाई यूनीवरसिटी स्टूडेन्ट जिनमें 328 चिकित्सा अनुशासन, 347 पशुचिकित्सा अनुभाग तथा 280 विधि अनुशासन के अपने अध्ययन में पाया कि, "लिंग तथा धर्म विचलन मद्यपान की उपभोग धारणाओं को तथा मादक द्रव्य व्यसन के निर्धारिक हैं।

रैडी. डी.सी.एस.एट आल (1993): "ए ऐपीडेमियोलोजीकल स्टडी ऐवूज ऐमंग स्टूडेन्ट आफ बनारस ने अपने अध्ययन के निष्कर्ष में प्रगट किया कि, "दुर्व्यवहार विद्यालयी छात्रों में (4.5%) था जबकि तुलनात्मक रूप से वर्ष 1976 में (10.2%) यौगिक केश पाये। यह मद्यपान के केश महिला छात्रों में भी बड़ी हुयी पाई गई।"

जुल्फीकार एण्ड वनकर (1994): "साइकिएटेटिव सवसटेंन्स यूज ए मैनी-मेडीकल स्टूडेन्टस की अपनी अनुसंधान रिपोर्ट में बताया कि, "एक तिहारी छात्रों ने चिकित्सकीय मादक द्रव्यों को प्रयोग करते थे। जिन मादक पदार्थो को वे प्रयोग में लाते थे उसमें पान-तम्बाकू-सुपारी (13.00%), धूम्ररहित तम्बाकू (3.00%), सिगरेट (12.00%), शराब (12.5%), केनवेस (0.90%), तथा लोहवान (3.70%)। सिगरेट का सेवन तो मेडिकल कॉलेज में प्रवेश के बाद ही छात्र कर देते थे। जो फाइनल के छात्र होते थे उनमें सर्वाधिक रूप से मद्यपान प्रयोग की संख्या थी।"

मोरटाइन्ज, जे.एम. (1994): ने अपने 'सर्वेक्षण' वोलाडोलिड (स्पेन) में किया उससे निष्कर्ष निकाला कि, "(28.30%) छात्र अपने जीवन काल में मादक द्रव्यों के व्यसनी थे, (16.70%) छात्र पूर्वाद्ध कक्षाओं में अध्ययनरत थे तथा (7.20%) पूर्व माहों से ही मादक द्रव्यों का प्रयोग कर रहे थे। मादक द्रव्य इन छात्रों के तीनों स्तरों (प्रथम, द्वितीय तथा तृतीय वर्ष) में सामान्य रूप से प्रयोग किया जाता था। (14.20%) छात्र अपनी (19.30%) आयु से ही इस मादक द्रव्य का सेवन प्रारम्भ कर चुके थे।"

नोइल एण्ड कोहेन (1997): "चेंजेज इन सवस्टेंसेज यूज ड्रिंग टाइम आफ स्ट्रेस" ने अपने अध्ययन में पाया कि, "परिस्थिति कारक दबाव की स्थिति में सामान्य रूप से मादक द्रव्यों के प्रयोग को प्रभावित करती है। तनाव कम करने वाला सिद्धांत प्रमाणित करता है मद्यपान दबाव की प्रतिक्रिया से आराम पहुंचाता है यही कारण है कि अधिकांश जन दबाव की परिस्थिति में मद्यपान करते हैं। परीक्षा की पूर्व अवधि में छात्र प्राय मद्यपान का प्रयोग कम कर देते हैं इसके पीछे यह उपकल्प रहती है कि यह प्रभावी ढंग से चिन्ता को कम करने में सहज उपलब्धता होती है।"

जेफ्रोरर, जे.सी. (1997): 'सबस्टेन्स यूज इन द यू.एस. कालेज' के अध्ययन में पाया कि, "शैक्षिक स्तर तथा रहन-सहन का प्रबन्धन मादक द्रव्यों के सेवन के महत्वपूर्ण निर्णायक हैं। हाईस्कूल के बीच में ही अध्ययन छोड़ने वाले छात्रों में द्रव्य दुरूपयोग तथा सिगरेट पीने वालों की दर अत्याधिक होती है जबकि वर्तमान में अत्याधिक मद्यपान कालेज के छात्रों में जो अपने माता-पिता के साथ नहीं रहते, पाया जाता है।"

वेव ई, एट आल (1998): एन अपडेट ओन ब्रिटिस मेडीकल स्टूडेन्ट लाइफ स्टायल ऐजूकेशन" ने अपने अध्ययन में बताया कि, "15 प्रतिशत छात्र मद्यपान नहीं करते थें। जो मादक द्रव्य प्रयोग करते थे उनमें 48 प्रतिशत पुरूष तथा 38 प्रतिशत महिलाऐं थी और प्रत्येक उपभोग स्तर 12 प्रतिशत था।

अन्य छात्रों से सर्वेक्षण के तुलनात्मक परिणाम सुझावित करते है कि चिकित्सा छात्रों की जीवन शैली अन्य समूह के छात्रों से भिन्न थी लेकिन विश्वविद्यालय में अध्ययनरत छात्रों में मद्यपान तथा मादक द्रव्य व्यसन की दर बढ़ रही थी।"

नसकर एण्ड भट्टाचार्य (1999:299-300): "प्रीविलेन्स आफ सवसटेन्स यूज एमंग स्टूडेन्टस इन केनयान यूनिवर्सिटी की रिपोर्ट में उल्लेख करते हुए बताते है कि, "मादक औषध परामर्श की दर प्रत्येक शैक्षिक वर्ष वृद्धि हुई है, जैसे प्रथम वर्ष के सत्र में 24 प्रतिशत थी जो 74.4 प्रतिशत आयुवर्ग 25-29 में हो गई। पुरूष छात्रों में मादक द्रव्य प्रयोग कर्ताओं की संख्या (58.4%) अधिक थी लड़कियों की (25.9%) संख्या से। छात्रावास में रहने वाले छात्रों में घर से विद्यालय आने वाले छात्रों की तुलना में अधिक थी। मद्य दुरूव्यवहार का प्रतिमान (12.6%) छात्र तम्बाकू केवल प्रयोग करते थे और (3.6%) शराब केवल। समस्त छात्रों में अधिक समान मद्य तम्बाकू प्रयोग में लायी जाती थी तथा अन्य मद्य औषध मात्र (12.7%) छात्रों द्वारा प्रयोग की जाती थी।"

मैंककिम (1997): 'व्हाई पीपुल विकम ऐंडिक्ट टू ड्रग" के बारे में तीन माडलस का उल्लेख किया है और कहा कि, "वैकल्पिक मादक द्रव्य प्रयोग में संलग्न रहना। ये सभी रोग के माडल हैं, "शारीरिक निर्भरता का माडल" तथा "सकारात्मक पुष्टिकरण का माडल"। ये सभी प्रारूप तभी निर्मित होते हैं जब

व्यक्ति मद्यपान समस्या से ग्रसित हो जाते हैं तथा अन्य मादक द्रव्य सेवन करना बंद कर देते हैं इस प्रकार से धारणा का परिवर्तन महत्वपूर्ण परिणाम यह होता है कि जब इस प्रभाव की धारणा में परिवर्तन विश्वास बन जाता है तब आदतन मादक द्रव्य सेवन कर्ता अपने व्यवहार पर नियंत्रण नहीं कर पाता, तब उन्हें उपचार की आवश्यकता होती है न कि दण्ड देने की।''

विन्जर एट ओल (2000) : अधिक मात्रा मादक द्रव्य का सेवन निश्चित रूप से समस्या/मुद्दा है क्योंकि मादक द्रव्यों की शुद्धता तथा अवैधानिक द्रव्य की खुराक अनियंत्रित हैं। सांख्यकीय से पता चलता है कि एक वर्ष में 10,000 से भी अधिक मृत्युएं संयुक्त राज्य में मादक द्रव्य सेवन से होती है। मादक द्रव्य जो सामान्य रूप से मृत्यु के कारक थे उनमें कोकाइन, हेरोइन तथा मारफीन अक्सर शराब तथा अन्य औषधियों में सम्मिलित की जाती थी। अपराधी जो अक्सर अपराधों में लिप्त होते हैं जैसे गुन्डाई तथा वैश्यावृत्ति तथा मादक द्रव्य क्रय के लिए पेशा एकत्र करने, अधिकतर शराब, देखे गये हैं तथा सम्मिलित होते हैं हिन्सात्मक व्यवहार करने के।''

माजूमदार, एस.के. (2000): ने मद्य निर्भर के उपचार का उल्लेख में बताया कि- ''वैकल्पिक औषधियां जो मादक द्रव्य सेवन निर्भरता के उपचार में प्रयोग की जाती हैं वे ऐतिहासिक रूप से ओपीओड उपचार की तुलना में कम सफल होती हैं लेकिन कुछ मात्रा में डेक्समफेटामाइन आदतन मद्यसारिकों के प्रयोग में सफल पाई गई है। क्लोमेथाजोल शराब के आदतन के लिए भी सफल दवा की भूमिका का निर्वहन करती है।''

कारपेन्टर (2001): ''ड्रग ऐडिक्शन' विषय की व्याख्या में लिखते है कि- ''कतिपय मादक द्रव्य सेवन से सम्बंधित अनुसंधानों के द्वारा मादक द्रव्य सेवन पर व्याख्या की गई है उनके पुष्टीकरण प्रभाव के प्रमाण से। औषध विज्ञानियों ने भी

उस मत का समर्थन किया है कि मादक द्रव्य सेवन का मस्तिष्क के डोपामाइन व्यवस्था पद बहुत गम्भीर प्रभाव पड़ता है जो व्यक्ति के भावानात्मक प्रत्युत्तरों को नियंत्रित करता है तथा मद्यव्यवहार की क्रीड़ा करता है, मात्र एक निरंतर मद्यपान या द्रव्य सेवन की एक खुराक पाकर.....अब हम जानते है कि अनेक औषधियों का दुर्व्यवहार जो मानस में भावना पक्ष को प्रभावित करता है अपितु ज्ञानात्मक पक्ष को भी कुप्रभावित करता है.....ये निष्कर्ष हमें वेहतर समझदारी प्रदान करते है कि कुछ औषधियों का प्रयोग कर के लोग आदतन पियक्कड़ बन जाते हैं, क्यों औषधियां व्यक्ति को उत्तेजनात्मक बना देती हैं कि व्यक्ति इन्हें छोड़ने के बाद भी पुनः सेवन करने लगता है। इसमें सबसे महत्वपूर्ण यह है कि बचाव तथा उपचार की समायोजनाएें कैसे की जाय। यह एक कारण है जिसकी बजय से उपचार की प्रक्रिया जटिल हो जाती है।"

लेशनर (2003) : "थ्योरीज आफ ड्रग ऐडिक्शन" में मद्यसारिकों के अपने सिद्धांत की व्याख्या निम्न भाँति करते हुए कहते है कि- "वे मादक द्रव्यों का सेवन अवसरों पर करते हैं, यह उनका ऐक्षिक निर्णय होता है तथा मादक द्रव्य प्रयोग पर उनका नियंत्रण होता है। यह तो कुछ समयान्तर पर ये ही अवसरों पर मादक द्रव्य प्रयोगकर्ता आदतनिय बन जाते हैं। यह परिवर्तन उनमें इसलिए होता है कि वे समय पर रोजाना सेवन करते हैं उसके परिणाम स्वरूप उनके मस्तिष्क में परिवर्तन हो जाता है। ये ही मुख्य कारण होता है जो घातक बन जाता है .... ये परिवर्तन व्यक्ति के जीवन तथा व्यवहार को प्रभावित करता है और जब व्यक्ति आदती हो जाता है तब वही मादक द्रव्य शक्तिशाली प्रेरक बन जाता है मादक द्रव्य सेवनकर्ता के जीवन में। वह उसकी प्राप्ति के लिए कुछ भी कर सकता है ...... यह उनका आदतियों का व्यवहार होता है जो उनके आदत का कारण बनता है प्रथम स्थान पर फिर व्यवहार का, जब उन्हें आदत पड़ने का ज्ञान होता है तब उनका

उपचार होना, पुर्नावस्था लाने हेतु आवश्यक होता है........ औषध उपचार भी चुनौती भरा होता है। इस मानसिक रोग का स्वभाव जो परिवर्तन लाता है मस्तिष्क में कठिन साध्य होता है, पूर्ण उपचार से स्वास्थ्य करने में। यह भी होता है, जब उन्हें मद्यपान की रिमृति होती है तो वे उसे प्राप्त करने की लालसा में कुछ भी कर सकते हैं....... फिर आदतीय मादक द्रव्य सेवनकर्ता अन्य पक्ति में ही खड़ा होता है जितनी भी अन्य मानसिक रोग होते है उनमें क्योंकि यह रोग स्वैच्छा के व्यवहार से जो विकसित होता है। पर, जब आदत वाली औषधि मस्तिष्क को कमजोर बना देती है जो फिर उसी तरह के परिणाम निकलते हैं जैसे कि अन्य मानसिक रोगों के।''

रोनोल्ड, एम.एटओल. (2005): ने मादक द्रव्य सेवन कर्ताओं के उपचार के बारे में अपने विचार रखते हुए बताते है कि-''आदतन मद्यसारिकों का उपचार विस्तृत रूप से विभिन्न होता है जो मादक द्रव्य सेवन के प्रकारों, सेवन की मात्रा तथा मादक द्रव्य सेवन की अवधि, चिकित्सकीय जोखिमों तथा व्यक्ति की सामाजिक आवश्यकताऐं। आदतन मादक द्रव्य सेवन कर्ताओं के उपचार में तथा लाभ पहुँचाने में कुछ निर्धारक कारक अपनी भूमिका का निर्वहन करते हैं यथा-मादक द्रव्य सेवन कर्ता का व्यक्तित्व, आदत, अध्यात्मकता का विचार तथा धर्म, मानसिक तथा शारीरिक रोग ग्रस्तता तथा स्थानीय तौर पर मद्य निषेध कार्यक्रम की उपलब्धि तथा ग्रहण करने की सामर्थ। आदत छुड़ाने तथा मादक द्रव्य सेवन कर्ताओं पुन स्वास्थ्य बनाने के उपचार में सफलता के सम्बन्ध में भिन्न-भिन्न विचार है। प्राय तुरन्त ''मादक द्रव्यों के प्रयोग का त्याग'' एक सफल साधन माना जाता है फिर भी विचारों की भिन्नता बनी रहती है कि मादक द्रव्य सेवन के लिए कितना स्तर आवश्यक है।''

कालीवास, पी.डब्ल्यू. वालको एन.डी. (2005): "द न्यूरल वेसिस आफ एडिक्शन" ने कहा है कि- "मनोरंजन के हेतु प्रयोग में किया गया मादक द्रव्य सेवन आदतनीय मादक द्रव्य सेवन के लक्षणों में शक्ति के साथ मादक द्रव्य ढूढने का व्यवहार आता है जिसमें मद्यसारिक निरंतर लालसा रखता हुआ मादक द्रव्यों को बाहर तलासता है यह जानते हुए भी कि उनका सेवन उसके लिए हानि कारक है। प्रमाणों से पता लगता है कि इस प्रकार के व्यवहार का परिणाम....... सायनेयिक परिवर्तन लाता है जो कि बार-बार मादक द्रव्य सेवन के कारण प्रगट होता है। मादक द्रव्य व्यवहार अधिक प्रयोग के द्वारा प्रक्षेप होता है इस बात का समर्थन परीक्षणात्मक तथ्यों से होता है जो मद्यसारिक के द्वारा मादक द्रव्य तलासने में वह करता है। उसका बचाव उसकी मादक भूख को कम करने में किया जा सकता है।"

डीन्स, एफ (2006): बताते है कि- "मादक द्रव्य छोड़ने के प्रभाव स्वाभाविक स्वरूप अप्रसन्नतादायक होते हैं तथा अनिक्षक भी। इन प्रभावों को कम करने हेतु नकारात्मक पुष्टीकरण का सहारा लेना पड़ता है। वह व्यवहार का पुष्टीकरण होता है जो अनचाहे प्रेरक को समाप्त करता है, इससे यह व्याख्या की जा सकती है कि आदतन मादक द्रव्य सेवी मद्य सेवन को क्यों निरंतर प्रयोग करता है जबकि इससे उसका मस्तिष्क व शरीर दोनों ही कमजोर होते हैं। ऐसा बहुत कम परिस्थितियों में होता है कि नकारात्मक पुष्टीकरण प्रारम्भ में मादक द्रव्य सेवन किया जाता है, उदाहरण के लिए एक व्यक्ति यदि दुखात्मक भावना से पीड़ित है तब वह पाता है कि थोड़ा सा मद्य द्रव्य लेने से उसे मुक्ति प्राप्त होती है तब वह पुनः एक नकारात्मक पुष्टीकरण ही होता है।"

रिचार्ड (2005): "मेडीकेशन फार ट्रीटिंग अल्कोहल डिपेन्डेन्स" लिखते है कि- "हैरान छोड़ने के प्रभाव से लक्षण उभरते है उनमें 'डायसफोरिया', 'डायरिया,

कम्पन तथा आन्दोलित होना देखा गया है। शारीरिक निर्भरता का माडल बताता है कि व्यक्ति एक निश्चित मद्य द्रव्य प्रयोग करने लगता है। ऐसा वह मद्य निषेध के प्रभाव को जानने के लिए करता है। यदि वह मद्य सेवन बंद कर देता है। बेसिक तौर पर मद्य सेवन त्याग के लक्षण प्रतिक्रियात्मक क्षतिपूर्ति होते है जो प्राथमिक मद्य प्रभाव को परास्त करने के लिए उन्हें मादक द्रव्य के प्रभाव के विरुद्ध कहा जा सकता है इस प्रकार जब कोई व्यक्ति अपने शरीर में मद्य औषध को सुई द्वारा पहुँचाता हे तो उससे नशे का सकारात्मक पुष्टीकरण होता है तथा मद्य की सम्भावनाओं में वृद्धि होती है इसलिए व्यक्ति बार-बार फिर बार-बार मद्य को सुई द्वारा शरीर में पहुँचाता है।''

कूब, जी. क्रीक, एम.जे. (2007): ''ड्रग ऐडिक्शन'' में उल्लेख करते है कि- ''आदतन मादक द्रव्य सेवन को एक व्याधिकीय दशा के रूप में मान्य है। आदतन मादक द्रव्य सेवन का विकार में, बढ़ता हुआ द्रव्य सेवन ही व्यक्ति को मादक व्यवहारी बना देना शामिल है। शीघ्र प्रभावता का पुर्नआदत तथा आदत का कम होना, तथा प्राकृतिक तौर पर प्रेरणाओं को करने की योग्यता मद्यपानीयों को तीन अवस्थाओं में बांटा गया है। ये तीनों अवस्थाओं की विशेषताऐं -निरंतर पीने की लालसा, पूर्व से मादक द्रव्य प्राप्ति, आवश्यकता से अधिक मादक द्रव्यों का सेवन, ये जांच ने के लिए कि नशे का क्या प्रभाव पड़ता है? क्षमता की जांच करना, मादक द्रव्य सेवन छोड़ने से कौन-कौन से लक्षण उभरते है? तथा सामान्य जीवन की पुर्न क्रियाकलाप करने में प्रेरणा का कितना ह्रास हो जाता है।''

गारबुड, सी.एल. पोह, एल.ए. (2007): ने मद्य सारिकों के उपचार पर किए गये प्रयत्नों पर प्रकाश डालते हुए बताया कि- ''एक अन्य क्षेत्र जिसमें मद्य सारिकों का उपचार विस्तृत ढंग से किया जाता है, विशेष कर नीकोटाइन के आदतनियों का। नीकोटाइन के आदतीयों के ऊपर अनेक औषधियों का प्रयोग किया गया

उदाहरण के लिए 'बुप्रोपियन मेकामाइलेमाइन' तथा अभी हाल ही में विकसित औषध 'वैरीनिकिलिन'। अफीम के आदतियों के ऊपर इसका प्रयोग किया परन्तु विस्तृत रूप से देखा गया कि उद्देश्य की प्राप्ति नहीं हुई।''

मौगी. एफ, जिओवनोली, ए. स्ट्रिक, डब्ल्यू, मूज. वी.एस, मूज.आर.एच (2007): ''सबसटेन्स यूज डिस ओडर ट्रीटमेन्ट प्रोग्राम'' में उल्लेख करते हुऐ कहा कि, ''यू.एस.ए. में मद्यसारिकों के उपचार का लक्ष्य होता है कि यौगिक रूप से मादक द्रव्य प्रयोग को त्याग करना। जिसका सैद्धांतिक प्रतिफल निकलता है, परन्तु एकदम मादक द्रव्य सेवन का त्याग मानव व्यवहार में लाना बहुत कठिन होता है। अन्य देश जिसमें यूरोप के देश आते हैं, का विचार है कि मद्यसारिकों के उपचार का लक्ष्य अत्याधिक ग्रन्थिपूर्ण है जिसमें मादक द्रव्य की मात्रा को कम करना उस बिन्दु तक कि मादक द्रव्य सेवन प्रयोग कर्ता के सामान्य कार्य-कलापों में हस्तक्षेप न करें, जैसे कार्य में तथा पारिवारिक संकल्पों के निष्पादन में। यानी घातक मादक द्रव्य सेवन के मध्य में परिवर्तन लाना ताकि सुरक्षित माध्यमों से जैसे मुख द्वारा मादक द्रव्य लेना, आदतन मद्य सेवन कर्ता से होने वाले अपराधों में कमी करना तथा अन्य मिश्रित दशाओं में उपचार देना जैसे एड्स, हेपटाइटिस तथा मानसिक स्वास्थ्य विकार में। इस प्रकार के प्रभाव अक्सर कर प्राप्त कर लिए जाते हैं बिना पूर्ण रूपेण मादक द्रव्य सेवन का त्याग करके। इस प्रकार मादक द्रव्य उपचार का कार्यक्रम यूरोप में अक्सर अत्याधिक फलकारी है विशेषकर संयुक्त राष्ट्र अमेरिकन देशों के क्योंकि कार्यक्रम की सफलता जाँच के मापक उन मद्यसारिकों के ऊपर भी प्रयोग किए जा सकते हैं जो किसी भी स्तर तक मादक द्रव्य सेवन करते है।''

♣♣♣

अध्याय-3

शोध पद्धति

शोध पद्धति

मानव विश्व का सर्वाधिक बौद्धिक, चिन्तनशील एवं जिज्ञासु प्राणी है उसकी इसी जिज्ञासु प्रवृत्ति के कारण वह समाज में व्याप्त सामाजिक समस्याओं एवं उनके इसी निराकरण के लिये सजग प्रहरी बन कर समाधान खोजने के लिये निरन्तर प्रयत्नशील रहता है। यहाँ तक कि समस्या से सम्बन्धित ज्ञान का स्पष्टीकरण करना, नवीन ज्ञान की खोज करना तथा उसका सत्यापन करना, उसके लिये एक जटिल समस्या होती है । समस्या से सम्बन्धित पक्षों के विषय में यथार्थ ज्ञान किन-किन तरीकों तथा प्रविधियों द्वारा किया जाये । ताकि अनुभव सिद्ध तथ्यों को ज्ञात करके निरीक्षण, परीक्षण तथा सत्यापन के आधार पर मानव व्यवहार से सम्बन्धित क्रियाशील अन्तर्निहित प्रक्रियाओं की जानकारी प्राप्त की जा सके एवं विभिन्न सामाजिक प्रघटनाओं एवं नवीन तथ्यों के बीच पाये जाने वाले प्रक्रियात्मक सम्बन्धों की खोज की जा सके। इसके लिये उसे यह सोचना पड़ता है कि ऐसा करने के लिये शोध अध्ययन किस प्रकार किया जाये? ताकि संग्रहीत सूचनाऐं विश्वसनीय, तर्कसंगत तथा वस्तुनिष्ठ रूप में प्राप्त हो सके क्योंकि, "किसी भी अध्ययन विषय का विकास उसकी उचित अध्ययन विधियों के विकास पर निर्भर करता है, न कि विषय सामग्री पर" इसलिये सामजिक अध्ययन पद्धतियों का उल्लेख करते हुऐ सर्वश्री सैलटिज जहोदा तथा कुक ने इन्हें बौद्धिक (नोरमेटिव) तथा व्यवहारिक (एप्लाइड) दो भागों में वर्गीकृत किया है। सामान्य शब्दो में बौद्धिक उद्देश्य को सैद्धान्तिक ज्ञान और व्यवहारिक उद्देश्य को उपयोगितावादी कहा जा सकता है। इनका स्पष्टीकरण करते हुये प्रोफेसर

कपिल ने लिखा है कि बौद्धिक शोध के अन्तर्गत सामाजिक जीवन, सामाजिक समस्याओं तथा प्रघटनाओं के सन्दर्भ में मौलिक सिद्धान्तों व नियमों की गवेषणा की जाती है, जो इस ओर संकेत करती है कि एक अनुसंधानकर्ता को क्या करना चाहिये? जबकि व्यवहारिक शोध के अन्तर्गत मानव व्यवहार से सम्बन्धित समस्या का गहन अध्ययन करके उसका समाधान प्रस्तुत किया जाता है, जिसमें व्यवहारिक सुझाव दिये जा सकें। ''स्पष्टतः व्यवहारिक शोध के अन्तर्गत किन्हीं उद्देश्यों की पूर्ति के लिये अतिरिक्त (नवीन) ज्ञान की प्राप्ति की जाती है।'' परन्तु सर्वश्री करलिंगर एफ.एन. (1964:27) के अनुसार अनुसंधान कार्य प्रायः निम्नलिखित तीन श्रेणियों में विभक्त किये जा सकते हैं:-

1- विशुद्ध मौलिक अनुसंधान, 2- क्रियात्मक अनुसंधान,

3- व्यवहारिक अनुसंधान

जिस प्रकार विधाता की सर्वोत्तम सृष्टि मानव है, उसी प्रकार मानव की सर्वोत्तम सृष्टि मानव समाज व उसकी विचित्र घटनाऐं है। यह मानव बुद्धिजीवी है, जिज्ञासा से भरपूर ज्ञानपिपासु है। इसीलिये यह सच ही कहा गया है कि मानव केवल प्रकृति का ही नहीं स्वयं अपना भी अध्ययन करता है। आकाश, धरती, पेड़-पौधे, पशु-पक्षी, नदी और समुद्र का अध्ययन उसके सम्मुख अनेक आश्चर्यजनक अनुभवों को उपस्थित करता है और उसके ज्ञान-विज्ञान के भण्डार को भरता रहता है, परन्तु स्वयं अपना, अपने समाज का, अपने व्यवहारों का या फिर सामाजिक घटनाओं का अध्ययन मानव के लिये और भी रोचक, अत्यन्त आश्चर्यजनक अनुभवों से भरपूर और अनेक अनोखेपन से समृद्ध होता है। पर यह अध्ययन मनमाने ढंग से नहीं अपितु निरीक्षण, परीक्षण व प्रयोग पर आधारित

वैज्ञानिक पद्धति के द्वारा किये जाने पर ही सत्य को ढूँढा जा सकता है। सामाजिक घटनाओं के सम्बन्ध में सत्य की खोज ही सामाजिक शोध है।

"मानव क्रिया के सभी क्षेत्रों में शोध का अर्थ ज्ञान तथा बोध की निरन्तर खोज है। परन्तु वही ज्ञान व बोध वैज्ञानिक होते है जिनमें वैज्ञानिक शोध के दो आवश्यक तत्व अवश्य विद्यमान हों- इनमें से प्रथम तत्व है निरीक्षण-इसके द्वारा प्रत्यक्ष रूप से देखकर हम कतिपय तथ्यों के विषय में ज्ञान प्राप्त करते है। दूसरा तत्व है- कारण दर्शाना- जिसके द्वारा इन तथ्यों का अर्थ, उनका पारस्परिक सम्बन्ध एवं विद्यमान वैज्ञानिक ज्ञान से उनका सम्बन्ध निश्चित किया जाता है।" यही दोनों तत्व यदि सामाजिक तथ्यों के सम्बन्ध में किये गये अनुसंधान में विद्यमान हैं तो उसे सामाजिक शोध कहते हैं।

इस दृष्टि से सामाजिक शोध किसी सामाजिक समस्या को सुलझाने या किसी उपकल्पना की परीक्षा करने, नवीन घटनाओं को खोजने या कतिपय घटनाओं के बीच नवीन सम्बन्धों को ढूँढने के उद्देश्य से किसी यथार्थ विधि का उपयोग है। यह यथार्थ विधि इस प्रकार की होनी चाहिये जो कि वैज्ञानिक शर्तो को पूरा करती हो तथा जिसकी सहायता से अनुसंधान किये गये विषय का सत्यापन सम्भव हो। दूसरे शब्दों में सामाजिक घटनाओं या विद्यमान सिद्धान्तों के सम्बन्ध में नवीन ज्ञान की प्राप्ति के लिये प्रयोग में लाई गई वैज्ञानिक विधि सामाजिक शोध है।

अतः स्पष्ट है कि सामाजिक शोध एवं वैज्ञानिक नियमानुसार, उस मानवीय क्रियाकलाप की ओर संकेत करता है जिसके द्वारा सामाजिक जीवन में हमारे ज्ञान की वृद्धि सम्भव होती है तथा अनेक घटनाओं व उनके कारणों में पाये जाने वाले पारस्परिक सम्बन्ध के विषय में हम नवीन जानकारी प्राप्त करते है।

सामाजिक शोध के बारे में सबसे उल्लेखनीय बात यह है कि ज्ञान प्राप्ति की वह विधि है जो कि निरीक्षण, वर्गीकरण, प्रयोग तथा निष्कर्षीकरण की सामान्य वैज्ञानिक पद्धति पर आधारित होती है यदि उसी पद्धति के द्वारा न केवल अज्ञात सामाजिक घटनाओं को खोजा जा सकता है परन्तु ज्ञात सामाजिक घटनाओं की भी विवेचना या विश्लेषण किया जाता है। इस अर्थ में सामाजिक शोध "एक वैज्ञानिक योजना है जिसका कि उद्देश्य तार्किक तथा क्रमबद्ध पद्धतियों के द्वारा नवीन तथ्यों का अन्वेषण अथवा पुराने तथ्यों की पुनः परीक्षा एवं उनमें पाये जाने वाले अनुक्रमों, अन्तः सम्बन्धों, कारण सहित व्याख्याओं तथा उनको संचालित करने वाले स्वाभाविक नियमों का विश्लेषण करना है।" इसीलिये श्री मौसर (1961:3) ने ठीक ही कहा है कि, "सामाजिक घटनाओं व समस्याओं के सम्बन्ध में नवीन ज्ञान की प्राप्ति के लिये किये गये व्यवस्थित अनुसंधान को हम सामाजिक शोध कहते हैं।"

सामाजिक अनुसंधान कोई सरल व सीधा कार्य नहीं है और इसलिये प्रत्येक व्यक्ति इसे कर भी नहीं सकता। केवल कुछ पुस्तकीय ज्ञान ही शोध कार्य के लिये पर्याप्त नहीं है। इसके लिये अन्य अनेक बाहय तथा आन्तरिक गुणों का होना आवश्यक है। इसका कारण भी स्पष्ट है। सामाजिक शोध सामाजिक घटनाओं से सम्बन्धित होता है और सामाजिक घटनाएें अमूर्त, परिवर्तनशील, जटिल तथा व्यक्ति प्रधान होती है। इसीलिये इनका अध्ययन प्राकृतिक घटनाओं के अध्ययन से कहीं अधिक कठिन होता है। सबसे बड़ी बात यह है कि सामाजिक घटनाओं के अध्ययन का तात्पर्य वास्तव में मानव द्वारा मानव के विषय में अध्ययन है जैसा कि इस शोध का विषय है- *"युवाओं में मादक द्रव्यों के सेवन की प्रकृति एवं प्रभाव का अध्ययन"*

सामाजिक शोध का उद्देश्य सामाजिक घटनाओं का वैज्ञानिक अध्ययन करके उनके विषय में वास्तविक ज्ञान प्राप्त करना है। इस प्रकार का वैज्ञानिक अध्ययन मनमाने ढंग से नहींकिया जा सकता और न ही काल्पनिक घोड़ा दौड़ाकर अथवा दार्शनिक विचारों का सहारा लेकर किसी यथार्थ और प्रयोगसिद्ध निष्कर्ष तक पहुँचा जा सकता है। श्री अगस्त काम्टे का यह निश्चित मत था कि ''वैज्ञानिक अध्ययन में सट्टेबाजी का कोई स्थान नहीं होता।'' दूसरे शब्दों में आध्यात्मिक व दार्शनिक चिंतन द्वारा प्राप्त निष्कर्ष सत्य या काल्पनिक होना संयोग की बात है और उनके सत्य-असत्य का निर्णय अगर असम्भव नहीं तो कठिन तो अवश्य ही है। कुछ भी हो वैज्ञानिक अध्ययन संयोग या अनुमान पर कदापि निर्भर नहीं हो सकता और न ही होना चाहिये। इसलिये प्रत्येक विज्ञान अपने प्रयोगसिद्ध अध्ययन कार्य के लिये एक या एकाधिक निश्चित व व्यवस्थित अध्ययन प्रणालियों को अपनाता है। इन्हीं को शोध पद्धति कहते है और ये विधियां ही वैज्ञानिक अनुसंधान के आधार हैं। ये पद्धतियां आधारभूत रूप में सभी विज्ञानों में समान या एक जैसी होती हैं, केवल अध्ययन वस्तु की प्रकृति के अनुरूप इनके रूप या स्वरूप में कुछ आवश्यक परिवर्तन प्रत्येक विज्ञान में कर लिया जाता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि पद्धति (Method) वह प्रणाली (Procedure) है जिसके अनुसार कार्य का संगठन, तथ्यों की विवेचना तथा निष्कर्षो का निर्धारण किया जाता है।

1. अध्ययन क्षेत्र

(अ) परिचय : प्राकृतिक सौम्यता एवं सुषमा की साकार मूर्ति विन्ध्यांचल पर्वत के सुरभ्य अक सथल में चित्रकूट स्थित है । आज से ही नहीं अपितु प्राचीनकाल से ही यह भूमि ऋषियों, मुनियों की भूमि रही है । प्राचीन ग्रन्थों के अनुसार, महर्षि बाल्मीकि ने भगवान श्री राम को बनवास काल व्यतीत करने के लिए यही पुण्य

भूमि बतायी थी जिसका वर्णन तुलसीदास जी द्वारा रचित रामचरित मानस में भी मिलता है।

चित्रकूट गिरि करहुँ निवासू।

तह तुम्हार सब भांति सुयासू" ॥ -- तुलसीदास

यहां पर भगवान श्री राम ने अपने वनवासकाल के 12 वर्ष व्यतीत कर इस क्षेत्र को अमरत्व प्रदान किया है। इस क्षेत्र से सम्बन्धित महर्षि बाल्मीकि का जन्म स्थल लालापुर व तुलसीदास का जन्म स्थान राजापुर माना जाता है। यहां पर माता अनुसुइयां के आश्रम में ब्रम्हा, बिष्णु, महेश ने जन्म लिया था।

इतिहासकारों का ऐसा मानना है कि मुगल सम्राट अकबर के बजीरे आजम मौलाना अब्दुल रहीम खानखाना ने भी यहां कुछ समय निवास किया था। स्थानीय लोगों कि किवदन्तियों से आभास मिलता है कि पाण्डवों ने भी अपने अज्ञात वास का कुछ समय यहां पर व्यतीत किया था इसी सन्दर्भ में यह भी कहा जाता है कि केशव कवि का भी निवास यहां कुछ समय के लिए हुआ था। तथा उनके नाम पर यहां पर अनेक दर्शनीय मन्दिर है। चित्रकूट के आस-पास प्राकृतिक दृश्य हरे-भरे वन पहाड़ियों की श्रृंखलाएं, मन्दिर समूह और दक्षिण से उत्तर दिशा में मन्दाकिनी नदी प्रवाहित होने से यह स्थान अत्यन्त शोभनीय एवं आकर्षक लगता है।

स्थिति एवं विस्तार

चित्रकूट उत्तर प्रदेश एवं मध्य प्रदेशश की सीमा पर स्थित है। इसका कुछ भाग उत्तर प्रदेश में तथा कुछ भाग मध्य प्रदेश सीमा में हैं। जो सतना (म.प्र.) एवं चित्रकूट (उ.प्र.) जिले के अन्तर्गत आता है। प्रशासन की दृष्टि से उत्तर प्रदेश की सीमा वाला भाग सीतापुर ग्राम कर्वी तहसील जिला चित्रकूट के अन्तर्गत तथा मध्य

प्रदेश की सीमा वाला भाग रघुराज नगर तहसील जिला सतना के अन्तर्गत समाविष्ट है। भौगोलिक दृष्टि से यह उत्तर में 80'-52 अक्षांश एवं पूर्व में 25'-10 देशान्तर पर स्थित है।

जलवायु

जनपद चित्रकूट की जलवायु सुहावनी है जुलाई से सितम्बर तक यहां वर्षा है। अक्टूबर नवम्बर तथा फरवरी, मार्च महीनों में यहां का मौसम अत्यन्त सुहावना रहता है। दिसम्बर जनवरी में यहां कड़ाके की ठंड तथा अप्रैल मई व जून माहों में भीषण गर्मी पड़ती है।

प्राकृतिक दशा एवं प्राकृतिक जल निकासी

जनपद चित्रकूट पहाड़ी क्षेत्र में स्थित होने के कारण समतल भूमि का अभाव है। परिक्रमा क्षेत्र के निकट स्थिति कामतानाथ ग्राम की ओर भूमि कुछ समतल है। असमतल भूमि के कारण यहां के कुछ क्षेत्र बहुत ऊचाई पर तथा कुछ बहुत नीचाई पर स्थित है।

पूर्वी तरफ तरफ स्थिति क्षेत्रों का ढाल पश्चिम की ओर तथा पश्चिमी क्षेत्रों का ढाल पूर्व की ओर है। किन्तु सम्पूर्ण क्षेत्र का ढाल उत्तर की ओर है। क्षेत्रीय स्थिति के अनुसार भिन्न-भिन्न दिशाओं में बहने वाला पानी बाद में इस क्षेत्र से बहने वाली मन्दाकिनी नदी जिसका ढाल दक्षिण से उत्तर की ओर है, मिलता है।

(ब) जनपद चित्रकूट की सामान्य सूचनाऐं :

तालिका संख्या -1

जनपद चित्रकूट की जनांककीय सम्बन्धी सूचनाऐं

क्र.सं.	जनसंख्यात्मक	मात्रा
1.	क्षेत्रफल	3,164.00 वर्ग कि.मी.
2.	जनसंख्या घनत्व	212 वर्ग कि.मी.
3.	जनसंख्या	8,01,957
	(अ) ग्रामीण	7,75,397
	(ब) नगरीय	26,560
	(स) परिवार की संख्या	1,27,475

स्रोत : जनगणना 2001 की सूचनाएं जनपद की 31.03.07 की भौगोलिक सीमा पर आधारित है।

तालिका संख्या -2

जनपद चित्रकूट में युवा केन्द्रों से सम्बन्धित विवरण

क्र.	नेहरू युवा केन्द्र	संख्या
1.	युवा मंडल	280
	(अ) पंजीकृति	15
	(ब) अपंजीकृति	265
2.	महिला मंडल दल (अपंजीकृति)	43
	योग	323

स्रौत्र : प्रान्तीय रक्षा ईकाई/नेहरू युवा केन्द्र के प्रतिवेदन -2001

तालिका संख्या -3

जनपद चित्रकूट के आवकारी विभाग सम्बन्धी सूचनाओं का विवरण

क्र.	मादक द्रव्य	दुकानों की संख्या	तादात (वार्षिक बिक्री)	दर (बोतल/ किग्रा.)	धनराशि
1.	अंग्रेजी शराब की दुकानें	11	121068 बोतल	154	18644472
2.	वीयर की दुकानें	08	78368 बोतल	28	2194304
3.	देशी शराब की दुकानें	52	413796 बोतल	92	38069232
4.	भांग की दुकानें	14	1800 किग्रा	20	36000

स्रौत : जिला आबकारी विभाग चित्रकूट -2007

तालिका संख्या -4

जनपद चित्रकूट में अंग्रेजी शराब विक्रेताओं सम्बन्धी विवरण

क्र. सं.	दुकान का स्थान	अनुज्ञापी का नाम	शुक्ल वार्षिक
1.	बस अड्डा कर्वी	अभय सिंह S/O श्री मनबोधन सिंह	547700.00
2.	स्टेशन रोड कर्वी	कमलाकान्त त्रिपाठी S/O श्री विष्णु देव त्रिपाठी	442000.00
3.	शंकर बाजार कर्वी	ओमप्रकाश केसरवानी S/O श्री कन्हैया लाल केसरवानी	182700.00
4.	तहसील चौराहा कर्वी	संजय जायसवाल S/O श्री प्रेम चन्द्र जैसवाल	1827000.00
5.	पुरानी कोतवाली कर्वी	संजय जायसवाल S/O श्री प्रेमचन्द्र जैसवाल	1827000.00
6.	बेडी पुलिया	श्रीमती विमला निगम W/O श्री महेश चन्द्र	182700.00
7.	शिवरामपुर	श्रीमती मायादेवी W/O श्री मुन्ना लाल मिश्र	164100.00
8.	मानिकपुर	अजय कुमार जायसवाल S/O श्री अमृत लाल	170100.00
9.	मऊ	अनामिका वर्मा D/Oश्री भवानीदीन वर्मा	164100.00
10.	राजापुर	शत्रुंजय प्रताप S/O श्री ज्ञानदत्त	85100.00
11.	राजापुर	श्रीमती मुन्नी देवी W/Oस्व.श्री लालमन	82100.00

स्रोत : जिला आबकारी कार्यालय, चित्रकूट, उत्तर प्रदेश, वर्ष-2007-08।

तालिका संख्या -5

जनपद चित्रकूट में वियर विक्रेताओं सम्बन्धी विवरण

क्र. सं.	दुकान का स्थान	अनुज्ञापी का नाम	शुल्क वार्षिक
1.	बस अड्डा कर्वी	सूरजपाल S/O श्री अमृत लाल मिश्र	76200.00
2.	स्टेशन रोड कर्वी	कमलाकान्त त्रिपाठी S/O श्री विष्णु देव त्रिपाठी	76200.00
3.	शंकर बाजार कर्वी	राजेश कुमार S/O श्री कन्हैया लाल	66200.00
4.	तहसील चौराहा कर्वी	अमित कुमार S/O श्री बैजनाथ शुक्ल	76200.00
5.	बेडी पुलिया	संतोष कुमार S/O श्री सांवले तिवारी	76200.00
6.	मानिकपुर	श्रीमती मीरा देवी W/O श्री अमृत लाल	33100.00
7.	मऊ	सरयू प्रसाद S/O श्री राजाराम	36500.00
8.	बरगढ़	राजकरण S/O श्री लखन लाल	32200.00

स्रोत : जिला आबकारी कार्यालय, चित्रकूट उत्तर प्रदेश, 2007-08 ।

तालिका संख्या -6

जनपद चित्रकूट में देशी शराब विक्रेताओं सम्बन्धी विवरण

क्र.	दुकान का स्थान	अनुज्ञापी का नाम	एम.जी.क्यू.	शुल्क वार्षिक
1.	बस अड्डा कर्वी	पुरूषोत्तम द्विवेदी S/O श्री कैलाश नाथ	30990 वल्क लीटर	464700.00
2.	रो.मे.अ. कर्वी	अन्तिम लाल S/O श्री मोहन लाल	14560 वल्क लीटर	218400.00
3.	शंकर बाजार कर्वी	इफ्तखार अहमद S/O श्री इमामवरूश	20160 वल्क लीटर	302400.00
4.	उपदुकान वलक्षगंज	इफ्तखार अहमद S/O श्री इमाम वरूश	4160 वल्क लीटर	62400.00
5.	पुरानी कोतवाली कर्वी	अन्तिम लाल S/O श्री मोहन लाल	10000 वल्क लीटर	150000.00
6.	उपदुकान भैरोपाल	अन्तिम लाल S/O श्री मोहन लाल	3230 वल्क लीटर	48450.00
7.	वनकट	इश्तियाक अहमद S/O श्री इमामवरूस	11130 वल्क लीटर	166950.00
8.	अमानपुर	बाल गोविन्द त्रिपाठी S/O श्री चिन्तामणि	11720 वल्क लीटर	166950.00
9.	शिवरामपुर	अवध नरेश S/O श्री खजांची सिंह	17370 वल्क लीटर	260550.00
10.	अकबरपुर	सुग्रीव सिंह S/O श्री खजांची सिंह	21540 वल्क लीटर	323100.00

11.	मारकुण्डी	कमलेश त्रिपाठी S/O श्री दरबारी सिंह	5882 वल्क लीटर	88230.00
12.	रेलवे स्टेशन मानिकपुर	दिनेश सिंह S/O श्री शत्रुजीत सिंह	30460 वक्ल लीटर	457350.00
13	उप दुकान इन्द्रानगर	दिनेश सिंह S/O श्री शत्रुजीत सिंह	1220 वल्क लीटर	93300.00
14.	बस अड्डा मानिकपुर	विनोद कुमार S/O श्री आनन्दी प्रसाद द्विवेदी	27580 वल्क लीटर	413700.00
15.	उप दुकान सरैया	विनोद कुमार S/O आनन्दी प्रसाद द्विवेदी	5240 वल्क लीटर	78600.00
16.	टिकरिया	दिनेश द्विवेदी S/O श्री तीरथ प्रसाद	3530 वल्क लीटर	52950.00
17.	उपदुकान डुडौली	दिनेश द्विवेदी S/O श्री तीरथ प्रसाद	2120 वल्क लीटर	31800.00
18.	खोह	रामनरेश S/O श्री कैलाश	4880 वल्क लीटर	73200.00
19.	भसौधा	वेहरतन करवारिया S/O श्री बद्री प्रसाद	1750 वल्क लीटर	26250.00
20.	सग्रामपुर	जगदीश तिवारी S/O श्री माधव प्रसाद	3230 वल्क लीटर	48450.00
21.	उपदुकान मैनहाई	जगदीश तिवारी S/O श्री माधव प्रसाद	1660 वल्क लीटर	24900.00

22.	सेमरिया	रामसलोने S/O श्री सतानन्द द्विवेदी	2210 वल्क लीटर	33150.00
23.	बहिल पुरवा	राजनारायण त्रिपाठी S/O श्री राम लोटन	4170 वल्क लीटर	62550.00
24.	सेमरदहा	राम प्रकाश मिश्र S/O श्री रामभुवन	1750 वल्क लीटर	26250.00
25.	रसिन	शान्ती लाल S/O श्री राम आसरे	2980 वल्क लीटर	44700.00
26.	ऐचवारा	महेश द्विवेदी S/O श्री शिवसेवक	3710 वल्क लीटर	55650.00
27.	हरिहरपुर	पुरूषोत्तम द्विवेदी S/O श्री कैलाश नाथ	2630 वल्क लीटर	39450.00
28.	झोण्डा	पुरूषोत्तम द्विवेदी S/O श्री कैलाश नाथ	2380 वल्क लीटर	35700.00
29.	मऊ	जमुना प्रसाद केसरवानी S/O श्री राजाराम	25940 वल्क लीटर	414000.00
30.	उपदुकान छिवलाहा	जमुना प्रसाद S/O श्री राजाराम	1660 वल्क लीटर	24900.00
31.	राजापुर न. 1	जमुना प्रसाद S/O श्री राजाराम	19700 वल्क लीटर	295500.00
32.	राजापुर न. 2	जमुना प्रसाद S/O श्री राजाराम	19430 वल्क लीटर	291450.00

33.	पहाड़ी	श्रीमती प्रेमादवी w/o श्री सूरजभान	15990 वल्क लीटर	239850.00
34.	वरगढ़	चरण सिंह s/o श्री संगमलाल	12000 वल्क लीटर	110400.00
35.	उपदुकान रेलवे स्टेशन वरगढ़	चरण सिंह s/o श्री संगम लाल	2260 वल्क लीटर	20792.00
36.	भौरी	हरि गोपाल मिश्र s/o श्री महानन्द	9350 वल्क लीटर	140250.00
37.	रैपुरा	हरि गोपाल मिश्र s/o श्री महानन्द	7020 वल्क लीटर	105300.00
38.	सरधुवा	उदयभान s/o श्री शिवशरण	9030 वल्क लीटर	135450.00
39.	मुरका	जमुना प्रसाद s/o श्री राजाराम	3900 वल्क लीटर	58500.00
40.	छीवो	जमुना प्रसाद s/o श्री राजाराम	3760 वल्क लीटर	56400.00
41.	रामनगर	संजय जयसवाल s/o श्री प्रेमचन्द्र	3480 वल्क लीटर	52200.00
42.	लोहदा	नवल किशोर s/o श्री सुरेश चन्द्र	2980 वल्क लीटर	44700.00
43.	लमियारी	ज्ञानदत्त s/o श्री राजमंगल	1660 वल्क लीटर	24900.00

44.	वछरन	ज्ञानदत्त S/O श्री राजमंगल	1330 वल्क लीटर	19950.00
45.	खण्डेहा	वीरेन्द्र S/O श्री श्यामलाल	2790 वल्क लीटर	41850.00
46.	रमटेकवा मोड़	बद्री विशाल पाण्डेय S/O श्री रामखेलावन	1800 वल्क लीटर	165600.00
47.	कौवरा	ओम नारायण S/O श्री कृष्ण पयासी	1660 वल्क लीटर	152720.00
48.	देऊधा	हरि गोयल S/O श्री महानन्द	1750 वल्क लीटर	161000.00
49.	लालतारोड़	हरि गोयल S/O श्री महानन्द	3500 वल्क लीटर	322000.00
50.	उपदुकान हन्ना विनैका	हरि गोयल S/O श्री महानन्द	1800 वल्क लीटर	165600.00
51.	दरसेड़ा	विजयमणी S/O श्री प्रेमनारायण	1720 वल्क लीटर	258000.00
52.	गनीवा	लवकुश S/O श्री राजकिशोर	2021 वल्क लीटर	185932.00

स्रोत : जिला आबकारी कार्यालय, चित्रकूट उत्तर प्रदेश, 2007-08।

भाँग की दुकान के स्थान :-

1. बस अड्डा कवी, 2. शंकर बाजार कर्वी, 3. स्टेशन रोड़ कर्वी, 4. मानिकपुर, 5. बेड़ी पुलिया, 6. भरतकूप, 7. शिवरामपुर, 8. मऊ, 9. राजापुर, 10. बरगढ, 11. पहाड़ी, 12. भौरी, 13. संग्रामपुर, तथा 14. लालतारोड़।

तालिका संख्या -7

जनपद चित्रकूट में चिकित्सालय/ओषद्यालयों सम्बन्धी विवरण

क्र.	चिकित्सालय	संख्या
1.	ऐलोपैथिक चिकित्सालय	06
2.	आयुर्वेदिक चिकित्सालय	07
3.	होम्योपैथिक चिकित्सालय	14
4.	यूनानी चिकित्सालय	--

स्रौत : महानिदेशक चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण उत्तर प्रदेश, लखनऊ अनुक्रमाणिका -1 वर्ष 2001।

तालिका संख्या -8

जनपद चित्रकूट में चिकित्सा-स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण केन्द्रों की स्थिति सम्बन्धी विवरण

क्र.	केन्द्र	संख्या
1.	जिला चिकित्सालय	01
2.	जिला क्षय नियंत्रण ईकाई	01
3.	जिला कुष्ठ निवारण ईकाई	01
4.	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र	02
5.	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र	09
6.	उपस्वास्थ्य केन्द्र	105

स्रौत : - मुख्य चिकित्साधिकारी चित्रकूट का प्रतिवेदन , वर्ष- 2007।

तालिका संख्या -9

जनपद चित्रकूट में शिक्षा संस्थानों सम्बन्धी विवरण

क्र.	शिक्षण संस्थान	संख्या
1.	प्रायमरी स्कूल	907
2.	उच्च प्राथमिक स्कूल	287
3.	माध्यमिक विद्यालय	49
4.	महाविद्यालय	02
5.	वैकल्पिक शिक्षा केन्द्र	40

स्रौत :- जनपद अर्थ एवं संख्या : चित्रकूट की वार्षिक प्रतिवेदन, 2005 ।

तालिका संख्या -10

जनपद चित्रकूट के लिंगवार शैक्षिक स्तर सम्बन्धी सूचनाओं का विवरण

क्र.	लिंगवाद शैक्षिक स्तर	संख्या
1.	पुरूष	264.16
2.	स्त्री	145.74
3.	कुल योग	409.90

स्रौत :- जनपद चित्रकूट के अर्थ एवं संख्या की पत्रिका, वर्ष, 2005 ।

तालिका संख्या -11

जनपद चित्रकूट की राजस्व ईकाईयों सम्बन्धी विवरण

क्र.	राजस्व ईकाई	संख्या
1.	तहसीले	02
2.	न्याय पंचायतें	47
3.	ग्राम पंचायतें	330

स्रौत : जनपद चित्रकूट के अर्थ एवं संख्या की पत्रिका, वर्ष, 2005 ।

तालिका संख्या -12

जनपद चित्रकूट के सामुदायिक विकास खण्डों से सम्बन्धी विवरण

क्र.	विकास खण्ड	क्षेत्रफल	जनसंख्या	पुरूष	महिला
1.	पहाड़ी	649.39	168594	90570	78024
2.	कर्वी	802.79	198871	106928	91943
3.	मानिकपुर	1053.32	144395	77137	67258
4.	रामनगर	423.68	84985	45194	39791
5.	मऊ	453.77	127935	67373	60562
	योग	3382.95	724780	387202	337578

स्रौत :- जनपद चित्रकूट की सांख्यिकीय पत्रिका, वर्ष-2005 ।

तालिका संख्या -13

जनपद चित्रकूट में वाणिज्य संस्थानों सम्बन्धी सूचनाओं का विवरण

क्र.	बैंक	संख्या
1.	राष्ट्रीयकृत बैंक	10
2.	ग्रामीण बैंक शाखाऐं	29
3.	सहकारी बैंक शाखाऐं	07
4.	सहकारी कृषि-ग्राम विकास शाखाऐं	01

स्रौत :- जनपद चित्रकूट की सांख्यिकीय पत्रिका, वर्ष-2005 ।

2. अनुसंधान का प्रारूप :-

समाजशास्त्रीय शोध अध्ययनों में कई आधारों पर भिन्नता पाई जाती है । कुछ शोध कार्य किसी जिज्ञासा को शान्त करने के लिये तो कुछ केवल ज्ञान प्राप्ति के लिये किये जाते हैं, कुछ का लक्ष्य उपकल्पनाओं का निर्माण तथा कुछ का किसी उपकल्पना की सत्यता की जांच करना होता है। किसी शोध का लक्ष्य किसी घटना का यथार्थ चित्रण करना, किसी का सामाजिक समस्याओं के निराकरण हेतु विकल्पों का पता लगाना तथा कुछ का सामाजिक नियोजन एवं नियोजित परिवर्तन की प्रभावशीलता का पता लगाना और समाज कल्याण तथा विकास कार्यक्रमों के सफल संचालन में योगदान करना है । इन विभिन्न लक्ष्यों या प्रयोजनों के आधार पर सामाजिक शोध कार्य किया जाता है ।

प्रत्येक सामाजिक शोध के कुछ निश्चित उद्देश्य होते हैं और इन उद्देश्यों की प्राप्ति तब तक नहीं की जा सकती तब तक योजनाबद्ध रूप में शोधकार्य का प्रारम्भ नहीं किया गया हो । इसी योजना की रूपरेखा को शोध प्ररचना (Research Design) कहते हैं । इसका तात्पर्य यह हुआ कि एक सामाजिक शोध की

समस्या या उपकल्पना जिस प्रकार की होगी, उसी के अनुसार शोध प्ररचना का निर्माण किया जाता है जिससे शोध कार्य को एक निश्चित दिशा प्राप्त हो सके और शोधकर्ता इधर-उधर भटकने से बच जाये।

जैसा कि पहले ही कहा गया है कि कोई भी सामाजिक शोध बिना किसी लक्ष्य या उद्देश्य के नहीं होता है। इस लक्ष्य का उद्देश्य विकास और स्पष्टीकरण शोधकार्य की अवधि में नहीं होता, अपितु वास्तविक अध्ययन प्रारम्भ होने के पूर्व ही इसका निर्धारिण कर लिया जाता है। शोध के उद्देश्य के आधार पर अध्ययन विषय के विभिन्न विषय के कतिपय पक्षों को उद्घाटित करने के लिये पहले से ही बनाई गई योजना की रूप रेखा को शोध प्ररचना कहते हैं।

श्री एकॉफ ने प्ररचना का अर्थ समझाते हुऐ लिखा है कि ''निर्णय क्रियात्मक करने की स्थिति आने से पूर्व ही निर्णय निर्धारित करने की प्रक्रिया को प्ररचना कहते है।''

अतः यह स्पष्ट है कि सामाजिक शोध प्ररचना के अनेक प्रकार हैं और शोधकर्ता अपने उद्देश्यों की प्राप्ति के लिये सर्वाधिक उपयुक्त समझकर इनमें से किसी एक प्रकार का चयन कर लेता है और वह कौन सा प्रकार है यह ज्ञात होते ही शोधकार्य की प्रकृति व लक्ष्य स्पष्ट हो जाते हैं। जैसे, यदि हमें यह ज्ञात हो जाये कि शोध प्ररचना अन्वेषणात्मक है तो स्वतः ही यह स्पष्ट हो जाता है कि किसी सामाजिक घटना के अन्तर्निहित कारणों की खोज करना ही उस शोध का उद्देश्य है। इस प्रकार शोधकार्य तथ्यों का विवरण मात्र होगा अथवा नवीन नियमों को प्रतिपादित किया जायेगा, उसका उस शोध कार्य में परीक्षण व प्रयोग का अधिक महत्व होगा, इन सब बातों को ध्यान में रखकर शोध कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व एक रूपरेखा बनाई जाती है, उसी को शोध प्ररचना कहते हैं।

समस्त शोधों का एक ही आधारभूत उद्देश्य ज्ञान प्राप्ति है। परन्तु इस ज्ञान की प्राप्ति विभिन्न प्रकार से हो सकती है और उसी के अनुसार शोध प्ररचना का स्वरूप भी अलग-अलग होता है। समाजशास्त्रीय अध्ययनों में अन्वेषणात्मक, वर्णनात्मक, निदानात्मक तथा परीक्षणात्मक शोध प्ररचनाओं को प्रयोग लाया जाता है। प्रस्तुत शोध अध्ययन में अन्वेषणात्मक शोध प्ररचना का प्रयोग किया गया है। अन्वेषणात्मक शोध प्ररचना के बारे में श्री सेलटिज व उनके साथियों ने लिखा है "अन्वेषणात्मक शोध प्ररचना उस अनुभव को प्राप्त करने के लिये आवश्यक है जो कि अधिक निश्चित अनुसंधान के हेतु सम्बद्ध उपकल्पना के निरूपण में सहायक होगा।"

इसी प्रकार के विचार श्री हंसराज ने अभिव्यक्त करते हुऐ प्रगट किये हैं, "अन्वेषणात्मक शोध किसी भी विशेष अध्ययन के लिये उपकल्पना का निर्माण करने तथा उससे सम्बन्धित अनुभव प्राप्त करने के लिये अनिवार्य है।"

मान लीजिये हमें किसी विशेष सामाजिक स्थिति में तलाक प्राप्त व्यक्तियों में यौन व्यभिचार के विषय में अध्ययन करना है तो उसके लिये सबसे पहले उन कारकों का ज्ञान आवश्यक है जो इस प्रकार के व्यभिचार को उत्पन्न करते हैं। अन्वेषणात्मक शोध प्ररचना इन्हीं कारकों को खोज निकालने की एक योजना बन जाती है।

शोधकर्ता द्वारा अपनाई गई इस शोध प्ररचना की सफलता के लिये शोधकर्ता ने :-

1. सम्बद्ध साहित्य का अध्ययन किया,
2. अनुभव सर्वेक्षण- उन सभी व्यक्तियों से सम्बन्ध स्थापित किया जिनके विषय में उसे यह सूचना मिली कि शोध विषय के सम्बन्ध में उनको पर्याप्त

अनुभव या ज्ञान है। ऐसे लोगों का व्यवहारिक अनुभव शोधकर्ता के लिये पथ-प्रदर्शक बना, तथा

3. अन्तर्दृष्टि प्रेरक घटनाओं का विश्लेषण जिससे शोधकर्ता की अध्ययन वस्तु के सम्बन्ध में व्यवहारिक अन्तर्दृष्टि पनपी तथा शोध में अधिक सहायता मिली। प्रत्येक समुदाय के जीवन में दृष्टि आकर्षक, कुछ अत्यन्त सरल व स्पष्ट, कुछ व्याधिकीय, कुछ व्यक्तिगत विशिष्ट गुण सम्बन्धी घटनाऐं होती हैं जो कि अन्र्तदृष्टि को प्रोत्साहित करने में सहायक सिद्ध होती है।

निदर्शन -

'कुछ' को देखकर या परीक्षण कर 'सब' के बारे में अनुमान लगा लेने की विधि को निदर्शन कहते हैं। इस प्रविधि की आधारभूत मान्यता यह है कि इन 'कुछ' की विशेषताऐं 'सब' की आधारभूत विशेषताओं का उचित प्रतिनिधित्व करती हैं। यदि 'कुछ' का चुनाव ठीक तरह से किया जाये। 'सब' की परीक्षा करना या देखना असुविधाजनक, धनसापेक्ष और समय सापेक्ष हो सकता है।'' प्रतिनिधित्व करने वाले निदर्शनों का अध्ययन ही श्रेयस्कर है। शोध में निदर्शन प्रविधि का प्रयोग अत्यन्त लोकप्रिय है और वह इस अर्थ में कि रोज के जीवन में एक अनाड़ी आदमी भी इसका डटकर प्रयोग करता है। बाजार में गेहूँ, चावल अथवा दाल खरीदते समय बोरियों को खुलवाकर उनका एक-एक दाना कोई नहीं परखता अपितु बोरी में से एक मुट्ठी भर दाने निकालकर उनकी जाँच कर ली जाती है और फिर उस मुट्ठी भर दाने का मूल्यांकन होता है। वह सम्पूर्ण गेहूँ, चावल अथवा दाल के लिये होता है। पर हम उस मुट्ठी भर दाने को लेने में सावधानी बरतते हैं, ढेर या बोरी के भीतर हाथ डालकर मुट्ठी भर लेते हैं ताकि

दुकानदार द्वारा ऊपर ही ऊपर सजाया हुआ माल ही केवल हाथ न लगे क्योंकि वह माल सम्पूर्ण ढेर या बोरी में रखे हुऐ माल का उचित प्रतिनिधित्व नहीं करेगा। इसलिये सावधानी की आवश्यकता है और इस कार्य में हम जितना सफल होंगे उतना ही माल खरीदने में हमें कम धोखा होगा। यही व्यवहारिक सामाजिक शोध की निदर्शन प्रविधि है जिसका प्रयोग परिशुद्ध रूप में वैज्ञानिक शोध करने मे किया जाता है। अनुसंधान कार्य मोटे तौर पर दो पद्धतियों के आधार पर किया जा सकता है। यदि हम केवल अध्ययन विषय की जनसंख्या या इकाईयों को ही पद्धति के चुनाव का आधार बनाये। ये दोनों पद्धतियाँ जनगणना पद्धति एवं निदर्शन पद्धति हैं। जनगणना पद्धति को हम (Census) तथा निदर्शन पद्धति को (Sampling Method) कहते हैं। जैसे एक स्कूल के बच्चों का सामाजिक अध्ययन करना है तो स्कूल के प्रत्येक बच्चे से पूछताछ करेंगे। निदर्शन पद्धति में प्रत्येक कक्षा के कुछ छात्रों को प्रतिनिधि चयन कर पूछ-ताछ करेगे। निदर्शन के बारे में श्री याटन का मत है कि "निदर्शन शब्द का प्रयोग केवल किसी समग्र चीज की इकाईयों के एक सेट या भाग के लिये किया जाना चाहिये जिसे इस विश्वास के साथ चुना गया है कि वह समग्र का प्रतिनिधित्व करेगा।" इसी प्रकार के विचार गुडे एवं हाट (1952:209) ने प्रगट किये हैं- एक निदर्शन जैसा कि नाम से स्पष्ट है किसी विशाल सम्पूर्ण का छोटा प्रतिनिधि है।" शोध कार्य में निदर्शन प्रविधि ही कई तरह से अधिक लाभप्रद सिद्ध हुई है क्योंकि इसके प्रयोग से समय की बचत, श्रम की बचत, अधिक गहन अध्ययन की सम्भावना, निष्कर्षो की परिशुद्धता तथा अन्य अनेक लाभ होते है।

निदर्शन प्रविधि का तात्पर्य उस विधि से है जिसकी सहायता से प्रतिनिधित्व पूर्ण निदर्शन का चुनाव किया जाता है। अध्ययन निष्कर्षो के लिये यह

अतिआवश्यक है कि निदर्शन समग्र का उचित प्रतिनिधित्व कर सके । इसलिये निदर्शन चुनाव का काम मनमाने ढंग से नहीं किया जा सकता है । इसलिये सुनिश्चित प्रविधियों को अपनाना आवश्यक है।

1- दैव निदर्शन प्रणाली :-

प्रतिनिधित्वपूर्ण निदर्शन के चुनाव में अनुसंधानकर्ता के स्वयं के पक्षपात तथा मिथ्या झुकाव अथवा पुर्वाग्रिह की संभावना से बचने के लिये तथा सम्पूर्ण समग्र की प्रत्येक ईकाई को समान रूप से चुने जाने का अवसर प्रदान करने के लिये दैव निदर्शन प्रणाली द्वारा निदर्शनों का चुनाव एक सर्वश्रेष्ठ प्रणाली है। दैव निदर्शन प्रणाली के विषय में थॉमस कर्जन (1941) ने लिखा है कि, ''दैव निदर्शन में आने या निकल जाने का अवसर घटना के लक्षण से स्वतंत्र होता है ।''

दैव निदर्शन प्रणाली में निदर्शन चुनने की कई प्रविधियां है। जिनमें (अ) लाटरी प्रणाली, (ब) कार्ड या टिकट प्रणाली, (स) नियमित अंकन प्रणाली, (द) अनियमित अंकन प्रणाली, (य) टिप्पेट प्रणाली, (र) ग्रिड प्रणाली, (ल) कोटा प्रणाली मुख्य है।

2- उद्देश्यपूर्ण निदर्शन प्रणाली :- जब अनुसंधानकर्ता किसी विशेष उद्देश्य को सामने रखकर जानबूझकर समग्र में कुछ इकाईयों का चुनाव करता है वो उसे उद्देश्यपूर्ण निदर्शन या सविचार निदर्शन कहते हैं। श्री एडील्फ जन्सन ने उद्देश्यपूर्ण निदर्शन की अवधारणा को स्पष्ट करते हुऐ लिखा है- ''उद्देश्यपूर्ण निदर्शन से अर्थ है इकाईयों के समूहों की एक संख्या को इस प्रकार चुनना कि चुने हुऐ समूह मिलकर उन विशषताओंके सम्बन्ध में यथासम्भव वही औसत अथवा अनुपात प्रदान करें जो कि समग्र में है और जिनकी सांख्यिकीय जानकारी पहले से ही है।''

3- <u>संस्तरित निदर्शन प्रणाली :-</u> प्रो0 सिन पाओं यंग ने लिखा है कि - "संस्तरित निदर्शन का अर्थ है समग्र में से उप निदर्शनों को लेना जिनकी कि समान विशेषताएँ है जैसे- खेतों के प्रकार, खेतों के आकार, भूमि पर स्वामित्व, शिक्षा स्तर, आयु, लिंग, सामाजिक वर्ग आदि। उपनिदर्शनों के अन्तर्गत आने वाले इन तत्वों को एक साथ लेकर प्रारूप या श्रेणी के रूप में वर्गीकृत किया जाता है।"

प्रस्तुत शोध अध्ययन में शोधकर्ता ने दैव निदर्शन विधि की अनियमित अंकन प्रणाली का उपयोग निदर्शितों के चयन हेतु किया है क्योंकि दैव निदर्शन विधि द्वारा निदर्शितों का चुनाव एक सर्वश्रेष्ठ प्रणाली है तथा इसमें शोधकर्ता के स्वयं के पक्षपात अथवा पूर्वाग्रह की संभावना नहीं होती है एवं प्रत्येक इकाई को समान रूप से चुने जाने का अवसर मिलता है। जिससे निदर्शितों का उचित प्रतिनिधित्वपूर्ण चयन सुनिश्चित होता है।

<u>निदर्शन का आकार :-</u>

जन गणना-2001 के अनुसार जनपद चित्रकूट के नगर क्षेत्र में 12731 परिवार जिसमें क्रमशः कर्वी नगर में 5677 परिवार, 3729 मानिकपुर नगर में परिवार तथा 3325 मऊ नगर में परिवार, यौगिक 12731 परिवार आवासित थे। शोध विषय के निदर्शनों की संख्या मात्र 300 होने के कारण शोधार्थी ने उपरोक्त तीन नगर क्षेत्रों में से सर्वाधिक बड़े नगर जो जनपद चित्रकूट का मुख्यालय था तथा वहाँ स्थानीय स्वशासन के रूप में एक नगर पालिका कार्यरत थी उसमें कर्वी नगर में आवासित 5677 परिवारों में से 250 परिवार तथा ग्रामीण क्षेत्र जैसा कि शोध संक्षिप्तका के अनुसार सर्वाधिक बड़ा एक ग्राम शिवरामपुर जो मद्यपान सेवनकर्ताओं के लिए सर्वविदित था उसके 1050 परिवारों में से 50 परिवार यौगिक रूप 300 निदर्शनों के रूप में शोध हेतु चयन किये गये। दोनों ही

क्षेत्रों- नगर एवं ग्रामीण से शोधार्थी ने दैव निदर्शन विधि की नियमित प्रणाली के द्वारा नगरपालिका कर्वी के गृह कर अनुभाग से परिवारों की लिस्ट प्राप्त कर 250 निदर्शनों के चयन हेतु सम्पूर्ण परिवारों 5677 में सम्यक रूप से विभाजित कर संख्या-22 का मध्यान्तर निकाल कर क्रमशः 22 से 5500 घर तक 250 परिवारों का शोधाध्यन हेतु चयन किया गया। इसी प्रकार ग्रामीण क्षेत्र शिवरामपुर जिसमें परिवारों की संख्या 1050 थी उनमें 50 का भाग देकर संख्या-21 का मध्यान्तर निकाल कर क्रमशः गृह संख्या 21 से गृह संख्या 1050 तक 50 परिवारों को निदर्शन के रूप में चयन किया गया । जिसका प्रदर्शन निम्न सारणी द्वारा प्रस्तुत है :-

चयनित सूचनादाताओं का निदर्श अभिकल्प का विवरण

क्र. सं.	जनपद चित्रकूट	परिवार	निदर्शन	चयनित परिवारों का प्रतिशत
1.	नगर क्षेत्र कर्वी	5677	250	22
2.	ग्रामीण क्षेत्र शिवरामपुर	1050	50	21
	योग	6727	300	43

निदर्शन चुनाव में शोधकर्ता द्वारा जिन चरणों का पालन किया गया है वे क्रमशः हैः-

1- समग्र को निश्चित करना। 2- निदर्शन इकाई का निर्धारण।

3- इकाइयों के सम्बन्ध में जानकारी प्राप्त करने के साधन सूची बनाना।

4- निदर्शनों के आधार। 5- निदर्शन पद्धति का चुनाव।

6- निदर्शन का चुनाव इत्यादि।

तथ्यों के स्रोत

वास्तविक सूचना या तथ्यों के बिना सामाजिक अनुसंधान या शोध वास्तव में एक अपंग प्राणी की भाँति है। अनुसंधान की सफलता इसी बात पर निर्भर रहती है कि अनुसंधानकर्ता अपने अध्ययन विषय के सम्बन्ध में कितने वास्तविक निर्भर योग्य सूचनाओं और तथ्यों को एकत्रित करने में सफल होता है। यह सफलता सूचना प्राप्त करने के स्रोतों की विश्वसनीयता पर निर्भर करती है। अतः सूचना या तथ्यों के स्रोत के महत्व को सामाजिक अनुसंधान के क्षेत्र में कम नहीं किया जा सकता। साथ ही, ये सूचनाऐं या तथ्य एक ही प्रकार के नहीं होते है। इनमें भी कई प्रकार के भेद हैं और इन प्रकारों के विषय में भी स्पष्ट ज्ञान का होना एक सफल शोधकर्ता के लिये आवश्यक है। किस स्रोत से किस प्रकार की सूचना उसे प्राप्त हो सकती है, इस बात की स्पष्ट जानकारी न होने पर अनुसंधानकर्ता केवल इधर-उधर भटकता ही रहेगा और उसका काफी समय तथा श्रम व्यर्थ चला जायेगा। अतः सूचना या तथ्यों के प्रकार तथा स्रोतों के बारे में ज्ञान अति आवश्यक है।

सामाजिक शोध में विभिन्न प्रकार की सूचनाओं या तथ्यों की आवश्यकता होती है। इन्हें मोटे तौर पर दो भागों में विभाजित किया जा सकता है -(1) प्राथमिक तथ्य या सूचनाऐं तथा (2) द्वितीयक तथ्य या सूचनाऐं। प्राथमिक तथ्य वे मौलिक सूचनाऐं या आंकड़े होते है जो कि एक शोधकर्ता वास्तविक अध्ययन स्थल (Field)में जाकर विषय या समस्या से सम्बन्धित जीवित व्यक्तियों से साक्षात्कार करके अथवा अनुसूची या प्रश्नावली की सहायता से एकत्र करता है अथवा प्रत्यक्ष निरीक्षण के द्वारा प्राप्त करता है जैसा कि श्री पामर (1928:57) ने अपने विचार प्रगट किये है, "ऐसे व्यक्ति न केवल एक विषय की विद्यमान समस्याओं को बताने

की योग्यता रखते है अपितु एक सामाजिक प्रक्रिया में अन्तर्निहित महत्वपूर्ण चरण व निरीक्षण योग्य झुकावों के सम्बन्ध में भी संकेत कर सकते हैं।''

श्रीमती यंग (1960:127) ने सूचनाओं के स्रोतों को दो मोटे भागों में विभाजित किया है :- 1. प्रलेखी स्रोत तथा, 2. क्षेत्रीय स्रोत।

इस शोध अध्ययन में शोधकर्ता ने युवाओं में मादक द्रव्यों के सेवन की प्रकृति को इकाई मानकर प्राथमिक तथ्यों के स्रोत का चयन किया तथा स्वयं के क्षेत्रीय अवलोकन को भी केन्द्र बनाया। शोध अध्ययन में *द्वितीयक स्रोत*-सम्बन्धित पुस्तकें, जीवन इतिहास, प्रतिवेदन, समाचार पत्रों में प्रकाशित विषय वस्तु को भी प्रमाण के तौर पर प्रयोग में लाया गया क्योंकि भारत जैसे देश में जहाँ की सांख्यिकीय सामग्री प्राप्त करने के स्रोत तथा साधन सीमित व दोषपूर्ण है, जनगणना प्रतिवेदनों को नहीं नकारा जा सकता है। इन प्रतिवेदनों द्वारा सामाजिक, आर्थिक तथा सांस्कृतिक जीवन के अनेक महत्वपूर्ण पक्षों के विषय में विश्वसनीय आंकड़े व सूचनाऐं प्राप्त हो जाती है। जैसे- अपने देश में परिवार का आकार, स्त्री-पुरूष का अनुपात, जाति व धर्म के समर्थकों की संख्या, विभिन्न पेशों में लगी श्रम शक्ति, शिक्षा का स्तर, आयु का वर्गीकरण, जन्म व मृत्युदर, वैवाहिक स्तर तथा जनसंख्या आदि। इसका राजनैतिक, सामाजिक, आर्थिक, व्यापारिक बहुत महत्व होता है।

किसी भी सामाजिक अनुसंधान का उद्देश्य एक घटना विशेष के सम्बन्ध में वैज्ञानिक निष्कर्ष निकालना होता है। वैज्ञानिक निष्कर्ष कोई अटकलपच्चू निष्कर्ष नहीं अपितु वास्तविक तथ्यों (Actual Facts) पर आधारित यथार्थ (Exact) व निश्चित निष्कर्ष होता है। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि सामाजिक शोध की बुनियादी शर्त अध्ययन विषय से सम्बन्धित वास्तविक तथ्यों का संकलन करना है।

तथ्य संकलन

वास्तविक तथ्यों को काल्पनिक ढंग से एकत्र नहीं किया जा सकता। इसके लिये तो कुछ प्रमाण सिद्ध तरीकों का होना आवश्यक है। सामाजिक अनुसंधान के लिये आवश्यक वास्तविक तथ्यों को एकत्र करने के लिये काम में लाये गये निश्चित व प्रमाण सिद्ध तरीकों को ही तथ्य संकलन की प्रविधि कहते है। वैज्ञानिक विश्लेषण और व्याख्या के लिये जिन वास्तविक तथ्यों की आवश्यकता होती है उन्हें एकत्र करने के लिये शोधकर्ता जिस विधि या तरीके को अपनाता है वही उसके लिये प्रविधि होती है। प्रो० मोसर (1961:271) ने लिखा है कि, "प्रविधियां एक सामाजिक वैज्ञानिक के लिये वे मान्य तथा सुव्यस्थित तरीके हैं जिन्हें वह अपने अध्ययन में विषय से सम्बन्धित विश्वसनीय तथ्यों को प्राप्त करने के लिये उपयोग में लाता है।"

सामाजिक शोध का आधार विश्वसनीय तथ्य, सूचनाऐं आंकड़े आदि हैं। इनको एकत्र करने की कुछ प्रविधियों को समाजशास्त्र में अपने अध्ययन विषय में सामाजिक घटनाओं की प्रकृति के अनुसार विकसित किया है। इन प्रविधियों का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है :-

1. <u>प्रश्नावली :-</u> जब काफी बड़े क्षेत्र में सूचनादाता फैले होते हैं और उनसे व्यक्तिगत सम्पर्क स्थापित करना सम्भव नहीं होता तो उनसे सूचनाऐं एकत्र करने के लिये प्रश्नावली को डाक द्वारा एक अनुरोध पत्र के साथ भेज दिया जाता है। सूचनादाता उन्हें भरकर शोधकर्ता के पास भेज देता है।

2. <u>अनुसूची :-</u> अनुसूची को स्वयं शोधकर्ता सूचनादाता से मिलकर उत्तरों को भरता है। ये सभी प्रकार के उत्तरदाताओं से तथ्य संकलन की प्रविधि है।

3. <u>साक्षात्कार अनुसूची :-</u> इसके द्वारा शोधकर्ता उत्तरदाताओं से भेंट कर विषय के सम्बन्ध में आमने-सामने बैठकर सूचनाऐं स्वयं भरता है।

4. <u>निरीक्षण :-</u> जिसमें सूचनाऐं अध्ययन स्थल पर जाकर वास्तविक निरीक्षण के द्वारा भी प्राप्त की जा सकती है। ये निरीक्षण सहभागी व असहभागी दोनों प्रकार का हो सकता है।

<u>वैयक्तिक अध्ययन :-</u> सामाजिक अनुसंधान के क्षेत्र में जिन विधियों द्वारा अध्ययन किया जाता है, उनमें वैयक्तिक अध्ययन विधि महत्वपूर्ण है। इसमें अनेक को छोड़कर एक के बारे में ही सबसे अधिक जानकारी पाने का प्रयास किया जाता है। गुड एण्ड हाट (1952) के शब्दों में, "वैयक्तिक अध्ययन में हम एक विशेष प्रकार के सतत अनुभवों का एक श्रृंखलाबद्ध चित्र प्रस्तुत करते है इस रूप में समय प्रवाह में विभिन्न अनुभवों, सामाजिक शक्तियों तथा प्रभावों की पृष्ठभूमि में किसी इकाई का गहन तर्कयुक्त अध्ययन ही वैयक्तिक अध्ययन है।"

इस शोध अध्ययन में शोधकर्ता के द्वारा साक्षात्कार अनुसूची को प्रयोग में लाने से पूर्व अनुसूची का क्षेत्र में परीक्षण किया गया तथा बाद में अनुसूची की त्रुटियों को दूर किया गया। तत्पश्चात् साक्षात्कार अनुसूची को प्रयोग में लाया गया। क्योंकि व्यक्तियों की भावनाओं, मनोवृत्तियों और उद्वेगों का अध्ययन कैसे किया जाये, साक्षात्कार प्रविधि ही इसका निदान प्रस्तुत करती है। सामाजिक अनुसंधान की सर्वाधिक प्रचलित प्रविधियों में सम्भवतः इस प्रविधि का स्थान सर्वोपरि है। प्रो० आलपोर्ट ने इस प्रविधि की उत्पत्ति के बारे में कहा है कि, "यदि हम यह जानना चाहते है कि लोग क्या महसूस करते हैं, क्या अनुभव करते हैं और क्या याद रखते हैं, उनकी भावनाऐं व उद्देश्य क्या हैं, तो उनसे स्वयं क्यों नहीं पूछते"? साक्षात्कार प्रविधि पर प्रकाश डालते हुए श्री वी. एम. पालमर

(1928:170) ने कहा है कि, "साक्षात्कार दो व्यक्तियों के बीच एक सामाजिक स्थिति है, जिसमें अन्तर्निहित मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया के अन्तर्गत यह आवश्यक है कि दोनों व्यक्ति परस्पर उत्तर-प्रत्युत्तर करते रहें। यद्यपि साक्षात्कार में सामाजिक शोध के उद्धेश्य से सम्बन्धित पक्षों से अध्ययन विषय के सम्बन्ध में काफी कुछ उत्तर प्राप्त होने चाहिये।"

प्रस्तुत शोध अध्ययन में शोधकर्ता ने परिस्थितियों से रूबरू होने के लिये निरीक्षण प्रविधि का भी प्रयोग किया है। जिसके बारे में प्रो० गुड एण्ड हाट (1952:119) ने लिखा है कि, "विज्ञान निरीक्षण से प्रारम्भ होता है और फिर सत्यापन के लिये अन्तिम रूप से निरीक्षण पर ही लौटकर आना पड़ता है।" वास्तव में कोई भी शोधकर्ता किसी भी घटना या अवस्था को उस समय तक स्वीकार नहीं करता जब तक कि वह स्वयं उसका अपनी इन्द्रियों से निरीक्षण न कर लें।

सामाजिक विज्ञानों के बारे में भी यह तथ्य सत्य है। कोई भी शोधकर्ता तब तक सफलता प्राप्त नहीं कर पाता। जब तक शोध में निरीक्षण विधि का प्रयोग नहीं किया गया हो। इसी निरीक्षण प्रविधि का समाज वैज्ञानिक द्वारा अपने ही साथी एवं स्वजातीय मनुष्यों एवं स्त्रियों तथा संस्थाओं के निरीक्षण हेतु प्रयोग किया जाता है। यदि संक्षिप्त में कहा जाये तो निरीक्षण कार्य कारण अथवा पारस्परिक सम्बन्ध को जानने के लिये स्वाभाविक रूप से घटित होने वाली घटनाओं का सूक्ष्म निरीक्षण है।

प्रस्तुत शोध अध्ययन में शोधकर्ता ने साक्षात्कार अनुसूची के माध्यम से तथ्य संकलन का कार्य किया है। शोधकर्ता ने अनुसूची में अधिकांशतः संयोजित प्रश्न तथा दोहरे प्रश्नों का ही निर्माण किया तथा खुले प्रश्नों को नहीं रखा गया क्योंकि

उनके वर्गीकरण में तथा सारणीकरण में पर्याप्त समय तथा धन की आवश्यकता पड़ती है। इस कार्य के लिये उसने साक्षात्कार की निम्न प्रक्रिया को अपनाया :-

1. साक्षात्कार :- साक्षात्कार में सामाजिक अन्तः क्रिया के द्वारा शोधकर्ता ने उत्तरदाताओं से अध्ययन से सम्बन्धित सूचनाऐं प्राप्त करने के लिये साक्षात्कार किया। शोध की परिशुद्धता बनाये रखने के लिये शोधकर्ता ने स्वयं साक्षात्कार अनुसूची के अनुसार निदर्शनों से आमने-सामने की परिस्थिति में बैठ कर तथ्यों को एकत्र किया तथा किसी उत्तरदाता के अनुपस्थित होने पर दूसरे उत्तरदाता का चयन करके सूचनाऐं एकत्र की।

2. सहयोग की याचना :- शोधकर्ता ने शोध के उद्देश्य को निदर्शनों के सम्मुख स्पष्ट किया तथा सहयोग की प्रार्थना की तथा उन्हें विश्वास दिलाया कि उनके द्वारा दी गई सभी सूचनाऐं अत्यन्त गोपनीय रखी जायेंगी और यह भो बताया कि आपके सहयोग के बिना मादक द्रव्यों के सेवन की प्रकृति एवं प्रभाव का अध्ययन असम्भव है।

3. साक्षात्कार का प्रारम्भ :- सहयोग की याचना के बाद शोधकर्ता ने साक्षात्कार प्रारम्भ किया। सर्वप्रथम शोधकर्ता ने प्राथमिक प्रश्नों नाम, आयु, शिक्षा, व्यवसाय आदि पूछे उसके बाद अध्ययन से सम्बन्धित प्रश्न पूछे। वास्तव में निदर्शनों से सूचना प्राप्त करना साक्षात्कार का प्रमुख उद्देश्य होता है।

4. उत्साहवर्धक वाक्यों का प्रयोग :- शोधकर्ता ने साक्षात्कार प्रक्रिया की अवधि में "आपकी सूचनाऐं मादक द्रव्य सेवन के प्रभाव की समस्याऐं हल करने में काफी सहायक होगी" तथा " आपने कई नई बातें बताई जो महत्वपूर्ण है" ऐसे वाक्यों को बीच-बीच में दोहराकर साक्षात्कारदाताओं का उत्साहवर्धन किया।

5. स्मरण कराना :- शोधकर्ता को जब भी ऐसा लगा कि साक्षात्कारदाता अपने अनुभवों व भावना में बह गया है और मुख्य विषय से दूर हो गया है तो शोधकर्ता ने उसे मुख्य विषय का ध्यान दिलाया।

6. सूचना को नोट करना :- साक्षात्कार की स्वतन्त्र प्रक्रिया में शोधकर्ता ने निदर्शनों द्वारा प्रदान की गई सूचनाओं को अनुसूची के प्रश्नों के सम्मुख नोट भी किया ताकि सूचनादाता से वार्तालाप में कोई विघ्न न पड़े।

शोधकर्ता को तथ्यों को एकत्र करने में साक्षात्कार प्रक्रिया के दौरान कुछ कठिनाईयों का सामना भी करना पड़ा :-

1. उत्तरदाता का घर पर न मिलना।
2. कुछ उत्तरदाताओं द्वारा साक्षात्कार के लिये मना कर देना।
3. अधिक समय लगाना तथा
4. व्यक्तिगत मामलों में तथ्यों को छिपाना आदि।

शोधकर्ता ने जो उत्तरदाता घर पर नहीं मिले उनके स्थान पर अगले उत्तरदाता का चयन कर लिया। जिन उत्तरदाताओं ने साक्षात्कार के लिये मना कर दिया उनके सम्बन्धियों से हस्तक्षेप कराकर राजी कर लिया गया। व्यक्तिगत मामलों में तथ्यों को छिपाने की समस्या को उनकी प्रशंसा करके तथा "उनके अनुभव बहुमूल्य है" कहकर उन्हें यथार्थ व्यक्त करने हेतु प्रेरित किया।

तथ्यों का वर्गीकरण :-

सामाजिक अनुसंधान, शोध का आधार अध्ययन विषय से सम्बधित वास्तविक तथ्य है। इन तथ्यों को निरीक्षण, साक्षात्कार, अनुसूची तथा प्रश्नावली की सहायता से एकत्र किया जाता है, परन्तु इस प्रकार एकत्र तथ्यों के ढेर से कुछ भी निष्कर्ष निकाला नहीं जा सकता और न ही विषय के सम्बन्ध में कुछ भी जाना

जा सकता है। तथ्यों का पहाड़ कुछ नहीं कहता जब तक उसे कुछ व्यवस्थित स्वरूप न प्रदान किया जाए और इसके लिये तथ्यों का वर्गीकरण आवश्यक होता है। जब हम तथ्यों को उसमें पाई जाने वाली समानता या भिन्नता के आधार पर विभिन्न श्रेणियों में व्यवस्थित रूप में विभाजित करते हैं, तो वह वर्गीकरण कहलाता हैं।

तथ्यों के वर्गीकरण पर प्रकाश डालते हुऐ श्री कोनोर (1936:18) ने लिखा है कि, "वर्गीकरण तथ्यों को उनकी समानता तथा निकटता के आधार पर समूहों तथा वर्गो में क्रमबद्ध करने तथा व्यक्तिगत इकाईयों की भिन्नता के बीच पाये जाने वाले गुणों की एकात्मकता को प्रकट करने की एक प्रक्रिया है।"

श्री एलहान्स ने तथ्यों के वर्गीकरण के सम्बन्ध में कुछ ऐसे ही विचार व्यक्त किये है -"सादृश्यताओं व समानताओं के अनुसार तथ्यों को समूहों एवं वर्गो में व्यवस्थित करने की प्रक्रिया पारिभाषिक दृष्टि से वर्गीकरण कहलाती है।"

सामाजिक अनुसंधान में वर्गीकरण का अत्यन्त महत्व है क्योंकि इसके द्वारा जटिल, बिखरे हुऐ, परस्पर असम्बद्ध तथ्यों को थोड़े से, समझने योग्य तथा तर्कसंगत समूह में रखना पड़ता है। इकाइयों की समानता तथा असमानता वर्गीकरण के द्वारा स्पष्ट होती है। वर्गीकरण के द्वारा दो वर्गो के तुलनात्मक अध्ययन का कार्य सरल हो जाता है। वर्गीकरण के द्वारा संकलित की गई सूचनाऐं जब वर्गो में रखी जाती है तो वह स्वतः प्रगट हो जाती है। वर्गीकरण तथ्यों को विश्लेषण व व्याख्या के लिये सरल बनाता है तथा वर्गीकरण के द्वारा संकलित तथ्य संक्षिप्त तथा बोधगम्य हो जाते है।

प्रस्तुत शोध अध्ययन में सूचनाओं को एकत्र कर शोधकर्ता ने उन्हें गुणात्मक अर्थात् सरल या विभेदात्मक और बहुगुणी वर्गीकृत किया। उसके

साथ-साथ गणनात्मक वर्गीकरण में खण्डित श्रेणी के अनुसार भी तथ्यों का वर्गीकरण किया है। ऐसा करने से सूचनाओं को समझने में बुद्धि पर अनावश्यक जोर नहीं देना पड़ा और इस प्रकार वर्गीकरण सांख्यिकीय दृष्टि से भी शुद्ध हो गया।

<u>तथ्यों का सारणीयन :-</u>

सामाजिक अनुसंधान में वर्गीकरण की प्रक्रिया के पश्चात् सामग्री को और भी स्पष्ट तथा बोधगम्य करने के लिये तथ्यों का सारणीयन किया जाता है। वास्तव में, सारणीयन वर्गीकरण के पश्चात् विश्लेषण कार्य में अगला कदम होता है। इसके माध्यम से तथ्यों में सरलता और स्पष्टता आती है और गणनात्मक तथ्य अधिक व्यवस्थित होकर प्रदर्शन के योग्य बन जाते है। इसके अन्तर्गत तथ्यों को विभिन्न स्तम्भों (Columns) तथा पंक्तियों में प्रस्तुत किया जाता है। जिससे तथ्यों को समझाने में सुविधा व सरलता हो। सर्वश्री जहोदा, ज्यूड्स, कुक आदि ने लिखा है कि, "जिस प्रकार संकेतन (Coding) को तथ्यों के श्रेणीबद्ध करने को प्राविधिक पद्धति कहा जाता है, उसी प्रकार सारणीयन को सांख्यिकीय तत्वों के विश्लेषण की प्राविधिक प्रक्रिया का अंग माना जाता है।" यही कारण है कि श्री *राबर्ट ई0 चाड्डाक (1925:43)* ने लिखा है कि, "सामाजिक विज्ञानों में वर्गीकरण विशेष रूप से महत्वपूर्ण है क्योंकि सामाजिक घटनाओं में एक परिस्थिति को अनेक कारक प्रभावित करते हैं तथा उन कारकों में अत्यधिक भिन्नताऐं भी होती है।"

सारणीयन के बारे में *एम0 के0 घोष तथा एस0 सी0 चतुर्वेदी (1950:94)* ने लिखा है कि, "दो दिशाओं में पढ़ा जा सके इस रूप में कुछ पंक्तियों तथा स्तम्भों में तथ्यों को एक क्रमबद्ध तौर पर व्यवस्थित करने की प्रक्रिया को

सारणीयन कहा जाता है।'' सारणीयन का सामान्य उद्देश्य तथ्यों को सुस्पष्ट तथा बोधगम्य बनाना, उनकी विशेषताओं को प्रदर्शित करना, तथ्यों को संक्षिप्त रूप प्रदान करना तथा तथ्यों को तुलनात्मक बनाना है। इसलिये श्री सैक्रिस्ट ने लिखा है कि , ''सारणी वह साधन है जिससे वर्गीकरण द्वारा की गई विवेचना को स्थायी स्वरूप प्रदान किया जाता है तथा समान व तुलनात्मक इकाई को उचित स्थान पर रखा जाता है।'' यही कारण है कि पी0वी0 यंग ने सांख्यिकीय सारणी को सांख्यिकीय की आशुलिपि (Shorthand) कहते हुऐ बताया कि इससे उनमें आकर्षकता, समुचित आकार, तुलना की सुविधा, स्पष्टता तथा सरलता, उद्देश्य के अनुकूल तथा वैज्ञानिकता का समावेश हो जाता है। प्रो0 थॉमसन ने ठीक ही लिखा है कि, ''एक जंगल को साफ करके उसके स्थान पर एक 'महानगरी' बनाने से सभ्यता व संस्कृति के तत्वों को जिस भांति सुस्पष्टता व सुनिश्चितता प्राप्त होती है, उसी प्रकार संकलित तत्वों के ढेरों का सारणीयन कर लेने से उनके अन्तर्निहित गुण प्रगट हो जाते हैं और सम्पूर्ण विषय के सम्बन्ध में एक सामान्य ज्ञान प्राप्त होता है। वैज्ञानिक अनुसंधान में सारणीयन आवश्यक नहीं अनिवार्य है।''

इस शोध अध्ययन के प्रतिवेदन में शोधकर्ता ने तथ्यों को बोधगम्य बनाने के लिये आवृत्ति सारणी (Frequency Tables) तथा सरल सारणी (Simple Tables) का प्रयोग ही नहीं किया अपितु शोधकर्ता ने सारणी निर्माण के आवश्यक नियम तथा सावधानियाँ भी बरतीं जैसे :-

1. सारणी का शीर्षक लिखना,
2. सारणी के स्तम्भों का आकार उस पेज के आकार के रूप में रखना जिस पर सारणी बनाई गई है,

3. अनुशीर्षक Captions (कालम विशेष में किन आंकड़ों को प्रस्तुत किया गया है)

4. पंक्तियों में सूचना लिखना, 5. स्तम्भों का विभाजन,

6. स्तम्भों को क्रम में लिखना, 7. कुल योग तथा

8. टिप्पणियाँ आदि।

सारणीयन से समस्त संकलित तथ्य एक तर्क पूर्ण ढंग से व्यवस्थित हो जाते हैं, सारणीयन में तथ्यों को एक सरल तथा स्पष्ट स्वरूप मिल जाता है। इससें सांख्यिकीय विश्लेषण में बहुत मदद मिलती है, सारणीयन तुलनात्मक अध्ययन कार्य को सरल बना देता है, सारणीयन से समय तथा स्थान की बचत होती है तथा सारणीयन वैज्ञानिक विश्लेषण तथा व्याख्या के कार्य को सरल बनाता है।

<u>तथ्यों का विश्लेषण तथा व्याख्या :-</u> श्रीमती पी0वी0 यंग (1960:509) ने लिखा है कि वैज्ञानिक विश्लेषण यह मानता है कि तथ्यों के संकलन के पीछे स्वयं तथ्यों से कहीं अधिक महत्वपूर्ण व रहस्योदघाटक (Revealing) और कुछ भी है, यदि सुव्यवस्थित तथ्यों को सम्पूर्ण अध्ययन से सम्बन्धित किया जाये तो उनका महत्वपूर्ण सामान्य अर्थ प्रगट हो सकता है जिसके आधार पर घटना की सप्रमाण व्याख्यायें प्रस्तुत की जा सकती है।'' इस कथन का तात्पर्य यही है कि शोध कार्य में केवल तथ्यों का पहाड़ एकत्र कर लेने से ही अध्ययन विषय का वास्तविक अर्थ, कारण तथा परिणाम स्पष्ट नहीं हो सकता जब तक उन एकत्र तथ्यों को सुव्यवस्थित करके उनका विश्लेषण व व्याख्या न की जाये। प्रख्यात फ्रैन्च गणितशास्त्री श्री प्लेवेन केयर ने उचित ही लिखा है कि, ''जिस प्रकार एक मकान पत्थरों से बनता है उसी प्रकार विज्ञान का निर्माण तथ्यों से होता है, पर केवल

तथ्यों का एक संकलन उसी भाँति विज्ञान नहीं है जैसा पत्थरों का एक ढेर मकान नहीं है।''

अतः विज्ञान के लिये यह आवश्यक है कि एकत्र तथ्यों का एक संकलन सुव्यवस्थित करके उनका विश्लेषण व व्याख्या की जाये ताकि विषय के सम्बन्ध में सच्चे ज्ञान की प्राप्ति सम्भव हो।

तथ्यों के विश्लेषण व व्याख्या की आधारभूत आवश्यकता यह है कि यदि ऐसा न किया गया तो संकलित तथ्य अर्थहीन ही बने रहेंगे और उनसे अध्ययन का कोई भी परिणाम निकालना हमारे लिये सम्भव नहीं होगा। इस अर्थ में तथ्यों के विश्लेषण तथा व्याख्या के बिना शोध कार्य अपूर्ण ही रह जायेगा। यही कारण है कि श्रीमती यंग (1960:309) ने वैज्ञानिक विश्लेषण को "शोध का रचनात्मक पक्ष'' कहा है।

सामाजिक शोधकर्ता किसी भी चीज या घटना को स्वयं सिद्ध नहीं मान लेता। यह तो संकलित तथ्यों, विद्यमान आदर्शों तथा अन्तर्निहित सामाजिक दर्शन को सामयिक मानता है और इसलिये कोई भी प्रयोगसिद्ध परिणाम निकालने के लिये संकलित तथ्यों की सावधनीपूर्वक जाँच, उनके पारस्परिक सम्बन्धों तथा उनका सम्पूर्ण घटना के साथ सम्बन्ध के सन्दर्भ में करना उसके लिये आवश्यक हो जाता है। इस प्रकार तथ्यों का विश्लेषण करने के दौरान ही वह पुरानी अवधारणाओं की परीक्षा करने अथवा नवीन चुनौती देने वाली अवधारणाओं को ढूँढ़ निकालने में सफल हो सकता है। साथ ही, इस प्रकार के विश्लेषण से उसे विषय के सम्बन्ध में जो अन्तर्दृष्टि प्राप्त होती है उसी के आधार पर वह अवधारणाओं की पुर्नपरीक्षा करता है और इस प्रकार तथ्यों की व्याख्या के लिये एक अधिक ठोस आधार को प्राप्त करता है। अतः तथ्यों के उचित विश्लेषण

के बिना अध्ययन विषय की वास्तविक व्याख्या सम्भव नहीं और तथ्ययुक्त व्याख्या के बिना शोधकार्य का कोई परिणाम निकल ही नहीं सकता है।

श्रीमती यंग (1960:310) के अनुसार, ''क्रमबद्ध विश्लेषण का कार्य एक ठोस बौद्धिक भवन के विचार के एक संगठन का निर्माण करना है जो कि एकत्रित तथ्यों को उनके उचित स्थान तथा सम्बन्धों को प्रस्थापित करने में सहायक होगा ताकि उनसे सामान्य निष्कर्षों को निकाला जा सके।''

इस प्रकार तथ्यों के विश्लेषण के बिना किसी भी विषय या घटना के कार्यकारण सम्बन्ध की व्याख्या सम्भव नहीं है और इस प्रकार की व्याख्या के बिना न तो विज्ञान की कोई उन्नति सम्भव है और न ही वास्तविक ज्ञान की प्राप्ति। विश्लेषण व व्याख्या के आधार पर ही वास्तविक वैज्ञानिक नियमों को प्रतिपादित किया जा सकता है। पुराने सिद्धान्तों या नियमों की परीक्षा करने, नवीन सिद्धान्तों या नियमों को प्रतिपादित करने अथवा पुराने सिद्धान्तों या नियमों को गलत प्रमाणित करने के लिये एकत्रित तथ्यों का विश्लेषण व व्याख्या आवश्यक है। स्वयं तथ्य मूक होते हैं वे कुछ नहीं कहते पर उनका क्रमबद्ध विश्लेषण व व्याख्या करके उन्हें मुखरित किया जाता है।

इस शोध अध्ययन में शोधकर्ता ने उपरोक्त सभी मार्ग दर्शनों एवं सिद्धान्तों को ध्यान में रखकर एकत्र तथ्यों को वर्गीकृत कर उनको सारणीबद्ध करके अभिवृत्तियों को प्रतिशतों में विश्लेषण किया है जो सरस, सरल तथा सुबोध भी हो गया। विश्लेषणों की व्याख्या जैसी समाज शास्त्र के शोध प्रतिवेदनों में प्रस्तुत की जाती है उसी प्रकार इसमें भी की गई है।

<u>तथ्यों का चित्रमय प्रदर्शन :-</u>

सांख्यिकीय विज्ञान का मुख्य कार्य सांख्यिकीय तथ्यों को सरलतम रूप प्रदान करना है। जिससे कि उन तथ्यों को शीघ्र एवं सरलता से समझा जा सके

और उनके विषय में निष्कर्ष निकाला जा सके। प्रायः यह देखा गया है कि तथ्यों का वर्गीकरण और सारणीयन कर लेने से बिखरे हुऐ संकलित तथ्यों के ढेर को क्रमबद्ध, व्यवस्थित व संक्षिप्त रूप मिल जाता है जिसके कारण उन्हें समझना सरल हो जाता है। परन्तु इन संकलित तथ्यों का और भी प्रभावशाली रूप इस का चित्रमय प्रदर्शन है। आधुनिक समय में संख्यात्मक तथ्यों का चित्रों द्वारा प्रदर्शन एक विस्तृत कला बन गई है और इस दिशा में निरन्तर प्रगति करने के सम्बन्ध में प्रयत्नशीलता भी बढ़ती जा रही है। इसका कारण भी स्पष्ट है, साधारण व्यक्ति के लिये संख्याऐं या आंकड़े प्रायः नीरस, जटिल तथा अरूचिकर होते है। इसलिये संख्या की ओर न तो वह ध्यान देता है और न ही संख्याओं में उसकी कोई रूचि होती है। इसके विपरीत चित्र स्वतः ही आकर्षक होते हैं और उन्हें देखकर वह प्रभावित हुऐ बिना नहीं रह सकता है। चित्रों द्वारा तथ्यों के प्रदर्शन की यही सार्थकता और यही चित्रों की बढ़ती हुई लोकप्रियता का रहस्य है। इसलिये वेडिंग्टन को लिखना ही पड़ा कि, '' भली प्रकार से रचित एक चित्र आंखों को प्रभावित करता है और मस्तिष्क को भी, क्योंकि चित्र उन व्यक्तियों के लिये व्यवहारिक, स्पष्ट तथा शीघ्र समझने योग्य होता है जो प्रदर्शन की पद्धति से अनभिज्ञ होते है।''

यथार्थ सारणीयन तथ्यों के वैज्ञानिक विश्लेषण तथा व्याख्या में अत्यन्त सहायक सिद्ध होता है। फिर भी साधारण जनता के लिये सारणीयन में दिये गये अंक विशेष अर्थ नहीं रखते। ऐसे व्यक्तियों के लिये सारणी में उल्लेखित तथ्यों की अन्तर्निहित प्रकृति व परिणामों को समझना बहुत कठिन होता हैं। इसके विपरीत इन्हीं अंकों का चित्र में प्रदर्शन करने पर तथ्यों की वास्तविकताओं को समझने में देर नहीं लगती। इतना ही नहीं, चित्रों द्वारा तथ्यों का तुलनात्मक महत्व

जितना स्पष्ट रूप में प्रगट होता है उतना ही किसी और साधन द्वारा सम्भव नहीं। इसलिये सामाजिक अनुसंधान के प्रत्येक विद्यार्थी के लिये तथ्यों के चित्रमय प्रदर्शन की कला से परिचित होना आवश्यक है। श्री वाउले ने ठीक ही कहा है कि, ''चित्र आँख के सहायक और समय बचाने के साधन मात्र हैं।''

प्रस्तुत शोध अध्ययन में शोधकर्ता ने तथ्यों का चित्रमय प्रदर्शन किया है। जिसमें सरल छड़ चित्र (Simple Bar Diagram), बहुगुणी छड़ चित्र (Multiple Bar Diagram) तथा पाई चित्र मुख्य हैं ताकि

1. तथ्यों का आकर्षण तथा प्रभावपूर्ण प्रदर्शन सम्भव हो,
2. तथ्य सरल तथा समझने योग्य बने,
3. समय की बचत हो सके,
4. आसानी से तथ्यों की तुलना हो सके,
5. एक ही दृष्टि में तथ्य स्पष्ट हो जाये,
6. शोध के लिये उपयोगी सिद्ध हो तथा
7. भविष्य की ओर संकेत प्रदान कर सकें।

<u>प्रतिवेदन का प्रस्तुतिकरण :-</u>

प्रत्येक सामाजिक सर्वेक्षण अथवा सामाजिक अनुसंधान में सर्वप्रथम प्राथमिक स्तर पर वैज्ञानिक पद्धति व प्रविधियों द्वारा तथ्यों को संकलित किया जाता है तत्पश्चात् उनका वर्गीकरण व सारणीयन किया जाता है। परन्तु वर्गीकरण व सारणीयन बिना विश्लेषण व व्याख्या के निरर्थक है। विश्लेषण व व्याख्या की प्रक्रिया भी व्यर्थ चली जायेगी यदि निष्कर्षों को लिखित रूप न दिया जाये। इस दृष्टि से प्रतिवेदन किसी भी शोध कार्य का सर्वाधिक महत्वपूर्ण और अन्तिम सोपान है। अनुसंधान प्रक्रिया के प्रत्येक चरण का संयुक्त परिणाम प्रतिवेदन में निहित रहता है। प्रतिवेदन में प्रारम्भ से अन्त तक की सर्वेक्षण प्रक्रिया,

शब्दों तथा धारणाओं की परिभाषा, प्रयुक्त विधियों तथा प्रणालियों का परिचय, आंकड़ों का प्रदर्शन आदि तथा सर्वेक्षण के निष्कर्ष दिये जाते है। प्रतिवेदन ही सर्वेक्षण की सफलता तथा असफलता का आधार है।

शोधकर्ता द्वारा मादक द्रव्य सेवन करने वाले युवाओं की सामाजिक, आर्थिक तथा मनौवैज्ञानिक समस्याओं तथा उनके समाधान हेतु उनके विचार जानने की जिज्ञासा एवं इस समस्या के प्रस्तुतिकरण हेतु 'अन्वेषणात्मक पद्धति' को अपनाया गया है ताकि मौलिक निष्कर्ष तार्किक रूप में प्राप्त किये जा सके। चूंकि संकलित प्राथमिक तथा द्वितीयक तथ्यों का निर्वाचन करना शोध का वह आवश्यक तथा सर्वाधिक महत्वपूर्ण पहलू होता है जो विश्लेषण के द्वारा परिणाम निकालने से सम्बन्ध रखता है। ऐसा करने के लिये शोधकर्ता ने साक्षात्कार अनुसूची द्वारा संकलित प्राथमिक/क्षेत्रीय आंकड़ों को व्यवस्थित करके प्रकरणतः "मास्टर शीट" निर्मित कर "सांख्यिकीय पद्धति" द्वारा प्राथमिक तथा द्वितीयक आंकड़ों का सारणीयन विश्लेषण तथा तथ्यसम्बन्धित निर्वाचन करके शोध परक वैज्ञानिक निष्कर्ष उद्घाटित किये है। अध्ययन के प्रस्तुतीकरण को सरल, सुगम, ग्राह्य, तार्किक तथा वैज्ञानिक बनाने के लिये शोध प्रबन्ध में आंकड़ों के यथास्थान आरेखीय चित्र भी दिये गये हैं। शोधकर्ता को आशा ही नहीं बल्कि यह पूर्ण विश्वास है कि प्रस्तुत शोध अध्ययन, "युवाओं में मादक द्रव्यों के सेवन की प्रकृति एवं प्रभाव का अध्ययन" विषय-विशेषज्ञों तथा शोध अध्येताओं को तो रुचिकर लगेगा ही, साथ ही सामाजिक सन्दर्भो में "युवाओं में मादक द्रव्यों के सेवन के कारण, प्रभाव एवं निवारण के लिए सुझाये गये व्यवहारिक सुझाव उपयोगी तथा सार्थक सिद्ध तो होंगे ही, साथ ही यह शोध अध्ययन समाजकार्य विषय के क्षेत्र के लिये विभिन्न नवीन उपयोगी आयाम भी उदघाटित करेगा तथा युवाओं में मादक द्रव्यों के सेवन की समस्याओं को सुलझाने में सहायक सिद्ध होगा।

अध्याय-4

उत्तरदाताओं की सामाजिक, आर्थिक एवं जनांकिकीय विशेषतायें

उत्तरदाताओं की सामाजिक, आर्थिक एवं जनांकिकीय विशेषतायें

यदि हम धूम्रपान तथा हृदय कैंन्सर के बीच में सम्बन्ध स्थापित करना चाहे तो हमें तथ्यों की आवश्यकता पड़ती है। यदि हम किसी औषधि या टीके के प्रभाव की जानकारी करना चाहते हैं, तो हमें तथ्यों की आवश्यकता पड़ती है। यदि हम समाज की किसी भी समस्या की जानकारी करना चाहते हैं तब भी हमें सांख्यिकीय आंकड़ों की आवश्यकता पड़ती है।

प्रत्येक राष्ट्र अपनी सीमाओं में निवास करने वाले प्राणियों से सम्बन्धित होता है अतः उसे समाज की आवश्यकताओं तथा समस्याओं का बोध होना चाहिये जैसे- उनका स्वभाव आकार तथा सम्पूर्ण जनसंख्या में उनका वितरण आदि। किस प्रकार ये समस्याऐं एक स्थान से दूसरे स्थान पर भिन्न होती हैं और वे एक समयावधि में सामाजिक, आर्थिक परिस्थितिवश परिवर्तित होती हैं। इस प्रकार की किसी भी समीक्षा के लिये कुछ निश्चित मापक अनिवार्य होते हैं। यही सामाजिक, आर्थिक तथा जनांकिकीय तथ्य कहलाते हैं जो जन्म, मृत्यु, विवाह, शिक्षा, व्यवसाय तथा आय से सम्बन्धित होते हैं जो सामुदायिक जीवन में विद्यमान होते हैं। यथार्थ रूप से सम्पादित वर्गीकृत तथा विश्लेषित घटनाऐं समाज की वर्तमान स्थिति एवं समस्याओं को मापने के यंत्रों का कार्य करते हैं।''युवाओं में मादक द्रव्य सेवन की प्रकृति ज्ञात करने हेतु, यथा-जनसंख्या, आय, वितरण, जन-घनत्व तथा अन्य कारक जैसे- पोषण, आवासीय स्थिति, सामाजिक-आर्थिक तथा पर्यावरणीय

सेवाऐं-संस्थाऐं युवाओं की स्थिति तथा समस्याओं का ज्ञान और उनकी तुलना समुदाय से करना है कि उनकी वर्तमान तथा भूतकाल में क्या स्थिति थी, उनकी भावी आवश्यकताओं की पहचान करने हेतु अनुरूप लक्ष्यों का निर्धारण करना, कार्यक्रम की रचना, क्रियान्वयन तथा मूल्यांकन आदि जनसंख्यात्मक प्रक्रियाओं यथा जन्मदर, जनसंख्या घनत्व, विवाह दर, वृद्धि दर तथा सामाजिक गतिशीलता पर निर्भर करता है। ये प्रक्रियाऐं निरंतर रूप से जनसंख्या के निर्धारण में, रचना में तथा आकार निर्मित करने में कार्यरत रहती हैं।

सामाजिक एवं आर्थिक विशेषताऐं अधिकांशतः जनसंख्या से सम्बन्धित होती हैं क्योंकि युवाओं में समूह सदस्यों के गत्यात्मक सम्बन्धों जो अन्तः क्रियाओं के रूप में होते हैं पर निर्भर होता है। साथ ही उनमें आकार तथा कार्यकुशलता आत्मसात होती है, जिसके आधार पर वे अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं। मानव जीवन को निर्धारित करने में उसके सामाजिक पर्यावरण का महत्वपूर्ण योगदान रहता है। पर्यावरण मनुष्य के जीवन को विभिन्न प्रकार से प्रभावित करता है तथा उसके सामाजिक सांस्कृतिक तथा आर्थिक स्वरूप को भी निश्चित करता है। किसी विशिष्ट पर्यावरण में व्यक्ति की कार्य पद्धति तथा जीवनशैली का स्वरूप किस प्रकार का होगा ; यह बहुत कुछ उसके पर्यावरण पर ही निर्भर करता है क्योंकि पर्यावरण व्यक्ति को विवश करता है कि वह अपने को उसके अनुरूप ढाले। मनुष्य की अवोध प्रगति उसकी सामाजिकता का ही परिणाम है। समाज के सम्पर्क में आने पर ही वह जैवकीय प्राणी से सामाजिक प्राणी के रूप में परिवर्तित होता है। मनुष्य तथा उसके चारों ओर का परिवेश अर्थात् पर्यावरण एक दूसरे के पूरक हैं। मनुष्य को उसके इस पर्यावरण से अलग नहीं किया जा सकता है। *श्री तिलारा के0एस0 (1990:132)* ने भी उस कथन की

पुष्टि करते हुऐ कहा है कि "मनुष्य एक चिन्तनशील तथा जिज्ञासु सामाजिक प्राणी है जिसका जीवन समाज में ही पनपता है और निकटवर्ती भौतिक परिवेश तथा पर्यावरण के मध्य अन्तः क्रियाऐं करते हुऐ सामाजिक परिवेश में जीवनयापन करता है, जिसे सामाजिक पर्यावरण से कदापि पृथक नहीं किया जा सकता है क्योंकि पर्यावरण एक प्रकार का "ताना" है जिसमें प्राणी रूपी "बाना" डालने से ही समाज के "सजीव वस्त्र" का निर्माण होता है।" किसी भी मनुष्य को अत्याधिक जानने-समझने के लिये उसके सामाजिक-सांस्कृतिक पर्यावरण को जानना अत्यन्त आवश्यक है क्योंकि यही उसकी सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि है। मानव भी अन्य प्राणियों की भांति जैवकीय प्राणी है परन्तु उसकी सामाजिक-सांस्कृतिक पृष्ठभूमि उसे अन्य प्राणियों से भिन्न बनाती है क्योंकि वह सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, मनोवैज्ञानिक, पारिवारिक, वैयक्तिक तथा शैक्षिक विशेषताओं का सम्मिलित रूप है। मनुष्य उपरोक्त विभिन्न पक्षों से मिलकर ही सम्पूर्णता को प्राप्त करता है। सुस्पष्ट है कि सामाजिक व्यवस्था के अन्तर्गत मनुष्य की सामाजिक-सांस्कृतिक पृष्ठभूमि की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। इसी सन्दर्भ में *श्री लवानिया (1967:203)* ने लिखा है कि "सम्पूर्ण रूप से यह 'सजीव वस्त्र' मनुष्य मात्र के लिये सामाजिक पृष्ठभूमि है, जो वंशानुक्रमण तथा पर्यावरण से निर्धारित होती है।" "सामान्यतः प्रत्येक व्यक्ति पर उसके पर्यावरण का विशेष प्रभाव पड़ता है। व्यक्ति पर पड़ने वाले प्रभावों को मूलतः दो रूपों में ग्रहण किया जाता है :-

(1) वंशानुक्रमण तथा

(2) पर्यावरण/संगति व साहचर्य

जहां एक ओर व्यक्ति को शारीरिक रचना (आँख, कान, नाकनक्शा, रंगरूप आदि) वंशानुक्रम से प्राप्त होते हैं वहीं दूसरी ओर उसे शिक्षा, संस्कार, जीवनमूल्य, व्यवसाय, व्यवहार, आदतें, लगाव आदि पर्यावरण से प्राप्त होते हैं, इसलिये कोई भी व्यक्ति वंशानुक्रमण तथा पर्यावरण के पड़ने वाले प्रभावों को नकार नहीं सकता है। जैसा कि *शास्स्वत (1993:157)* ने लिखा है कि, "मनुष्य की सामाजिक-सांस्कृतिक पृष्ठभूमि, उस समुदाय की सामाजिक व्यवस्था का अभिन्न अंग होती है जिसमें कि वह सामाजिक प्राणी रह रहा होता हैं।" सुस्पष्ट है कि सामाजिक व्यवस्था के अन्तर्गत मनुष्य की सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। श्री रयूटर तथा हार्ट ने भी सामाजिक व्यवस्थापन के संदर्भ में लिखा है कि,"समाज में मनुष्य की सामाजिक पृष्ठभूमि उसके सांस्कृतिक पर्यावरण का एक अभिन्न अंग होती है जिसमें कि व्यक्ति रह रहा होता है अथवा रह चुका है।"

किसी मनुष्य की आदतें, स्वभाव, रहन-सहन का स्तर, जीवनशैली, वैचारिकी आदि उसकी सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि से ही निर्धारित होती है अर्थात् उसके चारों ओर के भौतिक परिवेश का उसके जीवन के प्रत्येक पहलू पर अवश्यंभावी प्रभाव पड़ता है। इस सन्दर्भ में प्रोफेसर अग्रवाल का कथन है कि, "मानव केवल एक जैवकीय प्राणी नहीं है बल्कि इसके अतिरिक्त भी कुछ है और इसके अतिरिक्त वह जो कुछ भी है उसके कारण उसके व्यवहार, आचार-विचार, चिन्तन तथा जीवनशैली आदि प्रभावित होते है।"

यह भी सर्वस्वीकार्य तथ्य है कि प्रत्येक सामाजिक प्राणी की सामाजिक प्रस्थिति तथा भूमिका के निर्धारण में उसकी सामाजिक, आर्थिक तथा सांस्कृतिक पृष्ठभूमि का महत्वपूर्ण योगदान रहता है। इसी प्रसंग में *सर्वश्री मिश्रा पी०के०*

(1997:37) ने लिखा है कि, "चूंकि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है इसलिये उसकी आकांक्षाऐं तथा आवश्यकताऐं अनन्त है । इन आकांक्षाओं व आवश्यकताओं के प्रति उसकी क्रियाशीलता, सफलता-असफलता, उसके सामाजिक आर्थिक एवं सांस्कृतिक जीवन की पृष्ठभूमि को निर्धारित करती है।"

अनुसंधान के क्षेत्र में सामाजिक विज्ञान के प्रायः सभी शोध अध्ययनों में निर्देशितों की सामाजिक-सांस्कृतिक तथा आर्थिक विशेषताओं का अध्ययन अवश्य किया जाता है बल्कि प्राकृतिक विज्ञानों के शोध अध्ययनों में भी इनका गहन तथा सूक्ष्म अध्ययन किया जाता है । इसलिये सामाजिक विज्ञानों के शोध अध्ययनों में इनके अध्ययन की महत्ता बढ़ जाती है क्योंकि उत्तरदाताओं की सामाजिक, सांस्कृतिक विशेषताओं की अवहेलना नहीं की जा सकती है।

यही कारण है कि किसी भी सामाजिक विज्ञान के अनुसंधान में यह आवश्यक ही नहीं अपितु अनिवार्य होता है कि अध्ययन की इकाईयों के सामाजिक- आर्थिक तथा सांस्कृतिक पक्षों को जानकर उनका गहन तथा सूक्ष्म अध्ययन किया जाये क्योंकि व्यक्ति की सामाजिक, सांस्कृतिक पृष्ठभूमि का निर्माण कई कारकों से मिलकर होता है। इसी संदर्भ में *श्री सत्येन्द्र (1992:49)* ने लिखा है कि, "विशेषकर सामाजिक विज्ञानों के शोध अध्ययनों मेंसूचनादाताओं की सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि तथा आर्थिक दशाऐं अहम होती हैं।"

शोध अध्ययनों में उत्तरदाताओं की सामाजिक सांस्कृतिक विशेषताओं का अध्ययन इसलिये भी आवश्यक है कि अगर हम उत्तरदाताओं की समस्याओं का अध्ययन गम्भीरता तथा सूक्ष्मता से करना चाहते हैं तो हमें उनकी सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक आदि सभी विशेषताओं का ज्ञान होना अत्यावश्यक है तभी हम उनकी समस्याओं के कारणों को ठीक से समझ सकेंगे। चूंकि शोधार्थी का

शोध विषय *"युवाओं में मादक द्रव्यों के सेवन की प्रकृति एवं प्रभाव का अध्ययन"* है की सामाजिक, आर्थिक स्थिति तथा मनौवैज्ञानिक समस्याओं से सम्बन्धित है अतः प्रस्तुत शोध अध्ययन में उनकी सामाजिक सांस्कृतिक तथा आर्थिक विशेषताओं का अध्ययन अत्यावश्यक तथा महत्वपूर्ण हो जाता है । सामाजिक घटनाओं के अध्ययन में कार्य-कारण सम्बन्धों की स्थापना आवश्यक होती है । अतः कार्य-कारण सम्बन्धों को स्थापित करने के लिये सामाजिक, सांस्कृतिक विशेषताओं को जानना आवश्यक है । साथ ही इन कार्य-कारण सम्बन्धों का सामाजिक घटनाओं पर क्या प्रभाव पड़ता है, इन्हें जानना भी सरल हो जाता है क्योंकि व्यक्ति के रहन-सहन, चिन्तन, जीवनशैली आदि सभी पर उसके चारों ओर की भौतिक तथा सामाजिक विशेषताओं का प्रभाव अवश्य ही पड़ता है । कोई भी अनुसंधानकार्य तभी सफल कहा जा सकता है जब इसमें सामाजिक घटना के सभी पहलुओं का अध्ययन गहनता से किया जायें । इसलिये शोध अध्ययन में उत्तरदाताओं की सभी विशेषताओं का अध्ययन करना अनिवार्य हो जाता है।

यदि हम शोध अध्ययनों में व्यक्ति की सामाजिक, सांस्कृतिक विशेषताओं को नजर अंदाज कर दें तो फिर वह अध्ययन सामाजिक प्राणी (मनुष्य) का नहीं बल्कि जैवकीय प्राणी (मानव शरीर) का होगा और नितान्त अपूर्ण कहलायेगा । क्योंकि सामाजिक, आर्थिक तथा जनांकिकीय सूचनाओं के बिना सामाजिक अनुसंधान की कल्पना उस जहाज से ही की जा सकती है जो बिना लक्ष्य के व्यर्थ चक्कर काटता रहता है। सुस्पष्ट है कि व्यक्ति सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक, शैक्षिक, मनोवैज्ञानिक, पारिवारिक आदि सभी विशेषताओं का योग है। साथ ही सामाजिक तथ्यों के निरूपण के लिये भी इनका अध्ययन अनिवार्य हो जाता है।

प्रत्येक सामाजिक अनुसंधान का आवश्यक परिणाम अध्ययन किये गये विषय के सम्बन्ध में निष्कर्ष प्रस्तुत करना तथा भविष्यवाणी करना होता है। परन्तु यदि हम विषय का सम्पूर्ण अध्ययन ही नहीं करेंगे तो उससे प्राप्त निष्कर्ष सत्यता पर आधारित नहीं होगे तथा उनके आधार पर की गई भविष्यवाणी के गलत होने की सम्भावना बढ़ जायेगी। अतः शोध अध्ययन के वैज्ञानिक स्वरूप को बनाये रखने के लिये परमावश्यक है कि चयनित उत्तरदाताओं की समस्त विशेषताओं का गहन अध्ययन किया जाये। किसी भी सामाजिक घटना का सूक्ष्म अध्ययन करके ही उसके निवारण के उपाय ढूंढने में सफलता मिलती है। इसलिये युवाओं की विभिन्न सामाजिक-आर्थिक स्थितियों का अध्ययन करने के दृष्टिकोण से अत्यावश्यक है कि उन युवाओं की सामाजिक, सांस्कृतिक पृष्ठभूमि, आर्थिक तथा शैक्षिक स्तर, मनोवैज्ञानिक, पारिवारिक आदि विशेषताओं का सूक्ष्म अध्ययन किया जाये तभी मानव व्यवहार को समझना सरल हो सकता है।

युवाओं के सुधार की नीति विचारणीय रूप से अधिक ग्रन्थिपूर्ण है क्योंकि नगर क्षेत्र में सामाजिक एवं आर्थिक सम्बन्ध ग्रामीण परम्परागत परिस्थितियों की तुलना में बहुत भिन्न तथा अधिक उलझे होते हैं। युवाओं का कल्याण (सुधार) अनेक कारकों पर निर्भर करता है। नीति निर्धारकों का अधिकांश समय नीति निर्धारण में लग जाता है क्योंकि कम तथा अनुपयुक्त सूचनाओं के कारण विशेषकर इन युवाओं के सम्बन्ध में; कोई भी नीति तब तक सार्थक लाभ प्रदान नहीं कर सकती जब तक उन प्राणियों के बारे में पर्याप्त तथ्य प्राप्त नहीं होते जिनके बारे में नीतियाँ निर्धारित की जाती हैं।

इस पृष्ठभूमि में इस आशय में उत्तरदाताओं के सम्बन्ध में उनकी सामाजिक, आर्थिक एवं जनांकिकीय विशेषताओं की पहचान करने का प्रयास

किया गया है जो जनपद चित्रकूट में निवास करते हैं। जिसमें विभिन्न चरणों यथा- आयु, लिंग, व्यवसाय, मासिक आय, जाति, धर्म, वैवाहिक स्थिति, विवाह का स्वरूप, लड़के-लड़कियों की शादी की आयु, आवासीय दशाऐं, मकानों में उपलब्ध सुविधाऐं आदि सम्मिलित हैं । जिससे विभिन्न जातियों, धर्मो, लिंग, विभिन्न आयु-अन्तरालों, पृष्ठभूमि तथा विभिन्न सामाजिक, सांस्कृतिक तथा आर्थिक स्तरों के उत्तरदाताओं का अध्ययन करना सम्भव हो सके। साथ ही युवाओं में मादक द्रव्य सेवन की प्रकृति एवं प्रभाव पर प्रकाश डालना भी सम्भव हो सके।

आयु :- यह किसी भी समाज की सामाजिक व्यवस्था में व्यक्ति की सामाजिक प्रस्थिति का निर्धारण उसकी आयु से किया जाता है । अधिक आयु सम्मान का प्रतिनिधित्व करता है। "सामाजिक भूमिकाओं के निर्वहन में तथा व्यक्ति की सोच तथा कार्य निष्पादन में आयु की भूमिका महत्वपूर्ण होती है ।" यही कारण है कि शोधार्थी ने युवाओं का गहन अध्ययन करने के लिए उनकी आयु संरचना को जानने का प्रयास किया है । सर्वेक्षण से प्राप्त प्राथमिक तथ्यों पर निम्नलिखित तालिका संक्षिप्त में प्रकाश डालती है :-

तालिका संख्या -1

युवाओं की आयु संरचना सम्बन्धी विवरण

क्र.	आयु समूह	उत्तरदाताओं की संख्या	प्रतिशत
1.	18-21	64	21.34
2.	22-24	70	23.33
3.	25-27	106	35.33
4.	28-30	40	13.33
5.	31-33	20	6.67
6.	34-35	--	-
	योग	300	100.00

उपरोक्त तालिका से ज्ञात होता है कि चयनित उत्तरदाताओं में से सर्वाधिक 106 उत्तरदाता (35.33%) 25-27 आयु वर्ग के, 70 (23.33%) 22-24 आयु वर्ग के, 64 (21.34%) 18-21 आयु वर्ग के, 40 (13.33%) 28-30 आयु वर्ग के तथा 20 उत्तरदाता (6.67%) 28-30 आयु वर्ग के थे।

शिक्षा : "शिक्षा को व्यक्ति की जागरूकता का एक महत्वपूर्ण निर्धारक माना जाता है। द्वितीय, शिक्षा एक सतत सीखने तथा अनुभव ग्रहण करने की प्रक्रिया है जो व्यक्ति के व्यवहार-चिन्तन-मनन तथा आचरण में परिवर्तन करती है।" इस दृष्टि से प्रस्तुत शोध अध्ययन में उत्तरदाताओं के शैक्षिक स्तर सम्बन्धी सूचनाऐं एक की गई। सर्वेक्षण से प्राप्त प्राथमिक तथ्यों पर निम्नलिखित तालिका संक्षिप्त प्रकाश डालती है :-

तालिका संख्या -2

उत्तरदाताओं का शैक्षिक स्तरवार वर्गीकरण

क्र.	शैक्षिक स्तर	उत्तरदाताओं की संख्या	प्रतिशत
1.	निरक्षर	18	6.00
2.	प्रायमरी	18	6.00
3.	जू. हाई स्कूल	78	26.00
4.	हाई स्कूल	66	22.00
5.	इन्टर	66	22.00
6.	स्नातक	28	9.33
7.	स्नात्कोत्तर	26	8.67
	योग	300	100.00

प्रसंगाधीन उपरोक्त तालिका के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि चयनित उत्तरदाताओं में से सर्वाधिक 78 उत्तरदाता (26.00%) जूनियर हाई स्कूल (कक्षा 8 वीं पास) थे, 66 उत्तरदाता क्रमशः (22.00%) हाईस्कूल तथा इन्टरमीडिएट, 28 उत्तरदाता (9.33%) स्नातक तथा 26 उत्तरदाता (8.67%) परास्नातक थे। सुस्पष्ट है कि प्रस्तुत शोध अध्ययन में सभी शैक्षिक स्तर के उत्तरदाताओं को शामिल किया गया है जिसमें 94.00% शिक्षित तथा मात्र 6.00% निरक्षर थे। ये निरक्षर उत्तरदाता ग्रामीण क्षेत्र के थे।

जाति :- जाति से जुड़ी अनेक सामाजिक बुराईयां होती हैं। प्राय यह अवलोकन को मिलता है कि मद्यपान की बुराई दलित वर्गो तथा ठाकुर जातियों में पाई जाती है। यही कारण है कि शोधार्थी ने उत्तरदाताओं की जाति का सामाजिक चर के रूप में अध्ययन करने का प्रयास किया है। तथ्यों के संकलनों की, निम्नलिखित तालिका में विश्लेषणात्मक विवेचन प्रस्तुत किया गया है :-

तालिका संख्या -3

उत्तरदाताओं का जातिवार वर्गीकरण का विवरण

क्र.	जाति	उत्तरदाताओं की संख्या	प्रतिशत
1.	सामान्य जाति	84	28.00
2.	पिछड़ी जाति	110	36.67
3.	अनुसूचित जाति	90	30.00
4.	अनु. जन. जाति	16	5.33
	योग	300	100.00

उपरोक्त सारणी से ज्ञात होता है कि सर्वाधिक 110 उत्तरदाता (36.67%) पिछड़ी जाति के थे, 106 उत्तरदाता (35.33%) अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जन जाति के थे तथा 84 उत्तरदाता (28.00%) सामान्य जाति (ब्राह्मण-क्षत्रि-वैश्य) जातियों के थे।

धर्म :- "धर्म एक कारक है जो मानव व्यवहार पर नियंत्रण रखता है। हमारा समाज अनेक धर्मो में विभाजित हैं। भारत हिन्दू, मुसलिम, सिख, ईसाई, जैन एवं वौद्ध मतावलम्बी रहते हैं। हिन्दू पुनः अनेक मतों को मानते दिखते हैं।" यही कारण है कि शोधार्थी ने उत्तरदाताओं का गहन अध्ययन करने के लिए उनके धार्मिक पृष्ठभूमि के अध्ययन करने का प्रयास किया है। सर्वे से प्राप्त प्राथमिक सूचनाओं पर निम्न तालिका प्रकाश डालती है :-

तालिका संख्या -4

धर्मवार उत्तरदाताओं का वर्गीकरण का विवरण

क्र.	धर्म	उत्तरदाताओं की संख्या	प्रतिशत
1.	हिन्दू	254	84.67
2.	मुसलिम	46	15.33
3.	सिख	-	-
4.	ईसाई	-	-
	योग	300	100.00

उपरोक्त तालिका से विदित होता है कि सर्वाधिक 254 उत्तरदाता (84.67%) हिन्दू धर्मालम्बी के थे तथा शेष 46 उत्तरदाता (15.33%) मुसलिम थे। भारत में 'अधिकांशतः हिन्दू ही रहते हैं तथा देश को कट्टरपंथी हिन्दुस्तान ही

नाम से पुकारते, अपने को बताते तथा लिखते हैं अतः यह स्वाभाविक है कि उत्तरदाता भी बहुसंख्यक हैं।

<u>व्यवसाय :-</u> ईसाई धर्म के रूढ़िवादी मत के एक पादरी ईसाई धर्म के अन्यमत 'प्रोसटेन्ट' समूह के फादर के पास इस आशय से गया कि यदि वह (कैवलिन) उसके प्रश्नों के सन्तुष्टपूर्ण उत्तर दे दे तो वह रूढ़िवादी के स्थान पर प्रोसटेन्ट समूह को अपना लेगा। उसने केवलिन से निम्न संवाद किया - केवलिन धर्म क्या है ? उत्तर -''काम ही पूजा है,'' केवलिन आस्तिक कौन है? उत्तर - ''जो काम में विश्वास करता है'', केवलिन कौन नर्क में तथा कौन स्वर्ग में है? उत्तर - जो किसी व्यवसाय को करके अपनी जीविकार्जन कर रहा है वह स्वर्ग में है और जो व्यवसाय हीन है वह नर्क में है। इसी विचार को लेकर शोधार्थी ने उत्तरदाताओं के व्यवसाय का अध्ययन करना आवश्यक समझा जिसका विवरण निम्न तालिका में दर्शाया गया है।

तालिका संख्या -5

व्यवसायवार उत्तरदाताओं का वर्गीकरण

क्र.	व्यवसाय	उत्तरदाताओं की संख्या	प्रतिशत
1.	सरकारी नौकरी	52	17.33
2.	प्राइवेट नौकरी	42	14.00
3.	दूकान	22	7.33
4.	मजदूरी	52	17.34
5.	बेरोजगार	40	13.33
6.	कृषि	92	30.67
	योग	300	100.00

उपरोक्त तालिका से ज्ञात होता है कि सर्वाधिक 92 उत्तरदाता (30.67%) कृषक पृष्ठ भूमि के थे, 52 उत्तरदाताओं का व्यवसाय क्रमशः सरकारी सेवा व मजदूरी थी। तथा 42 उत्तरदाता (14.00%) प्राइवेट नौकरी के व्यवसाय में लगे थे। इसके अलावा 40 उत्तरदाता (13.33%) बेरोजगार तथा 22 उत्तरदाता (7.33%) दूकान चलाने के व्यवसाय को अपनाऐं हुए थे।

मासिक आय :- "मासिक आय एक महत्वपूर्ण निर्धारिक व्यक्ति के रहन-सहन के स्तर का। व्यय का स्वभाव, भोजन जो उपभोग किया जाता है तथा सेवाएं जो हम प्राप्त करते हैं, मनोरंजन जो व्यक्ति जीवन में करता है वह सब व्यक्ति की आय पर निर्भर करता है।"

आनन्द राजकुमार ने भी अपने शोध अध्ययन में पाया कि, "निम्न मासिक आय लोगों का भूखा मारती है तथा अधिक मासिक आय आराम तथा आवश्यकताओं की पूर्ति पर बल देती है।" सर्वेक्षण से प्राप्त सूचनाओं पर निम्न तालिका उत्तरदाताओं की मासिक आय पर प्रकाश डालती है।

तालिका संख्या -6

मासिक आयवार उत्तरदाताओं का वर्गीकरण

क्र.	मासिक आय रूपयों में	उत्तरदाताओं की संख्या	प्रतिशत
1.	रू0 1000-2000	98	32.67
2.	रू0 2001-3000	54	18.00
3.	रू0 3001-4000	48	16.00
4.	रू0 4001-5000	74	24.67
5.	रू0 >5000	26	8.66
	योग	300	100.00

उपरोक्त तालिका से प्रगट होता है कि सर्वाधिक 98 उत्तरदाता (32.67%) की मासिक आय रु0 1000-2000 के मध्य में थी। 74 (24.67%) की रु0 4001-5000, उत्तरदाता 54 (18.00%) की रु0 2001-3000, उत्तरदाता 48 (16.00%) की रु0 3001-4000 तथा 26 उत्तरदाताओं (8.66%) की आय रु0 > 5000 की थी।

<u>वैवाहिक स्तर :-</u> विवाह संस्थान समाज का महत्वपूर्ण संस्थान माना जाता है, जो व्यक्ति को सामाजिक प्रस्थिति प्रदान करता है साथ ही पारिवारिक कार्य एवं उत्तरदायित्व के निवर्हन की भी। कहते है कि गृहणी सर्वोपरि धर्म है। इस पर बचपन, वृद्धावस्था तथा सन्यासी भी निर्भर करते हैं। यही कारण है कि शोधार्थी ने प्रस्तुत शोध में वैवाहिक स्तर को अध्ययन हेतु आवश्यक समझा। निम्नलिखित तालिका उत्तरदताओं के वैवाहिक स्तर पर प्रकाश डालती है।

तालिका संख्या -7

वैवाहिक स्तर पर उत्तरदाताओं का वर्गीकरण

क्र.	वैवाहिक स्तर	उत्तरदाताओं की संख्या	प्रतिशत
1.	विवाहित	224	74.67
2.	अविवाहित	36	12.00
3.	तलाकशुदा	34	11.33
4.	विधुर	6	2.00
	योग	300	100.00

उपरोक्त तालिका से स्पष्ट होता है कि सर्वाधिक 224 उत्तरदाता (74.67%) विवाहित थे। 36 उत्तरदाता (12.00%) अविवाहित थे, 34 उत्तरदाता

(11.33%) तलाकशुदा थे तथा 6 उत्तरदाता (2.00%) विधुर थे । 11.33% तलाकशुदा जनपद चित्रकूट में वाल विवाह की प्रथा के कारण तथा प्रसव कराने की आधुनिक सुरक्षा के अभाव के साथ गर्भावस्था में प्रदत्त सेवा का अभाव ही था । घर पर प्रसव कराना, स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता का अभाव तथा स्वास्थ्य शिक्षा का अभाव भी अन्य कारण थे ।

<u>जीवित सन्तानें :-</u> "अधिक जीवित सन्तानें कलह का कारण रही है । आज तो "छोटा परिवार-सुखी परिवार का आदर्श ही उपयोगी माना जाता है । 'कम सन्तान सुखी इन्सान' साथ ही "हम दो हमारे दो" की संस्कृति आज अधिक ग्राहणी हो रही है ।" यह उद्गार इन्डिया परिवार नियोजन ऐशोशियेशन ने 2001 की बुक में व्यक्त किए हैं । इसी लिए इस शोध अध्ययन में शोधार्थी ने 'जीवित सन्तानों की जानकारी करने के लिए प्रश्नावली में स्थान दिया । निम्नलिखित उत्तरदाताओं की जीवित सन्तानों पर प्रकाश डालती है ।

तालिका संख्या -8

उत्तरदाताओं की जीवित सन्तानों का वर्गीकरण

क्र.	जीवित सन्तानें	उत्तरदाताओं की संख्या	प्रतिशत
1.	शून्य	12	4.00
2.	एक	29	9.67
3.	दो	80	26.67
4.	तीन	54	18.00
5.	चार	49	16.33
6.	पाँच	76	25.33
	योग	300	100.00

उपरोक्त तालिका से ज्ञात होता है कि सर्वाधिक 80 उत्तरदाता (26.67%) के दो जीवित बच्चे थे। 76उत्तरदाताओं (25.33%) के पांच, 54 उत्तरदाताओं (18.00%) के तीन, 49 उत्तरदाताओं (16.33%) के चार, 29 उत्तरदाताओं (9.67%) के एक तथा 12 उत्तरदाताओं के कोई जीवित बच्चे नहीं थे। औसतन 3.8 यौगिक प्रजनन दर उत्तरदाताओं की पाई गई जो इसलिऐ थी क्योंकि उनका समस्त आयु वर्ग 18-33 का था। यदि वह 14-45 वर्ष के आयु वर्ग थे तो वर्ष 2001 की उ.प्र. की गणनानुसार 4.1 संख्या होती है।

परिवार की प्रकृति :- परिवार की प्रकृति उसमें रहने वालों की सामूहिक अथवा स्वतंत्रता की द्योतक होती है, साथ ही साथ उस पर आधुनिकता का प्रभाव भी देखा जा सकता है। परिवार की प्रकृति नगरीकरण व औद्योगीकरण से भी परिवर्तित होती है। स्त्री शिक्षा तथा सेवायोजन भी परिवार की प्रकृति को प्रभावित करता है। इसलिए शोधार्थी ने अपने अध्ययन में परिवार की प्रकृति को महत्व प्रदान किया है। निम्नलिखित तालिका में उत्तरदाताओं की परिवार की प्रकृति पर प्रकाश डालती है।

तालिका संख्या -9

उत्तरदाताओं के परिवार के स्वरूप का वर्गीकरण

क्र.	परिवार का स्वरूप	उत्तरदाताओं की संख्या	प्रतिशत
1.	एकांकी	118	39.33
2.	संयुक्त	136	45.33
3.	विस्तृत	46	15.34
	योग	300	100.00

उपरोक्त सारणी से ज्ञात होता है कि सर्वाधिक 136 उत्तरदाता (45.33%) संयुक्त परिवार में रहते थे, 118 उत्तरदाता (39.33%) एकांकी परिवार में तथा मात्र 46 उत्तरदाता (15.34%) विस्तृत परिवार में रहते थे। चित्रकूट एक धार्मिक स्थान है तथा शिक्षा का अन्य जनपदों की तुलना में अभाव होने के कारण आज भी लोग अपना जीवन परम्परावादी अधिक व्यतीत करते हैं। यही कारण है कि ग्रामीण क्षेत्रों में विस्तृत परिवारों तथा नगर क्षेत्र को मिला कर संयुक्त परिवारों में रहना पसन्द करते है।

<u>आवासीय स्थिति :-</u> बेहतर आवासी स्थिति-विद्युत, जल, स्नानगृह, भोजनालय, शौचालय तथा पृथक से आंगन तथा बाहय बगीचा की सुविधाऐं अभिजात के प्रतीक होते है। इससे रहन-सहन का स्तर सहज ही झलकता है। इन सब बातों को ध्यान में रख कर ही शोधार्थी ने उत्तरदाताओं की आवासीय स्थिति का अध्ययन करना आवश्यक समझा। प्रस्तुत तालिका उत्तरदाताओं की आवासीय स्थिति पर प्रकाश डालती है।

तालिका संख्या - 10

उत्तरदाताओं की आवासीय स्थिति का वर्गीकरण

क्र.	आवास स्थिति	उत्तरदाताओं की संख्या	प्रतिशत
1.	पक्का घर	126	42.00
2.	मिश्रित घर	106	35.33
3.	कच्चा घर	68	22.67
	योग	300	100.00

उपरोक्त तालिका से विदित होता है कि सर्वाधिक 126 उत्तरदाता के मकान पक्के थे। 106 उत्तरदाता (35.33%) मिश्रित, कच्चे-पक्के मकानों में आवासित

थे तथा 68 उत्तरदाता (22.67%) सूचना एकत्र करते समय कच्चे मकानों में रहते थे। उपरोक्त स्थिति उत्तरदाताओं की कम मासिक आय की द्योतक थी।

<u>मनोरंजन के साधन :-</u> मनोरंजन मानव जीवन के मानसिक स्वास्थ्य के लिए अनिवार्य है। आज तनाव एवं चिन्ता के युग में इसकी अत्याधिक आवश्यकता होती है। क्योंकि यह शोध युवाओं के ऊपर आधारित है इसलिए और शोधार्थी ने मनोरंजन के साधन उत्तरदाताओं के बीच होने के अध्ययन को प्राथमिकता प्रदान की गई है। निम्न तालिका उत्तरदाताओं के पास मनोरंजन के साधन होने पर प्रकाश डालती है।

तालिका संख्या -11

उत्तरदाताओं के मनोरंजन के साधनों का वर्गीकरण

क्र.	मनोरंजन के साधन	उत्तरदाताओं की संख्या	प्रतिशत
1.	रेडियो	109	36.33
2.	टी.वी.	107	35.67
3.	सिनेमा	60	20.00
4.	क्लब	09	3.00
5.	सांस्कृतिक केन्द्र	15	5.00
	योग	300	100.00

उपरोक्त तालिका से ज्ञात होता है कि सर्वाधिक 109 उत्तरदाताओं के पास मनोरंजन एवं सूचना स्रोत के रूप में रेडियों का साधन था। 107 उत्तरदाताओं (35.67%) के पास टेलीविजन-श्रव्य-दृश्य मनोरंजन का साधन था। 60 उत्तरदाताओं (20.00%) सिनेमा देख कर मनोरंजन करते थे, 15 उत्तरदाता जनपद स्थिति सांस्कृतिक केन्द्र पर आयोजित होने वाले कार्यक्रम द्वारा मनोरंजन की पूर्ति करते थे। तथा 9 उत्तरदाता क्लबों द्वारा मनोरंजन करते थे।

अध्याय-5

युवाओं में मादक द्रव्य सेवन की प्रकृति

युवाओं में मादक द्रव्य सेवन की प्रकृति

अवैध मादक द्रव्यों का सेवन तथा वैध द्रव्यों का दुरूपयोग देश में कितना फैला है? भारत की जनसंख्या चार विभिन्न क्षेत्रों में किए गये आनुभाविक अध्ययन मादक द्रव्यों का प्रचलन दर्शातें हैं।

मानव-समाज मानवीय सम्बन्धों व सह-सम्बन्धों का जितना अनोखा ताना-बाना है उतना और कोई भी अन्य समाज नहीं। यहाँ तो साधु और शैतान, कूटनीतिज्ञ और कामकूट, अपराधी और अवतार, वैश्या और वैरागी, वैज्ञानिक और वेदान्ती, राजा और रंक सब साथ-साथ रहते है। इसी मानव-समाज में पति-पत्नी के मधुर-क्लेश से लेकर भयंकर विश्व युद्ध तक होता है, पारिवारिक स्तर पर जीवन-साथी के चुनाव से लेकर राष्ट्रीय स्तर पर राष्ट्रपति का चुनाव तक सम्पन्न होता है, यहाँ ताशबाजी से लेकर शराबबाजी तक है, यहाँ जातिवाद से लेकर प्रजातिवाद तक है, यहाँ खेल-कूद से लेकर साम्प्रदायिक दंगे-फसाद तक हैं, यहाँ पूजा-पाठ से लेकर नरबलि तक है और यहीं पर निरक्षरता, अज्ञानता व कुसंस्कार के घोर अन्धकार से लेकर शिक्षा-दीक्षा व ज्ञान का जगमगाता हुआ प्रकाश भी है। ये सब कुछ हैं और इन सब कुछ को लेकर ही सामाजिक घटनाओं की प्रकृति का निर्धारण होता है। ये सामाजिक घटनाएँ ही सामाजिक वैज्ञानिकों के शोध व सर्वेक्षण का विषय हैं। अतः इनकी वास्तविक प्रकृति को भली-भाँति समझ लेना परमावश्यक है। प्रस्तुत अध्याय उसी दिशा में एक 'पहला कदम' मात्र है।

विज्ञान सामाजिक समस्याओं को अध्ययन है। अतः युवाओं में मादक-द्रव्य सेवन की प्रकृति वैज्ञानिक अध्ययन के आधारों को प्रभावित कर सकती है। यदि मादक द्रव्य सेवन की प्रकृति इस प्रकार की है कि उसमें किसी भी प्रकार का नियमितता का अभाव है तो यह स्पष्ट है कि व्यवस्थिति ढंग से उस समस्या की प्रकृति का अध्ययन कठिन होगा और उस अध्ययन से प्राप्त निष्कर्ष भी शायद ही यथार्थ हो। अतः मादक द्रव्य सेवन की प्रकृति की जाँच कर लेना समाज विज्ञान के लिए आवश्यक हो जाता है। प्रायः देखा गया है कि मद्यपान तथा मादक द्रव्यों का व्यसन दो अलग-अलग अवधारणाऐं व समस्याएँ है इसलिए सामाजिक अध्ययन के लिए इनकी उपर्युक्तिता एक समान नहीं है। यही कारण है कि आज हम मद्यपान या मादक द्रव्य व्यसन के क्षेत्र में अभूतपूर्व प्रगति को प्राकृतिक व भौतिक वस्तुओं पर उत्तरोत्तर मानवीय नियंत्रण के रूप में स्वयं देख सकते है। अपने वैज्ञानिक एवं समाज वैज्ञानिक के आधार पर मनुष्य प्रकृति पर बहुत कुछ विजय प्राप्त कर ली है, अनेक रहस्यों को उसने खोला है, असख्य दुर्बोधों को उसने बोधगम्य बनाया है, अपनी धरती को उसने जाना है। इस प्रकार मादक द्रव्य व्यसन की प्रकृति को समझने के लिए वह अपनी समाज में चकरा जाता है। अपने ही सामाजिक सम्बन्धों के बारे में स्वयं निश्चित नहीं हो पाता और उसकी भारी गतिविधि के बारे में भविष्यवाणी करने में कुछ हिचकिचाता है।

ऐसा क्यों? इसका उत्तर है कि सामाजिक घटनाएँ तथा समस्याएँ जटिलता,विविधता, परिवर्तन शीलता, व्यक्ति निष्ठता, अमूर्ता और गुणात्मकता की एक दुनिया है। इस अजीवता से घवराकर कुछ विद्धानों ने यह घोषणा कर दी कि व्यक्ति की प्रकृति का अध्ययन वैज्ञानिक पद्धति द्वारा नहीं किया जा सकता और इसलिए यथार्थ सामाजिक नियमों का प्रतिपादन भी नहीं किया जा सकता। इन विद्धानों के तर्क में कितनी सत्यता है और कितनी अत्युक्ति, इस बात को

समझने के लिए यह आवश्यक होगा कि हम उनके विचारों का आलोचनात्मक विश्लेषण करें।

यह सच है कि मादक-द्रव्य सेवन की प्रकृति एक सी नहीं होती। उसमें कुछ आधारभूत भिन्नताऐं है। उदाहरणार्थ, कुछ युवा अपने बाल काल से ही मादक-द्रव्यों का सेवन करने लगते है, कुछ किशोर अवस्था से तो कुछ युवा होने पर। कुछ युवा मादक द्रव्य के रूप में शराब, गांजा, चरस, अफीम, कोकीन, हेरोइन, ब्राउन शुगर, स्मैक तथा कोई इन्जेकिटवस का प्रयोग करता है। कोई आनन्द के लिए, कोई चिकित्सा उपचार के लिए, कोई कामुकता को उभारने के लिए, कोई बेरोजगारी, कोई पारिवारिक कलह, कोई व्यवसायिक हानि तो कोई मनोरंजन, कोई सामाजिक अपर्याप्तता, कोई तनाव के अवसाद, कुण्ठा को दूर करने के लिए कोई भंग परिवार, तो कोई वंशानुक्रम के कारण मादक द्रव्यों का सेवन करता है। इसी प्रकार कोई हमेशा कोई अक्सर, कोई कभी-कभी तो कोई कभी नहीं मादक द्रव्यों का सेवन करता है। कोई प्रतिदिन, कोई सप्ताह, कोई पखवारा, कोई मासवार, कोई वर्षो के समयान्तर पर मादक द्रव्यों का सेवन करता है। कोई दिन में, कोई रात में तो कोई एक बार, कोई दो बार, कोई तीन बार मादक द्रव्यों को सेवन करता है। किसी ने मादक द्रव्यों का सेवन मित्रों, किसी ने रिस्तेदारों तथा किसी ने किसी से प्रेरित होकर मादक द्रव्यों का सेवन करना प्रारम्भ किया है। कोई घर पर, कोई मधुशाला में तो यात्रा में ही मादक द्रव्यों का सेवन कर रहा है। कोई कम मात्रा में, कोई अधिक मात्रा में मादक द्रव्यों का सेवन कर रहा है।

सांराश यह है कि मादक द्रव्य सेवन की प्रकृति इतनी जटिल, व्यक्तिनिष्ठ तथा समरूपता का अभाव लिए है। इसलिए कुछ विद्धान मानव प्रकृति का अध्ययन कठिन मानते है।

मानवीय व्यवहारों के सम्बन्ध में आधुनिक समय में जो मनोवैज्ञानिक अध्ययन हुए हैं उनसे यह पता चलता है कि उपर्युक्त आरोप भी निराधार है। वास्तव में आरोप लगाने वाले लोग यह भूल जाते हैं कि वैज्ञानिक अध्ययन के लिए जिन मानवीय व्यवहारों या तथ्यों को चुना जाता है। वे व्यक्गित व्यवहार नहीं अपितु अधिकांश सामूहिक व्यवहार होते है और सामूहिक या समूह-व्यवहार विशेषता इतनी अधिक नहीं होती कि उसके सम्बन्ध में हम कोई भविष्यवाणी कर ही नहीं सकते। साथ ही, हमें यह भी भूल नहीं जाना चाहिए कि भविष्यवाणी करने की शक्ति का ताप्पर्य यह नहीं है कि एक वैज्ञानिक जो कुछ भी पूर्व कल्पना कर रहा है वह सदा के लिए और समस्त परिस्थितियों में ठीक ही होगी, ऐसी क्षमता भौतिक वैज्ञानिक भी नहीं रखते। एक प्राकृतिक या भौतिक वैज्ञानिक यह निश्चित रूप से नहीं कह सकता है कि कब वर्षा होगी, कब भूकम्प आएगा, कब तूफान या ज्वार-भाटे का प्रकोप होगा अथवा बच्चा किस समय पैदा होगा, बच्चा लड़का होगा या लड़की, अथवा रोग के आरम्भ होते ही मरीज की परीक्षा कर डॉक्टर यह नहीं बता सकता कि वह मर ही जाएगा। जो कुछ वह कहता है वह सच हो सकता है, पर जो कुछ वह एक 'शायद' का तत्व सदैव ही विद्यमान रहेगा और जो कुछ वह कहता है उसका ठीक या गलत होना परिस्थितियों पर निर्भर करेगा। आज का पानी कल भी पानी रहेगा, यह भविष्यवाणी तब ही सही प्रमाणित होगी यदि कल अत्यधिक ठण्डक या अत्यधिक गर्मी न हुई। अत्यधिक ठण्ड होने पर पानी फिर पानी न रहकर वर्फ हो जाऐंगा या अत्यधिक गर्मी होने पर भाप बनकर उड़ जाएगा। इसीलिए प्रत्येक वैज्ञानिक की भविष्यवाणी में 'अन्य अवस्थाएँ यदि समान रहीं'-यह शत अनिवार्यतः होती है और होनी भी चाहिए।

वास्तविकता तो यह है कि भविष्यवाणी करने की शक्ति विज्ञान के अध्ययन वस्तु की प्रकृति पर नहीं अपितु इस बात पर निर्भर करती है कि वह घटनाओं का

वैज्ञानिक अध्ययन करने के लिए कितनी उन्नतिशील प्रविधियों को विकसित करने में सफल हुआ है। अगर समाजशास्त्र सामाजिक घटनाओं के विषय में भौतिक विज्ञानों की तुलना में भविष्यवाणी करने के क्षमता कम रखता है तो उसका कारण स्वयं सामाजिक घटनाओं में अन्तर्निहित कोई कमी नहीं है। वास्तव में उन्नतशील प्रविधियों की कमी इन त्रुटि-विच्युतियों के लिए अधिक उत्तरदायी है। पर इस ओर प्रयत्न जारी है, और इसीलिए उज्जवल भविष्य की आशा स्वतः ही की जाती है। वह दिन बहुत दूर नहीं जबकि हम भी सामाजिक घटनाओं के सम्बन्ध में बहुत कुछ निश्चित भविष्यवाणी कर सकेंगे। यही हमारी भविष्यवाणी है!

प्रस्तुत अध्ययन में उत्तरदाताओं में मादक-द्रव्य सेवन की प्रकृति को ज्ञात करने हेतु शोधार्थी द्वारा प्रयास किये गये थे। इसके सम्बन्ध में एकत्र तथ्यों को निम्न बद्ध सारिणीयों में प्रस्तुत किया गया है।

तालिका संख्या - 1

युवाओं में मादक द्रव्य सेवन करने स्वीकारोक्ति सम्बन्धी विवरण

क्र.	मादक द्रव्य सेवन	उत्तरदाताओं की संख्या	प्रतिशत
1.	हाँ	177	59.00
2.	नहीं	123	41.00
	योग	300	100.00

उपरोक्त तालिका से ज्ञात होता है कि सर्वाधिक 177 उत्तरदाता (59.00%) मादक द्रव्य सेवन करते हैं। तथा 123 उत्तरदाता (41.00%) किसी भी प्रकार का मादक द्रव्य न खाते थे, पीते थे, सूंघते थे न सुई के द्वारा शरीर में पहुँचाते थे।

तालिका संख्या -2

युवाओं द्वारा मादक द्रव्य सेवन करने के अवसरों सम्बन्धी विवरण

क्र.	अवसर	उत्तरदाताओं की संख्या	प्रतिशत
1.	विवाह-बारातों में	26	8.67
2.	जन्मोत्सवों पर	32	10.67
3.	लाभ होने पर	31	10.33
4.	रिस्तेदारों के आगमन पर	27	9.00
5.	चाहे कभी	61	20.33
6.	कभी नहीं	123	41.00
	योग	300	100.00

उपरोक्त तालिका से विदित होता है कि सर्वाधिक 177 उत्तरदाता मादक-द्रव्य सेवन करते थे जिसमें क्रमशः 61उत्तरदाताओं (20.33%) 'चाहे कभी' मादक द्रव्य सेवन के अवसर थे जबकि 32 उत्तरदाता (10.67) केवल 'जन्मोत्सवों पर' ही मादक द्रव्यों का सेवन करते थे। 31 उत्तरदाता (10.33) लाभ होने पर, 27 उत्तरदाता (9.00) रिस्तेदारों के आगमन पर तथा 26 उत्तरतदाता (8.67) विवाह-बारातों के अवसरों पर मादक द्रव्यों का सेवन करते थे। केवल 123 उत्तरदाता (41.00) किसी भी अवसर पर मादक द्रव्यों का सेवन नहीं करते थे।

तालिका संख्या -3

युवाओं में मादक द्रव्य सेवन करने की प्रकृति सम्बन्धी विवरण

क्र.	मादक द्रव्य सेवन	उत्तरदाताओं की संख्या	प्रतिशत
1.	अक्सर	12	4.00
2.	कभी-कभी	116	38.67
3.	हमेशा	49	16.33
4.	कभी नहीं	123	41.00
	योग	300	100.00

उपरोक्त तालिका से विदित होता है कि सर्वाधिक 177 उत्तदाता (59.00) मादक द्रव्यों का सेवन करते थे। उनमें मादक द्रव्यों का सर्वाधिक 116 उत्तरदाता (38.67) 'कभी-कभी', 49 उत्तरदाता (16.33) 'हमेशा' तथा 12 उत्तरदाता (4.00) 'अक्सर' सेवन करने की प्रकृति प्रमाणित होती है।

तालिका संख्या -4

युवाओं में मादक द्रव्यों के विविध प्रकारों के सेवन के प्रति रूझान की पसन्द सम्बन्धी विवरण

क्र.	मादक-द्रव्य	उत्तरदाताओं की संख्या	प्रतिशत
1.	शराब	69	23.00
2.	भांग	36	12.00
3.	अफीम	18	6.00
4.	गांजा	30	10.00
5.	स्मैक	24	8.00
6.	कोई नहीं	123	41.00
	योग	300	100.00

ग्राफ

युवाओं में मादक द्रव्यों के विविध प्रकारों के सेवन के प्रति रूझान

उपरोक्त तालिका से ज्ञात होता है कि सर्वाधिक 177 उत्तरदाताओं (59.00%) का विविध मादक द्रव्यों के सेवन के प्रति रूझान था तथा 123 उत्तरदाता (41.00%) किसी प्रकार के भी मादक द्रव्यों का प्रयोग नहीं करते थे। जहां तक उत्तरदाताओं का विविध मादक द्रव्यों के प्रति रूचि का प्रश्न था उसमें 69 उत्तरदाता (23.00%) 'शराब' पीते थे, 36 उत्तरदाता (12.00%) भांग खाते थे, 30 उत्तर दाता (10.00%) गांजा पीते थे, 24 उत्तरदाता (8.00%) स्मैक सूघते थे और 18 उत्तरदाता (6.00%) अफीम का सेवन करते थे।

तालिका संख्या -5

युवाओं की मादक द्रव्य सेवन के समय आयु अवस्था सम्बन्धी विवरण

क्र.	मादक द्रव्य सेवन के समय आयु अवस्था	उत्तरदाताओं की संख्या	प्रतिशत
1.	18-20	22	7.33
2.	21-22	30	10.00
3.	23-24	71	23.67
4.	25-26	33	11.00
5.	27-28	21	7.00
6.	29-30	-	-
7.	31-32	-	-
8.	33-34	-	-
9.	कभी से नहीं	123	41.00
	योग	300	100.00

ग्राफ

युवाओं की मादक द्रव्य सेवन के समय आयु अवस्था सम्बन्धी विवरण

उपरोक्त तालिका से ज्ञात होता है कि 177 सर्वाधिक (59.00%) में से 71 उत्तरदाता (23.67%) ने 23-24 आयु से मादक द्रव्य सेवन करना प्रारम्भ किया, 33 उत्तरदाता (11.00%) की मादक द्रव्य सेवन के समय उनकी आयु 25-26 वर्ष की थी। 30 उत्तरदाताओं की आयु 21-22 वर्ष की थी, 22 उत्तरदाताओं (7.33%) की आयु 18-20 वर्ष की थी तथा 21 उत्तरदाताओं (7.00%) ने अपनी 27-28 वर्ष की आयु में मादक द्रव्य सेवन प्रारम्भ किया। 123 उत्तरदाता (41.00%) ने कोई मादक द्रव्य नहीं प्रयोग किया।

तालिका संख्या -6

युवाओं द्वारा दिन में मादक द्रव्य सेवन की आवृत्ति सम्बन्धी विवरण

क्र.	मद्यपान की आवृत्ति	उत्तरदाताओं की संख्या	प्रतिशत
1.	एक वार	104	34.67
2.	दो वार	73	24.33
3.	तीन वार	-	-
4.	कभी नहीं	123	41.00
	योग	300	100.00

उपरोक्त तालिका से ज्ञात होता है कि सर्वाधिक 104 उत्तरदाता (34.67%) मादक द्रव्यों का सेवन दिन में 'एक वार' करते थे, 73 उत्तरदाता (24.33%) दिन में 'दो वार' सेवन करते थे।

उपरोक्त तालिका से स्पष्ट होता हे कि सर्वाधिक 177 उत्तरदाता (59.00%) मादक द्रव्यों को क्रमशः 'एक वार' तथा 'दो वार' प्रयोग करते थे तथा 123 उत्तरदाता (41.00%) किसी प्रकार का कोई मादक द्रव्य प्रयोग नहीं करते थे।

तालिका संख्या -7

युवाओं का मद्य सेवन हेतु प्रेरकों सम्बन्धी विवरण

क्र.	प्रेरक	उत्तरदाताओं की संख्या	प्रतिशत
1.	मित्र	86	28.67
2.	रिस्तेदार	60	20.00
3.	सहपाठी	31	10.33
4.	पीते ही नहीं	123	41.00
	योग	300	100.00

उपरोक्त तालिका से ज्ञात होता है कि सर्वाधिक 177 उत्तरदाता (59.00%) में से 86 उत्तरदाता (28.67%) को उनको मादक-द्रव्य सेवन के लिए उनके 'मित्रों' द्वारा प्रेरित किया गया, 60 उत्तरदाताओं (20.00%) के प्रेरक 'रिस्तेदार' थे तथा 31 उत्तरदाताओं (10.33%) के प्रेरक सहपाठी थे। 123 उत्तरदाता (41.00%) मादक द्रव्यों का सेवन नहीं करते थे।

तालिका संख्या -8

युवाओं के मादक द्रव्यो के सेवन करने के माध्यम सम्बन्धी विवरण

क्र.	मद्य सेवन के माध्यम	उत्तरदाताओं की संख्या	प्रतिशत
1.	मुख द्वारा	153	51.00
2.	सूंघ कर	24	8.00
3.	सुई द्वारा	-	-
4.	किसी से नहीं	123	41.00
	योग	300	100.00

उपरोक्त तालिका से विदित होता है कि सर्वाधिक 177 उत्तरदाता (59.00%) में 153 उत्तरदाता (51.00%) 'मुख द्वारा', 24 उत्तरदाता (8.00%) 'सूंघ कर', तथा 123 उत्तरदाता (41.00%) किसी भी तरह से मादक द्रव्यों का सेवन नहीं करते थे।

तालिका संख्या -9

युवाओं द्वारा मादक द्रव्य सेवन के स्थान सम्बन्धी विवरण

क्र.	मद्यपान के स्थान	उत्तरदाताओं की संख्या	प्रतिशत
1.	घर पर	104	34.67
2.	मधुशाला में	30	10.00
3.	यात्रा में	11	3.66
4.	ढावा/होटल	32	10.67
5.	कही नहीं	123	41.00
	योग	300	100.00

उपरोक्त तालिका से विदित होता है कि सर्वाधिक 177 उत्तरदाता (59.00%) विभिन्न स्थानों पर मादक द्रव्यों का सेवन करते थे तथा 123 उत्तरदाता (41.00%) किसी भी स्थान पर किसी भी मादक द्रव्य का प्रयोग नहीं करते थे। 177 उत्तरदाताओं में क्रमशः 104 उत्तरदाता (34.67%) 'घर पर', 32 उत्तरदाता (10.67%) 'ढावा या होटल' में, 30 उत्तरदाता (10.00%) 'मधुशाला' में तथा 11 उत्तरदाता (3.66%) यात्रा के दौरान भी मादक द्रव्यों का प्रयोग करते थे।

तालिका संख्या -10

युवाओं द्वारा मादक द्रव्य प्राप्त करने के स्थानों सम्बन्धी विवरण

क्र.	मादक द्रव्य प्राप्त करने के स्थान	उत्तरदाताओं की संख्या	प्रतिशत
1.	मित्रों द्वारा	64	21.34
2.	दुकानों से	113	37.66
3.	अभिकर्त्ता से	-	-
4.	किसी से नहीं	123	41.00
	योग	300	100.00

उपरोक्त तालिका से ज्ञात होता है कि सर्वाधिक 113 उत्तरदाता (37.66%) मादक द्रव्यों का सेवन करने हेतु 'दुकानों' से तथा 64 उत्तरदाता (21.34%) मित्रों द्वारा मादक द्रव्य प्राप्त करते थे।

वस्तुतः उपरोक्त सारणी के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि 177 उत्तरदाता (59.00%) क्रमशः दुकानों से तथा मित्रों से मादक द्रव्य सेवन हेतु प्राप्त करते थे जबकि 123 उत्तरदाता (41.00%) मादक द्रव्यों का सेवन ही नहीं करते थे।

तालिका संख्या -11

युवाओं द्वारा मादक द्रव्य सेवन के समयान्तर सम्बन्धी विवरण

क्र.	मद्यपान का समयान्तर	उत्तरदाताओं की संख्या	प्रतिशत
1.	सप्ताह में	12	4.00
2.	पखवारे में	66	22.00
3.	माह में	40	13.34
4.	प्रतिदिन	49	16.33
5.	वर्षो में	10	3.33
6.	कभी नहीं	123	41.00
	योग	300	100.00

उपरोक्त तालिका से ज्ञात होता है कि सर्वाधिक 66 उत्तरदाता (22.00%) माह में दो वार (पखवारे में), 49 उत्तरदाता (16.33%) 'प्रतिदिन', 40 उत्तरदाता (13.34%) माह में एक वार, 12 उत्तरदाता (4.00%) 'सप्ताह' में एक वार तथा 10 उत्तरदाता (3.33%) वर्ष में एक वार मादक द्रव्यों का सेवन करते थे।

उपरोक्त तालिका से स्पष्ट होता हे कि सर्वाधिक 177 उत्तरदाता (41.00%) प्रतिदिन, सप्ताह, पखवारा, माह तथा वर्षो के समयान्तर पर मादक द्रव्यों का सेवन करते थे तथा 123 उत्तरदाता (41.00%) मादक द्रव्यों का सेवन नहीं करते थे।

अध्याय-6

मादक द्रव्य सेवन के कारण

मादक द्रव्य सेवन के कारण

मद्यपान के कारणों की व्याख्या करते समय जो महत्पूर्ण बात ध्यान में रखनी चाहिये वह यह है कि जो मदिरा का सेवन करते हैं उनमें से 90.0% मद्यसारिक नहीं बनते। मद्यपान की कुंजी 'कारण' (Motive) में है जिससे व्यक्ति दुबारा पीता है। इसलिये मद्यपान को केवल व्यक्तित्व की संरचना जैसे कारकों के आधार पर समझना गलत होगा। कोई आश्चर्य नहीं है कि मानसिक (Psychogenic) दृष्टिकोण को मद्यपान की अतिसरल की गई व्याख्या माना जाता है। एक मनोवैज्ञानिक विचार यह है कि लगभग सभी मद्यसारिक बचपन में भावात्मक आवश्यकताओं के वंचन से ग्रसित होते हैं। क्लाइमबेल (1956:45) ने कहा है कि माता-पिता की अभिवृत्तियों के चार प्रमुख प्रकार होते हैं जो वयस्कता के मद्यपान से जुड़ी होती हैं। ये सब अभिवृत्तियां बच्चे को मानसिक आघात पहुंचाती हैं और उसमें भावात्मक वंचना उत्पन्न करती हैं, ये हैं : (1) सत्तावाद (Authoritarianism), (2) प्रकट अस्वीकरण (Over-rejection), (3) नीतिवाद (Moralism) और (4) सफलता की पूजा। ये कारक असुरक्षित व्यक्तित्व के, जो मदिरा का शिकार हो जाता है, बनने में महत्पूर्ण हैं। इस तथ्य से स्पष्ट होता है कि मद्यसारिकों के मनोवैज्ञानिक अध्ययन बार-बार व्यक्तित्व के गुणों का निम्नांकित उल्लेख करते हैं : अन्तरवैयक्तिक सम्बन्धों में ऊंचे स्तर की चिन्ता, भावात्मक अपरिपक्वता, सत्ता के प्रति द्वैधवृत्ति (Ambivalance), कुण्ठा के प्रति कम सहनशीलता, आत्मसम्मान की कमी, अलगाव और दोष की भावनाएं *(क्लाइनबेल 1956:49)*। ये मनोवैज्ञानिक लक्षण मद्यपान के परिणाम नहीं हैं, अपितु मद्यपान के

कारण हैं। ये कई मद्यसारिकों में उनके अत्याधिक पीने के आरम्भ करने से प्रायः पहले ही विद्यमान होते है।

कुछ विद्वानों के अनुसार और व्यक्तितत्व के असमायोजन में निश्चित संबंध दिखलाई पड़ता हैं। आरम्भ में एक व्यक्ति जीवन की अपनी समस्याओं से आश्रय लेने के लिये या अपनी मुसीबतों से अल्पकालिक राहत पाने के लिये पीता है। धीरे-धीरे वह अधिक से अधिक बार पीना आरम्भ कर देता है और उस पर पूर्ण रूप से निर्भर हो जाता है। तथापि मनोवैज्ञानिकों का मानना है कि केवल वे ही व्यक्ति निरंतर पीने लगते हैं, जो भावात्मक रूप से अपरिपक्व होते हैं या जिनमें आत्मविश्वास नहीं होता है।

समायोजन की वे कौन सी समस्याएं हैं जिनसे चिन्ता, तनाव, दोष, और कुण्ठा उत्पन्न होती हैं? *बेकन (1959 : 208)* के अनुसार प्रमुख ये समस्याएं हैं : व्यक्ति का अपना मूल्यांकन; दूसरों के आदर और प्रेम को अर्जित करना और उसको बनाये रखना; स्वाग्रह (Self-assertion) के कारण दूसरों से संघर्ष; पूर्णतया आक्रामक होने से झगड़ा; स्वामित्व से जुड़ी प्रतिष्ठा, व्यक्तिगत सुरक्षा के बारे में व्यापक सुरक्षा क्योंकि ये पैसे से जुड़े हुए हैं; विशिष्ट लक्षणों की प्राप्ति के लिये स्वीकार किये गये उत्तरदायित्व; और यौन संबंधी मामले।

मदिरा सेवन के समाजशास्त्रीय कारण मूलतः वही हैं जो मादक पदार्थ लेने के हैं। तथापि, मदिरा सेवन और अवैध मादक पदार्थों के लेने के कारणों में भेद किया जा सकता है। क्योंकि मदिरा अवैध मादक पदार्थों के अपेक्षाकृत सामाजिक रूप से अधिक स्वीकार्य है, इसलिये मदिरापान से व्यक्ति की भय, परेशारियां और चिन्ताएं कम हो जाती हैं। इसके अतिरिक्त मदिरा अवैध मादक पदार्थों की तुलना में अधिक आसानी से मिल जाती है। वह कई मादक पदार्थों जैसे

हेरोइन, कोकीन और एल.एस.डी. से अधिक सस्ती भी है। मदिरा पीने के प्रमुख समाजशास्त्रीय कारण हैं : (1) पर्यावरण से संबंधित दबाव, (2) मित्रों के दबाव और (3) प्रबल उप-संस्कृति।

प्रश्न यह है कि क्यों कुछ व्यक्ति विशेष पर्यावरण के दबाव के कारण पीना पसन्द करते हैं जबकि अन्य ऐसा नहीं करते ? यहां निश्चित रूप से व्यक्ति के अनुभव में व्यक्तित्व और सांस्कृतिक कारक प्रमुख अनुकूलन (Conditioning) तत्व होते हैं। सांस्कृतिक बर्जनाऐ और मद्य निषेध की नीति के कारण मदिरा की अनुपलब्धता कई व्यक्तियों को उसके प्रयोग के जोखिम से दूर रखती है। इससे यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि मद्यपान की व्याख्या एकल कारक (Single factor) उपागम के स्थान पर सम्पूर्णवादी (Holistic) कारक के द्वारा ही की जा सकती है

यह प्रश्न किया जा सकता है कि क्या संस्कृति में ही ऐसे दबाव ढूंढे जा सकते हैं जो मद्यपान को प्रोत्साहित करते हो और उसे रोकते हो। यह कहा जाता है कि कुछ सांस्कृतियां ऐसी हैं जो दूसरों की अपेक्षा अधिक अच्छे तरीके से व्यक्ति पर प्रभावी नियंत्रण रखती है। अमरीका एक अनुसंधान बताता है कि यहूदियां में (13.0%) कैथलिकों (21.0%) और प्रोटेस्टेन्टो (41.0%) की तुलना में बहुत कम मद्य त्यागी (Teetocallers) है। फ्रांस, जर्मनी और अमरीका में शराब का काफी प्रचलन है। हाल में ही मद्यपान इन देशों के व्यक्तियों के जीवन में एक प्रमुख संकट बन गया है। एक बार व्यक्ति सांस्कृतिक स्वीकृतियों के कारण मदिरा का सेवन प्रारम्भ कर देते हैं तो वे उसका बार-बार सेवन करते हैं, विशेषतया असुरक्षा एवं चिन्ताओं की स्थितियों में। वर्तमान उपागम यह है कि मद्यपान को चरित्र और प्रेरणा के सन्दर्भ में समझा जाना चाहिए। मद्यसारिक एक रोगी पुरूष है। उसे उपहास,

निराकरण या निन्दा (Condemnation), से नहीं देखा जाना चाहिए। वह उस समय तक मनोग्रन्थियों (Complexes), अभिवृत्तियों और आदतों का शिकार रहता है जब तक कि उसके आत्मनास की प्रक्रिया अपरिहार्य नहीं हो जाती है।

तालिका संख्या - 6.1

युवाओं में मादक-द्रव्य सेवन के वैयक्तिक विघटन के कारण सम्बन्धी विवरण

क्र.	वैयक्तिक विघटन	उत्तरदाताओं की संख्या	प्रतिशत
1.	हाँ	276	92.00
2.	नहीं	13	04.33
3.	कुछ कह नहीं सकते	11	03.67
	योग	300	100.00

उपरोक्त तालिका से ज्ञात होता है कि सर्वाधिक 276 उत्तरदाता (92.00%) ने मादक-द्रव्यों के सेवन का कारण वैयक्तिक विघटन को माना, 11उत्तरदाताओं (3.67%) ने अपनी विचार व्यक्त नहीं किया तथा 13 उत्तरदाताओं ने मादक-द्रव्य सेवन का कारण वैयक्तिक विघटन नहीं बताया।

पायरी जेनट (1925) अपनी पुस्तक "साइकोलोजीकल हीलिंग" में व्याख्या करते हुए बताया है कि "मादक द्रव्य सेवन तथा वैयक्तिक विघटन में सह सम्बन्ध है। स्वास्थ्य जीवन संगठन सामान्य तथा स्वास्थ्य सामाजिक सम्बन्धों के आधार पर खड़े रह सकते है। जब व्यक्ति के सामान्य सम्बन्ध परिवारीजनों के साथ नहीं रहते तो वह मादक-द्रव्यों का सेवन करने लगता है और परिणाम स्वरूप वह अपने परिवार, घर तथा व्यवसाय को मिटा लेता है। बाद में वह बातूनी व झूठ बोलने लगता है।"

तालिका संख्या -6.2

युवाओं में मादक-द्रव्य सेवन के पारिवारिक तनाव कारण सम्बन्धी विवरण

क्र.	पारिवारिक तनाव	उत्तरदाताओं की संख्या	प्रतिशत
1.	हाँ	271	90.33
2.	नहीं	14	04.67
3.	कुछ कह नहीं सकते	15	05.00
	योग	300	100.00

उपरोक्त तालिका से विदित होता है कि सर्वाधिक 271 उत्तरदाता (90.33%) मादक-द्रव्य सेवन का कारण "भंग परिवार" को मानते थे। 15 उत्तरदाताओं (05.00%) ने अपनी राय व्यक्त नहीं की तथा 14 उत्तरदाता (04.67%) "भंग परिवार" का मादक-द्रव्य सेवन का कारण नहीं मानते थे।

तालिका संख्या - 6.3

युवाओं में मादक-द्रव्य सेवन का वंशानुक्रम कारण सम्बन्धी विवरण

क्र.	वंशानुक्रम	उत्तरदाताओं की संख्या	प्रतिशत
1.	हाँ	242	80.67
2.	नहीं	24	08.00
3.	कुछ कह नहीं सकते	34	11.33
	योग	300	100.00

उपरोक्त तालिका से स्पष्ट होता है कि सर्वाधिक 242 उत्तरदाता (80.67%) मादक-द्रव्य सेवन का कारण वंशानुक्रम मानते थे। इसके विपरीत

34 उत्तरदाताओं (11.33%) ने अनिभिज्ञता व्यक्त की तथा 24उत्तरदाताओं (08.00%) वंशानुक्रम का मादक-द्रव्यों को सेवन करना नहीं मानते थे।

मदान (2002:155): ने "अलकोहलिज्म एण्ड ड्रग एडिगशन" में लिखा है कि जो लोग अपने मानसिक स्नायु तंत्र में विकार के साथ पैदा होते हैं वे जन्म जात पिवक्कड़ होते हैं। उनकी मस्तिष्क सम्बन्धी विरासत ऐसी होती है जिसके कारण वे जीवन की यथार्थता का सामना करने में असमर्थ रहते हैं। उनका यही प्रयास रहता है कि वे दुनियादारी से भाग रहे। ये जीवन से दुखी व्यक्ति मद्यसेवी बन जाते है।"

तालिका संख्या - 6.4

युवाओं में मादक-द्रव्यों के सेवन के तनाव-चिन्ता व कुण्ठा निवारण के मनोवैज्ञानिक कारण

क्र.	मनोवैज्ञानिक कारण	उत्तरदाताओं की संख्या	प्रतिशत
1.	हाँ	181	60.34
2.	नहीं	43	14.33
3.	कुछ कह नहीं सकते	76	25.33
	योग	300	100.00

उपरोक्त तालिका से ज्ञात होता है कि सर्वाधिक 181 उत्तरदाता (60.34%) मादक-द्रव्यों के सेवन का कारण तनाव-चिन्ता तथा कुण्ठा से उबरना मनोवैज्ञानिक कारक मानते थे। 76 उत्तरदाताओं (25.33%) ने कारण बताने की असमर्थता व्यक्त की जबकि 43 उत्तरदाताओं (14.33%) ने मना किया।

तालिका संख्या - 6.5

युवाओं में मादक-द्रव्य सेवन के बेरोजगारी के कारण सम्बन्धी विवरण

क्र.	बेरोजगारी	उत्तरदाताओं की संख्या	प्रतिशत
1.	हाँ	200	66.67
2.	नहीं	07	02.33
3.	कुछ कह नहीं सकते	93	31.00
	योग	300	100.00

उपरोक्त तालिका से विदित होता है कि सर्वाधिक 200 उत्तरदाता (66.67%) मादक-द्रव्य सेवन का कारण युवाओं की 'बेरोजगारी' मानते थे। 93 उत्तरदाताओं (31.00%) ने बेरोजगारी को कारण बताने के प्रति अपनी अज्ञानता व्यक्त की जबकि 07 उत्तरदाताओं (02.33%) ने बेरोजगारी को मादक-द्रव्य सेवन का कारण मानने से स्पष्टतः मना किया।

तालिका संख्या - 6.6

युवाओं में मादक-द्रव्य सेवन का आर्थिक (गरीबी) सम्बन्धी कारण का विवरण

क्र.	आर्थिक (गरीबी)	उत्तरदाताओं की संख्या	प्रतिशत
1.	हाँ	213	71.00
2.	नहीं	15	05.00
3.	कुछ कह नहीं सकते	72	24.00
	योग	300	100.00

उपरोक्त तालिका से ज्ञात होता है कि सर्वाधिक 213 उत्तरदाता (71.00%) मादक-द्रव्य सेवन का आर्थिक कारण (गरीबी) मानते थे । 72 उत्तरदाताओं (24.00%) ने गरीबी को कारण मानने में अपनी अज्ञानता स्वीकार की जबकि 15 उत्तरदाताओं (05.00%) स्पष्ट रूप से मादक-द्रव्य सेवन का कारण नहीं माना।

डच अपराधशास्त्री बोनगर (1916) अपनी पुस्तक "क्रमियोलोजी एण्ड इकोनोमिक कन्डीशन" में बताते है कि, "दीर्घ समय तक श्रम, अपोषित एवं कम भोजन, मलिन आवास तथा आर्थिक अनिश्चिता के कारण लोग मादक-द्रव्यों का सेवन करते हैं, जिसे उसने 'मिजरी ड्रिकिंग कहा है।"

तालिका संख्या - 6.7

शराब का सस्ती तथा सहज उपलब्धि के कारण युवा सेवन करते हैं ?

क्र.	सहज व सस्ती शराब की उपलब्धता	उत्तरदाताओं की संख्या	प्रतिशत
1.	हाँ	211	70.33
2.	नहीं	20	06.67
3.	कुछ कह नहीं सकते	69	23.00
	योग	300	100.00

उपरोक्त तालिका से विदित होता है कि सर्वाधिक 211 उत्तरदाता (70.33%) मादक-द्रव्य सेवन का कारण शराब का सस्ता तथा सहज उपलब्धि का कारण मानते थे । 69 उत्तरदाता (23.00%) ने कोई प्रत्युत्तर नहीं दिया ।

ग्राफ

शराब का सस्ती तथा सहज उपलब्धि के कारण युवा सेवन करते हैं ?

20 उत्तरदाता (06.67%) ने शराब का सस्ता व सहज प्राप्ति, मादक-द्रव्य सेवन का कारण मानने से इनकार किया।

तालिका संख्या - 6.8

युवाओं में मादक-द्रव्य सेवन से कामुकता उभारने सम्बन्धी कारणों का विवरण

क्र.	कामुकता में वृद्धि	उत्तरदाताओं की संख्या	प्रतिशत
1.	हाँ	177	59.00
2.	नहीं	--	--
3.	कुछ कह नहीं सकते	123	41.00
	योग	300	100.00

उपरोक्त तालिका से स्पष्ट होता है कि सर्वाधिक 177 उत्तरदाता (59.00%) मादक-द्रव्यों का सेवन का कारण कामुकता उभारने तथा अधिक समय तक रति क्रीड़ा हेतु पीने का भी कारण स्वीकार किया। इसके विपरीत 123 उत्तरदाता (41.00%) ने कामुकता में, मादक-द्रव्य सेवन से वृद्धि होती है, अपना कोई अनुभव न होने के कारण अज्ञानता व्यक्त की।

तालिका संख्या - 6.9

युवाओं में मादक-द्रव्य सेवन का मनोरंजन करने के कारण सम्बन्धी विवरण

क्र.	मनोरंजन कारक	उत्तरदाताओं की संख्या	प्रतिशत
1.	हाँ	241	80.33
2.	नहीं	05	01.67
3.	कुछ कह नहीं सकते	54	18.00
	योग	300	100.00

उपरोक्त तालिका से ज्ञात होता है कि सर्वाधिक 241 उत्तरदाता (80.33%) मादक-द्रव्य सेवन का कारण मनोरंजन करना मानते थे । 54 उत्तरदाता (18.00%) ने कोई प्रत्युत्तर नहीं दिया तथा 5 उत्तरदाता (01.67%) ऐसे थे जिन्होंने मना किया।

तालिका संख्या - 6.10

युवाओं में मादक-द्रव्य सेवन के चिकित्सकीय कारण का विवरण

क्र.	चिकित्सकीय कारण	उत्तरदाताओं की संख्या	प्रतिशत
1.	हाँ	282	94.00
2.	नहीं	09	03.00
3.	कुछ कह नहीं सकते	09	03.00
	योग	300	100.00

उपरोक्त तालिका से विदित होता है कि सर्वाधिक 282 उत्तरदाता (94.00%) मादक-द्रव्य सेवन का कारण चिकित्सकीय परामर्श तथा उपचार को मानते थे। 9 उत्तरदाताओं (03.00%) ने क्रमशः मना कर दिया तथा राय व्यक्त करने में असमर्थता व्यक्त की।

तालिका संख्या - 6.11

युवाओं में मादक-द्रव्य सेवन विज्ञापनों के कारण सम्बन्धी विवरण

क्र.	विज्ञापन	उत्तरदाताओं की संख्या	प्रतिशत
1.	हाँ	227	75.67
2.	नहीं	16	05.33
3.	कुछ कह नहीं सकते	57	19.00
	योग	300	100.00

उपरोक्त तालिका से ज्ञात होता है कि सर्वाधिक 227 उत्तरदाता (75.67%) मादक-द्रव्य सेवन का कारण आकर्षक प्रचार-प्रसार (विज्ञापन) होरडिंग्स को मानते थे । 57 उत्तरदाता (19.00%) ने अपने विचार व्यक्त नहीं किए जबकि 16 उत्तरदाता (05.33%) ने प्रचार-प्रसार सामग्री को मादक-द्रव्य सेवन के कारण को मानने से मना किया।

तालिका संख्या - 6.12

युवाओं में मादक-द्रव्य सेवन के सामाजिक अलगांव सम्बन्धी कारण का विवरण

क्र.	अलगांव	उत्तरदाताओं की संख्या	प्रतिशत
1.	हाँ	209	69.67
2.	नहीं	19	06.33
3.	कुछ कह नहीं सकते	72	24.00
	योग	300	100.00

उपरोक्त तालिका से स्पष्ट होता है कि सर्वाधिक 209 उत्तरदाता (69.67%) मादक-द्रव्यों के सेवन का कारण अलगांव मानते थे। 72 उत्तरदाताओं (24.00%) ने 'अलगांव' के प्रश्न पर उत्तर-"कुछ कह नहीं सकते" कहा तथा 19 उत्तरदाता (06.33%) ऐसे थे जो मादक द्रव्यों के सेवन का कारण अलगांव को नहीं मानते थे।

तालिका संख्या - 6.13

युवा मादक-द्रव्यों का सेवन मित्रों, रिस्तेदारों व अन्यों की अन्तक्रिया से सीखने सम्बन्धी कारण

क्र.	सीखाने की अन्तक्रियात्मक कारण	उत्तरदाताओं की संख्या	प्रतिशत
1.	हाँ	246	82.00
2.	नहीं	27	09.00
3.	कुछ कह नहीं सकते	27	09.00
	योग	300	100.00

उपरोक्त तालिका से विदित होता है कि सर्वाधिक 246 उत्तरदाता (82.00%) मादक-द्रव्य सेवन का कारण मित्रों-रिस्तेदारों तथा अन्य लोगों से "सीखा व्यवहार मानते थे, जबकि 27 क्रमशः उत्तरदाता (09.00%) मद्यपान को सीखा व्यवहार नहीं मानते थे तथा (09.00%) ने "सीखा गया व्यवहार" को कारण मानने के बारे में कोई प्रत्युत्तर नहीं दिया।

तालिका संख्या - 6.14

युवाओं में मादक-द्रव्य सेवन के परिस्थिति कारक सम्बन्धी विवरण

क्र.	परिस्थिति कारक	उत्तरदाताओं की संख्या	प्रतिशत
1.	हाँ	182	60.67
2.	नहीं	27	09.00
3.	कुछ कह नहीं सकते	91	30.33
	योग	300	100.00

उपरोक्त तालिका से ज्ञात होता है कि सर्वाधिक 182 उत्तरदाता (60.67%) मादक-द्रव्यों के सेवन का कारण "परिस्थिति वस मानते थे। इसके विपरीत 27 उत्तरदाताओं (09.00%) ने "परिस्थिति" कारण को नहीं माना। 91 उत्तरदाता (30.33%) ने मादक-द्रव्यों के सेवन का कारण है या नहीं कोई प्रत्युत्तर नहीं दिया।

अध्याय-7

मादक द्रव्य सेवन के प्रभाव

मादक द्रव्य सेवन के प्रभाव

नशा खोरी से हानियाँ

नशीली चीजों के उपभोग से अनेक सामाजिक, आर्थिक तथा वैयक्तिक हानियाँ होती हैं और इसी कारण राज्य को नशानिषेध करना पड़ता है। संक्षेप में हानियाँ निम्नलिखित हैं -

1. नशाखोरी व्यक्तिगत जीवन को विघटित करती है (It results in individual disorgnization)- नशा करने की आदत भद्दी और फूहड़ हैं इससे जीवन का सन्तुलन बिगड़ जाता है। नशे में लोग कितने गंदे, पापी और फूहड़ हो जाते हैं यह बात लिखी भी नहीं जा सकती। शराब पी लेने के बाद शायद ही कोई शान्त और गम्भीर रह पाता है। "हर चीज बुरी है जो हमारे आचार-विचार एवं व्यवहार को अस्वाभाविक और अनाचारपूर्ण बनाती है। नशे से यही होता है परन्तु शराबी व्यक्ति दुनिया की चिन्ता नहीं करता है। वह पीता है और पीता रहता है, परिणामस्वरूप चाहे उसका सर्वनाश ही क्यों न हो जाए।" वास्तव में ऐसे व्यक्ति का स्वास्थ्य बिगड़ जाता है।
2. स्वास्थ्य पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है (It affects the health most adversely)- मादक वस्तुएँ धीरे-धीरे व्यक्ति को भीतर ही भीतर जलाती और राख करती रहती है। दूसरे शब्दों में, नशाखोरी का बहुत बुरा प्रभाव नशा करने वाले व्यक्ति के स्वास्थ्य पर पड़ता है। इससे उसका व्यक्तिगत जीवन अत्यधिक दुःखद हो जाता हैं इस प्रकार के लोगों की संख्या जब

समाज में अधिक होती है तो उसका अंतिम परिणाम राष्ट्र के स्वास्थ्य-स्तर पर पड़ता है। नशाखोरी देश के स्वास्थ्य-स्तर को गिरा देती है।

3. समाज में अपराध बढ़ते हैं (It Increases crime)- जैसा कि ऊपर संकेत किया गया है, नशे की दशा में लोग विचार या तर्कशक्ति प्रायः खो बैठते हैं। उनके मस्तिष्क का सन्तुलन बिगड़ जाता है और ऐसी हालत में व्यक्ति कुछ भी कर सकता है। नशाखोरी से भ्रष्टाचार अपने आप बढ़ता है। नशे की हालत में व्यक्ति क्या नहीं करता ? कितनी दुर्घटनाएँ, कितने व्यभिचार, कितने झगड़े और कितने अपराध नशाखोरी के कारण होते हैं यह सबको विदित है।

4. श्रमिक की कार्य-कुशलता घटती है (Efficiency of labour declines)- नशा करने वाले व्यक्ति का स्वास्थ्य दिन-प्रतिदिन खराब होता जाता है और उसी के साथ-साथ उसकी कार्यकुशलता भी घटती जाती है। अधिक नशा करने के बाद नशा उतरने पर भी शरीर में अत्यधिक सुस्ती छायी रहती है। उसका दिमाग उचित ढंग से काम नहीं करता। फलतः वह काम से जी चुराता है। और इस कारण किसी भी काम को वह ठीक ढंग से नहीं सीख पाता। उसकी कार्य-कुशलता घटती रहती है। श्रमिक की कार्य-कुशलता घटने का अर्थ उत्पादन का घटना है और उत्पादन घटने का अंतिम परिणाम देश की आर्थिक दशा का बिगड़ना, निर्धनता अधिक होता है।

5. पारिवारिक जीवन दुखी होता है (It makes family life unhappy)- नखाखोरी सुखी पारिवारिक जीवन के लिए घातक है। नशाखोरी का एक स्वाभाविक परिणाम पारिवारिक तनाव और पारिवारिक विघटन होता है। इसके तीन प्रमुख कारण हैं- प्रथम तो वह कि नशा करने वाले

व्यक्ति से नशा न करने वाले व्यक्ति साधारणतया घृणा करते हैं। उदाहरणार्थ, यदि पिता शराबी है और शराबी पिता या पति को अगर उसके बच्चे और सभी घृणा की दृष्टि से देखें तो वह परिवार नरक हो जाएगा। दूसरी बात यह है कि अधिक नशा करने वाला व्यक्ति साधारणतया असंयमी, अशान्त और चिड़चिड़ा हो जाता है और इस कारण उसका अनुकूलन परिवार के अन्य सदस्यों के साथ नहीं हो पाता। तीसरे, नशे का खर्चा बहुत अधिक होता है और उसे पूरा करने में परिवार के अन्य सदस्यों की प्राथमिक आवश्यकताऐं तक पूरी नहीं हो पातीं, पेट भर खाना और पहनने को कपड़े तक नहीं मिल पाते। महाजनों का कर्ज बढ़ता जाता है। बच्चों की पढ़ाई-लिखाई बन्द करनी पड़ती है, उनका जीवन बर्वाद हो जाता है, उन्हें गहने गिरबी रखकर या बेचकर नशे की मांग को पूरा किया जाता है, फिर वर्तन इत्यादि बेचने की नौबत आती है, किराया और कर्ज दोनों चढ़ता रहता है; अन्त में एक दिन मकान-मालिक या महाजन आकर बचा हुआ सामान भी उठा ले जाता है या मकान खाली करवाने के लिए उन सामानों को उठाकर रास्ते पर फेंक देता है।

नशाखोरी के उपर्युक्त दुष्परिणामों का अत्यन्त मार्मिक ढंग से वर्णन करते हुए संदीप कुमार ने अपने अध्ययन-पत्र नशे की अंधेरी दुनिया में लिखा है कि सिगरेट के पैकेट की भीतरी 'पन्नी' के ऊपर रखा 'सफेद' रंग का 'पाउडर' जिसके नीचे जलती तीली की तपिश पाकर पन्नी के ऊपर उठता धुआँ। और उस धुएँ का 'सिगरेट' के कश द्वारा 'फेफड़ों' तक खींच लेने वाला व्यक्ति उस समय तक एक 'नई दुनियाँ में अपने को धीरे-धीरे उतरता महसूस करने लगता है-जहाँ बाहरी दुनिया के तमाम झंझटों-परेशानियों-चिन्ताओं से परे वह अपने को 'मुक्त' व 'उड़ता-सा' महसूस करने लगता है। पर शायद वह नहीं जानता, कि 'पन्नी' से

उठकर उसके 'फेफड़ों' में उतरता यह धुआँ ही आगे चलकर उसे शारीरिक व मानसिक रूप से इतना कमजोर व लाचार बना देगा और समाज-परिवार-पत्नी, मित्रों से इतना दूर ले जाएगा, जहाँ मौत भी मिलेगी तो अपने प्रचंड-विकराल, भयंकर रूप में। शराब, चरस, गांजा व अफीम जैसे नशों से शुरूआत कर मानव की 'नशा प्रवृत्ति' उसे 'स्मैक' जैसे खतरनाक नशे तक ले पहुँचती है और फिर शुरू होता है उसके विखंड और विनाश का अध्याय, जिसे रचता है वह अभागा 'नशेड़ी' अपने ही हाथों।

मित्रों, संगी-साथियों के साथ बैठकर उत्सुकतावश या अज्ञानतावश 'स्मैक' का 'स्वाद' चखने, वाला प्रारंभ में इसकी भयंकरता, शीघ्र प्रभावशील अनभिज्ञ 'सहज रूप' से इसे पी डालता है। तो कहीं 'अत्यधिक आत्मविश्वास' के 'दम्भ' से भरे युवा इसके शिकार होते हैं। वैसे भी 'पक्के नशेड़ियों' या पहले से पीने वालों द्वारा 'नौसिखिये' को प्रारम्भ में उस अवस्था तक 'मुफ्त' में नशा कराया जाता है जब तक कि वह स्वयं मांगकर या खरीदकर पीने की इच्छा न प्रकट करे। आगे चलकर यही 'नौसिखिया' पिलाने वाले 'नशेड़ी' की पूर्ति का 'माध्यम' बन जाता है। यही कारण है कि 'स्मैक' बेचने वाले द्वारा प्रारंभ में नए-नए पीने वाले 'नौसिखिये' नशेड़ियों को 'बीस-पच्चीस रूपए' 'क्वाटर' (10 ग्राम) के मूल्य पर 'स्मैक' दी जाती है। कुछ समय बाद जब वही इसका 'आदी' हो जाता है, तो उसे यही 'मात्रा' की 'स्मैक' '100 रूपए' तक की बेची जाती है।

तालिका संख्या -1

युवा आचरण पर मादक द्रव्यों के सेवन के कुप्रभाव का विवरण

क्र.	आचरण का प्रभाव	सहमत	असहमत	तथस्ट	योग (%)
1.	व्यक्ति झूठ बोलने लगता है	237 (79.00%)	47 (15.67%)	16 (5.33%)	300 (100.00)
2.	चोरी करने लगता है	200 (66.67%)	67 (22.33%)	33 (11.00%)	300 (100.00)
3.	अपराध को प्रोत्साहित होता है	212 (70.67%)	67 (22.33%)	21 (7.00%)	300 (100.00)
	योग	649 (72.12%)	181 (20.11%)	70 (7.77%)	900 (100.00)

उपरोक्त तालिका मादक-द्रव्य सेवन का 'आचरण' पर प्रभाव पड़ने पर प्रकाश डालती है। जब उत्तरदाताओं से पूंछा गया कि मादक-द्रव्य सेवन करने से व्यक्ति झूठ बोलने लगता है। सर्वाधिक 237 उत्तरदाताओं (79.00%) ने सहमत व्यक्ति की।

जब उन्हीं चयनित उत्तरदाताओं से यह पूंछा गया कि मादक-द्रव्य सेवन के प्रभाव से व्यक्ति की चोरी की प्रवृत्ति बन जाती है, सर्वाधिक 200 उत्तरदाताओं (66.67%) ने सहमत व्यक्त की।

जब उत्तरदाताओं से यह पूंछतांछ की क्या मादक-द्रव्य से व्यक्ति अपराध को प्रोत्साहित होता है तो सर्वाधिक 212 उत्तरदाताओं (70.67%) ने सहमत जताई

सब मिलकर उपरोक्त तालिका का अवलोकन स्पष्ट करता है कि सर्वाधिक (72.22%) उत्तरदाता इस बात से सहमत थे कि मादक-द्रव्य सेवन का आचरण पर कुभाव पड़ता है, (20.11%) उपरोक्त मत से असहमत थे तथा (7.77%) उत्तरदाताओं ने कोई प्रत्युत्तर नहीं दिया।

तालिका संख्या -2

मादक-द्रव्यों के सेवन का शारीरिक कुप्रभाव का विवरण

क्र.	शरीर पर कुप्रभाव	सहमत	असहमत	तथस्त	योग (%)
1.	नेत्र ज्योति कम होती है	198 (66.00%)	12 (4.00%)	90 (30.00%)	300 (100.00)
2.	शिथिलता पड़ती है	159 (53.00%)	48 (16.00%)	93 (31.00%)	300 (100.00)
3.	आलस बढ़ता है	173 (57.66%)	30 (10.00%)	97 (32.34%)	300 (100.00)
	योग	530 (58.89%)	90 (10.00%)	280 (31.11%)	900 (100.00)

उपरोक्त तालिका से विदित होता कि सर्वाधिक 198 उत्तरदाता (66.00%) इस बात से सहमत थे कि मादक-द्रव्य सेवन से ''नेत्र ज्योति कम होती है'', इसके

विपरीत 12 उत्तरदाताओं (4.00%) असहमत थे तथा 90 उत्तरदाताओं(30.00%) ने कोई प्रत्युत्तर नहीं दिया।

क्या मादक-द्रव्य सेवन से शारीरिक शिथिलता पड़ती ? सर्वाधिक 159 उत्तरदाताओं (53.00%) ने सहमत, 48 उत्तरदाताओं ने असहमत तथा 93 उत्तरदाताओं ने कोई प्रत्युत्तर नहीं दिया।

क्या मादक-द्रव्य सेवन से शारीरिक आलस बढ़ता है? सर्वाधिक 173 उत्तरदाता (57.66%) सहमत थे, 30 उत्तरदाता (10.00%) असहमत तथा 97 उत्तरदाता (32.34%) तठस्त थे।

सारांश यह है कि मादक-द्रव्य सेवन का शारीरिक कुप्रभाव पड़ने से सर्वाधिक उत्तरदाता (58.89%) सहमत थे। (10.00%) उत्तरदाता असमत थे तथा (31.11%) उत्तरदाताओं ने प्रत्युत्तर नहीं दिया।

तालिका संख्या -3

मादक-द्रव्यों के सेवन का मानसिक स्वास्थ्य पर कुप्रभाव का विवरण

क्र.	मानसिक स्वास्थ्य पर कुप्रभाव	सहमत	असहमत	तथस्त	योग (%)
1.	असमायोजन में वृद्धि	171 (57.00%)	36 (12.00%)	93 (31.00%)	300 (100.00)
2.	चिढ़-चिढ़ापन में वृद्धि	157 (52.33%)	52 (17.33%)	91 (30.34%)	300 (100.00)
3.	ध्यान केन्द्र में बाधा	180 (60.00%)	30 (10.00%)	90 (30.00%)	300 (100.00)
	योग	508 (56.44%)	118 (13.11%)	274 (30.45%)	900 (100.00)

उपरोक्त तालिका मादक-द्रव्य सेवन का मानसिक स्वास्थ्य पर प्रभाव को चित्रित करती है। सर्वाधिक 171 उत्तरदाताओं (57.00%) ने मादक-द्रव्य सेवन से असमायोजन में वृद्धि होना स्वीकार किया।

जब चयनित उत्तरदाताओं से यह पूंछा गया, क्या मादक-द्रव्य सेवन से व्यक्ति में चिढ़-चिढ़ापन में वृद्धि होती है ? तो सर्वाधिक 157 उत्तरदाताओं (52.33%) ने अपनी सहमत व्यक्त थी।

जब उत्तरदाताओं से यह जानकारी मांगी, क्या मादक-द्रव्य सेवन 'ध्यान केन्द्रित करने में बाधा डालता है तो सर्वाधिक 180 उत्तरदाता (60.00%) ने सहमत जताई।

सम्पूर्ण उपरोक्त तालिका के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि सर्वाधिक (56.44%) ने मादक-द्रव्य सेवन का मानसिक स्वास्थ्य पर कुप्रभाव पड़ना बताया, 274 उत्तरदाता (30.45%) ने अपनी राय व्यक्त नहीं की जबकि 118 उत्तरदाताओं ने असहमत बताई।

तालिका संख्या -4

मादक-द्रव्यों के सेवन का परिवार पर कुप्रभाव का विवरण

क्र.	परिवार पर कुप्रभाव	सहमत	असहमत	तथस्त	योग (%)
1.	परिवार में कलह बढ़ जाती है	180 (60.00%)	29 (9.67%)	91 (30.33%)	300 (100.00)
2.	बच्चों का समाजीकरण प्रभावित होता है	191 (63.67%)	18 (6.00%)	91 (30.33%)	300 (100.00)
3.	पत्नी दुर्व्यवहार में वृद्धि	181 (60.34%)	28 (9.33%)	91 (30.33%)	300 (100.00)
	योग	552 (61.33%)	75 (8.33%)	273 (30.34%)	900 (100.00)

उपरोक्त तालिका से स्पष्ट होता है कि सर्वाधिक 180 उत्तरदाता (60.00%) इस बात से सहमत थे कि मादक-द्रव्य सेवन से "परिवार कलह बढ़ जाती है। जब उनसे यह पंछा कि मादक-द्रव्य सेवन से बच्चों के समाजीकरण कुप्रभावित होता है तो सर्वाधिक 191 उत्तरदाता (63.67%) ने अपनी सहमत व्यक्त की। जब उनसे यह ज्ञात किया गया कि क्या मादक-द्रव्य सेवन से पत्नी दुर्व्यवहार में वृद्धि होती है ? सर्वाधिक 181 उत्तरदाताओं (60.34%) ने अपनी सहमत बताई।

सर्वाधिक (61.33%) सम्पूर्ण उपरोक्त सारणी के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि मादक-द्रव्यों का सेवन परिवार पर कुप्रभाव डालता है इसके विपरीत (30.34%) उत्तरदाताओं ने कोई प्रत्युत्तर नहीं दिया और (8.33%) उत्तरदाता किसी प्रकार के कुप्रभाव से असहमत थे।

तालिका संख्या -5

मादक-द्रव्यों के सेवन का आर्थिक कुप्रभाव का विवरण

क्र.	आर्थिक कुप्रभाव	सहमत	असहमत	तथस्त	योग (%)
1.	व्यवसाय पर कुप्रभाव	193 (64.33%)	14 (4.67%)	93 (31.00%)	300 (100.00)
2.	मासिक आय घटती है	173 (57.66%)	28 (9.34%)	99 (33.00%)	300 (100.00)
3.	परिवार बजट फेल होता है	195 (65.00%)	14 (4.66%)	91 (30.34%)	300 (100.00)
	योग	561 (62.34%)	56 (6.22%)	283 (31.44%)	900 (100.00)

उपरोक्त तालिका मादक-द्रव्य सेवन का आर्थिक प्रभाव को दर्शाता है। जब चयनित उत्तरदाता से ज्ञात किया कि क्या मादक-द्रव्य सेवन का व्यवसाय पर कुप्रभाव पड़ता है तो सर्वाधिक 193 उत्तरदाता (64.33%) ने सहमत व्यक्त की।

जब उत्तरदाताओं से यह पूछा गया कि मादक-द्रव्य सेवन का मासिक आप पर कुप्रभाव पड़ता है तो सर्वाधिक 173 उत्तरदाता (57.66%) ने अपनी सहमत व्यक्त की।

जब चयनित निदर्शितों से पूछा गया कि क्या मादक-द्रव्य सेवन का परिवार के बजट पर कुप्रभाव पड़ता है तो सर्वाधिक 195 उत्तरदाताओं (65.00%) ने सहमत व्यक्त की।

सब मिलाकर उपरोक्त तालिका के अवलोकन से ज्ञात होता है कि सर्वाधिक उत्तरदाता (62.34%) मादक-द्रव्य सेवन का आर्थिक कुप्रभाव मानते थे। (31.44%) उत्तरदाताओं ने अपनी कोई मत अभिव्यक्त नहीं किया जबकि (6.22%) उत्तरदाता असहमत थे।

तालिका संख्या -6

मादक-द्रव्यों के सेवन का युवा सामाजिक जीवन पर कुप्रभाव का विवरण

क्र.	सामाजिक जीवन पर कुप्रभाव	सहमत	असहमत	तथस्त	योग (%)
1.	सत्यनिष्ठा क्षय होती है	196 (65.34%)	13 (4.33%)	91 (30.33%)	300 (100.00)
2.	प्रतिष्ठा ह्वास होती है	187 (62.34%)	23 (7.66%)	90 (30.00%)	300 (100.00)
3.	सिद्धांत हीनता बढ़ती है	183 (61.00%)	18 (6.00%)	99 (33.00%)	300 (100.00)
	योग	566 (62.89%)	54 (6.00%)	280 (31.11%)	900 (100.00)

उपरोक्त तालिका मादक-द्रव्यों के सेवन का युवा सामाजिक जीवन पर प्रकाश डालती है। जब उत्तरदाताओं से पूंछा गया कि क्या मादक-द्रव्य का सेवन 'सत्यनिष्ठा' पर कुप्रभाव डालता है? तो सर्वाधिक 196 उत्तरदाता (65.34%) ने सहमत व्यक्त की।

जब चयनित उत्तरदाताओं से पूछा गया कि मादक-द्रव्यों का सेवन व्यक्ति की प्रतिष्ठा को ह्वास करता है तो सर्वाधिक उत्तरदाताओं (62.34%) ने अपनी सहमत जताई।

जब पुनः उन्हीं उत्तरदाताओं से यह जानकारी प्राप्त की, कि क्या मादक-द्रव्यों के सेवन से 'सिद्धांत हीनता' में वृद्धि होती है? सर्वाधिक 183 उत्तरदाताओं (61.00%) ने अपनी सहमत दी।

सम्पूर्ण रूप से उपरोक्त तालिका का अवलोकन से स्पष्ट होता है कि सर्वाधिक उत्तरदाता (62.89%) मादक-द्रव्य सेवन का सामाजिक जीवन पर कुप्रभाव पड़ने से सहमत (31.11%) तठस्त तथा (6.00%) उत्तरदाता असहमत थे।

तालिका संख्या -7

मादक-द्रव्यों के सेवन का सामाजिक प्रक्रिया पर कुप्रभाव का विवरण

क्र.	सामाजिक प्रक्रियों पर कुप्रभाव	सहमत	असहमत	तथस्त	योग (%)
1.	युवा संघर्षी हो जाते हैं	169 (56.34%)	37 (12.33%)	94 (31.33%)	300 (100.00)
2.	आक्रमकता बढ़ जाती है	171 (57.00%)	38 (12.67%)	91 (30.33%)	300 (100.00)
3.	व्यवस्थापन का अभाव हो जाता है	161 (53.67%)	40 (13.33%)	99 (33.00%)	300 (100.00)
	योग	501 (55.67%)	115 (12.77%)	284 (31.55%)	900 (100.00)

उपरोक्त तालिका मादक-द्रव्य सेवन का सामाजिक प्रक्रियाओं पर प्रभाव को प्रकाशित करती है। चयनित उत्तरदाताओं में सर्वाधिक 169 उत्तरदाताओं

(56.34%) ने बताया कि मादक-द्रव्यों का सेवन युवाओं को संघर्षी बनाकर कुप्रभावित करता है,

जब चयनित उत्तरदाताओं से यह पूंछा गया क्या मादक-द्रव्य सेवन करने से युवाओं में आक्रमकता बढ़ जाती है तो सर्वाधिक 171 उत्तरदाताओं (57.00%) ने अपनी सहमत व्यक्त की।

जब उन्हीं उत्तरदाताओं से यह जानकारी मांगी, क्या मादक-द्रव्यों के सेवन से युवाओं में सामाजिक व्यवस्थापन का अभाव हो जाता है तो सर्वाधिक 161 उत्तरदाताओं (53.67%) ने अपनी सहमत जताई।

सम्पूर्ण रूप से उपरोक्त तालिका के अवलोकन से स्पष्ट होता कि, सर्वाधिक 501 उत्तरदाता (55.67%) इस बात से सहमत थे कि मादक-द्रव्य सेवन सामाजिक प्रक्रियाओं को कुप्रभावित करता है, 284 उत्तरदाताओं (31.55%) ने अपनी कोई राय व्यक्त नहीं की तथा 115 उत्तरदाताओं (12.77%) असहमत थे।

तालिका संख्या -8

मादक-द्रव्यों के सेवन का युवा कार्य-कलापों पर कुप्रभाव का विवरण

क्र.	कार्य-कलापों पर कुप्रभाव	सहमत	असहमत	तठस्त	योग (%)
1.	कार्य कुशलता पर प्रभाव	191 (63.67%)	16 (5.33%)	93 (31.00%)	300 (100.00)
2.	कार्य क्षमता पर प्रभाव	191 (63.67%)	18 (6.00%)	91 (30.33%)	300 (100.00)
3.	कार्य गुणवत्ता पर प्रभाव	186 (62.00%)	16 (5.33%)	98 (32.67%)	300 (100.00)
	योग	568 (63.11%)	50 (5.55%)	282 (31.34%)	900 (100.00)

उपरोक्त तालिका मादक-द्रव्य सेवन का युवा कार्य-कलापों के प्रभाव पर प्रकाश डालती है। चयनित उत्तरदाताओं की जब मादक-द्रव्य सेवन का कार्य कुशलता पर कुप्रभाव की जानकारी की गई तो सर्वाधिक 191 उत्तरदाताओं (63.67%) ने सहमत बताई।

उन्हीं चयनित उत्तरदाताओं से जब यह पूछा गया कि क्या मादक-द्रव्य सेवन व्यक्ति की कार्यक्षमता को कुप्रभावित करता है तो सर्वाधिक 191 उत्तरदाताओं (63.67%) ने सहमत व्यक्त की।

जब चयनित उत्तरदाता से यह पूंछा गया कि मादक-द्रव्य सेवन से कार्य की गुणवत्ता पर कुप्रभाव पड़ता है तो सर्वाधिक 186 उत्तरदाताओं (62.00%) ने सहमत जताई।

सम्पूर्ण रूप से उपरोक्त सारिणी से स्पष्ट होता है कि सर्वाधिक 568 उत्तरदाता (63.11%) ने मादक-द्रव्य सेवन से युवा कार्यकलापों पर कुप्रभाव पड़ने से सहमत थे, 282 उत्तरदाता (31.34%) ने अपनी राय व्यक्त नहीं की तथा 50 उत्तरदाता (5.55%) ने असहमत जताई।

तालिका संख्या -9

माादक-द्रव्यों के सेवन का युवा संस्कृति पर कुप्रभाव का विवरण

क्र.	संस्कृति पर कुप्रभाव	सहमत	असहमत	तथस्त	योग (%)
1.	मूल्यों को तोड़ना	189 (63.00%)	21 (7.00%)	90 (30.00%)	300 (100.00)
2.	सम्वेदनहीनता में वृद्धि	191 (63.67%)	15 (5.00%)	94 (31.33%)	300 (100.00)
3.	हिंसक प्रवृत्ति	176 (58.67%)	25 (8.33%)	99 (33.00%)	300 (100.00)
	योग	556 (61.78%)	61 (6.77%)	283 (31.45%)	900 (100.00)

उपरोक्त तालिका मादक-द्रव्य सेवन का युवा संस्कृति पर कुप्रभाव का उल्लेख करती है। सर्वाधिक 189 उत्तरदाता (63.00%) के अनुसार मादक द्रव्य सेवन के प्रभाव से युवा सांस्कृतिक मूल्यों को तोड़ते है।

जब चयनित उत्तरदाताओं से पूंछा कि मादक-द्रव्य सेवन से युवा सम्वेदन हीन हो जाते है तो सर्वाधिक 191 उत्तरदाताओं (63.67%) ने सहमत जताई।

उन्हीं उत्तरदाताओं से जब यह पूंछा गया, क्या मादक-द्रव्य सेवन व्यक्ति की हिंसक प्रवृत्ति निर्मित करता है तो सर्वाधिक 176 उत्तरदाताओं (58.67%) ने सहमत व्यक्त की।

सम्पूर्ण रूप से उपरोक्त तालिका स्पष्ट करती है कि सर्वाधिक 556 (61.78%) इस बात से सहमत थे कि मादक-द्रव्य सेवन युवा संस्कृति पर कुप्रभाव डालता है, 283 उत्तरदाताओं (31.45%) ने कोई राय व्यक्त नहीं की तथा 61 उत्तरदाताओं (6.77%) ने असहमत व्यक्त की।

तालिका संख्या -10

उत्तरदाताओं में मादक-द्रव्य सेवन से ऋणग्रस्तता के स्तर का विवरण

क्र.	ऋणग्रस्तता	उत्तरदाताओं की संख्या	प्रतिशत (%)
1.	कम	46	15.34
2.	अधिक	213	71.00
3.	अज्ञात	41	13.66
	योग	300	100.00

उपरोक्त तालिका से स्पष्ट होता है कि सर्वाधिक 213 उत्तरदाताओं (71.00%) का मानना था कि मादक-द्रव्य सेवन से ऋणग्रस्तता का स्तर अधिक होता है, 46 उत्तरदाता (15.34%) ऋणग्रस्तता का स्तर 'कम' बढ़ना मानते थे जबकि 41 उत्तरदाता (13.66%) ने मादक-द्रव्य सेवन से ऋणग्रस्तता बढ़ने के बारे में कोई प्रत्युत्तर नहीं दिया।

ग्राफ

मादक द्रव्य सेवन का कुप्रभाव

तालिका संख्या -11

युवाओं में मादक-द्रव्य सेवन का जीवन शैली पर कुप्रभाव का विवरण

क्र.	जीवन शैली पर कुप्रभाव	सहमत	असहमत	तथस्त	योग (%)
1.	धूतक्रीड़ा पनपती है	191 (63.66:)	16 (5.34:)	93 (31.00:)	300 (100.00)
2.	धूम्रपान में वृद्धि	193 (64.33:)	16 (5.34:)	91 (30.33:)	300 (100.00)
3.	कामुकता में वृद्धि	177 (59.00:)	123 (41.00:)	-- --	300 (100.00)
	योग	561 (62.34:)	155 (17.22:)	184 (20.44:)	900 (100.00)

उपरोक्त तालिका से मादक-द्रव्य सेवन का जीवन शैली पर कुप्रभाव स्पष्ट होता है । सर्वाधिक 191 उत्तरदाताओं (63.66%) ने मादक-द्रव्य सेवन से 'धूतक्रीड़ा' में वृद्धि होने पर सहमत व्यक्त की, सर्वाधिक 193 उत्तरदाता (64.33%) ने मादक-द्रव्य सेवन के प्रभाव से 'धूम्रपान में वृद्धि पर सहमत थे तथा 177 उत्तरदाता (59.00%) मादक-द्रव्य सेवन "कामुकता" उभारता है से सहमत थे।

सारांश यह है कि यौगिक रूप से 561 (62.34%) इस बात से सहमत थे कि मादक-द्रव्य सेवन से जीवन शैली पर कुप्रभाव पड़ता है, 155 उत्तरदाता असहमत थे तथा 184 उत्तरदाता (20.44%) ने कोई प्रत्युत्तर नहीं दिया।

अध्याय-8

मादक द्रव्य सेवन के सम्बन्ध में युवाओं के विचार-मनोवृत्ति एवं दृष्टिकोण

मादक-द्रव्य सेवन के सम्बन्ध में युवाओं के विचार-मनोवृत्ति एवं दृष्टिकोण

अभिमत : टार्डे के विचार से मत का अभिप्राय इच्छा या संकल्प नहीं है। लीवेल मैकड्गल आदि विद्वानों ने अभिमत को सामान्य संकल्प के रूप में स्पष्ट करने का यत्न किया है। किसी भी विषय पर हमारा अभिमत थोड़ी बहुत मात्रा में हमारी स्थायी विचार धारा को व्यक्त करता है। कुछ लोग किसी विषय को लेकर अधिक सक्रिय होते हैं। समुदाय के निष्क्रय लोगों की इन सक्रिय लोगों की उत्तेजना के प्रति जो अनुक्रियाऐं और प्रतिक्रियाऐं होती हैं उन्हें अभिमत कहा जा सकता है। अभिमत का सम्बन्ध न तो सही और पर्याप्त ज्ञान से है और न उत्तेजना के प्रतिक्षणिक संवेगात्मक प्रतिक्रिया से। जिन्सवर्ग के शब्दों में, "दूसरे शब्दों में अभिमत समाज या समूह में व्याप्त विचारों और विश्वासों के ढेर को कहते है। जिनमें कुछ स्थायित्व होता है और जो क्षणिक प्रतिक्रियाओं की श्रृंखला मात्र नहीं होता किन्तु जो तब तक स्पष्ट रूप से वैज्ञानिक प्रकृति के विचार पूर्ण आधारों पर आधारित नहीं होता है।"

उपरोक्त सन्दर्भ में ही शोधार्थी ने युवाओं में मादक-द्रव्य प्रयोग की प्रकृति एवं प्रभाव अपने शोध अध्ययन में उत्तरदाताओं के मादक-द्रव्य प्रयोग के बारे में इस अध्याय में अध्ययन करने का प्रयास किया है जिसकी विश्लेषण एवं विवेचन इन तालिकाओं के माध्यम से प्रस्तुत किया गया है :-

तालिका संख्या -8.1

उत्तरदाताओं का मादक-द्रव्य सेवन के सम्बन्ध में अभिमत का विवरण

क्र.	अभिमत	उत्तरदाताओं की संख्या	प्रतिशत
1.	सहमत	154	51.33
2.	तटस्थ्य	23	7.67
3.	असहमत	123	41.00
	योग	300	100.00

उपरोक्त तालिका से विदित होता है कि 154 सर्वाधिक उत्तरदाता (51.33%) मादक-द्रव्य प्रयोग से 'सहमत' थे; 123 उत्तरदाता (41.00%) असहमत थे तथा 23 बहुत कम उत्तरदाता (7.67%) ने अपने अभिमत व्यक्त नहीं किए।

तालिका संख्या -8.2

उत्तरदाताओं द्वारा मद्यपान निषेध की सीमा का विवरण

क्र.	मद्य-निषेध सीमा	उत्तरदाताओं की संख्या	प्रतिशत
1.	पूर्ण	123	41.00
2.	अर्ध	115	38.33
3.	कुछ कह नहीं सकते	62	20.67
	योग	300	100.00

उपरोक्त तालिका से ज्ञात होता है कि 123 सर्वाधिक उत्तरदाताओं (41.00%) का अभिमत था कि पूर्ण रूप से मद्यनिषेध होना चाहिए। इसके विपरीत

115 उत्तरदाता (38.33%) मद्यनिषेध का अर्ध रूप की सीमा रखना चाहते थे तथा 62 उत्तरदाताओं (20.67%) ने मद्यनिषेध की सीमा के बारे में प्रत्युत्तर दिया, ''कुछ कह नहीं सकते''। सारांश यही निकला कि वर्तमान मादक द्रव्य प्रयोग को (41.00%) की सीमा तक पूर्ण रूप से कम कर दिया जाये।

तालिका संख्या -8.3

उत्तरदाताओं में मादक द्रव्य दूसरों को सेवन करने के सम्बन्ध में प्रेरणा का विवरण

क्र.	मद्यपान हेतु प्रेरणा	उत्तरदाताओं की संख्या	प्रतिशत
1.	हाँ	161	53.67
2.	कभी-कभी	16	5.33
3.	नहीं	123	41.00
	योग	300	100.00

उपरोक्त तालिका से ज्ञात होता है कि 161 सर्वाधिक उत्तरदाताओं (53.67%) ने दूसरे लोगों को मादक द्रव्य सेवन के लिए प्रेरित किया, 16 उत्तरदाताओं (5.33%) ने कभी-कभी प्रेरित किया तथा 123 उत्तरदाता (41.00%)ने कभी किसी को मद्यपान के लिए प्रेरित नहीं किया।

पूर्णरूपेण तालिका के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि 177 उत्तरदाताओं (59.00%) ने अन्य लोगों को मादक द्रव्य प्रयोग के लिए प्रेरित किया जिससे मद्यपान के बारे में उनकी मनोवृत्ति प्रमाणित होती है।

तालिका संख्या -8.4

उत्तरदाताओं के अनुसार किस वर्ग को मादक द्रव्य का सेवन करना चाहिए।

क्र.	वर्ग	उत्तरदाताओं की संख्या	प्रतिशत
1.	उच्च वर्ग को	51	17.00
2.	मध्य वर्ग को	27	9.00
3.	निम्न वर्ग को	99	33.00
4.	किसी को नहीं	123	41.00
	योग	300	100.00

उपरोक्त तालिका से ज्ञात होता है कि 177 सर्वाधिक उत्तरदाताओं (59.00%) में से 99 उत्तरदाता (33.00%) ने बताया कि निम्न वर्ग भी मादक द्रव्यों का प्रयोग कर सकते है, 51 उत्तरदाता (17.00%) केवल उच्च वर्गो द्वारा मादक द्रव्य प्रयोग करने के पक्षपाती थे तथा 27 उत्तरदाता (9.00%) के अनुसार मध्य वर्ग मादक द्रव्य प्रयोग कर सकते है।

पूर्णरूपेण उपरोक्त तालिका के अवलोकन से विदित होता है कि सर्वाधिक 177 उत्तरदाता (59.00%) मादक द्रव्यों के प्रयोग का सभी वर्गो द्वारा प्रयोग की स्वतंत्रता पर अपना अभिमत व्यक्त किया।

<u>मनोवृत्तियाँ -</u> सामाजिक मनोविज्ञान के क्षेत्र में मनोवृत्तियों का अध्ययन अत्याधिक रूचिकर रहा है। मनोवृत्ति का विश्लेषण समाज शास्त्र के अर्न्तगत विशेष रूप से हुआ है। प्रसिद्ध समाज शास्त्री गिडिग्सन वर्ष 1896 में अपनी प्रसिद्ध पुस्तक "समाजशास्त्र के सिद्धांत" में इस अवधारणा का किया था। मनोविज्ञान में इस शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग जे0औौर्थ द्वारा सन् 1903 में किया

गया। आलपोर्ट तथा वोनर ने मनोवृत्ति का अध्ययन समाज मनोविज्ञान के अन्तर्गत किया। मनोवृत्ति का सामान्य अर्थ मन की वृत्ति या मानसिक झुकाव है। प्रत्येक व्यक्ति के मन में कुछ वस्तुओं के प्रति अरूचि-रूचि का भाव रहता है। कोई मनुष्य शराब के प्रति लगाव रख सकता है और चाय को बिलकुल नापसन्द कर सकता है। शिक्षा और समाज शास्त्र की प्रक्रिया में भी व्यक्तियों के मन में विभिन्न वस्तुओं, व्यक्तियों और विचारों तथा विश्वासों के प्रति विशिष्ट लगाव या अलगाव की प्रवृत्ति विकसित हो जाती है। धीरे-धीरे ये सकारात्मक या नकारात्मक भाव व्यक्ति-वस्तु या परिस्थिति से सामना होने पर उसे विशिष्ट प्रकार का व्यवहार करने के लिए तैयार करते हैं। इस प्रकार मनोवृत्तियां सामाजिक, सांस्कृतिक परिस्थितियों और विचारों के प्रति व्यक्ति की चेतना में अपेक्षाकृत स्थाई रूप से स्थिति सकारात्मक और नकारात्मक प्रवृत्तियां हैं जो विशिष्ट परिस्थितियों में उसकी विशिष्ट सम्भावित अनुक्रिया की तत्परता को व्यक्त करती है, जैसाकि आलपोर्ट ने लिखा है कि, "मनोवृत्ति समस्त सम्बन्धित वस्तुओं और परिस्थितियों के प्रति व्यक्ति की अनुक्रिया पर निर्देशक या गतिशील प्रभाव डालने वाली, अनुभव के द्वारा संगठित व्यक्ति की तत्परता की मानसिक और स्नायु सम्बन्धी व्यवस्था है।"

इस प्रकार मनोवृत्तियां व्यक्तित्व का केन्द्रीय तत्व हैं। मनोवृत्तियों को समझे वगैर व्यक्तित्व को नहीं समझा जा सकता। मनोवृत्तियां व्यक्ति के व्यवहार की तत्परता प्रकट जो करती हैं। अतः उन्हें मानव व्यवहार का आधार भूत तत्व कहा जा सकता है। मनोवृत्तियां स्थाई मानसिक प्रवृत्ति होती हैं। अतः वे व्यक्तित्व को निरन्तरता प्रदान करती है। मनोवृत्तियों के अध्ययन के आधार पर व्यक्ति के सम्भावित व्यवहार का अनुमान लगाया जा सकता है। मनोवृत्तियों में प्रेरक शक्ति होती है। वे मनुष्य को विशिष्ट परिस्थिति में निश्चित व्यवहार करने को तत्पर

करती हैं। अतः वे मानव व्यवहार को निर्देशित शक्तियां कहीं जाती हैं। मनोवृत्ति व्यक्ति की आवश्यकताओं की पूर्ति में भी सहायक होती है। आवश्यकताओं के अनुसार व्यक्ति की मनोवृत्तियां उसको कार्य करने की प्रेरणा देती है। क्रेच तथा क्रेचफील्ड के विचार से व्यक्ति की मनोवृत्तियां उसके उद्देश्यों की प्राप्ति में सहायता करती है।''

मनोवृत्तियों के उपरोक्त महत्व के कारण ही शोधार्थी ने युवाओं में मादक द्रव्य प्रयोग को समझने के लिए प्रस्तुत शोध अध्ययन के इस अध्याय में उनकी मनोवृत्तियों का अध्ययन करना अनिवार्य समझा। जिसका विवरण अग्रलिखित है :-

तालिका संख्या -8.5

उत्तरदाताओं की निम्न के वारे में मनोवृत्तियों सम्बन्धी विवरण

क्र.	मनोवृत्तियां	नकारात्मक		सकारात्मक		सामान्य	
		आवृत्ति	प्रतिशत	आवृत्ति	प्रतिशत	आवृत्ति	प्रतिशत
1.	मादक द्रव्य विक्रेताओं के बारे में	123	41.00	100	33.33	77	25.67
2.	वार होटलस के बारे में	123	41.00	70	23.33	107	35.67
3.	मद्यसारिकों के बारे में	123	41.00	131	43.67	46	15.33

उपरोक्त तालिका से स्पष्ट होता है कि 123 उत्तरदाता (41.00%) की मनोवृत्ति मादक-द्रव्य विक्रेताओं के वारे में तथा वार होटलों के बारे में नकारात्मक थी। इसके विपरीत 131 उत्तरदाता (43.67%) ऐसे थे जिनकी मनोवृत्ति मद्यसारिकों के बारे में सकारात्मक थी।

पूर्ण उपरोक्त तालिका के अवलोकन से विदित होता है कि सर्वाधिक उत्तरदाता मादक-द्रव्य के अभिकर्ता कारक (विक्रेता) तथा पर्यावरण कारक (वार होटल) के प्रति अधिक नकारात्मक मनोवृत्ति वाले थे वजाय आदतन द्रव्य प्रयोग कर्ताओं की तुलना में।

तालिका संख्या -8.6

मद्यपान के बारे में उत्तरदाताओं की राय सम्बन्धी विवरण

क्र.	राय	हाँ		नहीं		योग	
		आवृत्ति	प्रतिशत	आवृत्ति	प्रतिशत	आवृत्ति	प्रतिशत
1.	मद्यपान आज का यथार्थ है	157	52.33	143	47.67	300	100.00
2.	मद्यपान सभी को पसन्द है	137	45.67	163	54.33	300	100.00
3.	मद्यपान एक बराई है	249	83.00	51	17.00	300	100.00

उपरोक्त तालिका से स्पष्ट होता है कि 249 सर्वाधिक (83.00%) युवाओं द्वारा मादक-द्रव्यों के प्रयोग को बुराई मानते थे, 163 उत्तरदाताओं (54.33%) ने बताया कि मादक-द्रव्यों का प्रयोग सभी को पसन्द

नहीं है तथा 157 उत्तरदाताओं (52.33%) मादक-द्रव्यों के प्रयोग को वर्तमान का यथार्थ मानते थे।

पूर्णरूप से उपरोक्त तालिका के अवलोकन से ज्ञात होता है कि युवाओं में मादक-द्रव्यों का प्रयोग आवश्यक (वर्तमान में यथार्थ) बुराई है।

तालिका संख्या -8.7

उत्तरदाताओं में मादक-द्रव्य सेवन से प्राप्त सन्तुष्टी के स्तर का विवरण

क्र.	सन्तुष्टी	उत्तरदाताओं की संख्या	प्रतिशत
1.	कम	51	17.00
2.	अधिक	126	42.00
3.	अज्ञात	123	41.00
	योग	300	100.00

उपरोक्त तालिका से ज्ञात होता है कि 126 सर्वाधिक उत्तरदाता (42.00%) ने बताया कि मादक-द्रव्य प्रयोग से उन्हें 'अधिक' सन्तुष्टी होती है तथा 51 उत्तरदाताओं (17.00%) ने कम सन्तुष्टी होना बताया।

उपरोक्त तालिका के अवलोकन से प्रमाणित होता है कि युवाओं को मादक द्रव्य प्रयोग से कम-अधिक सन्तुष्टी प्राप्त होती थी।

तालिका संख्या -8.8

उत्तरदाताओं की मादक-द्रव्यों के वारे में पसन्दगी सम्बन्धी विवरण

क्र.	पसन्दगी	उत्तरदाताओं की संख्या	प्रतिशत
1.	अधिक	177	59.00
2.	कम	--	--
3.	अज्ञात	123	41.00
	योग	300	100.00

उपरोक्त तालिका से ज्ञात होता है कि 177 सर्वाधिक उत्तरदाताओं (59.00%) ने बताया कि उन्हें मादक-द्रव्य अधिक पसन्द थें। इसके विपरीत 123 उत्तरदाताओं (41.00%) को मादक-द्रव्य पसन्द के बारे में अनिभिज्ञता बताई।

दृष्टिकोण :- कोई व्यक्ति ग्रामीण अथवा नगरीय दृष्टिकोण लेकर नहीं पैदा होता। दृष्टिकोण को वह अपने जीवन अनुभवों से आत्मसात करता है। यद्यपि वंशानुक्रम थोड़ा सा एक व्यक्ति के दृष्टिकोण को निश्चित करता है। इस प्रकार पर्यावरण तथा सामाजिक परिस्थितियां जिनके मध्य व्यक्ति जीवन यापन करता है, वे व्यक्ति के दृष्टिकोण के निर्णायक होते हैं। यथार्थ में भौतिक तथा सामाजिक पर्यावरण ही महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करते हैं तथा व्यक्ति के दृष्टिकोण निर्माण में सहायता करते हैं। "कुछ भी हो भौतिक पर्यावरण मुख्य रूप से तथा अन्य सन्दर्भो में सामाजिक पर्यावरण दृष्टिकोण निर्माण में सहायक भूमिका प्रदान करता है। ग्रामीण लोगों के दृष्टिकोण निर्माण में भौतिक पर्यावरण तथा नगर क्षेत्र में भौतिक पर्यावरण सहायक की भूमिका प्रदान करता है। नगरों में जहाँ अधिकांशतः आधुनिक यंत्र-उपस्कार तथा सामिग्री, से व्यक्ति प्रकृति से

अलग-थलग पड़ जाता है। यही कारण है कि शहर की हवा खाये व्यक्ति शहर में रहना चाहता है वैसे तो दृष्टिकोण व्यक्ति का एक विशेष तौर पर वस्तु-व्यक्ति तथा स्थान का नजरिया होता है। नगर का व्यक्ति दृष्टिकोण जीवन शैली, समाज, धन, धर्म, कला, राजनीति तथा नैतिकता को एक विशिष्ट ढंग से देखता है और ग्रामवासी भिन्न दृष्टिकोण से।''

मानव दृष्टिकोण के निर्णायक :- जैसाकि ऊपर उल्लेख किया जा चुका है कि एक सीमा तक वंशानुक्रम व्यक्ति के दृष्टिकोण को रूप प्रदान करता है। इसी प्रकार व्यक्ति की अभिरूचियां भी दृष्टिकोण निर्माण पर अमिट छाप छोड़ती है। परिवार की पृष्ठभूमि मानव दृष्टिकोण को निर्धारित करने में महती भूमिका का निर्वहन करती है। व्यक्ति को प्राप्त शैक्षिक दिशा-निर्देश भी मानव दृष्टिकोण निर्माण में अपना योगदान प्रदान करते हैं। सामाजिक-व्यवसायिक पर्यावरण भी दृष्टिकोण निर्माण में मदद करता है।

एक बात और यहां उल्लेख करना आवश्यक है कि एकसी परिस्थिति में भी व्यक्ति के दृष्टिकोण पृथक-पृथक होते हैं। इस प्रकार पूर्ण रूप में दृष्टिकोण की व्याख्या करना कठिन सा ही है।

यदि हम दृष्टिकोण की विशेषताओं पर दृष्टिपात करते हैं तो दृष्टिकोण में गतिशीलता, उदारवाद, सहिष्णुता, व्यक्तिवाद, भावनाएं आदि लक्षण पाये जाते है। व्यापक रूप से यदि देखा जाय तो समाज में होने वाला परिवर्तन सामाजिक परिवर्तन कहलाता है। समाज सामाजिक सम्बन्धों की ऊपर से नीचे की ओर एक श्रृंखला होती है इस लिए ये सामाजिक परिवर्तन सामाजिक सम्बन्धों को प्रभावित करता है और इससे मानव दृष्टिकोणों में गतिशीलता बनी रहती है।

प्रस्तुत शोध अध्याय में युवाओं के मादक-द्रव्य प्रयोग के बारे में दृष्टिकोण जानने का शोधार्थी द्वारा प्रयास किया गया है जिसके निष्कर्ष निम्न तालिकाओं द्वारा प्रदार्शित किए गये है :-

तालिका संख्या -8.9

उत्तरदाताओं की मादक-द्रव्य सेवन के वारे में दृष्टिकोण का विवरण

क्र.	दृष्टिकोण	उत्तरदाताओं की संख्या	प्रतिशत
1.	सकारात्मक	177	59.00
2.	नकारात्मक	123	41.00
3.	तटस्थ	--	--
	योग	300	100.00

उपरोक्त तालिका उत्तरदाताओं के मादक-द्रव्य प्रयोग के बारे में दृष्टिकोण पर प्रकाश डालती है । जिसमें 177 उत्तरदाताओं (59.00%) का दृष्टिकोण सकारात्मक था 123 उत्तरदाताओं (41.00%) का दृष्टिकोण नकारात्मक था ।

अध्याय-9

युवाओं में मादक द्रव्य नियंत्रण सम्बन्धी उपाय

युवाओं में मादक-द्रव्य नियंत्रण सम्बन्धी उपाय

प्रस्तुत शोध अध्ययन *"युवाओं में मादक द्रव्यों के सेवन की प्रकृति एवं प्रभाव का अध्ययन"* में शोधार्थी ने युवाओं में मादक द्रव्य प्रयोग के कारणों की पहिचान की। इसी के साथ यह अनिवार्य हो गया कि यह केवल समस्या के कारण ज्ञात कर लेना आवश्यक व महत्वपूर्ण नहीं जब तक कारणों के निवारण के उपायों पर प्रकाश न डाला जाये। उत्तरदाताओं से ही शोधार्थी ने मादक द्रव्य प्रयोग को नियंत्रण करने हेतु उपायों के बारे में तथ्यों का संकलन किया। उससे जो तथ्य निकलकर आये, प्रस्तुत अध्याय- "युवाओं में मादक-द्रव्य नियंत्रण सम्बन्धी उपाय" के अर्न्तगत निम्न तालिकाओं के माध्यम तथा उनके उचित विश्लेषण तथा विवेचन के द्वारा प्रस्तुत किया गया है :-

तालिका संख्या -9.1

जूनियर हाई स्कूल में मादक-द्रव्य प्रयोग के कुप्रभाव पढ़ने से युवाओं में रोक लगने सम्बन्धी सम्भावना का विवरण।

क्र.	कुप्रभाव	उत्तरदाताओं की संख्या	प्रतिशत
1.	हाँ	185	61.67
2.	नहीं	115	38.33
3.	कुछ कह नहीं सकते	--	--
	योग	300	100.00

उपरोक्त तालिका जूनियर हाईस्कूल स्तर पर मादक-द्रव्य प्रयोग के कुप्रभाव की जानकारी होने से युवाओं में मादक-द्रव्य प्रयोग पर रोक लगेगी पर प्रकाश डालती है। सर्वाधिक 185 उत्तरदाताओं (61.67%) ने बताया कि यदि बच्चों को जूनियर हाई स्कूल स्तर पर मद्यपान/मादक-द्रव्य व्यसन के बारे में जानकारी प्रदान की जाय तो निश्चित ही युवकों द्वारा मादक-द्रव्य प्रयोग की दर में रोक लगेगी।

तालिका संख्या -9.2

माता-पिता द्वारा मादक-द्रव्य प्रयोग न करने से युवाओं में मद्यसेवन कम होने की सम्भावना का विवरण।

क्र.	माता-पिता का मद्यनिषेध	उत्तरदाताओं की संख्या	प्रतिशत
1.	हाँ	239	79.67
2.	नहीं	--	--
3.	कुछ कह नहीं सकते	61	20.33
	योग	300	100.00

उपरोक्त तालिका माता-पिता के द्वारा मादक-द्रव्य प्रयोग न करने से युवाओं में मादक-द्रव्य प्रयोग को कम करने पर प्रकाश डालती है :- सर्वाधिक 239 उत्तरदाताओं (79.67%) ने बताया कि यदि माता-पिता द्वारा मादक-द्रव्य प्रयोग न करे तो उनके युवाओं पर मादक-द्रव्य प्रयोग न करने का अभ्यास बढ़ेगा।

तालिका संख्या -9.3

उत्तरदाताओं में मादक-द्रव्य प्रयोग में लाइसेन्सी प्रणाली प्रारम्भ करने से मादक-द्रव्य प्रयोग रुकने की सम्भावना का विवरण

क्र.	लाइसेंसी प्रणाली	उत्तरदाताओं की संख्या	प्रतिशत
1.	हाँ	231	77.00
2.	नहीं	20	6.67
3.	कुछ कह नहीं सकते	49	16.33
	योग	300	100.00

उपरोक्त तालिका मादक-द्रव्य प्रयोग में लाइसेन्सी प्रणाली करने से युवाओं में मादक-द्रव्य प्रयोग कम होगा पर प्रकाश डालती है :-

सर्वाधिक 231 उत्तरदाताओं (77.00%) ने सुझाव दिया कि लाइसेंस प्रणाली लागू होने से युवाओं में मादक-द्रव्य प्रयोग निश्चित ही कम होगा।

तालिका संख्या -9.4

अधिक नौकरियां देकर युवाओं का मद्य सेवन से रोकन की सम्भावना सम्बन्धी विवरण

क्र.	रोजगार	उत्तरदाताओं की संख्या	प्रतिशत
1.	हाँ	220	73.33
2.	नहीं	80	26.67
3.	अज्ञात	--	--
	योग	300	100.00

उपरोक्त तालिका रोजगार प्रदान करने से युवाओं में मादक-द्रव्य प्रयोग की सम्भावना पर प्रकाश डालती है तथा जिससे ज्ञात होता है कि सर्वाधिक 220 उत्तरदाता (73.33%) ने बताया कि यदि युवाओं को रोजगार दिया जाय तो युवाओं में मादक द्रव्य प्रयोग कम होगा।

तालिका संख्या -9.5

विद्यालयों के छात्रावासों में औचक निरीक्षण युवाओं में मद्यसेवन कम होने की सम्भावना का विवरण

क्र.	छात्रावासों के औचक निरीक्षण	उत्तरदाताओं की संख्या	प्रतिशत
1.	हाँ	140	46.67
2.	नहीं	100	33.33
3.	कुछ नहीं कह सकते	60	20.00
	योग	300	100.00

उपरोक्त तालिका से ज्ञात होता है कि सर्वाधिक 140 उत्तरदाता (46.67%) का सुझाव था कि छात्रावासों के औचक निरीक्षण युवाओं में मादक द्रव्यों के प्रयोग को कम करेगें।

तालिका संख्या -9.6

मादक-द्रव्य नियंत्रण अधिनियम शक्ति से लागू करने से युवाओं में प्रयोग दर को कम किया जा सकता है ?

क्र.	अधिनियम शक्ति से लागू करने से	उत्तरदाताओं की संख्या	प्रतिशत
1.	हाँ	201	67.00
2.	नहीं	37	12.33
3.	कुछ नहीं कह सकते	62	20.67
	योग	300	100.00

ग्राफ

मादक-द्रव्य नियंत्रण अधिनियम शक्ति से लागू करने से युवाओं में प्रयोग दर को कम किया जा सकता है ?

उपरोक्त तालिका से ज्ञात होता है कि सर्वाधिक 201 उत्तरदाताओं (67.00%) ने सुझाव दिया कि यदि मादक द्रव्य नियंत्रण अधिनियम को यदि शक्ति से लागू किया जाय तो युवाओं में मादक द्रव्य प्रयोग कम होगा।

तालिका संख्या -9.7

घरों में मादक द्रव्य रखने को दण्डनीय अपराध घोषित करने से युवाओं में मादक-द्रव्य सेवन कम होने की सम्भावनाओं का विवरण

क्र.	घर पर मादक-द्रव्य रखना दण्डनीय	उत्तरदाताओं की संख्या	प्रतिशत
1.	हाँ	210	70.00
2.	नहीं	32	10.67
3.	कुछ नहीं कह सकते	58	19.33
	योग	300	100.00

उपरोक्त तालिका से ज्ञात होता है कि सर्वाधिक 210 उत्तरदाताओं (70.00%) ने सुझाव दिया कि यदि मादक-द्रव्य का घर पर रखने पर दण्ड व्यवस्था कर दी जाय तो युवाओं में मादक-द्रव्य प्रयोग कम होगा।

तालिका संख्या -9.8

मद्यपान के विज्ञापनों को प्रतिबन्धित करने से युवाओं में मद्य सेवन रुकने की सम्भावना सम्बन्धी विवरण

क्र.	विज्ञापनों पर प्रतिबन्ध	उत्तरदाताओं की संख्या	प्रतिशत
1.	हाँ	187	62.33
2.	नहीं	52	17.33
3.	कुछ नहीं कह सकते	61	20.34
	योग	300	100.00

उपरोक्त तालिका से ज्ञात होता है कि सर्वाधिक 187 उत्तरदाताओं (62.33%) का मत था कि यदि मादक-द्रव्यों के विज्ञापनों पर प्रतिबन्ध लगा दिया जाये तो युवाओं में मादक-द्रव्य प्रयोग कम हो जायेगा।

तालिका संख्या -9.9

मादक-द्रव्य निषेध महिला कमेटियों के गठन से युवाओं में मादक-द्रव्य प्रयोग कम करने सम्बन्धी सम्भावना का विवरण

क्र.	महिला मादक द्रव्य निषेध कमेटियां	उत्तरदाताओं की संख्या	प्रतिशत
1.	हाँ	200	66.67
2.	नहीं	55	18.33
3.	कुछ नहीं कह सकते	45	15.00
	योग	300	100.00

उपरोक्त तालिका से ज्ञात होता है कि सर्वाधिक 200 उत्तरदाता (66.67%) ने स्वीकार किया कि यदि महिलाओं की मद्य निषेध कमेटिया गठित कर दी जाये तो युवाओं में मादक द्रव्य प्रयोग कम हो जायेगा।

तालिका संख्या -9.10

मद्य निषेध के बारे में हर तीन माह बाद अभियान चलाने से युवाओं में मादक द्रव्य सेवन पर रोक लगने की सम्भावना सम्बन्धी विवरण

क्र.	मद्य निषेध अभियान	उत्तरदाताओं की संख्या	प्रतिशत
1.	हाँ	196	65.33
2.	नहीं	43	14.33
3.	कुछ नहीं कह सकते	61	20.34
	योग	300	100.00

उपरोक्त तालिका से ज्ञात होता है कि सर्वाधिक 196 उत्तरदाताओं (65.33%) का मानना था कि त्रैमासिक मद्य निषेध अभियान आयोजित करने से युवाओं में मादक द्रव्य प्रयोग कम होगा।

अध्याय - 10

शोध अध्ययन का निष्कर्ष एवं सुझाव

शोध अध्ययन का निष्कर्ष एवं सुझाव

प्रस्तुत शोध अध्ययन "युवाओं में मादक द्रव्यों के सेवन की प्रकृति एवं प्रभाव का अध्ययन (चित्रकूट के विशेष सन्दर्भ में)" एक शोध अध्ययन था। इससे पूर्व अन्य शोध अध्ययनों का इतिहास मिलता है परन्तु वे सभी अन्य विषयों-हिन्दी, इतिहास तथा भूगोल से सम्बन्धित थे। समाज कार्य की पृष्ठभूमि में इस प्रकार, यह एक सामाजिक समस्या का अध्ययन था क्योंकि समाज कार्य में समाज की सामाजिक समस्याओं, उसके कारण एवं समाज कार्य की किस विधि द्वारा उसका हल किया जाय, का ही अध्ययन प्रमुख रूप से किया जाता है।

प्रस्तुत शोध की प्रेरणा शोधार्थी को करने की उसे उस समय मिली जब वह मास्टर आफ सोसल वर्क की परास्नातक कक्षा की आंशिक पूर्ति के लिए सप्ताह में दो दिन क्षेत्रीय कार्य के भ्रमणों पर जाया करता था। उसने वहा अपनी अन्तःक्रिया की अवधि में पाया कि जिन किशोरों तथा युवको को समाज की समस्या एवं व्यक्तिगत समस्याओं को हल करने सामने आना चाहिए वे स्वयं मद्यपान/मादक-द्रव्य प्रयोग से ग्रसित हैं। उनकी इस समस्या का समाज कार्य अनुसन्धान विधि से अध्ययन करने की प्रेरणा वलवती हो गई।

प्रस्तुत शोध अध्ययन के लिए शोधार्थी ने कुछ उपकल्पनाओं को निर्मित किया:-

1. युवाओं में मादक द्रव्यों का सेवन दिनों-दिन बढ़ रहा है।
2. युवाओं में बढ़ रहे मादक द्रव्य सेवन जैसी समस्याओं के समाधान में सरकारों, स्वयं सेवी संस्थाओं की भूमिका अप्रभावी है।

3. मादक द्रव्य सेवन से युवाओं का सर्वांगीण विकास अवरूद्ध हो रहा है।

4. युवाओं में मादक द्रव्य सेवन की प्रकृति के कारणों की जानकारी करना तथा इसको समाप्त किऐ जाने का प्रयास करना।

इसके साथ ही निम्न शोध उद्देश्यों का निर्माण किया :-

1. युवाओं की सामाजिक, आर्थिक तथा जनांककीय विशेषताओं का अध्ययन करना।
2. युवाओं में मादक द्रव्य प्रयोग की प्रकृति का अध्ययन करना।
3. युवाओं में मादक द्रव्य प्रयोग के कारणों की पहचान करना।
4. युवाओं के मादक द्रव्य प्रयोग के प्रभाव की समीक्षा करना।
5. युवाओं में मादक द्रव्यों के प्रति विचार, मनोवृत्ति एवं दृष्टिकोण ज्ञात करना।
6. मादक द्रव्य प्रयोग पर नियंत्रण हेतु सरकारी प्रयासों की जानकारी करना तथा युवाओं को मादक द्रव्य प्रयोग को कम करने के लिए सुझाव देना।

शोध विधि :- प्रस्तुत शोध के अध्ययन हेतु शोधार्थी ने जनपद चित्रकूट के नगर तथा ग्रामीण क्षेत्र को शोध समग्र के रूप में चयन किया तथा शोध प्रारचना के रूप में अन्वेषणात्मक प्रारूप को अनुकूल समझ कर अपनाया गया। शोध के कुछ सटीक 'फल' प्राप्त करने के लिए 300 युवाओं को शोध निदर्शनों को दैवनिदर्शन विधि की अनियमित प्रणाली का प्रयोग करके उनका चयन किया तथा नगर एवं ग्राम के युवाओं को अनुपात में चयन किया ताकि 'फल' उचित प्राप्त हो। शोध के उद्देश्यों को ध्यान में रखकर प्रश्नावली का निर्माण किया तथा उसका पूर्व-परीक्षण कर प्रश्नों का शुद्धिकरण कर अनुसूची साक्षात्कार विधि व वैयक्तिक अवलोकन विधियाँ प्रयोग में लाई गई। शोध हेतु दोनों प्रकार के स्रौत-प्राथमिक तथा द्वितीय का प्रयोग में लाया गया। सर्वे समाप्त होने के बाद एकत्र तथ्यों का सम्पादन, वर्गीकरण, तालिकाकरण, विश्लेषण तथा विवेचन

की सम्पूर्ण शोध प्रक्रिया को अधिग्रहण करके जो परिणाम निकले उनको निम्न अध्यायों में प्रस्तुत किया गया है :-

विषय वस्तु का अध्यायीकरण :-

शोध प्रतिवेदन की विषय सामग्री को व्यवस्थिति ढंग से प्रस्तुत करने के लिए निम्न अध्यायों का निरूपण किया गया :-

1. प्रथम अध्याय में शोध विषय की वृहत प्रस्तावना : शोध विषय की आवश्यकता, महत्व तथा शोध समस्या का विस्तार पूर्वक उल्लेख,
2. द्वितीय अध्याय में शोध विषय से सम्बन्धित शोध साहित्य का पुर्नविलोकन को प्रस्तुत किया गया है,
3. तृतीय अध्याय में शोध विधि/पद्धति जो प्रयोग में लाई गई उसे प्रस्तुत किया गया है,
4. चतुर्थ अध्याय में, उत्तरदाताओं से सम्बन्धित प्राथमिक तथ्य-सामाजिक, आर्थिक तथा जनांककीय विशेषताओं का निरूपण किया गया है,
5. पंचम अध्याय में युवाओं में मादक-द्रव्य प्रयोग की प्रकृति का चित्रण किया गया है,
6. षष्ठम अध्याय में, मद्यपान/मादक-द्रव्यों के प्रयोग के कारणों पर प्रकाश डाला गया है,
7. सप्तम् अध्याय में, युवाओं के वैयक्तिक, पारिवारिक, आर्थिक, सामाजिक तथा मनोवैज्ञानिक पृष्ठ भूमियों में पड़ने वाले प्रभावों की व्याख्या की गई है,
8. अष्ठम अध्याय में युवाओं के मादक-द्रव्य प्रयोग के बारे में उनके विचारों, मनोवृत्तियों तथा दृष्टिकोणों का उल्लेख प्रस्तुत किया गया है,
9. नवम् अध्याय में मद्यपान/मादक-द्रव्य प्रयोग पर सरकारी नियंत्रण के लिए किये गये उपायों तथा अन्य सुझाव प्रस्तुत किये गये है, तथा

10. दसम अध्याय में शोध का निष्कर्ष एवं सुझावों को प्रस्तुत किया गया है।

शोध विषय की सीमाऐं :

कोई क्रिया पूर्णरूपेण नहीं होती। जिस प्रकार प्रत्येक नियोजन संगठन तथा क्रियान्वयन की सीमाऐं होती है उसी प्रकार शोधार्थी का प्रस्तुत शोध के अध्ययन में कुछ सीमाऐं थी जिनका उल्लेख यहां प्रस्तुत करना आवश्यक था ताकि शोध से प्राप्त निष्कर्षो को उसी प्रकाश में देखा जा सके,

प्रस्तुत शोध अध्ययन का क्षेत्र क्रमशः ग्रामीण एवं नगर दोनों ही थे और उनकी जनसंख्या भी। अतः इस शोध में उत्तरदाताओं की मात्र 300 ईकाईयों को ही चुनकर कार्य करना पड़ा अतः 300 युवाओं में ही शोध उद्देश्यों तथा उपकल्पनाओं का परीक्षण किया गया है,

प्रस्तुत शोध में सूचना एकत्र करने की एक सीमा थी क्योंकि उत्तरदाता समग्र में यत्र-तत्र-सर्वत्र विखरे हुए थे। ग्रामीण उत्तरदाता पूर्व सूचना के बाद भी गृह भ्रमण के समय उपलब्ध नहीं होते थे। दीघ्र प्रश्नावली होने के कारण वे प्रश्नों उत्तर सुचारू रूप से नहीं दे पाते थे और उन्हें शोध हेतु सर्वे की प्रक्रिया उवाऊ सी जान पड़ती थी,

इस शोध अध्याय में, शोधार्थी के सामने शोध अध्ययन से सम्बन्धित साक्षात्कार प्रक्रिया की अवधि में चयन किए गये उत्तरदाताओं का सर्वेक्षण के समय घर पर नहीं मिलना भी एक कठिनाई थी। परन्तु शोधार्थी द्वारा चयनित अनुपस्थिति उत्तरदाताओं के स्थान पर समान विशेषता वाले उत्तरदाताओं का चयन करके शोध कार्य पूर्ण किया। साक्षात्कार प्रक्रिया के दौरान चयनित कुछ उत्तरदाताओं द्वारा साक्षात्कार देने से मना कर देना भी एक कठिनाई बन कर शोधकर्ता के सामने आयी। परन्तु शोधार्थी द्वारा उनके सम्बन्धियों से हस्तक्षेप कराकर राजी कर लिया गया।

चूंकि शोध अध्ययन युवाओं में मादक-द्रव्य प्रयोग और उसके प्रभाव से सम्बन्धित था, अतः शोध अध्ययन हेतु बनाई गई साक्षात्कार अनुसूची पर्याप्त लम्बी थी। साक्षात्कार के दौरान कई उत्तरदाता थोड़े समय बाद ऊबने लगे तथा कई उत्तरदाता भावावेश में अधिक समय लगाने लगे, जिससे शोधार्थी को दोनों स्थितियों में कठिनाई का सामना करना पड़ा। परन्तु शोधार्थी द्वारा धैर्य पूर्वक उत्तरदाताओं की बातों में रूचि लेकर तथा उनकी प्रशंसा करके एवं साक्षात्कार प्रक्रिया को रोचक बनाकर इन कठिनाईयों का उचित समाधान किया गया।

शोधार्थी के सम्मुख एक कठिनाई यह भी आई कि प्रस्तुत शोध अध्ययन में तथ्य संकलन का कार्य पूर्णतया निदर्शित उत्तरदाताओं की सूचनाओं पर आधारित था एवं प्राथमिक सूचनाओं के लिए उत्तरदाताओं पर अत्याधिक निर्भरता से सही परिणाम पाना मुश्किल था क्योंकि कई उत्तरदाता सही सूचना नहीं दे पाये तथा व्यक्तिगत मामलों में तथ्यों को छिपाया परन्तु शोधार्थी द्वारा उत्तरदाताओं की दी गई सूचनाओं की पुष्टि स्वयं उत्तरदाताओं से तथा उनके पास-पड़ोसियों से की गई एवं उन्हें प्रसंशनीय वाक्य -"आपने बिलकुल नई बात बताई है" आपके अनुभव बहुमूल्य है आदि कहकर सूचना देने हेतु प्रेरित किया गया।

समाजीकरण के सिद्धांत में लिखा है कि, "परिवार बच्चों की प्रथम पाठशाला होती है। पारिवारिक व्यवहार के प्रतिमान ही बालक सीखता है और व्यवहार के प्रति अभिरूचि, अनुरूचि बनाता है । गांव में आज भी यह कहावत प्रसिद्ध है "जाको जेसों बाप ताकी तैसी औलाद" आदि।

कुसंग का ज्वर बड़ा भयानक होता है। यह माता-पिता का उत्तरदायित्व है कि वे मादक-द्रव्य प्रयोग कर्ताओं से अपने पुत्र को पृथक रखे। प्रो. सदरलेन्ड ने अपराध के सिद्धांत में लिखा है कि-(1) मद्यपान एक सीखा हुआ व्यवहार है, (2) यह वहां सीखा जाता है जहां अनुकूल परिस्थितियां (कुसंग) अधिक होती है।

तथ्यों के संकलन के समय द्वितीयक स्रोतों से प्राप्त तथ्यों के सन्दर्भ में भी शोधार्थी को कठिनाई का सामना करना पड़ा। सम्बन्धित सरकारी विभागों के कर्मचारी तथा अधिकारी वर्ग शोध अध्ययन में अपेक्षित आंकड़ों तथा दस्तावेजों को गोपनीय बताकर आसानी से उपलब्ध नहीं कराते थे। परन्तु शोधार्थी द्वारा सम्बन्धित कार्यालयों के लिपिक के साथ कुछ देर बैठकर, चाय-पानी करके तथा पारस्परिक सम्पर्कों द्वारा सम्बन्धित आंकड़े व दस्तावेजों को प्राप्त किया गया।

शोध निष्कर्ष :-

4.0 युवाओं/निदर्शन से सम्बन्धित प्राथमिक तथ्यों के निष्कर्ष :-

4.1 आयु : शोध में चयनित 300 उत्तरदाताओं की आयुवार वर्गीकरण से ज्ञात हुआ कि सर्वाधिक 106 उत्तरदाता (35.33%) 25-27 आयु वर्ग के थे, 70 (23.33%) 22-24 आयु वर्ग के, 64 (21.34%) 18-21 आयु वर्ग, 40 (13.33%) 28-30 आयु वर्ग तथा 20 (6.67%) 31-33 आयु वर्ग के थे।

4.2 शैक्षिक स्तर : चयनित उत्तरदाताओं में 78 (26.00%) जू.हा., 66 (22.00%) क्रमशः हा. स्कूल व इन्टर, 28 (9.33%) स्नातक तथा 26 (8.67%) स्नाकोत्तर शैक्षिक स्तर था।

4.3 जाति : चयनित उत्तरदाताओं में 110 (36.67%) पिछड़ी जाति, 90 (30.00%) अनुसूचित जाति, 84 (28.00%) सामान्य जाति तथा 16 (5.33%) अनूसूचित जनजाति के थे।

4.4 धर्म : चयनित 300 उत्तरदाताओं में सर्वाधिक 254 (84.67%) हिन्दू धर्म, 46 (15.33%) इस्लाम धर्मी थे।

4.5 व्यवसाय : चयनित 300 उत्तरदाताओं में 92 (30.67%) का व्यवसाय कृषि, 52 (17.33%) क्रमशः मजदूरी एवं सरकारी नौकरी, 42 (14.00%) प्राइवेट नौकरी तथा 22 (7.33%) दूकानदारी करते थे।

4.6 मासिक आय : चयनित 300 उत्तरदाताओं में सर्वाधिक 98 (32.67%) की मासिक आय 1000-2000 रूपया, 74 (24.67%) 4001-5000 रूपया, 54 (18.00%) 2001-3000 रूपया, 48 (16.00%) 3001-4000 रूपया तथा 26 (8.66%) 5000 रूपया के ऊपर की मासिक आय वाले थे।

4.7 वैवाहिक स्तर : चयनित 300 उत्तरदाताओं में से सर्वाधिक 224(74.67%) विवाहित, 36 (12.00%) अविवाहित, 34 (11.33%) तलाक शुदा तथा 6(2.00%) विधुर थे।

4.8 जीवित सन्तानें : चयनित 300 उत्तरदाताओं में से सर्वाधिक 80 (26.67%) के दो, 76 (25.33%) के पांच, 54 (18.00%) के तीन, 49 (16.33%) के चार, 29 (9.67%) के एक जीवित बच्चे थे।

4.9 परिवार का स्वरूप : चयनित 300 उत्तरदाताओं में से सर्वाधिक 136 (45.33%) के परिवार का स्वरूप संयुक्त, 118 (39.33%) एकांकी तथा 46 (15.34%) विस्तृत परिवार था।

4.10 आवासीय स्थिति : चयनित 300 उत्तरदाताओं में से सर्वाधिक 126 (42.00%) के मकान पक्के बने थे, 106 (35.33%) के मिश्रित मकान तथा 68(22.67%) के कच्चे आवास थे।

4.11 मनोरंजन के साधन : चयनित 300 उत्तरदाताओं में से सर्वाधिक 109 (36.33%) के पास मनोरंजन के साधनों के रूप में रेडियों, 107(35.67%) के पास टी.बी., 60(20.00%) सिनेमा देखकर, 15(5.00%) सांस्कृतिक केन्द्रों तथा 9(3.00%) क्लबों में सहभागिता द्वारा मनोरंजन करते थे।

5.0. युवाओं में मादक-द्रव्य सेवन की प्रकृति सम्बन्धी निष्कर्ष :

5.1 मादक द्रव्य सेवन की स्वीकारोक्ति : चयनित 300 उत्तरदाताओं में से सर्वाधिक 177(59.00%) मादक द्रव्य सेवन करते थे तथा 123 (41.00%) मादक द्रव्य सेवी नहीं थे।

5.2 मादक द्रव्य सेवन के अवसर : चयनित 300 उत्तरदाताओं में से सर्वाधिक 61(20.33%) चाहे कभी, 32(10.67%) उत्सवों पर, 31(10.33%) लाभ होने पर, 27(9.00%) रिस्तेदार आगमन पर तथा 26(8.67%) विवाह-बारातों के अवसर पर मादक द्रव्यों का सेवन करते थे।

5.3 मादक-द्रव्य सेवन की प्रकृति : चयनित 300 उत्तरदाताओं में से सर्वाधिक 116 (38.67%) कभी-कभी, 49(16.33%) हमेशा तथा 12(4.00%) अक्सर मादक द्रव्य सेवन की प्रवृत्ति वाले थे।

5.4 मादक द्रव्यों के विविध प्रकारों के प्रति रूचि : चयनित 300 उत्तरदाताओं में से सर्वाधिक 69(23.00%) शराब, 36(12.00%) भांग, 30 (10.00%) गांजा, 24 (8.00%) स्मैक, तथा 18 (6.00%) अफीम का सेवन करते थे।

5.5 मादक द्रव्य सेवन के समय अवस्था : चयनित 300 उत्तरदाताओं में से सर्वाधिक 71 (23.67%) मादक द्रव्य प्रारम्भ किया तब वे 23-24 आयु वर्ग के थे, 33 (11.00%) का आयु वर्ग 25-26, 30 (10.00%) का आयु वर्ग 21-22, 22 (7.33%) का आयु वर्ग 18-20 तथा 21 (7.00%) 27-28 आयु वर्ग के थे।

5.6 मादक द्रव्य सेवन की दिन में आवृत्ति : चयनित 300 उत्तरदाताओं में से सर्वाधिक 104 (34.67%) दिन में एक बार, 73(24.33%) दिन में दो बार मादक द्रव्यों का सेवन करते थे।

5.7 मादक द्रव्य सेवन हेतु प्रेरक : चयनित 300 उत्तरदाताओं में से सर्वाधिक 86(28.67%) के मादक द्रव्य सेवन के प्रेरक मित्र थे, 60(20.00%) के रिस्तेदार तथा 31(10.33%) के सहपाठी थे।

5.8 मादक द्रव्य सेवन माध्यम : चयनित 300 उत्तरदाताओं में सर्वाधिक 153 (51.00%) मुख द्वारा, तथा 24(8.00%) सूँघकर मादक द्रव्यों का सेवन करते थे।

5.9 मादक द्रव्य सेवन का स्थान : चयनित 300 उत्तरदाताओं में से सर्वाधिक 104(34.67%) घर पर, 32(10.67%) होटल में, 30(10.00%) मधुशाला में तथा 11(3.66%) यात्रा तक में मादक द्रव्यों का सेवन करते थे।

5.10 मादक द्रव्य प्राप्ति स्थल : चयनित 300 उत्तरदाताओं में से सर्वाधिक 113(37.66%) मादक द्रव्यों के सेवन हेतु दुकानों से तथा 64 (21.34%) मित्रों द्वारा प्राप्त करते थे।

5.11 मादक द्रव्य सेवन का समयान्तर : चयनित 300 उत्तरदाताओं में से सर्वाधिक 66(22.00%) पखवारे बाद, 49(16.33%) प्रतिदिन, 40(13.34%) माह बाद, 12(4.00%) सप्ताह बाद तथा 10(3.33%) वर्षों बाद मादक द्रव्यों का सेवन करते थे।

6.0. मादक-द्रव्य सेवन के कारण सम्बन्धी निष्कर्ष :

6.1 वैयक्तिक विघटन : चयनित 300 उत्तरदाताओं में से सर्वाधिक 276 (92.00%) मादक द्रव्यों का सेवन वैयक्तिक विघटन के कारण पीते थे।

6.2 परिवार तनाव : चयनित 300 उत्तरदाताओं में से सर्वाधिक 271 (90.33%) मादक द्रव्य का सेवन परिवार तनाव के कारण करते थे।

6.3 वंशानुक्रम : चयनित 300 उत्तरदाताओं में से सर्वाधिक 242(80.67%) मादक-द्रव्यों का सेवन वंशानुक्रम के कारण करते थे।

6.4 मनोवैज्ञानिक कारक : सर्वाधिक 181 उत्तरदाताओं ने (60.34%) ने मादक-द्रव्य सेवन के कारणों में चिन्ता-कुण्ठा तथा तनाव को मानते थे।

6.5 बेरोजगारी : सर्वाधिक 200 उत्तरदाता (66.67%) मादक द्रव्य सेवन का कारण बेरोजगारी मानते थे।

6.6 गरीबी : सर्वाधिक 213 उत्तरदाता (71.00%) मादक द्रव्य सेवन का कारण गरीबी मानते थे।

6.7 सहज उपलब्धि : सर्वाधिक 211 उत्तरदाता (70.33%) मादक द्रव्य के सेवन का 'सहज उपलब्धि' होने का कारण बताया।

6.8 कामुकता उभारने : सर्वाधिक 177 उत्तरदाता (59.00%) मादक द्रव्य सेवन का कारण कामुकता में उभार लाना मानते थे।

6.9 मनोरंजन : सर्वाधिक 241 उत्तरदाता (80.33%) मादक द्रव्य सेवन मनोरंजन करने के रूप में लेते थे।

6.10 चिकित्सकीय कारण : सर्वाधिक 282 उत्तरदाता (94.00%) ने मादक द्रव्य सेवन का कारण चिकित्सकीय कारण बताया।

6.11 विज्ञापन प्रेरक : सर्वाधिक 227 उत्तरदाता (75.67%) मादक द्रव्यों का सेवन विज्ञापन प्रेरकों को मानते थे।

6.12 अलगांव : सर्वाधिक 209 उत्तरदाता (69.67%) मादक द्रव्य सेवन का कारण पारिवारिक सामाजिक अलगांव को मानते थे।

6.13 अन्तःक्रिया से सीखने : सर्वाधिक 246 उत्तरदाता (82.00) ने मादक द्रव्य सेवन का कारण मित्रों, रिस्तेदारों की अन्तःक्रिया का कारण बताया।

6.14 परिस्थिति कारक : सर्वाधिक 182 उत्तरदाता (60.67%) परिस्थिति के कारण मादक द्रव्य का सेवन करते थे।

7.0. मादक द्रव्य सेवन के कुप्रभाव सम्बन्धी निष्कर्षों का विवरण :-

7.1 व्यक्ति आचरण कुप्रभाव : सर्वाधिक (72.12%) उत्तरदाताओं ने मादक-द्रव्य सेवन के आचरण पर कुप्रभाव से सहमत थे।

7.2 शारीरिक कुप्रभाव : सर्वाधिक (58.89%) उत्तरदाताओं ने मादक द्रव्य सेवन के शारीरिक कुप्रभाव से सहमत व्यक्त की।

7.3 मानसिक स्वास्थ्य पर कुप्रभाव : सर्वाधिक (56.44%) उत्तरदाताओं ने मादक द्रव्य सेवन के कुप्रभाव को मानसिक स्वास्थ्य पर पड़ने से सहमत जताई।

7.4 परिवार पर कुप्रभाव : सर्वाधिक (61.33%) उत्तरदाताओं ने मादक द्रव्य सेवन से परिवार पर कुप्रभाव के प्रति सहमत व्यक्त की।

7.5 आर्थिक कुप्रभाव : सर्वाधिक (62.34%) उत्तरदाताओं ने मादक द्रव्य सेवन के कुप्रभाव पड़ता है के प्रति सहमत व्यक्त की।

7.6 सामाजिक जीवन पर कुप्रभाव : सर्वाधिक (62.89%) उत्तरदाताओं ने मादक द्रव्य सेवन से सामाजिक जीवन पर कुप्रभाव के प्रति सहमत जताई।

7.7 सामाजिक प्रक्रियाओं पर कुप्रभाव : सर्वाधिक (55.67%) उत्तरदाताओं ने मादक द्रव्य सेवन का सामाजिक प्रक्रियाओं पर कुप्रभाव के प्रति सहमत जताई।

7.8 कार्य-कलापों पर कुप्रभाव : सर्वाधिक (63.11%) उत्तरदाताओं ने कार्य कलापों पर मादक द्रव्य सेवन के कुप्रभाव के प्रति सहमत व्यक्त की।

7.9 युवा संस्कृति पर कुप्रभाव : सर्वाधिक (61.78%) उत्तरदाताओं ने मादक द्रव्य सेवन के कुप्रभाव को संस्कृति पर पड़ना बताया।

7.10 ऋृणग्रस्तता : सर्वाधिक (71.00%) उत्तरदाताआं ने बताया कि मादक द्रव्य सेवन से ऋृणग्रस्ता का स्तर अधिक हो जाता है।

7.11 जीवन शैली पर कुप्रभाव : सर्वाधिक (62.34%) उत्तरदाताओं ने मादक द्रव्य सेवन का जीवन शैली पर कुप्रभाव पड़ना स्वीकार किया।

8.0. मादक द्रव्य प्रयोग के बारे में युवाओं के विचार-मनोवृत्ति तथा दृष्टिकोण सम्बन्धी निष्कर्ष :-

(अ) विचार

8.1 विचार : 154 सर्वाधिक उत्तरदाता (51.33%) मादक द्रव्य प्रयोग से सहमत थे।

8.2 मद्यनिषेध : सर्वाधिक 123 उत्तरदाता (41.00%) पूर्ण रूप से, 115 उत्तरदाता (38.33%) अर्द्ध रूप से मद्य निषेध के विचार के थे।

8.3 अन्य को प्रेरणा : सर्वाधिक 161 उत्तरदाता (53.67%) ने अपने से अन्य लोगों को मादक द्रव्य प्रयोग के लिए प्रेरित किया।

8.4 वर्ग : सर्वाधिक 123 उत्तरदाताओं (41.00%) ने बताया कि किसी भी सामाजिक वर्ग को मादक द्रव्यों का प्रयोग नहीं करना चाहिए।

(ब) मनोवृत्तियां

8.5 मनोवृत्तियां : सर्वाधिक 123 उत्तरदाताओं (41.00%) की मनोवृत्तियां मादक द्रव्य विक्रेताओं, वार होटल्स तथा मद्य सारिकों के बारे में नकारात्मक थी।

8.6 राय : सर्वाधिक 249 उत्तरदाता (83.00%) मादक द्रव्यों के प्रयोग को बुराई तो मानते थे परन्तु वे मादक द्रव्यों के प्रयोग को वर्तमान का यथार्थ तथा पसन्दीदा वस्तु भी मानते थे।

8.7 सन्तुष्टी : सर्वाधिक 126 उत्तरदाता (42.00%) मादक द्रव्यों के प्रयोग से "अधिक" सन्तुष्टी प्राप्त होने को बताते थे।

8.8 रूचिपूर्णता : सर्वाधिक 177 उत्तरदाताओं (59.00%) ने मादक द्रव्य प्रयोग को रूचि पूर्ण बताया।

(स) दृष्टिकोण

8.9 दृष्टिकोण : सर्वाधिक 177 उत्तरदाताओं (59.00%) ने अपना मादक द्रव्यों के प्रयोग के बारे में सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाया हुआ था।

9.0. युवाओं में मादक द्रव्य प्रयोग पर नियंत्रण सम्बन्धी उपाय :-

9.1 शिक्षा : सर्वाधिक 185 उत्तरदाताओं (61.67%) ने बताया कि यदि जूनियर हाईस्कूल स्तर पर बच्चों को मादक द्रव्य प्रयोग की हानियां बताई जाये तो युवावस्था में मादक द्रव्य प्रयोग पर रोक लगाना सम्भव है।

9.2 माता-पिता द्वारा मद्यपान न करना : सर्वाधिक 239 उत्तरदाताओं (79.67%) ने बताया कि युवाओं में मादक द्रव्य प्रयोग को कम करने का उपाय स्वयं माता-पिता द्वारा आदर्श प्रस्तुत किया जाय।

9.3 लाइसेन्सी प्रणाली : सर्वाधिक 231 उत्तरदाताओं (77.00%) ने मादक द्रव्य विक्रय में लाइसेन्सी प्रणाली लागू करने के उत्तम उपाय सुझाया।

9.4 युवाओं को रोजगार : सर्वाधिक 220 उत्तरदाताओं (73.33%) ने मादक द्रव्यों के प्रयोग को कम करने के लिए युवाओं को अधिक से अधिक रोजगार देने का उपाय बताया।

9.5 छात्रावासों में औचक निरीक्षण : सर्वाधिक 140 उत्तरदाताओं (46.67%) ने छात्रावासों में औचक निरीक्षणों से मादक द्रव्य प्रयोग पर नियंत्रण का उपाय बताया।

9.6 मादक द्रव्य नियंत्रण अधिनियम को शक्ति से लागू करने के लिए सर्वाधिक 201 उत्तरदाताओं (67.00%) ने उपाय बताया।

9.7 घर पर मादक द्रव्य रखना दण्डनीय अपराध को युवाओं में (70.00%) मादक द्रव्य प्रयोग को कम करने का उपाय बताया।

9.8 विज्ञापनों पर प्रतिबन्ध : मद्यपान को प्रोत्साहित करने वाले विज्ञापनों पर प्रतिबन्ध को (62.33%) प्रभावी उपाय स्वीकारा गया।

9.9 महिला कमेटी : ग्राम/वार्ड वार महिला कमेटी का गठन जो मद्य निषेध करेगी को 200 उत्तरदाताओं (66.67%) ने उपाय बताया।

9.10 त्रैमासिक अभियान : सर्वाधिक 196 उत्तरादाता (65.33%) ने त्रैमासिक मध्य निषेध का अभियान चलाने का एक कारगर उपाय बताया।

मद्यपान/मादक-द्रव्य प्रयोग पर नियंत्रण के सुझाव :-

1. मादक द्रव्य प्रयोग पर मद्य निषेध का विभाग यदि पृथक कर दिया जाय तो सम्भव है कि युवाओं में मादक-द्रव्य प्रयोग के कार्यक्रम प्रभावी होगें।
2. मद्य निषेध कार्यक्रम को अत्याधिक प्रभावी बनाने के लिए वर्तमान में प्रदत्त वित्तीय बजट की धन राशि को दस गुनी करने का निर्णय लेना चाहिए। यह विभाग के लिए सामर्थ पूर्ण कार्य है क्योंकि आवकारी विभाग अरबों में मादक द्रव्यों के लाइसेन्सों, विक्रय कर, एक्साइज उपायों से उपार्जन जो करती है।
3. होली जैसे सामाजिक एवं सांस्कृतिक पर्वो एवं त्योहारों पर त्यौहार से एक सप्ताह पूर्ण मादक द्रव्यों की बिक्री बंद कर देनी चाहिए तथा छुपे रूप से विक्रेताओं पर निगरानी रखी जाय तो द्रव्य की कम मात्रा होने से उसके उपयोग की दर में कमी आयेगी।
4. मादक द्रव्य नियंत्रण के लिए सरकार को जूनियर हाई स्कूल के स्तर पर मद्यपान से होने वाले कुप्रभावों का ज्ञान कराना सुनिश्चित करना चाहिए ताकि बालकों में मद्यपान के निषेधों के संस्कारों को प्रदान किया जाये। बुराईयों का निवारण यदि वाल्यावस्था में कर दिया जाये तो वह लम्बे समय तक चलता है।

5. मादक-द्रव्य प्रयोग नियंत्रण पर पुलिस विभाग को तीव्र निगरानी करने के लिए उन्हें पृथक से केश बार प्रेरणा शुल्क प्रदान किया जाय ताकि वे मद्यपान प्रयोग कर्ताओं पर नियंत्रण करने में रूचि दर्शाये।

6. मदिरालयों का निरीक्षण सप्ताह में औचक ढंग से आयोजित किये जाये तथा 18 वर्ष से कम किशोरों को पकड़ा जाय, उनके विरूद्ध केश पंजीकरण किये जाये तथा जमानत होने पर ही उन्हें मुक्त किया जाये इस स्थिति में जेल/दण्ड अनिवार्य रूप से किया जाये और यदि सम्भव हो तो दैनिक समाचार पत्रों में उनके फोटो के साथ प्रकाशन कराया जाय।

7. जो माता-पिता मादक द्रव्यों का प्रयोग करते है उन्हें भी मद्यपान से परहेज करना चाहिए। घर में मादक द्रव्य का भण्डारन नहीं करना चाहिए क्योंकि शोध अध्ययन बताते है कि मद्यपान/मादक द्रव्य सेवन का वंशानुक्रम प्रभाव पड़ता है। उनको अपने किशोर बच्चों से मादक द्रव्य क्रय करने हेतु नहीं भेजना चाहिए।

8. सरकार को चाहिए कि वह सामाजिक संरचना एवं आर्थिक प्रणाली में असमानता, बेरोजगारी, निर्धनता, अन्याय तथा तनाव को कम करे ताकि युवक मादक द्रव्यों का प्रयोग करना बंद कर सके। क्योंकि हमारे समाज में चल रही सामाजिक पद्धतियां अधिक, अधिक कुण्ठाएं एवं वंचन पैदा करती हैं।

9. सरकार को ऐसी नीति का निर्धारण करना चाहिए कि युवाओं को अधिक नौकरियां प्राप्त हों, निश्पक्ष भर्ती की जाए तथा नियुक्तियों में तथा पदों उन्नतियों में भाई-भतीजा वाद न अपनाया जाय। इस प्रकार युवाओं के जीवन को सार्थक, लाभप्रद तथा सन्तोषजनक बनाया जाय तो युवाओं को मदिरा की आवश्यकता नहीं रहेगी।

10. माता-पिता मद्यसारिक बनने के खतरों के बारे में शिक्षा दे सकते हैं और विचलितों को दण्डित कर सकते है और आवश्यक भय पैदा कर सकते है। माता-पिता की शिक्षा ऐसे दृष्टिकोणों और व्यवहार को बनाने से सम्बन्धित होनी चाहिए जो जीवन में सहायक हो।

11. युवाओं में मादक द्रव्य प्रयोग पर नियंत्रण करने के लिए संयुक्त आक्रमण उपागम को प्रयोग किया जाये जिसमें सामाजिक कार्यकर्ता, साधू-सन्त, वकील, चिकित्सक तथा राजनैतिक नेता समूह में युवाओं को मादक द्रव्य प्रयोग करने से अलग रहने पर जोर डाले।

12. अनुसंधान भी समाज कार्य की एक आधुनिक विधि है। इसके द्वारा अत्याधिक मादक द्रव्य प्रयोग करने वाले क्षेत्रों का सर्वे किया जाये, कारणों की पहिचान की जाय तथा उसका समाधान निकाल कर कार्यक्रमों का नियोजन, संगठन, आयोजन एवं क्रियान्वयन किया जाय।

नशा उन्मूलन को लेकर सरकारी तथा गैर सरकारी स्तर पर विभिन्न अभियान व कार्यक्रम चलाए गए हैं व विभिन्न 'नशामुक्ति केन्द्रों की स्थापना भी की गई है। पर यह कार्य इतना सहज व सरल नहीं है। सरकारी प्रयासों के साथ-साथ विभिन्न 'स्वयंसेवी संस्थाएँ' भी ''नशा-मुक्ति'' आन्दोलन को लेकर प्रयासरत हैं।

ऐसी ही एक *स्वयंसेवी संस्था 'नवज्योति'* है। नवज्योति को आन्दोलन के रूप में लेकर चलने वाली व इसे 'संस्था' का जामा पहनाने का श्रेय 'भारतीय पुलिस सेवा' की *वरिष्ठ अधिकारी श्रीमती किरण बेदी* को जाता है। 'नवज्योति' की महासचिव का महत्त्वपूर्ण पद सँभाले 'श्रीमती बेदी' नवज्योति का आज भी 'जन का नशे के विरुद्ध आन्दोलन' के रूप में लेकर चल रही हैं। उनके अनुसार

'नवज्योति' मात्र एक संस्था ही नहीं सतत् 'आन्दोलन' है जिसकी उम्र शायद हम आप नहीं, यह समाज व लोग ही तय करेंगे।

नवज्योति की स्थापना के संदर्भ में उनका कहना था कि आरम्भ में कुछ वर्षो पूर्व नशे की बढ़ती प्रवृत्ति के साथ-साथ अपराधों की संख्या भी बढ़ने लगी थी। पकड़े जाने वाले ऐसे आपराधिक मामले में हर दूसरा अपराधी 'नशेड़ी' होता था। ऐसे में समस्या यह भी थी कि नशेड़ियों को न मार-पीटकर धमकाकर अपराध करने से रोका जा सकता था और न ही 'लॉक-आप' में बन्द करके रखा जा सकता था ज्यादा समय के लिए। ऐसे में इसके स्थायी समाधान की आवश्यकता ने 'नवज्योति' जैसी संस्था को जन्म दिया। ताकि पहले 'उपचार' द्वारा इनको 'नशे' से मुक्ति' दिलाई जा सके, जिसकी वजह से इनके 'आपराधिक' होने में कमी आए तत्पश्चात् इन्हें फिर से समाज में स्थान दिला इन्हें 'पुनःस्थापित किया जा सके।

श्रीमती बेदी के अनुसार 'नवज्योति' की स्थापना के समय हमें यह पता नहीं था कि आगे चलकर हमारा यह प्रयास इतना दीर्घ-विस्तृत रूप ले लेगा कि इसे संस्था बनाना पड़ेगा। परन्तु अधिकाधिक जनरूचि सहयोग, आर्थिक सहायता के फलस्वरूप 'नवज्योति' अपने 'आन्दोलन' के प्रथम रूप से एक 'संस्था' में परिवर्तित हो गई। नशे के बढ़ते प्रयोग पर अंकुश लगाने के बारे में 'श्रीमती बेदी' का कहना था कि यदि 'नशे' व 'नशे के कारण' बढ़ते अपराध को रोकना है, तो पहले नशे के मूल को समाप्त करना होगा। नशे के शिकार इन लोगों का उपनचार कर इस खतरनाक प्रवृत्ति को बढ़ने से रोकना होगा। इसके साथ अन्य समाजसेवी संस्थाओं, व्यक्तियों को भी सक्रिय रूप से इसमें आगे आना चाहिए ताकि नशे के क्रूर पंजों में कैद इन लोगों को मुक्ति दिलाई जा सके।

26 जून, 1991 को नशीली दवाओं के दुरूपयोग और उनके गैर-कानूनी व्यापार के विरूद्ध अन्तर्राष्ट्रीय दिवस' के रूप में मनाया गया। इस अवसर पर कल्याण विभाग भारत सरकार द्वारा जनहित में एक विज्ञापन जारी किया गया था। इस विज्ञापन के मुख्य अंशों को विद्यार्थियों व अध्यापकों के हित में हम यहाँ साभार उद्धृत कर रहे हैं -

<u>मादक पदार्थों की बुराई की रोकथाम-सामाजिक जागरूकता की आवश्यकता</u>

1. हाल के वर्षों में भारत में नशीले पदार्थों की लत गम्भीर चिन्ता का कारण बन गई है। इसके कारण धीरे-धीरे व्यक्ति, परिवार और समाज का बिखण्डन होता जा रहा है। पहले मुख्य रूप से परंपरागत प्रतिबंधों, प्रभावी सामाजिक प्रयासों और आत्मसंयम पर जोर दिए जाने के कारण नशीले पदार्थों की बुराई पर अंकुश लगा रहता था
2. भारत दुनिया में नशीले पदार्थों के प्रमुख उत्पादक क्षेत्रों के बीच स्थित है, जैसे एक ओर, सुनहला त्रिकोण (गोल्डन ट्रिएंगल)- म्यानमार, थाइलैंड और लाओस है तो दूसरी ओर सुनहला चाँद (गोल्डन क्रिसेंट)-ईरान, अफगानिस्तान और पाकिस्तान स्थित हैं। नशीले पदार्थों के चोरी-छिपे व्यापार ने जब से संगठित अपराध का अत्यन्त भयंकर रूप ले लिया है, भारत में नशीले पदार्थों का खतरा और भी बढ़ गया है। यह बात सभी लोग अच्छी तरह जानते हैं कि जहाँ भी माँग होती है, सप्लाई (आपूर्ति) हर हालत में अपना रास्ता निकाल लेती है। इसलिए भारत सरकार की यह प्रमुख चिन्ता है कि कल्याण विभाग के जरिए नशीले पदार्थों की इस माँग को ही कम कराए जो कि हम उम्र लोगों की कुसंगति के असर तथा माँ-बाप और बच्चों के सम्प्रेषण की कमी के कारण हो जाती है;

3. कल्याण विभाग के प्रयासों को तीन वर्गों में बाँटा जा सकता है-

I. नशीले पदार्थों के कुप्रभावों के बारे में लोगों को जानकारी देकर आवादी के अधिकतर लोगों में जागरूकता पैदा करना और इस तरह मादक पदार्थों की लत को रोकना।

II. जिन लोगों को नशीले पदार्थों की लत लग गई है, उनको परामर्श देना, लत छुड़ाना, लत छोड़ने के बाद देखभाल करना तथा पुनर्वास आदि उपलब्ध कराना।

III. सरकारी तथा गैर-सरकारी कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण के जरिए जनशक्ति विकास के लिए लगातार प्रयास करना हैं। इसके प्रभावी ढंग से निबटने के लिए सामुदायिक दृष्टिकोण रखा जाना चाहिए जिससे इस विकराल समस्या का मुकाबला करने के वास्ते समाज को मजबूत बनाया जा सके। मादक पदार्थों की बुराई की रोकथाम तथा निषेध के लिए स्वैच्छिक संगठनों हेतु सहायता-योजना पर अमल किया जा रहा है। शुरू में 1986-87 में दिल्ली में सात केन्द्र खोले गए, अब देश के विभिन्न भागों में परामर्श देने, नशे की आदत छुड़ाने और आदत छोड़ने के बाद देखभाल करने के लिए 166 केन्द्र खोले गए हैं। इन केन्द्रों की स्थापना स्वयंसेवी संगठनों ने की है। स्वीकृत सिद्धांतों के अनुसार इन संगठनों को लगभग 90% धनराशि उपलब्ध कराई जाती है जो इन संगठनों द्वारा नशीले पदार्थों की बुराई तथा शराब की लत के कुप्रभावों के खिलाफ समाज में जागरूकता पैदा करने तथा नशे की लत वाले व्यक्तियों को निःशुल्क सेवा उपलब्ध कराने के लिए उपयोग में लाई जाती है।

4. नशे की लत के शिकार हुए लोगों की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए परामर्श केन्द्रों की स्थापना का विचार सामने आया । सामाजिक कार्यकर्ताओं की मदद से नशे के आदी लोगों का पता लगाए जाने के बाद ये केन्द्र नशे के आदतियों तथा उनके परिवार के लोगों को इन परामर्श केन्द्रों में पहुँचने की सलाह और प्रेरणा देते हैं। परामर्शदाता नशे के आदी व्यक्तियों को जहरीलापन दूर करने तथा उसके बाद नशे से मुक्त सामान्य जीवन बिताने के लिए प्रेरित करते हैं। जिन लोगों को गहरी लत नहीं लगी हुई है, उनका इलाज बहिरंग विभाग (ओ. पी. डी.) में किया जा सकता है। परन्तु जिनकी हालत गम्भीर है, उन्हें अस्पताल में दाखिल करके इलाज किया जाता है। नशे की लत छुड़ाने वाले केन्द्रों की भूमिका चिकित्सा के तरीके अपनाकर मरीज का जहरीलापन दूर करना और उन पर निगरानी रखना है । किसी व्यक्ति को नशे की आदत से मुक्त रखने के लिए उसका सामाजिक पुनर्वास करना भी उसको मदद देने का आवश्यक अंग है, क्योंकि यदि ऐसा नहीं किया गया तो उसे नशे की आदत फिर अपना लेने का बहुत बड़ा खतरा है। नशा मुक्त व्यक्तियों की देखभाल के लिए स्थापित इन केन्द्रों को कल्याण विभाग धन देता है, यह ऐसे लोगों को सहारा देता है जिन्हें अपने परिवारों में यह नहीं मिल पा रहा है या जिनका स्वाभिमान इतना कम है कि नशे की आदत छोड़ देने के बाद भी वे फिर इसे अपना सकते हैं।
5. इस क्षेत्र में सरकार के प्रयास उत्प्रेरक का काम करते हैं। इस बुराई का मुकाबला करने के लिए समाज में जागरूकता पैदा करना है। नशीले पदार्थों की बुराई की रोकथाम जैसी चुनौती को स्वीकार किया जाना चाहिए । सामाजिक दृष्टि से प्रेरित व्यक्तियों को मिलकर अपनी पंजीकृत सोसायटी

बनानी चाहिए और सरकार की सहायता से इस काम को हाथ में लेने के लिए तब आगे आना चाहिए।

6. हम लोगों की ऑस्टरिच की तरह आँखें बन्द करके यह नहीं मान लेना चाहिए कि यह समस्या तो हमारे पड़ोसी की है, हमारा क्या लेना-देना है? अब वक्त आ गया कि जब नशीले पदार्थो की इस बुराई की रोकथाम करने की जिम्मेदारी हमें अपने ऊपर लेनी चाहिए-भले ही वह बुराई हमारे अन्दर हो या हमारे परिवार में हो अथवा हमारे समाज में हो।

7. देश में नशीले पदार्थो की बुराई के बारे में किए गए अध्ययनों से यह स्पष्ट संकेत मिलता है कि अधिकतर स्व-रोजगार में लगे युवा ही इस लत के शिकार होते हैं। इस समस्या की जड़ का पता लगाने के लिए माँ-बाप को अपनी जिम्मेदारी समझनी चाहिए और इसकी समस्याओं तथा कुंठाओं से अपने बच्चों को उबारने के लिए उन्हें मदद देने तथा उनका मार्ग-दर्शन करने के लिए उनके साथ अच्छा संचार सम्पर्क बनाए रखना चाहिए। बच्चे के स्वाभिमान तथा आत्म-गौरव को बढ़ावा देने की आवश्यकता है ताकि उन्हें अपने में विश्वास हो। नशे की लत से लोगों को दूर रखने की दिशा में यह एक बड़ा कदम है।

8. माता-पिता, अध्यापकों, समुदाय तथा जनमत को प्रभावित करने वाले नेताओं, सभी का परम दायित्व है कि इस भ्रम से समाज को बचाए रखें। समाज और व्यक्ति को नशीले पदार्थो की बुराईयों के बारे में अच्छी जानकारी होनी चाहिए और भली-भाँति जानना चाहिए कि कितनी आसानी से लोग नशे के आदी बन जाते हैं।

9. जो लोग नशे के लत के शिकार हो गए हैं, उन्हें लाइलाज रोगी नहीं समझ लेना चाहिए। उनका इलाज करके उन्हें स्वस्थ और समाज के लिए उपयोगी

व्यक्ति बनाने में मदद दी जा सकती है। कल्याण विभाग द्वारा संचालित परामर्श तथा नशे से मुक्त कराने वाले तथा उसके बाद देखभाल करने वाले केन्द्र उनको मदद देने के लिए हमेशा तैयार हैं।

<u>नशे की लत रोकने के लिए आप क्या कर सकते हैं ?</u>

माता-पिता के रूप में-

1. सावधान, आपके बच्चे को भी नशे की लत हो सकती है।
2. प्यार ही सब कुछ नहीं होता, अपने बच्चे से दोस्ताना बर्ताव करें।
3. बच्चे का हाल-चाल पूछते रहें और उसकी समस्याओं को हल करने में उसके सहयोगी बनें।
4. अपने बच्चे की आकांक्षाओं पर गौर करें।
5. अपने बच्चे के दोस्तों की सही परख रखें और उनकी गतिविधियों पर नजर रखें।
6. अपने बच्चे के सच्चे सलाहकार बनें।
7. अपने घर में जो दवाइयाँ लाई जाएँ उन पर नजर रखें।
8. अपने बच्चे की छोटी-मोटी गलती पर हाय-तोबा न मचाएँ।
9. अपने बच्चे को नशे की लत के कुप्रभावों के बारे में जानकारी दें।
10. खुद शराब और नशीले पदार्थ न लें जिससे बच्चे के सामने आप अपना उदाहरण पेश कर सकें।

अध्यापक के रूप में-

1. अध्यापक मार्गदर्शक, परामर्शदाता, सहायक और मित्र हो सकता है।
2. अपने छात्र से बेतकल्लुफी से बात करें।
3. अपने छात्रों से खुलकर बातचीत करें। नशीले पदार्थों के इस्तेमाल के खतरों के बारे में उन्हें बताएँ। बुरे नतीजों के बारे में उन्हें बताएँ।

4. अपने छात्रों की रूचि और गतिविधियों में दिलचस्पी लें।
5. नशीले पदार्थों की बुराई की वजह से हुई किसी घटना के बारे में उसे बातें करने दें।
6. उनके अनुभवों में सहभागी बनें। किशोरों की समस्याओं के बारे में बातचीत करें। अपने छात्रों को बताएँ कि उन समस्याओं का वे कैसे सामना करें।
7. उन्हें मदद दें, इनके काम-धंधे के बारे में पूछताछ करें, उनके लक्ष्य निर्धारित करें।
8. अपने छात्रों की सहायता करें, सुखमय जीवन बिताने के लिए उन्हें कार्यक्रमों का सुझाव दें।
9. उन्हें जानकारी देने से पहले खुद नशीले पदार्थों के बारे में ज्यादा से ज्यादा जानकारी हासिल करें।

<u>नशीले पदार्थों की बुराईयों की प्रवृत्तियाँ और रूप</u>

हाल ही में कल्याण मंत्रालय ने आसानी से मादक पदार्थों की बुराईयों की चपेट में आ जाने वाले जनसंख्या के विभिन्न ग्रुपों तथा विभिन्न क्षेत्रों में व्यापक सर्वेक्षण के आधार पर नशीले पदार्थों के दुरूपयोग की समस्याओं के राष्ट्रव्यापी आकलन के लिए एक सामान्य प्रपत्र पर 31 शोध अध्ययन कराएँ। इस परियोजना (सर्वेक्षण) के प्रमुख निष्कर्ष थे-

1. सभी धर्मों और जातियों के ग्रुपों में नशे की लत पाई गई। ऐसा नहीं कहा जा सकता कि कोई खास धर्म इससे ज्यादा प्रभावित है या उसके लोगों पर ही इसका ज्यादा असर पड़ने की आशंका होती है। जातीय ग्रुपों के बारे में भी यही बात सही है।
2. नशे की लत वाले व्यक्ति अधिकतर साक्षर थे।

3. नशे की लत अपनाने के पीछे जिज्ञासा, प्रयोग करना, हमउम्र लोगों का दवाब तथा व्यक्तिगत और पारिवारिक कारण पाए गए।

4. लगता है कि नशे की लत का सबसे ज्यादा असर 16-35 वर्ष के वर्ग पर पड़ता है।

5. इसकी आपूर्ति का मुख्य स्रोत फेरी वाले, दुकानदार और पान वाले थे।

6. नशीले पदार्थो की बुराई में विवाहित या अविवाहित होने का कोई खास कारण नजर नहीं आया।

7. कम आय वर्ग के लोगों में नशे की लत वाले व्यक्तियों की संख्या ज्यादा पाई गई।

ग्रन्थावली

ग्रन्थावली

✓ अग्रवाल भारत (1981): 'भारतीय समाज' अतीत से वर्तमान तक, मनमोहनदास पुस्तक मन्दिर प्रा.लि.भरतपुर (राज), पृष्ठ- 103।

✓ आर.के शर्मा (2004): नगर समाजशास्त्र, अटलांटिक पवलीसर एवं डिस्ट्रीव्यूटर राजौरी गार्डन, नई दिल्ली- 110027, पृष्ठ-273।

✓ आहूजा राम : "सामाजिक समस्याऐं" रावत पब्लिकेशन्स, जवाहर नगर, जयपुर - 302004।

✓ इमानी प्रिया, थापा विजय जंग : अप्रैल 1999 - 'इण्डिया टुडे' (सुरूर में आने का नया समां) लिविंग मीडिया लिमिटेड, प्रकाशन, नई दिल्ली।

✓ उल्फ, ए (1952): असेन्शियल आफ साइन्टिफिक मेथड, पृष्ठ-20।

✓ एकर्स, रोनोन्ड,आई (1973): डेवियन्ट विहेवीयर, ए सोसल लरनिंग एप्रोच वेलीमोन्ट, बर्डवर्थ।

✓ एडल्फ जेनसन.।

✓ एलहान्स, डी. एन. फण्डामेण्टल ऑफ स्टेटिसिटक्स, पृष्ठ-56।

✓ के.घोष, (1995:69): ग्रुप कोहसिवनश इन द्वाकराग्रुप्स, एन एप्लीकेशन आफ सोशियोमेट्रिक एप्रोच, कुरूक्षेत्र, मई-जून।

✓ कूब, जी.क्रीक, एम.जे.(2007): स्ट्रेस, डायस रेगूलेशन आफ ड्रग रिवार्ड पाथवेज एण्ड द ट्रान्सीजन ड्रग डिपेन्डेस, एम.जे. साइक्टी 164(8): 1149-59. डोट: 10-1·176/अप्पी अजय 2007.05030503 पमिड- 17671276।

✓ कोनोर, एल.आर.(1936) ए स्टैटिस्टिक्स इन थ्योरी एण्ड प्रैक्टिस, पृष्ठ-18

✓ गारवुड, सी.एल. पोट्टा, एल.ए. (2007): इमरजिंग फारमाक्लोपेथी फोर स्मोकिंग सीजेशन । एम.जे. हेल्थ सिस्ट फारमा 64(16): 1693-8 डोट :10. 2146/अजहप 060427. पमिड 17687057।

✓ घोष, एम. के. तथा चतुर्वेदी, एस. सी. (1950) स्टेटिक्स थ्योरी एण्ड प्रक्टिस पृष्ठ-94।

✓ चेन, इशोडोर एट आल (1969): "साइकोलोजीकल फक्सन आफ ड्रग यूज",इन स्टेनवर्ग (ऐडी) साइंटीफिक वेसिक आफ डिपेन्हेन्स, ए सिम्मोजियम, चर्चित लेविंगस्टोन लंडन।

✓ चक्रवर्ती, सायंतन : सितम्बर 2001- "जाल में बड़ी मछलियाँ" लिविंग मीडिया लिमिटेड, प्रकाशन, नई दिल्ली।

✓ जोसेफ, जुलियन (1977): 'सोसल प्रावलम' प्रीनिस हाल, इगलीवुड किलिक, न्यूयार्क जरसे।

✓ जुल्फीकार अली, आर.बी, बनकर, जी.के.1994: साईकिएटेटिव सबसटेन्स युज ए मैनी मेडीकल स्टूडेन्ट, इन्डियन जनरल आफ साइकैटरी 36 (3) 138-140।

✓ जेफ्रोरर, जे.सी., ग्रीनविलेट, जे.सी.एण्ड व्हाट डी.ए. (1997): सवस्टेन्स यूज इन द यू.एस कालेज ऐज पापूलेशन: डिफरेन्सेज ऐकोरडिंग टू एजूकेशनल स्टेटस एण्ड लिविंग एरेजमेन्ट, जर्नल, अमेरिका कोल, हेल्थ, जुलाई, 46(1) 3-8.।

✓ जहोडा डच एण्ड डब्लू रिसर्च मैथड इन सोसल इनवेस्टीगेशन पृष्ठ-270।

✓ डीन्स, एफ (2005): चूजिंग द राइट मेडीकेशन फार द ट्रीटमेन्ट आफ अलकोहल, क्यूर साइक्रेट्री रिप 8(5): 383-8 पमिड. 16968619।

✓ डॉ0 सचदेवा, डी0आर0 : "भारत में समाज कल्याण प्रशासन" किताब महल, 22ए, सरोजनी नायडू मार्ग, इलाहाबाद।

✓ तिलेरा,के.एस.(1990): प्रक्टीकल सोशियोलाजी, प्राबलम्स एण्ड सोसल एक्टस प्रकाशन केन्द्र लखनऊ, पृष्ठ-132।

✓ तिवारी ओम प्रकाश : मई 2001 - "जागरण उदय"।

✓ थोमस करसन, मैकग्रोनक (1941) ऐलीमेन्ट्री स्टेटिसटिक, पृष्ठ-224।

✓ दैनिक जागरण, बरेली, 5 मई, 2002, पृष्ठ 11 से साभार उद्धृत।

✓ द नार्कोटिक ड्रग्स व साइकोट्रासिक सब्सटांसिज एक्ट, 1985।

✓ नसकर एन.एन., भट्टाचार्य, एस.के.(1999): 'ए स्टडी ओन ड्रग एव्ज एमंग अन्डर ग्रेड्येट मेडीकल स्टूडेन्टस इन कोलकत्ता, जनरल इंडिया मेडीकल एशोसियेशन, जन-99-97(1) 20-1.।

✓ नोइलएन.इ.एण्ड कोहेन.डी.जे.(1997): चेन्जेज इन सबस्टेंसेज यूज डूरिंग टाइम आफ स्ट्रेसः कालेल स्टूडेन्स वीक विफोर ऐग्जामिनेशन, जर्नल ड्रग ऐजूकेशन -27 (4): 363-72 .।

✓ पालमार, वी.एम.(1928)फील्ड स्टडी इन सोशियोलोजी, यूनितरसिटी आफ शिकागो,पृष्ठ-57।

✓ पालमार, वी.एम.(1928)फील्ड स्टडी इन सोशियोलोजी,पृष्ठ-170।

✓ पी. वी. यंग (1960): साईन्टीफिक सोसल सर्वे एण्ड रिसर्च, एसिया पवलिसिंग हाऊस, बोम्बे,पृष्ठ -309।

✓ पायरी, जेनेट (1925): 'साइक्लोजीकल हीलिंग', बोलम-1, पी.पी.- 621-22।

✓ फ्रन्टलाइन, 5 अप्रैल, (1996:36-40)।

✓ फ्रन्ट लाइन, अप्रैल (1996)।

✓ बेसिन, एफ.एच. (1962): व्यवहारिक विज्ञानों में साहित्य समीक्षाऐं, मैकमिलन कम्पनी (प्रा.लि.)मद्रास,पृष्ठ-40।

✓ बेकर, हावर्ड,एस, (1963): ''द आउट साइडर'' फ्री.प्रेस, न्यूयार्क।

✓ बासकिन रिचर्ड (ऐडी), (1964): ''सोसल प्राबलम्स'', मैंकग्रो हिल एण्ड को. न्यूयार्क,।

✓ बोनगर, डब्ल्यू. ए. (1916):क्रमियोलाजी एण्ड इकनोमीकल कन्डीशन।

✓ मुखर्जी, रविन्द्र नाथ (2001): सामाजिक शोध व सांख्यिकी, विवेक प्रकाशन, जवाहर नगर दिल्ली-7, अध्याया 7, पृष्ठ-105 ।

✓ मैकक्लीलेन्ड, डेविड (1977): द डूकिंग मेन, फ्री प्रेस, न्यूयार्क में।

✓ मैकवे फिरैक एण्ड अरथर (1978): "मौडर्न सोसल प्रावलमस" होल्ट ऐनहार्ट एण्ड विस्टन रोड, न्यूयार्क।

✓ मर्टन, रोवर्ट के.एण्ड निस्वेट रोवर्ट,ए (1979): कन टेम्परेरी सोसल प्रोबलम्स (3मक) ब्रारकोर्ट ब्रेस जोबनोरिच, न्यूयार्क।

✓ मोर टाइन्ज, जे. एम. "सर्वेड इन 1994 एट बालाडोलिड स्पेन, यूनीवरसिटी इन द लास्ट डिसाइड इनवान्टेज यूज एण्ड मिस यूज.।

✓ मौगी एफ. जिओवनौली, ए. स्ट्रिक, डब्ल्यू, मूज. वी.एस, मूज.आर.एच (2007): "सबसटेन्स यूज डिस ओडर ट्रीटमेन्ट प्रोग्राम" इन स्वटजरलेन्ड एण्ड द यू.एस. ए. प्रोग्राम करेक्टरस्टिकस एण्ड 1-वर्ष आऊटकमः ड्रग अलकोहल डिपेन्ट 86(1):75-83 डोटः 10.1016/जे. ड्रगालडेप 2006.05.0117 पी.एम.आई.डी. 16782286।

✓ मुखर्जी, आर.एन.(2001), अष्टम संस्करण, सामाजिक शोध व सांख्यिकी, मातृ आशीष तिलक कालोनी, सुभाष नगर,बरेली, पृष्ठ-1।

✓ मुखर्जी, रवीन्द्रनाथ(2001)सामाजिक शोध व सांख्यिकी, विवेक प्रकाशन 7यू. ए.जवाहर नगर, दिल्ली,पृ- 279।

✓ मौसर, सी. ए. (1961): सर्वेमैथड इन सोसल इन्वेस्टीगेशन, हेनरमेन लन्डन, पृष्ठ-3 ।

✓ मौसर, सी. ए. (1961): सर्वेमैथड इन सोसल इन्वेस्टीगेशन, पृष्ठ-271।

✓ मिश्रा पी.के. (1997) : मानव समाज की रूपरेखा विकास पबलीकेशन, जवाहर नगर, न्यू दिल्ली, पेज -37।

✓ मदान, गुरू मुखराम (2002:155): "इन्डियन सोसल प्रोबलम्स" ऐलाइड पवलीकेशन प्रा.लि.न्यू दिल्ली।

✓ यंग. पी.वी. (1960): साईन्टीफिक सोसल सर्वे एण्ड रिसर्च, एसिया पवलिसिंग हाऊस, बोम्बे,पृष्ठ -509 ।

✓ यंग. पी.वी. (1960): साईन्टीफिक सोसल सर्वे एण्ड रिसर्च, एसिया पवलिसिंग हाऊस, बोम्बे,पृष्ठ -310 ।

✓ यंग. पी.वी. (1960): साईन्टीफिक सोसल सर्वे एण्ड रिसर्च, एसिया पवलिसिंग हाऊस, बोम्बे,पृष्ठ -44 ।

✓ रोवर्ट. इ. चन्ढोक (1925) प्रन्शीपल एण्ड मैथड ऑफ स्टेटिक्स, होगटन मिफिन कम्पनी वोस्टन पृष्ठ-43 ।

✓ रिचार्ड (2005): मेडीकेशन फार ट्रीटिंग अलकोहल डिपेन्डेन्स, एम.फेम फिजीयन 72():1775-80 पमिड 16300039 ।

✓ रेडी. डी.सी.एस. सिंग एस.पी., तिवारी, एस.पी.शुक्ला, के.पी.श्रीवास्तव, एम.के., (1993): एन ऐपिडे मियोलाजीकल स्टडी केना विस एव्ज एमंग कालेज स्टूडेन्ट आफ बनारस : इन्डियन जनरल आफ पब्लिक हेल्थ मार्च, 1993, वे-37 से-1: 10-15 ।

✓ रामसरे. रोय (1972): "द अनसरटेन वरडिक्ट" औरिन्ट लैंगमेन, दिल्ली ।

✓ रेमजे. क्लेक (1988): "किरायम इन अमेरिका", न्यूयार्क.।

✓ रिपोर्ट आफ प्रोहीवीजन इनक्वारी कमेटी (1954) पेज -4 ।

✓ स्यूटर एम.आर. एण्ड हार्ट पी.आर.,(1960), एन इन्ट्रोडक्शन टू सोसलोजी, मेक,ग्रो हील बुक कम्पनी, न्यूयार्क पृ.320 ।

✓ लडिस. पोल.एच.(1959:212): "सोसल प्राब्लमस" जे.वी लिपिक कोट, को. शिकांगो ।

✓ लूना.ए.ओसोना,एफ.जूरीरा,एल,गारिशिया पेस्टर एम.बी.,कास्टीलो डेल होरो एल, 1992 : द रिलेशन बिटविन परसपसन आफ अलकोहल एण्ड ड्रग

हारमफुलनेश एण्ड अलकोहल कनजमसन बाई यूनीवरसिटी स्टूडेन्ट, मेडीकल, लां (1992)11(1-2):3-10.।

✓ लावानिया एस.एम.(1967), इण्डियन सोसल प्रोब्लम, कृष्णा बुक स्टोर प्रकाशन, शिकोहाबाद उ.प्र. पृष्ठ-203।

✓ वोर्ग, जी.वी. (1963): सामाजिक विज्ञानों के अनुसंधानों में साहित्य का सिंहावलोकन, जैन ब्रदर्स एण्ड संस पवलीसर्स एण्ड डिस्ट्री ब्यूटरस बाम्बे, पृष्ठ-48।

✓ वेवई, अशटान, सी.एच.,कीले,पी. करमह,एफ (1998:138-140): एन अपडेट ओन ब्रिटिस मेडी. स्टूडेन्ट स्टाइल एजूकेशन .।

✓ विलियम, जे.गुड एण्ड पौल, के हाट (1952) मैथड इन सोसल रिसर्च मैकग्रोहिल बुक कम्पनी न्यूयार्क पृष्ठ-15।

✓ वर्मा, विजय इट आल (1980) एक्सटेन्ट एण्ड पैर्टन आफ एल्कोहल यूज एण्ड एल्कोहल रिलेटिड प्रावलम इन नार्थ इण्डिया, इण्डिया जनरल आफ सैकेट्री, 22, (4) पेज 331-337।

✓ विलसन, सी. एण्ड मुलहाल्ल, डी.जे. (1993) डेसक्राइविंग रिलेसन्सशिप इन फेमलीज विथ एल्कोहल प्राबलम द फैमली रिलेसन इनडेक्स 1 ग्राफिक रिप्रजेन्टेसन जनरल एडीकेशन, 78 (2) 181-191।

✓ शारस्वत आर.पी.,(1993), इण्डियन सोसल सिस्टम,भदौरिया पबलीकेशन एण्ड बुक सेंटर प्राइ. लि.इटावा।

✓ शारस्वत आर.पी.,(1993), इण्डियन सोसल सिस्टम,भदौरिया पबलीकेशन एण्ड बुक सेंटर प्राइ. लि.इटावा उ.प्र.,157।

✓ सिंह, एस.डी. 1980: वैज्ञानिक सामाजिक अनुस्थान अवाम सर्वेक्शन, के मूल तदवा कमल प्रकाशन, इन्दौर एम.पी. पृष्ठ-50 ।

✓ सर्वश्री स्टॉउफर सेम्युल रिव्यू (1962:73): ए मैजर स्टैप आफ इन्वेस्टीगेशन इन सोसल साइन्सेज,अमेरिकन सोशियोलोजीकल रिव्यू अंक 23, पृष्ठ-73।

✓ स्टार्क रोडनी (1975): "अलकोलिज्म एण्ड ड्रिग ऐडिक्सन" इन सोसल प्रोवलम्स, रेन्डम होम, टोरन्टो।

✓ होरेश, सैक्रिष्ट सोसल सर्वे एण्ड रिसर्च, पृष्ठ-273।

✓ हिरिन, पी.वी.यंग (1931) फेक्ट-फाइन्डिग विदरूरल पीपुल पृष्ठ-36-37।

✓ Ahuja, Ram, Sociology of Youth Subculture, Rawat Publications, Jaipur, 1982.

✓ Akers, Ronald L., Deviant Behaviour: A Social Learning Approach, Belemont, Wadsworth, 1973.

✓ Allan, F. Williams, For a detailed study of the dependency concept see. "The Alcoholic personality in biology of Alcoholism, Vol. 4, (Social aspects of Alcoholism), New York, 1976.

✓ Anesshensel, C.S. and Huba, G.T., Dpression, alcohol and smoking over one year. A four wave longitudinal causal model J. of Abnor. Psychol. 92 : 134-150, 1983.

✓ A.H. Moslow, Motivation and personality New York: Harper and Row Publishers- 1954.

✓ Amnon, I. and Rudalf, M.: Alcohol use among college students. Some competing hypothesis, J. Youth, Adol. 8 : 393-405, 1979.

✓ Beckman, L.J. (1995). Women alcoholic. A review of social and psychological studies. J. Stud. Alcohol 36 : 797-824.

✓ Borg, S., Fyro, B. and myrhed, M. (1979) Psychological factors in alcohol- discordant twins. Brit. J. of Addict. 74 : 189-198.

✓ Blackburn, M.R. and Zeiner, A.R. (1980) Persoal related to amount of habitual use. Biol. Psychlo. Bull. 6 : 57-64.

- ✓ Banks, E.S. and Micheal, R. (1980) Attitude and back ground factors related to alcohol use among college students. Psychol. Reports. 46 :571-577.
- ✓ Bandura, Principles of Behaviour Modification. New York, 1969, P. 523. Bushman and Cooper's (1990). Effects of Alcohol on Human Aggression : An Integrated Research Review Psychological Bulletin, 107, PP. 341-354.
- ✓ Bodington,Statiatics and its application to commerce, P-140
- ✓ Becker, Howard S., The Outsider, Free Press, New York, 1963.
- ✓ Blachly, Paul H., Drug Abuse, Charles C. Thomas, Illinois, 1970.
- ✓ Cook, B.L. and Winokur, G. (1985) A family study of familial positive vs, familial negative alcoholics. J. Nerv, Ment. Ois, 17313:175-178.
- ✓ Caudill, B.D. and Marlatt, G.A. (1975) Modelling influences in social drinking : and experimental analogue. J. of Consult. Clin,. Psychol. 43 : 405-415.
- ✓ Carey, James L., The College Drug Scene, Prentice Hall, Englewood Cliffs, 1968.
- ✓ Chein, Isodore, "Psychological Functions of Drug Use," in Steinberg (ed.), Scientific Basis of Drug Dependence: A Symposium, Churchill, Livingstone, London, 1969.
- ✓ C. A. Moser and C. Kalfon,(1961) survey methods in social investigation, p-271
- ✓ Clinebell, Howard J., "Understanding and Counselling the Alcoholic", Abingdon Press, New York, 1956.
- ✓ D. Fenna "Ethanol metabolism in various social groups", Canadian Medical Association Journal, 1971. P.-105.

✓ Frank yaton.

✓ Freed, E.X. (1968), Interpersonal values of hospitalized alcoholics. psychoitric patients, Psychol. Reports. 22 : 403-406.

✓ Glatt, M.M. : "Alcoholism, A social disease" Hodder and Stoughton, London.

✓ Hansraj – Theory and Practice in social Research, p-69

✓ Health for Millions, Vol. XVII, No. 4, New Delhi, August 1991.

✓ Hirschi, Travis, Causes of Delinquency, University of California Press, Berkeley, 1969.

✓ Herry, Gold and Scarpiti, Frank (eds.), "Combating Social Problem", Holt, Reinhart and Winston, New York, 1967.

✓ Irina, L. : Alcoholism against the background of the urbanization process. Wroelaw, Poland. Psychlo. Abs. 2 : 198, 1974.

✓ Jellinek, E M., "Phases in Drinking History of Alcoholics," Quarterly Journal of Studies on Alcohol, June 1946.

✓ Jhonson, Elmer H., "Social Problems of Urban Man", the Dorsey Press, Homewood, Illinois, 1973.

✓ Jullian, Joseph, Social Problems, Prentice Hall, Englewood Cliffs, New Jersey, 1977.

✓ K. L. Ackoff, Design of Social Research, p-5

✓ Keller, Mark and Vera, Efron, "The Prevalence of Alcoholism," Quarterly Journal of Studies on Alcohol, December 1955.

✓ Landis, Paul., "Social Problems", J.B. Lippincott Co., Chicago, 1959.

✓ Lindesmith, Alfred, "The Drug Addict as a Psychopath," American Socialogical Review, New York, 1940.

✓ McClelland, David, The Drinking Man, Free Press, New York, 1977.

✓ Norman K. Denzin., : The alcoholic delf Saga Publications, New Delhi. 1987.

✓ Noel, N.E. and Lisman, S.A. : Alcohol consumption by college women following exposure to insoluble problems. Learned helpness of stress induced drinking. Behaviour Res. The 18 : 429-440, 1980.

✓ Orford, J. : A study of the personality of excessive drinkers and their wives using the approaches of leary and eysonck. J. of consulting and clinical psychology, 44(4) : 534-545, 1976.

✓ Roolnick, Stephen, Butter, Chris: Haolgson Ray (1997): Brief Alcohol intervention in Medical settings; Concerns From the consulting room. Journal of Netherlands Addication Research, 5,4,331-341.

✓ Society for social Medicines (1966): Evidences submitted to the Royal common social medical Education, Beit, Pre. Soc. Medi, 20,158

✓ Seltiz, Jahoda, Dautach, cook-Research Methods in social Relations, p-33

✓ Tucker, J.A. Vuchinich, R.E. and Sobel , M.B. (1981). Alcohol Consumption as self handicapping strategy. J. Abnor. Psychol. 90 : 220-230.

✓ William J.Goode &Poul K.Hatt (1952), Methods in social Research, Mac Graw-Hill Book co.Inc.NewYork, p 209.

साक्षात्कार अनुसूची

युवाओं में मादक द्रव्यों के सेवन की प्रकृति एवं प्रभाव का अध्ययन

(चित्रकूट के विशेष संदर्भ में)

साक्षात्कार अनुसूची

क्रमांक संख्या.......................   शोधार्थी : धर्मेन्द्र कुमार श्रीवास

1.0 उत्तरदाताओं के सम्बन्ध में प्राथमिक सूचना सम्बन्धी प्रश्न :–

1.1 उत्तरदाता का नाम..

1.2 पता ....

1.3 आयु : 18–21 ☐ 22–24 ☐ 25–27 ☐ 28–30 ☐ 31–33 ☐ 34–35 ☐

1.4 जाति : सामान्य ☐ पिछड़ा वर्ग ☐ अनु0जाति ☐ अनु0जनजाति ☐

1.5 धर्म : हिन्दू ☐ मुसलिम ☐ ईसाई ☐ सिख ☐

1.6 शैक्षिक स्तर : निरक्षर ☐ प्रायमरी ☐ जूनियर हाईस्कूल ☐ हाईस्कूल ☐ इण्टर ☐ स्नातक ☐ स्नात्कोत्तर ☐

1.7 व्यवसाय : सरकारी नौकरी ☐ प्राइवेट नौकरी ☐ दुकान ☐ मजदूरी ☐ बेरोजगार ☐ कृषि ☐

1.8 घर की मासिक आय : रू.1000–2000 ☐ रू 2001–3000 ☐ रू. 3001–4000 ☐ रू.4001–5000 ☐ 5000 से अधिक ☐

1.9 वैवाहिक स्तर : विवाहित ☐ अविवाहित ☐ विधुर ☐ तलाकशुदा ☐

1.10 जीवित बच्चों की संख्या : शून्य ☐ एक ☐ दो ☐ तीन ☐ चार ☐ पांच ☐

1.11 परिवार की प्रकृति : एकांकी ☐ संयुक्त ☐ विस्तृत ☐

1.12 आवास की स्थिति : 1. पक्का घर ☐ 2. कच्चा घर ☐ 3. मिश्रित घर ☐

1.13 मनोरंजन के साधन : रेडियो ☐ टी.बी. ☐ सिनेमा ☐ क्लब ☐ सांस्कृतिक केन्द्र ☐

2.0 उत्तरदाताओं में मादक द्रव्य सेवन की प्रकृति :–

2.14 क्या आप मादक द्रव्य सेवन करते हो? हाँ ☐ नहीं ☐

2.15 आप किन–किन अवसरों पर मादक द्रव्य सेवन करते है?

1. विवाह–वरातों में ☐ 2. जन्मोत्सवों में ☐ 3. लाभ होने पर ☐
4. रिस्तेदारी में ☐ 5. चाहे कभी ☐ 6. कभी नहीं ☐

2.16 आपकी मादक द्रव्य सेवन की प्रकृति कैसी है?

1.अक्सर ☐ 2. कभी–कभी ☐
3. हमेशा ☐ 4. कभी नहीं ☐

2.17 आप किन–किन द्रव्यों का सेवन करते हो?

1. शराब ☐ 2. भांग ☐ 3. अफीम ☐
4. गांजा ☐ 5. स्मैक ☐ 6. कोई नहीं ☐

2.18 आप किस आयु से मादक द्रव्य प्रयोग किया था ?

1. 18–20 ☐ 2. 21–22 ☐ 3. 23–24 ☐
4. 25–26 ☐ 5. 27–28 ☐ 6. 29–30 ☐
7. 31–32 ☐ 8. 33–34 ☐ 9. कभी से नहीं ☐

2.19 आप मादक द्रव्यों का दिन में कितनी वार सेवन करते हो?

1. एक वार ☐ 2. दो वार ☐ 3. तीन वार ☐ 4. कभी नहीं ☐

2.20 आपको मादक द्रव्य प्रयोग के हेतु किसने प्रेरित किया ?

1. मित्र ☐ 2. रिस्तेदार ☐ 3. सहपाठी ☐ 4. पीते ही नहीं ☐

2.21 आप मादक द्रव्यों को किस माध्यम से प्रयोग करते हो ?

1. मुख द्वारा ☐ 2. सूंघकर ☐ 3. सुई द्वारा ☐ 4. किसी से नहीं ☐

2.22 आप किन–किन स्थानों पर मादक द्रव्यों का सेवन करते हो ?

1. घर पर ☐ 2. मधुशाला ☐ 3. यात्रा ☐ 4. ढांवा/होटल ☐
5. कही नहीं ☐

2.23 आप किन स्थानों से मादक द्रव्य प्राप्त करते हो ?

1. मित्रों द्वारा ☐ 2. दुकानों से☐ 3. अभिकर्ता से ☐ 4. किसी से नहीं ☐

2.24 आप कितने अन्तराल में मादक द्रव्यों का प्रयोग करते हो ?

1. सप्ताह में ☐ 2. पखवारे में ☐ 3. माह में ☐
4. प्रतिदिन ☐ 5. वर्षों में ☐ 6. कभी नहीं ☐

3.0 युवाओं में मादक द्रव्य के सेवन के कारण ज्ञात करने सम्बन्धी प्रश्न :–

3.25 क्या युवा वैयक्तिक विघटन के कारण मादक द्रव्यों का सेवन करते हैं ?

हाँ ☐ नहीं ☐ कुछ नहीं कह सकते ☐

3.26 क्या युवा पारिवारिक तनाव के कारण मादक द्रव्यों का सेवन करते हैं ?

हाँ ☐ नहीं ☐ कुछ नहीं कह सकते ☐

3.27 क्या युवा पिता के मद्यपानी होने के कारण मादक द्रव्यों का सेवन करते हैं ?

हाँ ☐ नहीं ☐ कुछ नहीं कह सकते ☐

3.28 क्या युवा तनाव–चिन्ता व कुण्ठा दूर करने के कारण मादक द्रव्यों का सेवन करते हैं ?

हाँ ☐ नहीं ☐ कुछ नहीं कह सकते ☐

3.29 क्या युवा बेरोजगारी के कारण मादक द्रव्यों का सेवन करते हैं ?

हाँ ☐ नहीं ☐ कुछ नहीं कह सकते ☐

3.30 क्या युवा आर्थिक स्थिति (गरीबी) ठीक न होने के कारण मादक द्रव्यों का सेवन करते हैं?

हाँ ☐ नहीं ☐ कुछ नहीं कह सकते ☐

3.31 क्या युवा शराब का सस्ती तथा सहज उपलब्ध होने के कारण मादक द्रव्यों का सेवन करते हैं?

हाँ ☐ नहीं ☐ कुछ नहीं कह सकते ☐

3.32 क्या युवा अति कामुकता से आनन्द प्राप्ति के लिए मादक द्रव्यों का सेवन करते हैं ?

हाँ ☐ नहीं ☐ कुछ नहीं कह सकते ☐

3.33 क्या युवा मनोरंजन करने हेतु मादक द्रव्यों का प्रयोग करते हैं ?

हाँ ☐ नहीं ☐ कुछ नहीं कह सकते ☐

3.34 क्या युवा चिकित्सा उपचार के कारण मादक द्रव्यों का सेवन करते हैं ?

हाँ ☐ नहीं ☐ कुछ नहीं कह सकते ☐

3.35 क्या युवा मद्यपान के विज्ञापनों से प्रभावित होकर मादक द्रव्यों का सेवन करते हैं ?

हाँ ☐ नहीं ☐ कुछ नहीं कह सकते ☐

3.36 क्या सामाजिक अलगांव के कारण मादक द्रव्यों का सेवन करते हैं ?

हाँ ☐ नहीं ☐ कुछ नहीं कह सकते ☐

3.37 क्या युवा मित्रों, रिस्तेदारों व अन्यों की अन्तक्रिया के कारण मादक द्रव्यों का सेवन करते हैं ?

हाँ ☐ नहीं ☐ कुछ नहीं कह सकते ☐

3.38 क्या युवा परिस्थिति के कारण मादक द्रव्यों का सेवन करते हैं ?

हाँ ☐ नहीं ☐ कुछ नहीं कह सकते ☐

4.0 मादक द्रव्यों के सेवन पर युवाओं पर प्रभाव ज्ञात करने सम्बन्धी प्रश्न :–

4.39 मादक द्रव्यों के सेवन का युवा आचरण पर कुप्रभाव पड़ता है ?

	सहमत	असहमत	तटस्थ
1. व्यक्ति झूठ बोलने लगता है	☐	☐	☐
2. चोरी करने लगता है	☐	☐	☐
3. अपराध को प्रोत्साहित होता है	☐	☐	☐

	सहमत	असहमत	तटस्थ
4.40 मादक द्रव्यों को सेवन का शरीर पर कितना प्रभाव पड़ता है ?			
1. नेत्र ज्योति कमजोर हो जाती है	☐	☐	☐
2. शिथिलता पडती है	☐	☐	☐
3. आलस बढ़ता है	☐	☐	☐
4.41 मादक द्रव्यों के सेवन का मानसिक स्वास्थ्य पर कुप्रभाव पड़ता हैं ?			
1. असमायोजन में वृद्धि	☐	☐	☐
2. चिढ़–चिढ़ापन में वृद्धि	☐	☐	☐
3. ध्यान केन्द्र में बाधा	☐	☐	☐
4.42 मादक द्रव्यों के सेवन का परिवार पर कुप्रभाव पड़ता है ?			
1. परिवार में कलह बढ़ जाती है	☐	☐	☐
2. बच्चों के समाजीकरण पर कुप्रभाव	☐	☐	☐
3. पत्नी दुर्व्यवहार बढ़ता है	☐	☐	☐
4.43 मादक द्रव्यों के सेवन का आर्थिक कुप्रभाव पड़ता हैं ?			
1. व्यवसाय पर	☐	☐	☐
2. मासिक आय पर	☐	☐	☐
3. परिवार वजट पर	☐	☐	☐
4.44 मादक द्रव्यों के सेवन का सामाजिक जीवन पर कुप्रभाव पड़ता हैं ?			
1. सत्यनिष्ठा क्षीण होती है	☐	☐	☐
2. प्रतिष्ठा का ह्रास होता है	☐	☐	☐
3. सिद्धांत हीनता बढ़ जाती है	☐	☐	☐
4.45 मादक द्रव्यों के सेवन से सामाजिक प्रक्रियाओं पर कुप्रभाव पड़ता है ?			
1. युवा संघर्षी हो जाते हैं	☐	☐	☐
2. शीध्र आक्रमक हो जाते है	☐	☐	☐
3. व्यवस्थापन का अभाव हो जाता है	☐	☐	☐
4.46 मादक द्रव्यों के सेवन का कार्य–कलापों पर कुप्रभाव पड़ता है ?			
1. कार्य कुशलता पर	☐	☐	☐
2. कार्य क्षमता पर	☐	☐	☐
3. कार्य गुणवत्ता पर	☐	☐	☐
4.47 मादक द्रव्यों के सेवन का युवाओं की संस्वृति पर कुप्रभाव पड़ता है ?			
1. मूल्यों को तोड़ते हैं	☐	☐	☐
2. सम्वेदन हीनता में वृद्धि	☐	☐	☐
3. हिंसक प्रवृत्ति	☐	☐	☐

4.48 मादक द्रव्यों के सेवन से ॠणग्रस्तता बढ़ती है ?

1. कम ☐
2. अधिक ☐
3. अज्ञात ☐

4.49 मादक द्रव्यों के सेवन का जीवन शैली पर प्रभाव

	सहमत	असहमत	तटस्थ
1. युवाओं में धूतक्रीड़ा पनपती है	☐	☐	☐
2. युवाओं में धूम्रपान बढ़ता है	☐	☐	☐
3. कामुकता में वृद्धि	☐	☐	☐

5.0 मादक द्रव्य सेवन के सम्बन्ध में युवाओं के विचार–मनोवृत्ति एवं दृष्टिकोण ज्ञात सम्बन्धी प्रश्न :–

5.50 युवाओं का मादक द्रव्य सेवन करने के सम्बन्ध में क्या अभिमत है?

सहमत ☐ तटस्थ्य ☐ असहमत ☐

5.51 युवाओं द्वारा मद्यपान निषेध की सीमा कैसी है ?

पूर्ण ☐ अर्ध ☐ कुछ कह नहीं सकते ☐

5.52 युवाओं में मादक द्रव्य दूसरों को सेवन करने के सम्बन्ध में प्रेरणा होती है ?

हाँ ☐ कभी–कभी ☐ नहीं ☐

5.53 युवाओं के अनुसार किस वर्ग को मादक द्रव्य का सेवन करना चाहिए ?

उच्च्व वर्ग को ☐ मध्यम वर्ग को ☐ निम्न वर्ग को ☐ किसी को नहीं ☐

5.54 युवाओं की निम्न के बारे में मनोवृत्तियां कैसी है ?

	नकारात्मक	सकारात्मक	सामान्य
1. मादक द्रव्य विक्रेताओं के बारे में	☐	☐	☐
2. वार होटलस के बारे में	☐	☐	☐
3. मद्यसारिकों के बारे में	☐	☐	☐

5.55 युवाओं के मद्यपान के बारे में क्या राय है ?

	हाँ	नहीं
1. मद्यपान आज का यथार्थ है	☐	☐
2. मद्यपान सभी को पसन्द है	☐	☐
3. मद्यपान एक बुराई है	☐	☐

5.56 युवाओं में मादक द्रव्य सेवन से प्राप्त सन्तुष्टी के स्तर क्या है ?

कम ☐ अधिक ☐ अज्ञात ☐

5.57 युवाओं की मादक द्रव्यों के बारे में पसन्दगी क्या है

अधिक ☐ कम ☐ अज्ञात ☐

5.58 युवाओं की मादक द्रव्य सेवन के बारे में क्या दृष्टिकोण है ?

सकारात्मक ☐ नकारात्मक ☐ तटस्थ ☐

6.0 युवाओं में मादक द्रव्य नियंत्रण सम्बन्धी उपाय :–

6.59 जूनियर हाई स्कूल में मादक द्रव्य प्रयोग के कुप्रभाव पढ़ने से युवाओं में रोक लगने की सम्भावना अधिक होगी ?

हाँ ☐ नहीं ☐ कुछ कह नहीं सकते ☐

6.60 क्या माता–पिता द्वारा मादक द्रव्य प्रयोग न करने से युवाओं में मद्यसेवन कम किया जा सकता है? हाँ ☐ नहीं ☐ कुछ कह नहीं सकते ☐

6.61 क्या लाइसेन्सी प्रणाली प्रारम्भ करने से मादक द्रव्य प्रयोग में रोक लगेगी ?

हाँ ☐ नहीं ☐ कुछ कह नहीं सकते ☐

6.62 क्या अधिक नौकरियां देकर युवाओं के मद्य सेवन पर रोक लगायी जा सकती है ?

हाँ ☐ नहीं ☐ अज्ञात ☐

6.63 क्या छात्रावासों में औचक निरीक्षण से युवाओं में मद्यसेवन कम होगा ?

हाँ ☐ नहीं ☐ कुछ कह नहीं सकते ☐

6.64 क्या मादक द्रव्य नियंत्रण अधिनियम शक्ति से लागू करने से युवाओं में मद्यसेवन कम होगा?

हाँ ☐ नहीं ☐ कुछ कह नहीं सकते ☐

6.65 घरों में मादक द्रव्य रखने को दण्डनीय अपराध घोषित करने से युवाओं में मादक द्रव्य सेवन कम किया जा सकता है?

हाँ ☐ नहीं ☐ कुछ कह नहीं सकते ☐

6.66 मद्यपान के विज्ञापनों को प्रतिबन्धित करने से युवाओं में मद्यसेवन रूकने की सम्भावना को कम किया जा सकता है ?

हाँ ☐ नहीं ☐ कुछ कह नहीं सकते ☐

6.67 क्या मादक द्रव्य निषेध महिला कमेटियों के गठन से युवाओं में मादक द्रव्य प्रयोग कम किया जा सकता है ?

हाँ ☐ नहीं ☐ कुछ कह नहीं सकते ☐

6.68 क्या मद्य निषेघ के बारे में हर तीन माह बाद अभियान चलाने से युवाओं में मादक द्रव्य सेवन कम हो सकता है ? हाँ ☐ नहीं ☐ कुछ कह नहीं सकते ☐

शोधार्थी के हस्ताक्षर

दिनांक :..........................

स्थान :..........................